राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 5] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का 15वां दिवस । [संख्या 11

शनिवार,

दिनांक 16 मार्च, 1974।

विधान सभा की बैठक म० पू० 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) सर्वश्री अजीतसिंह, गुमानमल लोढ़ा व भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा की ओर से टोंक शहर में मस्जिदों के कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(2) सर्वश्री रामकिशन तथा केदारनाथ, सदस्य विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के एक थाना आजादनगर में कुछ व्यक्तियों की पुलिस द्वारा पिटाई तथा पुलिस की गोली से एक व्यक्ति के मृत्यु के सम्बन्ध में।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) सर्वश्री उम्मेदीलाल व अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से :—

(क) हिन्डौन जिला सवाई माधोपुर में कालेज न खुलने के सम्बन्ध में,

(ख) जिला सवाई माधोपुर में गम्भीर नदी के डेम को पूरा न करने के सम्बन्ध में।

(4) सर्वश्री अजीतसिंह, गिरधारीलाल भार्गव, गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री सदस्य विधान सभा की ओर से टोंक जिले के कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन न देने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य यदि चाहें तो इन प्रश्नों को बजट की सम्बन्धित मांगों के समय उठा सकते हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा की ओर से रेगरों की कोठी पर शराब की दुकान, मन्दिर व स्कूल के

(श्री अध्यक्ष)

समीप होने के सम्बन्ध में। यह मामला सदन में दिनांक 12–3–74 को प्रश्न के रूप में उठाया जा चुका है, फिर भी माननीय सदस्य चाहें तो बजट की मांगों के समय में इसे उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से :—

(क) प्रदेश की 6 आटा मिलों को गेहूं न देने के कारण मैदा के अभाव में बेकरियां बन्द हो जाने के विषय में। पूर्व खाद्यान्नों के वितरण पर सदन में बहस हो चुकी है, फिर भी माननीय सदस्य चाहें तो इस मामले को प्रश्न के रूप में उठा सकते हैं। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(ख) कच्ची बस्ती के निवासियों को हटाने, नल बिजली की सुविधा न देने तथा उनके नियमन के नियम न बनाने के सम्बन्ध में। इस प्रश्न में एक से अधिक विषय उठाये गये हैं, तथा पूर्व में इसी आशय का एक स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) सर्वश्री विट्ठल भाई व जीथिंग, सदस्य विधान सभा की ओर से बांसवाड़ा तथा सम्पूर्ण आदिवासी इलाका अकाल, बेरोजगारी तथा उपयोगी वस्तुओं के अभाव में भुखमरी का शिकार हो रहा है, इस विषय में। यह स्थगन प्रस्ताव किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव टोंक की मस्जिदों के अन्दर कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने के बारे में दिया है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। वहां मस्जिदों में मुल्लों और नमाज पढ़ने वालों को तनख्वाह न मिलने के कारण बड़ी परेशानी है।

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी चाही है।

श्री अजीतसिंह : इसके लिये व्यवस्था देवस्थान विभाग को करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है। वह आने दें।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : अध्यक्ष महोदय, भुखमरी और रोजगार न मिलने के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, वह लोक-महत्व का कैसे नहीं है? मैं निवेदन करूं कि जनता भूखों मर रही है और अकाल पड़ता है और हम प्रस्ताव भी नहीं रखें, यह तो ठीक नहीं है। गांव के लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, और वह भूखों मर रहे हैं। वहां पर 75 प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ है लेकिन आज तक सरकार की तरफ से अकाल घोषित नहीं किया गया. रिलीफ वर्क्स नहीं खोले गये, और वसूली भी चालू है लगान की। इसलिये हमने बार बार कहा कि वहीं पर काम खोले जायें, लोगों को मजदूरी दी जाये और सस्ते अनाज की दुकानें खोली जायं। माननीय मन्त्री महोदय इसके बारे में जवाब दें कि इस इलाके के लिये जब दो माह रह गये हैं बरसात में और अभी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो क्या सरकार उन लोगों को भूखों मारना चाहती

(श्री बिट्ठलभाई)

है ? न आप अनाज की व्यवस्था कर सकते हैं, न मजदूरी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि मन्त्री महोदय से जवाब दिलावें कि सस्ते अनाज की व्यवस्था करेंगे या नहीं, और मजदूरी देंगे या नहीं, वर्ना वहां पर बुरी हालत होगी, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर सरकार ने समय पर व्यवस्था नहीं की तो वहां पर चोरियां और डकैतियां भी हो सकती हैं। फिर सरकार कहेगी कि ऐसा क्यों हुआ। मरता हुआ इन्सान सभी कुछ कर सकता है। बांसवाड़ा जिला गुजरात के पास है और गुजरात में जो क्रांति हुई उसका असर अभी बांसवाड़ा में नहीं पड़ा लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार उनकी सुने ही नहीं, अगर यही रहा तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसलिये मन्त्री महोदय जवाब दें कि वहां पर कब तक मजदूरी की व्यवस्था की जायेगी और कब तक सस्ते अनाज की व्यवस्था की जायेगी।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। विधान सभा में इस सम्बन्ध में प्रश्न भी आया था और मन्त्रीजी ने जवाब दिया था कि 60 से 80 प्रतिशत नुकसान हुआ है और कई माननीय सदस्यों ने भी सरकार से निवेदन किया था कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी वहां पर वसूली जारी है और घोर अन्याय हो रहा है। लेकिन मन्त्रीजी ने कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की और न आज तक कोई घोषणा की और न ही इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया। आज बांसवाड़ा की जनता भूख का शिकार होकर त्राहिमाम है और अन्य इलाकों में जाकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई है। यह सरकार उन आदिवासियों और उन पिछड़े वर्ग के लोगों को बेकार बनाना चाहती है और उनको मार देना चाहती है। उनको भूख मार कर भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। वहां के लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिये मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह हाउस में घोषणा करें उस इलाके के बारे में। मैं यह नहीं कहता कि सारे जिले को अकालग्रस्त घोषित करें, लेकिन जिन गांवों में नुकसान हुआ है, जिनके बारे में आपके पास गिरदावरी रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बावजूद भी आप काला चश्मा लगाये हुए हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह उनके साथ बड़ा अन्याय है। हम यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में हाउस में स्पष्ट घोषणा करें वर्ना वहां असन्तोष बढ़ने की पूरी सम्भावना है और उसके लिये सरकार ही जिम्मेदार होगी।

श्री बिट्ठलभाई : इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी से जवाब तो दिलावें। खाली भाषण से पेट नहीं भरता, वहां की जनता को राशन नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिलायें तो अच्छा होगा।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव हिन्डौन जिला सवाई माधोपुर में कॉलेज खोलने के संबंध में दिया था पर आज तक वहां पर कालेज नहीं खुल सका·····

श्री अध्यक्ष : आप यह डिमाण्ड के वक्त बोल सकते हैं यह तो मांग कर रहे हैं आप।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हिन्डौन में एक हाई स्कूल है उसको कॉलेज में परिवर्तन करने के लिये हम काफी अरसे से मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने सन् 1960-61 में सबसे पहले मांग की थी कि हमारे वहां पर कॉलेज खोला जाय सन् 1962 में उस वक्त राजस्थान के मुख्य मन्त्री जब वहां पर आये तो उन्हे भी निवेदन किया गया था तब उस वक्त राजस्थान के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया थे उन्होंने कहा कि यहां कॉलेज खुल सकता है अगर आप लोग कॉलेज के लिये भवन बना दें तो यहां पर कॉलेज खुल जायेगी। हमने वहां की जनता ने मिलकर करीब साढे तीन लाख रुपये लगा कर कॉलेज के लिये भवन बनाया। अध्यक्ष महोदय, वह भवन करीब अब दस लाख रुपये का होगा बाद में हमने राज्य सरकार से निवेदन किया कि आपने जो भवन बनाने के लिये कहा था हमने बना दिया है आप अपना आश्वासन कॉलेज खोलने का दिया था सो पूरा करें। पर कालेज नहीं खुला। जब वहां पर कॉलेज नहीं खुला तो वहां के लोगों ने आन्दोलन किया उस आन्दोलन में एक छात्र जो कि मैट्रिक में पढ़ता था वह गोली लगने से मर गया इसके साथ साथ एक सेठ भी गोली से मर गया था उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया अध्यक्ष महोदय, एक दो को नहीं बल्कि 200-300 नहीं पांच सौ लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें से करीब 300 लोगों का चालान भी पेश किया गया पर इसके बाद भी आज तक वहां कॉलेज नहीं खोला गया है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि राज्य सरकार का मन्त्री मन्डल हमारे साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो आपने यह घोषणा की है कि हम समाजवाद लायेंगे और गरीबी को मिटा देंगे तो क्या इस प्रकार आप राजस्थान को आगे बढ़ायेंगे आप एक कालेज तो खोल ही नहीं सकते हैं। आप क्या तरक्की करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, आज आप कॉलेज नहीं खोलेंगे तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे और बिना पढ़े तो हमारे बच्चे योग्य नहीं बन सकते और हम गरीब के गरीब ही रहेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कॉलेज को खोलने और नहीं खोलने का गरीबी से क्या संबंध है।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा हिन्डौन का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है वहां पर ज्यादातर बस्ती हरिजनों की है। करीब 64 प्रतिशत लोग हरिजन हैं। जहां लोग मांग कर रहे हैं कि कालेज खोले वहां कालेज नहीं खोले जा रहे हैं। तो हरिजनों के पास इतने कहां ज्यादा पैसे पड़े हैं कि वह अपने बच्चों को आगे पढने को बाहर भेजें। तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के मन्त्री महोदय को जो कि शिक्षा मन्त्री हैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हिन्डौन में जल्दी से जल्दी कालेज खोलने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमारे यहां पर हिन्डौन में पानी की बहुत कमी है जिससे

(श्री उम्मेदीलाल)

खेती बहुत कम होती है मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इसके बारे में दिया है कि गम्भीरी नदी जो हमारे पास है उस पर अगर आप डेम बना देते हैं तो हमारे आस पास का काफी इलाका सरसब्ज हो सकता है। मैं सिचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहाँ पर डेम बनाने की कृपा करें मैंने कई बार हाउस में इस प्रश्न को उठाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह विषय भी मांग का है आप जब इसकी डिमान्ड का दिन हो तब बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आश्वासन दिया जाय कि गम्भीरी नदी पर बांध बन जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने पिछली बार पूछा तो सरकार ने कहा कि वह कार्य शुरू हो चुका है। इसी वर्ष में कार्य चालू हो जायगा। खर्च नहीं होने वाला है करीब एक करोड़ और कुछ लाख रुपये ही नहीं लगेंगे। पहले मुझे इस बात का आश्वासन दिया गया था कि गम्भीरी नदी पर बांध बन जायगा पर अबकी बार जब मैंने बजट को देखा तो मालूम हुआ कि गम्भीरी नदी पर बांध बनाने का प्रावधान इस साल के बजट में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे इलाके की जनता के साथ अन्याय है। अगर आप बांध बना देते हैं तो उससे सारा हिन्डौन, टोडाभीम, नादोती, महुआ, गंगापुर का सारा इलाका सरसब्ज हो सकता है। वहां की जो आज धरती सूखी है वह इस बांध के बनने से सारा इलाका सरसब्ज हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया समाप्त करें आप जो बोल रहे हैं वह अभी विषय नहीं है।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो सवाल और करना चाहूंगा। तो अध्यक्ष महोदय,मैंने जो बजट देखा कि 74-75 के बजट में सड़कों के खर्चे के लिए धन-राशि भी रखी गयी है। पर जब मैंने हमारे जिले के बारे में धनराशि का प्रावधान देखा तो पता पड़ा कि हमारे यहां मन्त्री महोदय ने सड़कों के लिये धनराशि खर्चने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की सड़कों की हालत बहुत दयनीय है जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों को चलने में काफी दिक्कत आरही है। वह ऐसा इलाका है जहां अगर आप सड़क बना देते हैं तो राज्य सरकार को लाखों रुपये की इनकम हो सकती है। क्योंकि वहां पर दिन भर उस सड़क पर ट्रकें चलती रहती हैं। आम रास्ता है अध्यक्ष महोदय, कम तो नहीं पर 500 से अधिक ट्रकें ही चलती होंगी। दिन भर ट्रैफिक चलता रहता है जो अलग। लेकिन आपने हमारे लिये सिर्फ 3 मील की सड़क का प्रावधान किया है यह तो नहीं के बराबर है। तो मेरा निवेदन है कि आप हमारे इलाके में सड़कें बनावें। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि एक तो महुआ से करोली की जो सड़क है उसे आप 20 फीट चौड़ी करावें क्योंकि वह सड़क अभी जो है वह कम चौड़ी है इसलिये वहां पर आये दिन दुर्घटना होती रहती है वह कम हो जायगी और जनता को नुकसान कम होगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें तो ठीक है। अब तो समाप्त कर दीजिये।

Page No.6

(6)

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो मिनट और लूंगा। फिर मैं समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जायें तो ठीक रहेगा यह सभी आप डिमान्ड के वक्त बोल सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनको अभी बोलने का मौका मिला है इसलिये अभी ही बोल जाते है। बड़ी मुश्किल से मौका इन्हें मिल पाता है।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे इधर अभी शीत लहर से फसलें खराब हो गई हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इधर जो नहरें हैं उनसे सीपेज की वजह से भी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है इसलिये मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इन नहरों को ठीक कराया जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार का रवैया हमेशा ग्रामीण जनता के साथ शहर की जनता की तुलना में सौतेला व्यवहार का रहता है। आप शहरों की जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज शीत से काफी नुकसान हो गया है लेकिन राज्य सरकार काश्तकारों को कोई फायदा नहीं देती है। काश्तकार लोग बड़ी मेहनत करके खेती करते हैं और वह जब नष्ट हो जाती है तो हमें कितना नुकसान होता हैं कितना दुख होता है और जब अनाज की कमी आती है तो आप शहर वालों को तो अनाज दे देते हैं लेकिन गांव वालों के लिये आप कोई इन्तजाम नहीं करते हैं। आज हमारी ग्रामीण जनता को क्रूडायल नहीं देते हैं, बिजली नहीं देते हैं, डीजल नहीं देते हैं और न हमें आप घासलेट ही देते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया अब तो समाप्त करें, मैं आपको किस तरह समझाऊं।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। यह क्या व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है।

श्री अध्यक्ष : आप दो दो मिनट करते कितना समय लेना चाहते हैं पहले ही समय काफी लिया है। अब समाप्त करें।

श्री उम्मेदीलाल : अब मैं एक बात जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि राज्य सरकार ने हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित किये हैं नौकरियों के लिए लेकिन वह भी हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहे हैं और जो मिलते हैं वह नहीं के बराबर हैं।

श्री अध्यक्ष : यह सभी विषय डिमाण्ड्स पर बोलने के है अभी नहीं। आप बेकार ही तकरीर कर रहे हैं। आप बैठ जायें।

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में निवेदन करके बैठ जाऊंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इनको ऐसा लगता है कि शायद इनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री उम्मेदीलाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आज आप जिन हरिजनों को नौकरी देते हैं तो उनको आप उनके जिले से करीब दो से तीन सौ मील दूर लगा देते है अब एक हरिजन

(श्री उम्मेदीलाल)

जो कि फोर्थ क्लास और थर्ड क्लास की केटेगरी की पोस्ट पर आप अगर बाड़मेर लगा देते हैं, जैसलमेर लगा देते हैं तो वह अपना गुजर कैसे करेगा। कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा। इसी प्रकार भूमि के विषय में आपने घोषणायें तो कर दी हैं कि इतनी जमीन हरिजनों को दी गई। पर वह असलियत में हरिजनों को अभी तक नहीं मिली है। कहीं पर एक आध को एक दो बीघा जमीन मिल गयी तो क्या? तो यह आप क्या न्याय कर रहे हैं? इसके लिए मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि इनको पूरा किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रेगरों की कोठी पर शराब की दूकान, मन्दिर व स्कूल के समीप होने के सम्बन्ध में दिया था। अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि आज वहां पर उसके खिलाफ में आन्दोलन हो रहा है। लोगों ने उस दूकान के सामने भूख हड़ताल कर रखी है। आज पिछले 6 फरवरी से करीब 70 दिन होने को आये हैं यह कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर दुकान के सामने ही हरिकीर्तन वगैरह लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे बस्ती में ही हो रही है इसके बारे में मैंने पहले एक प्रश्न भी सदन में तारीख 12-3-74 को उठाया था उसके जवाब में मन्त्री महोदय ने यह कहा था कि कोई भी शराब की दुकान मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और स्कूल के 200-250 मीटर नजदीक नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच ही मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट तो बहुत होते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप चार मिनट रख लें।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, आपके घण्टी बजाते ही बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वह शराब की दुकान जो है वह एक मन्दिर के पास ही है। मैं इसके लिये श्री रामचन्द्रजी कांग्रेस के एम. एल. ए. साहब को घटनास्थल पर ले गया और उन्हें बताया कि जो शराब की दुकान है वह शिवजी के मन्दिर के पास ही है। 200-250 मीटर की आप कहते हैं पर वह तो 20 मीटर ही दूर है उस मन्दिर से। इसके अलावा दूसरा मन्दिर एक और है। दूसरा मन्दिर रामदेवजी का करीब 70 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है। उस मन्दिर में स्कूल चलती है वह 7 मीटर दूर है। गंगाजी का मन्दिर है वह भी 100 मीटर से अधिक दूर नहीं है। शराब के ठेके चारों तरफ मन्दिरों से घिरे हुए हैं। राज्य सरकार के जो नियम हैं उनकी भी खिलाफवर्जी की गयी है। गरीब जनता अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यदि कोई आन्दोलन करे तो मैं एक प्रश्न सीधा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपका कानून बना हुआ है फिर उनका गरीबों के हित में क्यों नहीं इम्प्लीमेन्टेशन करते हैं? यदि आप उस ठेके को नहीं हटाते हैं वहां से तो यह भी एक बड़ी लज्जाजनक बात है। हरिजनों के हित की, समाजवाद की तो आप बात करते हैं

Page No.8

(8)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

और हरिजन भूख हड़ताल करें और ठेके को बन्द कराने के लिए कहें फिर भी जो कानून से ही बन्द हो जाना चाहिये, उसको वहां से नहीं हटवाते हैं मैं आपको चेतावनी दे देना चाहता हूं कि विद्यार्थियों ने कहा है कि यदि यह ठेका यहां से बन्द नहीं किया गया तो उसकी दूकान को जला दिया जावेगा और यदि इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी न कि विद्यार्थियों की। शराब की दुकान को हटाने के लिए भूख हड़ताल चल रही है और इस बहरी और गूंगी सरकार के मन्त्री को कोई परवाह नहीं है, कानून का पालन नहीं करा सकते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र अधिसूचना

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या 3 (ब) (9) रा/उप/68, दिनांक 7 मार्च, 1974 को सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (सभानेत्री, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड (सहकारी बाजार, जयपुर) से सम्बन्धित जनलेखा समिति के सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री केदार नाथ : इसका सर्कुलेशन आज हो जाय तो सदस्य इसको पढ़ सकें और इस सम्बन्ध में बहस में हिस्सा ले सकें।

मांगों और कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह सम्भव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायं वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिये मोटेतौर पर सरकारी पक्ष को तीन घंटे का समय दिया जायगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित होगा। अन्य दलों के लिये समय निम्न प्रकार होगा:—

स्वतन्त्र दल	चालीस मिनिट
जनसंघ दल	पैंतीस मिनिट
साम्यवादी दल	बीस मिनिट
संसोपा दल	बीस मिनिट
संगठन कांग्रेस	दस मिनिट
निर्दलीय	पांच मिनिट प्रति वक्ता।

श्री केदारनाथ : निर्दलियों का नम्बर 10 है। पांच मिनिट का समय दिया है। 10 मिनिट दिये जाने चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : संगठन कांग्रेस के एक ही सदस्य हैं। कल विलीन हो गये अखबारों में। उनको दस मिनिट और निर्दलियों को 5 मिनिट।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनिट प्रति वक्ता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप ठहरिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो आदेश दिये हैं उसके बारे में मुझे निवेदन करना है। यह निवेदन करना है कि डिमाण्ड पर बहस करने के लिये सब ही माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिलना चाहिये चाहे रात्रि के 12 बजे तक भी हाऊस चलाया जाय। समय उनको दिया जायगा ताकि सब ही मेम्बर्स को सेटिस्फेक्शन हो सकेगा। सारे समय को निर्धारित करके सबको पूरा समय दिया जाय। जिससे कि वे अपनी प्रॉब्लेम्स को रख सकें वरना वे अपनी प्रॉब्लेम्स को नहीं रख सकेंगे और असंतोष फैलेगा इसलिये समय बढ़ाना चाहिये। ताकि सब को पूरा समय मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन यह है कि यदि सदन ज्यादा समय तक बैठना चाहे तो खुशी से बैठे। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब पांच बजे का समय आये तो समय बढ़ाने की बात कही जा सकती है और उस लिहाज से हर एक मेम्बर को समय दिया जा सकता है।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 26 व 32

स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 208 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19, 39, 15,000 तक की राशि प्रदान की जाय।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 3,04,83,000) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई।

कटौती प्रस्ताव।

मांग संख्या 26 व 32 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक चिकित्सकों व एलोपैथिक चिकित्सकों के वेतन मान में असमानता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में जनता को औषधियां (दवाइयां) उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिए)।

3. मांग सं. 26 मुख्य शीर्षक 280- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक रसायन शालाओं के लिये खरीदी गई औषधियों में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

4. मांग सं० 26 मुख्य शीर्षक 280- चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की समस्त डिस्पेन्सरियों की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280-चिकित्सा स्वास्थ्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में एक जिला अस्पताल बनाये जाने पर चर्चा के लिए)

6. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में एक और जनाने अस्पताल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

8. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई मानसिंह अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

9. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

दिया जाय (जयपुर स्थित जनाने अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

10. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक स्वास्थ्य प्रयोग शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 695 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार चिकित्सा स्नातक को ऋण दिये जाने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

12. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा की दृष्टि से राजस्थान नहर क्षेत्र का उचित विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

13. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेदिक प्रणाली को अधिक प्रोत्साहन न देने के बारे में चर्चा के लिए)।

14. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों की कमी पर चर्चा के लिए)।

15. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 688 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजनैतिक पीड़िता को ऋण दिये जाने में होने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिए)।

वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

16. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में तपेदिक का रोग अधिक बढ़ रहा है कि अलग से अस्पताल खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में पुराने अस्पताल की बिल्डिंग में डिस्पेन्सरी खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

18 मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला राजकीय चिकित्सालय में माकूल दवाई का प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के बैसाला एवं कवास ग्राम में डिस्पेन्सरी न खोले जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द कराने में निश्चित नीति अपनाने के अभाव पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में सफाई एवं पानी का माकूल

Page No.12

(12)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रबन्ध न होने, रोगियों के बैड्स पर पुराने एवं फटे गद्दे एवं पुरानी एव फटी चदरों के होने एवं अस्पताल की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर राजकीय अस्पताल में निम्न कमियों की पूर्ति पर:—

1–एक्स-रे प्लान्ट के संचालन करने के लिये रेडियोलोजिस्ट टेक्निकल स्टाफ की नियुक्ति,

2–इ०एन०टी० स्पेसिलिस्ट की नियुक्ति के लिये,

3–आंखो के इलाज के लिये विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिये,

4–ट्रेन्ड रोटरी टेक्निसियन की नियुक्ति के लिये,

5–मरीजों के शैया 100 के बढ़ाने पर चर्चा के लिये, वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड, चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलेरिया के उन्मूलन के लिये बाड़मेर जिले में जो राज्य सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं, वे अपर्याप्त है और जिसके कारण जनता में घोर असंतोष है के विषय पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 26, के मुख्य शीर्षक 280- के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला भारत सेवक समाज द्वारा संचालित होमियोपेथी अस्पताल, बाड़मेर में आयुर्वेदिक विभाग द्वारा जो अनुदान की राशि दी जा रही है उसके कार्य को देखते हुए अपर्याप्त है जिसे बढ़ने के विषय पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया। बाड़मेर नगर के गाडोलिन राज्यों को बसाने के लिये मकान निर्माण में माकूल सहायता नहीं देने के कारण उन में तीव्र असंतोष पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 280 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बाड़मेर नगर एवं कवास ग्राम में अनुसुचित जाति एवं अन जाति के मोहल्लों में पानी एवं बिजली की सुविधा के लिये योजना बनाने की निष्क्रियता एवं ढिलाई बरतने के कारण उनमें तीव्र असंतोष की चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य द्वारा एवं अनुदानित अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के होस्टलों के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के विद्यार्थियों के लिये रहने एवं उनके खाने के प्रबन्ध के लिए जो राशि की व्यवस्था है वह आजकल की महंगाई को देखते हुये बहुत कम है जिसे बढ़ाई जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

29. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों के प्रति छुआछूत एवं भेदभाव बरतने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा ठोस कदम न उठाने के कारण उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

30. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में बायतू या कवास किसी स्थान पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये बोर्डिंग हाउस न खोले जाने पर उसमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) ।

31. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पृश्यता निवारण के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं उनमें उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है जिनके कारण अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों में असंतोष है अतः उस पर चर्चा के लिये) ।

32. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा मैला ढोने की कु-प्रथा को बंद करने के लिये जो प्रयास किये जा रहे हैं वे संतोषप्रद नहीं है अतः इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

33. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर के चिकित्सालय में डाक्टरों द्वारा दुर्व्यवहार करने एवं भ्रष्टाचार से हुई अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

34. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरापाटन नगर के औषधालय में लेडी डाक्टर न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

35. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालवाड़ जिले में आयुर्वेदिक जिला अधिकारी के नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

36. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर के आयुर्वेदिक औषधालय में प्रधान व सहायक वैद्य के रिक्त स्थान से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए) ।

37. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (असनावर व बकानी जिला झालावाड़) प्रा० हैल्थ सेन्टर पर लेडी डाक्टर एवं फैमेली प्लानिंग के डाक्टर न होने पर चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर के चिकित्सालय में ब्लड देने की व्यवस्था न होने की चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

कम कर दिया जाय (झालावाड़ के चिकित्सालय में रोगी वाहन न होने पर चर्चा के लिए) ।

40. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंडावर जिला झालावाड़ के औषधालय के प्रधान वैद्य की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा):

41. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों के स्थानान्तरण के लिये राजकीय नीति के अभाव से फैले हुए भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं असंतोष के संबंध में चर्चा के लिये) ।

42. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में डिस्पेन्सरीज के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

43. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों की प्राईवेट प्रेक्टिस से फैले हुए भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये) ।

44. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एन. मेडिकल कॉलेज जोधपुर एवं सम्बन्धित अस्पतालों में औषधियों की कमियों पर चर्चा के लिये) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

45. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में गांव नठारा की पाल आदिवासियों की आबादी में औषधालय खुलाने पर चर्चा के लिये) ।

46. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा सेमारी गांव में होम्योपैथी के अस्पताल खुलाने पर चर्चा के लिये) ।

47. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाडोल में डाक्टर के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

48. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों के गांवों में शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

49. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में नगरपालिका के अन्तर्गत कई आदिवासियों के मोहल्लों में नल की टूटी नहीं देने पर चर्चा के लिये) ।

50. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी गांवों में मरीजों की सुरक्षा के लिये दवाखाने खुलाने पर चर्चा के लिये) ।

(श्री देवी लाल)

51. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर गांव नठारा की पाल के आदिवासियों की घनी आबादी वाले गांवों में औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा क्षेत्र में आदिवासी विकास खण्ड खुलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) :

53. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक एवं रसायनिक परीक्षक का पद लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा अयोग्य अधिकारियों के अभाव में रखने से जनता में भारी असंतोष संबंधी विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

54. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव एवं चिकित्सा बिलों के पुनः भुगतान (रिएम्बर्समेंट) में घोटाले पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावासों की कमी के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

56. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जायं (विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों में नियुक्त चिकित्सकों के वेतन-मानों में अन्तर पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायं (दवाइयों की खरीद में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिये जाय (जिला अस्पताल एवं राज्य स्तरीय अस्पतालों के विभिन्न पदों में अन्तर पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जायं (समाज कल्याण के कार्यों में सही व्यय हो इसके लिये आधारों में मूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

60. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले की देवली पंचायत समिति में प्रसूति गृह की जनता द्वारा कई बार मांग प्रस्तुत करने पर भी राज्य सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री चतुर्भुज)

61. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह जिला टोंक में स्थानीय चिकित्सालय में रोगियों के लिये 20 बेड्स के लिये इन्डोर वार्ड बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

62. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक, पंचायत समिति टोडारायसिंह, देवली, क्षेत्र में टोडारायसिंह, देवली आदि में हरिजन जाति द्वारा हाउसिंग सोसाइटी द्वारा हरिजन बस्तियों में मकान बनाने हेतु मांग करने पर भी राज्य सरकार द्वारा लोन दिये जाने में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

63. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के नोखा में अस्पताल को उच्च श्रेणी का बनाने व स्टाफ को बढ़ाने, दवाइयों एवं लेबोरेट्रीज की सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये) ।

64. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पांचू तहसील नोखा में सब-सेन्टर सरकार द्वारा समय पर व सही ढंग से नहीं संचालित किए जाने पर चर्चा के लिये) ।

65. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम जसरासर में चिकित्सालय खोलने व जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की चर्चा के लिये) ।

66. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम थावरिया में आयुर्वेद औषधालय भवन आदि जनता द्वारा सरकार के सुपुर्द करने के बावजूद भी औषधालय को परमानेन्ट नहीं चलाने की चर्चा के लिए ।)

67. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के ग्राम गिरराजसर के औषधालय को स्थाई व सुचारु रूप से चालू रखने पर चर्चा के लिए) ।

68. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के ग्राम झझू के आयुर्वेद औषधालय में दवाइयों को समय पर उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए ।)

69. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील नोखा के ग्राम जसरासर के आयुर्वेद औषधालय में दवाइयों के अभाव की चर्चा के लिए ।)

70. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. अस्पताल में मेडिकल 'ए' यूनिट में पैसे लेकर सर्जीकल बीमारों को भर्ती करने बाबत चर्चा के लिए ।)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

71. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के ग्राम कोलायत में अस्पताल में बीमारों की शैय्याओं को बढ़ाने व दवाइयों, स्टाफ आदि व ऐन्टीरेबिक इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।)

72. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल में स्टोर परचेजिंग में हुई भारी अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।)

73. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल में कर्मचारियों की साइकिलें ड्यूटी पर आने के बाद चोरी हो जाने व व्यवस्थापकों द्वारा कोई भी इन्तजाम न किए जाने पर चर्चा के लिए।)

74. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में मेडिकल विभाग द्वारा स्टाफ से 12 घन्टे ड्यूटी लेने व उन्हें ओवरटाइम न देने की चर्चा के लिए।)

75. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में मेडीकल कालेज में लेडी डाक्टर के विदेश चले जाने के बाद भी यहां इन्टर्नशिप पूरा घोषित करने पर चर्चा के लिए।)

76. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल में एक्सपायर्ड तारीख की दवाइयों के खरीद व वितरण पर चर्चा के लिए।)

77. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल के परचेजिंग सेक्शन द्वारा दवाइयों के फर्म से भारी धन लेकर जरूरत से ज्यादा एक ही दवाई का स्टाक खरीदने पर चर्चा के लिए।)

78. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के नापासर ग्राम के चिकित्सालय में दवाइयों की सुविधा सुचारु रूप से नहीं है चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर पी. बी. एम. एम. अस्पताल में मरीजों के लिए बेड्स की सुविधा संतोषजनक नहीं है। इस पर चर्चा के लिए)

80. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल में मेडिकल वार्ड 'ए' यूनिट में टी. बी. के बीमारों को भर्ती किया जाता है और विभाग अलग टी. बी. अस्पताल बनाने व बीमारों को सुचारू भर्ती की व्यवस्था नहीं की गई है इस पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल के बीमारों को दिये जाने वाले

Page No.18

(18)

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

भोजन व खाद्य सामग्री में भारी मिलावट व अशुद्धि व नियमित न देने पर चर्चा के लिए) ।

82. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल के कर्मचारियों को वर्दी नियमित व परम्परा के अनुसार न देने पर चर्चा के लिए) ।

83. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता उसकी चर्चा के लिए) ।

84. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के पी. बी. एम. एम. अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिए) ।

85. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा राजस्थान में मेल नर्सों की पदोन्नति वर्ग के लिहाज से न देने पर चर्चा के लिए) ।

86. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोखा के ग्राम बांधनू, सूरपुरा, रासीसर, पांचू, कुदसू, रोड़ा, थाव-रिया, झाड़ेली, कुचोर, अगूणी, आथूणी, सोमलसर, मड़िया, जसरासर, बोरासर, उड़सर, काकड़ा, मेनसर, बकसेऊ, गुदुसर, सिजगुढ़, सिधु, मोरखाना, कीरतासर, सादा सर, लालमदेसर बड़ा व छोटा, उतमामसर, झामरसर, देपलसर, जयसिंहदेसर, मगरा, पिवरासर आदि के हरिजन मोहल्लों में विद्युत एवं पाइप लाइन पर चर्चा के लिए) ।

87. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील कोलायत के ग्राम झझू, प्रकासर, आदि के हरिजन मोहल्लों में विद्युत एवं पाइप लाइन पर चर्चा के लिए ।)

88. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील श्री डूंगरगढ़ के ग्राम टिड़ी आदि के हरिजन मोहल्लों में विद्युत एवं पाइप लाइन पर चर्चा के लिए) ।

89. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बीकानेर का ग्राम पलाना आदि के हरिजन मोहल्लों में विद्युत एवं पाइप लाइन पर चर्चा के लिए ।)

90. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(बीकानेर जिले के नोखा के हरि-जन छात्रावास के छात्रों को समय पर पाठ्य व सहायता की धनराशि उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए) ।

91. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले की तहसील कोलायत के श्री जगजीवनराम छात्रावास के

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

छात्रों को समय पर सहायता नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

92. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ हरिजन छात्रावास में छात्रों को रहने की सुविधा शुद्ध भोजन, वस्त्र, पाठ्य सामग्री आदि समय पर उपलब्ध कराने की चर्चा के लिए)।

93. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर के शहर हरिजन छात्रावास में शुद्ध भोजन, वस्त्र, निवास स्थान समय पर पुस्तकें व शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने पर चर्चा के लिए) ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

94. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री गोवर्धन औषधालय, नाथद्वारा का उपयुक्त विकास न करने के प्रश्न पर चर्चा के लिए) ।

95. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का मुख्यालय नाथद्वारा में रखने हेतु चर्चा के लिये) ।

96. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव गुड़ा, तहसील नाथद्वारा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए) ।

97. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सालोर ग्राम तहसील नाथद्वारा के बागरियों के स्थायी निवास पर चर्चा के लिए) ।

98. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन छात्रावास नाथद्वारा की भयंकर दुर्गति पर चर्चा के लिए) ।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

99. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (राजस्थान में चिकित्सा सुविधा सामान्य व्यक्ति को न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

100. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :

101. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये (राज्य में सस्ती चिकित्सा उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर):

102. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280. के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (मेडिकल कालेजों के प्रोफेसरों के स्थानान्तरण में होने वाली देरी पर चर्चा के लिए) ।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

103. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि सर्वेक्षण की योजना विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले व्यय में कमी करने पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 695 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक सेवाओं के लिये ऋण की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय ट्रकोमा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीद की गई औषधियों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

106. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत माँग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के कल्याण में होने वाली देरी के लिये विभागीय उत्तरदायित्व पर चर्चा के लिए)।

107. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 498 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों की सहकारी उपभोक्ता समितियों को उचित सहायता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

108. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा आर्थिक विकास पर उचित ध्यान नहीं दिये जाने से होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए)।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

109. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक शहर में सहदत होस्पीटल में जनाना वार्ड बन जाने पर भी उपयोग नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले के पीपलू होस्पीटल में अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जायें (आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा वांछित कानूनी सहायता टोंक जिले में न दिलाने पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर, पश्चिम)

113. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट प्रेक्टिस की वजह से मरीजों को होस्पीटल में बैड मिलने में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिए)।

114. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओल्ड एज पेन्शन प्राप्त करने वालों से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिये रुपया 16/-फीस के वसूल करने के औचित्य पर चर्चा के लिए)।

(श्री किशन मोटवानी)

115. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ओल्ड एज पेन्शन प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए)।

116. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण की तरफ से लगने वाले वल्वों व नल के लगाने में अवांछनीय देर से असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

117. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कम्पाउन्डर के पद पर पुरुष व महिला के भेद-भाव को दूर कराने पर चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली बांगड़ अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में वृद्धावस्था पेन्शन हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित न होने पर चर्चा के लिए)।

120. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु आवश्यक कदम उठाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

121. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में हरिजन बस्तियों के मकानों हेतु आवश्यक अनुदान न देने पर चर्चा के लिए)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

122. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग की रसायन शालाओं के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

123. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद आयुर्वेद विभाग के निदेशक की नियुक्ति से जनता में फैल रहे असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

124. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग की फार्मेसी में चल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

125. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालयों में आम रोगियों के लिए औषधियों आदि उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोषाहार केन्द्रों पर उदयपुर जिले में चल रहे अनियमितताएं व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

Page No.22

(22)

श्री चिम्मनसिंह भाटी (नीम) :

127. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों में दवाओं के नहीं मिलने व उनमें व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

128. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलमगरा तहसील के सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव कुरज में चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रावास रेल मगरा में छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर.पूर्व) :

130. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में बैड्स बढ़ाने व दवाओं की कमी पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर के अनुसूचित जाति एवम् जन-जाति के मोहल्लों में बिजली व पानी हेतु राशि के अभाव पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर शहर के अनुसूचित जाति एवम् जन-जाति के मोहल्लों में उचित विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) :

133. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू तहसील में कोटखावदा पी. एच. सी. में लेडी डाक्टर की नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

134. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी, चाकसू तहसीलों की पी. एच. सी. में दवाइयों की कमी के कारण बीमारों को सही चिकित्सा नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों की पी. एच. सी. में बेड्स की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग की ओर से उन विद्यार्थियों को जो स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ते हैं उन्हें उचित छात्रवृत्तियां दिलाने पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No.23

(23)

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के महिला सदनों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोषाहार केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा जो छात्रावास चलाये जा रहे हैं उनमें विद्यार्थियों के लिये खाने, रहने आदि की व्यवस्था ठीक नहीं हैं इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा):

142. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा (जिला झालावाड़) के चिकित्सालय को वर्तमान श्रेणी से उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिए)।

143. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा (जिला झालावाड़) क्षेत्र में कस्बा अकलेरा और ग्राम लपोड़ियाशाह तथा चंदीपुर में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने हेतु चर्चा के लिए)।

144. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा क्षेत्र के चिकित्सालय भालता अकलेरा और मनोहर थाना में दवाइयों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र के प्राथमिक शालाओं में विद्याध्ययन कर रहे छात्रों को पोषाहार वितरण कराने हेतु चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा अकलेरा और मनोहरथाना (जिला झालावाड़) में 'बी' श्रेणी आदिवासी छात्रावास कायम करने हेतु चर्चा के लिए)।

147. मांग संख्या 34 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा क्षेत्र की आदिवासी बस्तियां जो अब तक विद्युत प्रासगी से वंचित है सिंचाई हेतु विद्युत पाने में प्राथमिकता पाने की चर्चा के लिए)।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर):

148. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30-रोगी शय्या ग्रामीण क्षेत्र अस्पताल घोषित करने पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कर दिया जाय (तहसील सांचोर में आयुर्वेद चिकित्सालयों की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर में एक अच्छे सर्जन के पोस्टिंग के बारे में चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चीतलवाना, जिला जालौर डिस्पेन्सरी में डाक्टर की पोस्टिंग कराने हेतु चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में अस्पतालों में लगे डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस शीघ्र बन्द कराने हेतु चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरी बड़े अस्पतालों में ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों के लिये कुछ सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उपकेन्द्रों पर डाक्टरों की नियुक्ति हेतु चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण-क्षेत्रों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पागल कुत्ते के काटने के उपचार हेतु इन्जेक्शन की व्यवस्था की चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील के नेपड़ क्षेत्र में मलेरिया नियन्त्रण के बारे में चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर शास्त्री सदन अनुसूचित जाति छात्रावास में तीन अनुत्तीर्ण छात्रों को भरती करने पर चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति सेवाओं की कमियों एवं उनकी समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए मकानों, काश्त की जमीन एवं पीने के पानी की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

161. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री गोपाल जोशी)

कर दिया जाय (बीकानेर में और नई डिस्पेन्सरीज खोलने के बारे में चर्चा के लिये।

162. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औषधियों की और आयुर्वेदिक औषधालयों की अव्यवस्था के बारे में चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर में हरिजन व शेड्यूल-कास्ट जातियों के मोहल्लों में बिजली पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

164. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणीसर बीकान तहसील बीकानेर औषधालयों में वैद्य की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 308 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लूणकरणसर में मोबाइल एलोपेथिक यूनिट की स्थापना पर चर्चा हेतु)।

166. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लूणकरणसर महाजन, जामसर व खारा छतरगढ़ के हरिजन मोहल्लों का विद्युतिकरण एवं जन व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय छात्रावास पूगल व छतरगढ़ में अरदं चद्दरों एवं छतरगढ़ छात्रावास भवन के विद्युतिकरण पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):

168. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर अस्पताल में रोगियों के लिए बिस्तरों की अच्छी व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर जिला गंगानगर के अस्पताल में किसी महिला डाक्टर का प्रबन्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर जिला गंगानगर के अस्पताल में किसी भी नर्स की नियुक्ति न होने पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर करने से जनता की चिकित्सा सुविधा ठीक प्रकार से उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 695 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों व सहकारी समितियों द्वारा जो काश्तकारों को ऋण

Page No.26

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

दिया गया था उसकी वसूली सरपंचों या सहकारी समिति के अध्यक्ष से करना-इस पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 695 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत 35 बी. बी. को जो खाद आदि ऋण के रूप में दी गयी थी उसकी वसूली उस समय के कार्यभार सरपंच से करने पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हरिजन बस्ती पदमपुर जिला गंगानगर में विद्युतिकरण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर):

175. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में पर्याप्त सुविधाएं एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की अनुपस्थिति से ग्रामीण क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधा नहीं प्राप्त होने के कारण गरीबों को असुविधा होने के कारण चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा चुलाए जा रहे पोषाहार केन्द्रों में विभाग के अधिकारियों द्वारा बढ़ती जा रही भेदभाव की नीति के कारण क्षेत्रों में फैले हुए असंतोष से उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीना (लालसोट):

177. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय मंडावरी, लालसोट चिकित्सालयों में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट चिकित्सालय को अपग्रेड कराने हेतु चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़, पचवारा तहसील लालसोट जिला जयपुर में नया अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट चिकित्सालय में पागल कुत्तों के काटे हुए लोगों के इन्जेक्शन लगाने की व्यवस्था नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट):

181. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित, जन-जाति के लिए सेवाओं में सुरक्षित स्थानों को पूरा कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मूलचन्द सामरिया):

(श्री मीठालाल मीणा):

कम कर दिया जाय (सरकार के द्वारा भिक्षावृत्ति जैसे अपवित्र कार्य को बन्द न करा सकने पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के माध्यम द्वारा चलाए जाने वाले छात्रावासों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भंगी कष्ट मुक्ति योजना के असफल होने व सिर पर मैला ढोने की प्रथा को बन्द कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन-जाति के बेकार तथा स्नातकोत्तरों, स्नातकों को घोषित योजना के अनुसार स्टाइपेन्ड की राशि न देने पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवास सहकारी समितियों के असफल होने व अनुसूचित जाति व जनजाति को इससे उत्पन्न निराशा पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्धावस्था व अन्धे विकलांगादि लोगों को दी जाने वाली पेन्शन के जटिल व अव्यवहारिक नियमों को मंत्री महोदय की सदन में घोषणा के बावजूद सरलीकरण न करने पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व व जन-जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में होने वाली धांधली पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्री महोदय के आश्वासन के बावजूद भी विभाग द्वारा नये उद्योग धन्धों में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को धन्धे सुरक्षित न करने पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घुमक्कड़ एवं विमुक्त जातियों के उत्थान के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्धनों और निराश्रितों को सरकार द्वारा कोई सहायता न देने पर चर्चा के लिये।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

192. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल को जिला अस्पताल में परिवर्तित कराने पर चर्चा के लिये)।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

193. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल में बैड्स संख्या बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल में पागल कुत्ते के काटे लोगों के इन्जेक्शन की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

195. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल में मरीजों को देने के लिये दवाइयां अधिक बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल में एक्सरे मशीन लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जीरोता खुर्द में नया अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिए)।

198. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कुण्डल तहसील दौसा में नया अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सैंथल तहसील दौसा में नया अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम काली पहाड़ी में नया अस्पताल खुलाने पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम आंधी तहसील जमुवा रामगढ़ में नया अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम थली तहसील जमुवा रामगढ़ में नया अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम खवा रानीजी तहसील जमुवा रामगढ़ में नया अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में बैड्स बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में आवश्यक औजार उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) :

206. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सरकारी अस्पताल में मरीजों को समय पर भर्ती न करना व दवाइयां उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले के समाज कल्याण विभाग की ओर से वहां के आदिवासियों के साथ पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

208. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्पेंसरियों की वृद्धि एवम् दवाइयों के पूरे स्टाक की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग के प्रशासनिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छात्रवृत्ति, वजीफा और बेरोजगारी भत्ते के चुकारे में अनियमितता व विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की पूर्ति में असफलता पर चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वालन्टरी एजेंसीज द्वारा चलाए जा रहे छात्रावासों की उपेक्षा व पूरी सुविधा पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में अन्धे, बहरे, मूक और विकलांगों को शिक्षा और कल्याण की सुविधाएं देने में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्राइबल रिसर्च इस्टीट्यूट उदयपुर की गतिविधियों पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आदिवासी छात्रावासों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सून्डा (फतेहपुर) :

217. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर जिला सीकर में एक अस्पताल खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री झाबरमल सूण्डा)

218. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में फतेहपुर के गांव ठिमोली, तिहाद व बिराणिया में औषधालय खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण के संचालक पद पर एक आइ. ए. एस. अधिकारी व पूरे महकमें के पुनर्गठन की चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा) :

220. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बंद नहीं किये जाने के कारण पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्रीय विकास में असंतुलित तरीके से व्यय करने पर चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग का लाभ अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं दलित वर्ग के लोगों को नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) :

223. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री करनसिंह (डीग) :

224. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चिकित्सा प्रणाली में सुधार लाने पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) :

225. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में चिकित्सा अव्यवस्था को दूर कराने तथा नये अस्पताल में 100 बेड की स्वीकृति के लिये चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये अस्पताल खोलने व दवाइयों का कोटा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

227. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 282 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खुडीकला, पंचायत समिति डेगाना, जिला नागौर में नई डिसपेन्सरी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

229. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 282 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नवीन आयुर्वेदिक औषधालय बड़े बड़े गांवों में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

230. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण केन्द्र डेगाना में अपर्याप्त साधनों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर) :

231. मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा में सुधार पर चर्चा के लिये) ।

232. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण महिलाओं के कल्याण की प्रवृत्तियों पर चर्चा के लिये) ।

233. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एफ. डी. ए. भरतपुर के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋण पर अनुसूचित जाति, जन-जाति के कृषकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज पर चर्चा के लिये) ।

234. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आवासीय सहकारी समितियों को ऋण प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा के लिये) ।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :

235. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम हरनावदा, शाहजी तहसील छीपाबड़ोद की कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी को डाक्टर डिस्पेन्सरी में अपग्रेड किए जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

236. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा जिला कोटा की डिस्पेन्सरी की खेदजनक एवं दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

237. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करवा छबड़ा एवं छीपाबड़ोद में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

238. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसुचित जाति एवं जन-जाति के उत्थान के विश्लेषण हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) :

239. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 282 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी आयुर्वेदिक औषधालयों में समय पर दवाओं की तथा उचित स्टाफ की व्यवस्था न होने के कारण रोगियों के सामने कठिनाई उत्पन्न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये) :

(श्री सांवरमल मोर)

240. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी एलोपैथिक अस्पतालों में समय पर दवाओं की उचित व्यवस्था न होने के कारण रोगियों के सामने कठिनाई उत्पन्न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) :

241. मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक 280 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अस्पतालों में औषधियों की कमी एवं अव्यवस्था के कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

242. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जाति के राजकीय एवं प्राइवेट चलने वाले छात्रावासों की अव्यवस्था पर चर्चा करने के लिये)।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

243. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिये कर्ज न मिलने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

244. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 288 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोबनेर में अनुसूचित जाति के छात्रावास की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26 व 32 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन :

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और समाज कल्याण के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं चिकित्सा के प्रश्न को लूंगा। चिकित्सा के सम्बन्ध में डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में जो नीति का प्रश्न है उस विषय में मेरे विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैंने अच्छी तरह से इस बारे में अध्ययन किया है और गौर किया है और मेरी यह राय है कि जो डाक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव केपिसिटी होल्ड करते हैं उन डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये और जो डाक्टर्स लेक्चरार्स हैं, रीडर हैं और प्रोफेसर हैं जो क्लिनिक का कार्य करते हैं या टीचिंग का कार्य करते हैं उनको भी प्राइवेट प्रेक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु जो दूसरे डाक्टर्स हैं उनके लिये मैंने बहुत ही गहराई से इस पर गौर किया है और यह पाया है कि जो परिस्थितियां हैं अपने प्रान्त की और दूसरे प्रान्तों के बारे में भी जानकारी की, उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द की तो राजस्थान गवर्नमेंट को बहुत ही फाइनेन्सेज की

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पूर्ति करनी होगी। तनख्वाह बढ़ाने का प्रश्न भी आवेगा और उस समस्या को फिर हल करना कठिन हो जावेगा। इसलिये राजस्थान सरकार को बहुत ही कोशसली कदम उठाने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जाय और फिर रेम्युनरेशन का प्रश्न आवे और उसको हल नहीं किया जा सके तो अशान्ति फैलने का इसमें डर है। इसलिए इस सम्बन्ध में कोशसली राज्य सरकार को चलना चाहिए। दूसरा, जो डाक्टर्स ड्यूटी पर हों उस सूरत में किसी हालत में वे प्राइवेट प्रेक्टिस न करें और न ही उनको अलाऊ किया जाना चाहिए इस बारे में गौर किया जाना चाहिए कि ऐसे केसेज हों जो कि डेथ बेड पर हों और किसी ऐसे डाक्टर को बुलाने की आवश्यकता हो तो उनको आफिसर इन्चार्ज से परमीशन लेकर बुलाया जाना चाहिए।

अगर इस प्रकार नहीं किया गया तो यह तो यह होगा कि बीमार के इलाज के लिए डाक्टर के न जा पाने से बीमार की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अर्जेन्ट केसों में परमिशन लेकर ड्यूटी पर होते हुए भी उसे अलाऊ कर दिया जाना चाहिए। फ्री ऑफ चार्ज वह उस पेशेन्ट को अटेन्ड करे तो बहुत अच्छा। नहीं तो प्राइवेट प्रेक्टिस करके भी उस बीमार को बचाये ऐसा प्रबन्ध रहना चाहिए। चिकित्सा के बारे में मेरे ये विचार हैं।

मेरे क्षेत्र और जिले की समस्याओं के बारे में भी निवेदन करूंगा। बाड़मेर जिले में अभी अकाल पड़ा जिस कारण वहां के किसान की हालत बिगड़ गई। फलस्वरूप तपेदिक का रोग बहुत अधिक व्याप्त है इसके लिए प्रबन्ध है। पर इनडोर पेशन्ट की व्यवस्था नहीं है। यह तभी हो सकती है जब इसकी सेपरेट व्यवस्था हो, सेपरेट क्लिनिक हो इसके लिए।

एक कमी यह भी महसूस की जा रही है कि अस्पताल शहर से बाहर तीन चार मील पर है। शहर काफी फैला हुआ है। चालीस हजार की आबादी है। तो नगर के बीच में एक डिस्पेन्सरी अलग से होनी चाहिये। अभी वैसी डिस्पेन्सरी पुराने अस्पताल में चल भी रही है पर सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है वह मिलनी चाहिए।

बाड़मेर नगर का जो अस्पताल है उसमें सफाई आदि की व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए। मिनिस्टर साहब पधारे थे तब तो तात्कालिक व्यवस्था सफाई की कर दी गई थी। पर वह स्थायी बने इसका प्रबन्ध किया जाय। वहां गद्दे, और चद्दरें बहुत पुरानी और कटी फटी हैं। बेड्स भी पुराने हैं। सफाई की स्थिति भी अच्छी नहीं है। इसे बदला जाना नितान्त जरूरी है। इसके बिना इतना गन्दा वहां का वातावरण रहता है कि जो बीमार न हो वह भी इस वातावरण में आकर बीमार हो जाय।

दवाइयों के प्रबन्ध के बारे में अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है एक करोड़ चालीस लाख का अलग से एक्स्ट्रा प्रावधान है। इसका वितरण उचित रूप से किया जाय।

एक बात और भी है जिले भर में एक डिस्पेन्सरी दूसरी जगह से कम से कम चालीस पचास मील के फासले पर है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इससे जनता को वहां तक पहुंचने में अधिक कठिनाई और परेशानी होती है। आवागमन के साधन कठिन हैं इसको दृष्टि में रखते हुए अधिक संख्या डिस्पेन्सरियों की की जाय। बायतू में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है। इसमें 3 बेड हास्पिटल स्थापित करें। बेसला नगर में नई खोलें जहां बिलकुल नहीं है क्योंकि वहां से लोगों को तीस चालीस मील दूर इलाज के लिये जाना पड़ता है।

बाड़मेर नगर में ई.एन.टी. स्पेशलिस्ट के लिये मैंने मन्त्री महोदय से निवेदन किया था। एक्सरे की लेबोरेटरी और ट्रेण्ड टैक-निशियन्स वहां इसके लिये हों इसके लिये निवेदन करना है। कॉटेज वार्ड की शय्याएँ भी बढ़ाने के लिए मेरा निवेदन है।

मलेरिया के बारे में निवेदन है कि जो उपाय इसके विनाश के लिये अब तक किये गये थे उनका असर अच्छा हुआ। दो साल पहले ऐसा लगा था कि यह बीमारी सदा के लिये मिट गई है। पर अब दो सालों से देखा जा रहा है कि यह बीमारी फिर सिर उठाने लग गई है। इसके प्रीकाशन्स हमें ले लेने हैं जल्दी से जल्दी नहीं तो आगे जाकर यह भयानक रूप ले सकती है और पहले की तरह ही विनाशक बन सकती है।

समाज कल्याण विभाग की मांगों के बारे में भी निवेदन करूंगा। सर्विस में रिजर्वेशन हो अनुसूचित जाति और जन-जातियों के लड़कों का। यह रोस्टर सिस्टम के इन्ट्रो-ड्यूस कर देने से इम्पलीमेंट हो जावेगा ऐसा निश्चित है। इस बारे में बार 2 प्रश्न उठाया जाता है।

रोस्टर सिस्टम के बारे में विभिन्न जिलों में यह पाया गया है कि अपोइन्टिंग ओथोरिटीज रोस्टर सिस्टम के माफिक रजिस्टर आदि मेन्टेन नहीं करते। इसका कन्ट्रोलिंग ओथोरिटी सोशल वेलफेयर विभाग है। इसकी देखभाल डिप्टी डाईरेक्टर की रैंक का आर.ए.एस. अधिकारी करता है पर खेद है कि इसका कोई अपोइन्टिंग अधिकारी कहना नहीं मानता। इसलिए वास्तव में अगर रोस्टर प्रणाली को सफल बनाना है और रिजर्वेशन के प्रश्न पर न्याय करना है तो इसका नियन्त्रण सीधा मुख्य सचिव को दे दिया जाना चाहिये। इससे यह समस्या हल हो सकेगी।

दूसरा प्रश्न है इसके लिये हाउसिंग का। पहले जो व्यवस्था थी इस प्रकार की थी कि एक हजार रुपया सरकार एक परिवार के लिये सबसिडी के रूप में देती थी और दो हजार लोन के रूप में दिया करती थी। पर अब नया सिस्टम बनाया है। राजस्थान स्टेट-कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी इस बारे में प्रबन्ध करेगी। पर खेद है कि यह काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हमारे बाड़मेर जिले में जितने भी लोगों ने इसके लिये दरख्वास्तें दीं और रजिर्वेशन कराने के लिये प्रयास किया उसमें से एक को भी अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। कोई मकान नहीं मिला है। यही स्थिति मैं समझता हूं कम बेश सभी जिलों की है जहां न एक की भी दरख्वास्त स्वीकृत हुई है न एक को भी हाउसिंग के लिये कोई ऋण मिला है और न ही मिलने के कारण रजिस्ट्रेशन होने के बाद में बहुत से कम्पलेक्स मेटर्स हैं। उस में कानूनी व्यवस्था करने के लिये, पट्टे के बारे में जांच करने के लिये किसी भी तरीके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

से इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि एप्लीकेशन स्वीकृत नहीं हो सके और राशि नहीं मिल सके। मुझे जानकारी मिली है कि वास्तव में राशि नहीं है। इसके लिये करोड़ों की राशि चाहिये जब यह प्राब्लम सोल्व हो सकती है।

मैं समाज कल्याण मन्त्री से निवेदन करूंगा प्रति व्यक्ति 300 रुपये दिये जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज, वकीलों के एक्सपेन्सेज 50 परसेन्ट दे रहे हैं तो इतनी व्यवस्था करने के उपरान्त भी फाइनेन्स हाऊसिंग कॉपरेटिव सोसायटी वर्क नहीं कर रही है। उनसे सम्पर्क किया जाय और कार्य में गति दी जाय। अगर उनकी गति धीमी है तो हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का क्या कल्याण कर सकेंगे? ठीक है, पुराने कब्जे थे, उनको रेगूलराईज करके पट्टे दिये गये। उनको प्लाट्स देने के लिए, बसाने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये जाने चाहिए जो भी प्लाट्स का वितरण करें उसमें 28 परसेन्ट जैसा रिजर्वेशन किया है वैसा इसमें भी रिजर्वेशन किया जाना चाहिये। 28 परसेन्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को मिलना चाहिये मिलना तो ज्यादा चाहिये मगर 28 तो मिले। यह तो व्यवस्था होनी चाहिये।

तीसरा मैला ढ़ोने की कुप्रथा बन्द कराने के लिये बार बार डिसक्शन होता है, हम जब गान्धी शताब्दी वर्ष मना रहे थे उस समय इसके लिये राशि रखी थी लेकिन उसके बाद 71—72, 72—73 में इस राशि को कम किया गया और पांचवीं योजना में मैला ढ़ोने की कु-प्रथा को बन्द करने का निर्णय लिया गया। यह देश के लिये कलंक की बात है। जब अफीका में गोरे और काले के व्यवहार में भेद होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम अपने देश में यह करने दें। छुआछूत हमारे देश में चल रही है। नगरों और जिलों में कौन से कपड़े की दुकान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की चल रही है। अगर आज दूसरे कर सकते हैं, ब्राह्मण बनिया कर सकते हैं तो फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग क्यों नहीं कर सकते है? कौन सी आज चाय वगैरह की दुकानें उनकी चल रही हैं? ठीक है, उनके मोहल्ले में ही कोई हो सकती है। अगर किसी ने दुकान खोल भी ली तो कोई उस दुकान पर अनाज लेने नहीं आयेगा, पान खाने नहीं आयेगा यह स्थिति है। पहले कुछ इन्टरेस्टेड.........

श्री अध्यक्ष : हर एक मांग का थोड़ा थोड़ा........

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस सम्बन्ध में आपको पूरी तरह ध्यान करके मैला ढ़ोने की कु-प्रथा को बन्द करने के लिये उपाय करने चाहिये।

अब मेरे जिले की समस्याओं के बारे में आना चाहता हूं। बाड़मेर में गाडोलिया लुहारों को बसाया गया परन्तु जो उनको मदद दी गई है वह सिर्फ 350 रुपये दी गई है। एक मकान 350 रु० में बनता है? पहले वे लोग इधर उधर घूमते थे। माणक लाल जी ने अपने प्रान्त में रखे। कभी 250 रुपये देते हैं तो कभी क्या देते हैं। इस प्रकार समस्या हल होने वाली नहीं है।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

वास्तव में इन्हें बसाना चाहते हैं तो कम से कम दो हजार रुपया दिया जाय ताकि मकान बन सके और अपना जीवन उपार्जन कर सकें।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के मोहल्लों में पानी और बिजली के बारे में पहले काफी व्यवस्था की गई थी परन्तु इस साल 73-74 में बाड़मेर में कोई पानी और बिजली की व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के मोहल्ले के लिये नहीं की गई है और डिस्ट्रिक्ट सोशियल वेलफेयर आफिसर ने उनके लिए कोई कार्य नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि पानी बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए।

कोआस में बिजली पहुंच गई है और वहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की संख्या ज्यादा है। उन मोहल्लों में जिनमें अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, यह व्यवस्था शीघ्र की जानी चाहिये।

अब मैं जन जाति के होस्टलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ तो राजकीय छात्रावास हैं और कुछ अनुदानित छात्रावास हैं परन्तु जो छात्रवृत्ति की राशि मिलती है एक व्यक्ति के पीछे 55) रु० जो छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा का छात्र है। अब 55) रु० आज के युग में सफिशियन्ट नहीं हैं। 5-7 वर्ष पहले की रेट है जबकि आज भाव दुगने से ज्यादा हो गये हैं इसलिये 55) रु० से 75) रु० कर देना चाहिये। इसी तरह 9वीं, 10वीं कक्षा के लिये 60) रु० है, उसको 90) रु० कर देना चाहिये। यह शीघ्र कर देना चाहिये। आज हम उनको देखते हैं बहुत बुरा खाना मिलता है। दाल मिलती है बिल्कुल निकम्मी, चपाती मिलती है बिलकुल निकम्मी। वह मनुष्य के खाने के लिये किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं है। अगर हम कल्याण करना चाहते हैं तो इसमें परिवर्तन की शीघ्र आवश्यकता है। क्या तो वे प्रोटीन खाते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छी तरह रह नहीं सकता। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का कल्याण करना चाहते हैं और पांचवीं योजना में यह चाहते हैं कि इनका सबसे ज्यादा विकास हो तो इन पर अवश्य ध्यान देना होगा। इनके बच्चों के लिये हम जो खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे है, वह बिलकुल निकम्मी है और अत्यन्त छोटे स्तर की है। इस सम्बन्ध में, मैं यह चाहता हूं मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लेकर छात्रावासों में जो व्यवस्था है, उसको सुधारने की कोशिश करें।

6ठी से 8वीं तक 5) रु० छात्रवृत्ति मिलती है नवीं से 11वीं तक 20 रु० मिलते हैं। अब इसमें आजकल क्या होता है ? मेरा निवेदन है अगर हमारा फाईनेन्स टाइट न हो तो डबल कर दें। 10 से 12 और 20 से 40 कर दें। इस सम्बन्ध में उनको कोशिश करनी चाहिये।

अब प्रश्न उठता है जो कानून बनाया अस्पृश्यता निवारण, 1955, इसके लिये राजस्थान सरकार को जोर देना चाहिये। जो इस प्रकार के केस रजिस्टर हुये हैं उनमें 95 परसेन्ट केसेज में कम्प्रोमाइज हुआ है छूआछूत के मामले में तो 95 परसेन्ट केसेज में कम्प्रोमाइज हुआ है। अगर सजा हुई

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

है तो राजस्थान में एक या दो को हुई है। अस्पृश्यता खतम हो गई, छूआछूत रहा ही नहीं तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिये। अभी तक अस्पृश्यता गांवों में बहुत ज्यादा है। राजस्थान के गांवों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कुये से पानी भरने नहीं दिया जाता है। उनके अभी तक बैठने की भी अलग व्यवस्था की जाती है। पंचायत समिति में मीटिंग में बैठने की भी उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। जब हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं। यह काग्नीजेबिल आफेन्स नाट बेलेबिल होना चाहिये, नाट कम्पाऊन्डेबिल होना चाहिये और सजा की व्यवस्था सख्त होनी चाहिये ताकि सख्त से सख्त कदम उठाया जाय।

राजस्थान गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन किया अस्पृश्यता निवारण के अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन करने के लिए और उनका समाज कल्याण में समुचित समन्वय स्थापित करने के लिए और उसके अध्यक्ष गृह मन्त्री जी हैं। परन्तु उसकी जो मीटिंग हुई है वह सिर्फ एक दफा हुई है 30 अक्टूबर, 1971 को और उसके बाद में कोई भी मीटिंग आज तक नहीं हुई। अब आप देखिये कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसमें समाज कल्याण मन्त्री भी उसके सदस्य हैं—समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वे रिक्वेस्ट करें गृह मन्त्री जी से और चीफ मिनिस्टर से कि वह इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी मीटिंग बुला कर इन प्राब्लम्स को देखें और देख करके यह व्यवस्था करें कि जितनी जल्दी से जल्दी मदद की जा सके और यह जो कमेटी का वर्किंग है इसका स्फियर और भी बढ़ायें। यह नहीं कि सिर्फ इन केसेज के बारे में ही वह देखे बल्कि उनके साथ में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, कितने जुल्म हो रहे हैं उनको देखें और देख करके इन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखे है मैं चाहता हूं कि इन कटौती प्रस्तावों पर गौर करके इनको मान्यता देकर इन पर एक्शन लेने की कोशिश करें। जयहिंद !

श्रीमती निर्मला कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर नहीं है। मैं सिलसिलेवार नाम बोलता जाऊंगा।

श्रीमती निर्मला कुमारी : प्रथम सूची में मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : वह आफिस से मालूम कर लें वह नियमानुसार नहीं है।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। अभी जो पत्र मिला है और जिसमें समय मांगने के लिए कहा है तो समय देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो दलील आपने दी है वह सही नहीं है....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं बाहर बैठा था। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था।

श्री अध्यक्ष : याने एक सेन्टेन्स मैं बोलूं तो आप जरूर बोलेंगे। बाद में भी कह सकते हैं। यहां तो व्यवस्था होनी चाहिये और चौपड़ पर जाकर वहां की व्यवस्था हो जानी चाहिए। आपने दलील दी है कि मुझे इस बात की कोई सूचना नहीं है कि आज प्रश्नकाल नहीं होगा···

श्री खेतसिंह : यह तो साहब···

श्री अध्यक्ष : आप भी क्यों दखल कर रहे हैं, मुझे ही कहने दीजिये। 11 तारीख को जो विज्ञप्ति निकली है और जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का प्रोग्राम दिया गया है उसके अन्त में यह बात लिखी हुई है। मैं पढ़ देता हूं 'दिनांक 16 मार्च, 1974 को प्रश्नकाल नहीं होगा। यह लिस्ट 11 तारीख को सर्कुलेट हो चुकी है आज नहीं।'

श्री फूलचन्द जैन : यह तो कभी नहीं पढ़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए यह जो दलील है यह सही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उस दलील के आधार पर नहीं लेकिन आपको बाद में समय दिया जायेगा। जल्दी ही दे देंगे।

श्रीमती निर्मलाकुमारी : अध्यक्ष महोदय,······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका कटमोशन इसमें नहीं है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : लिस्ट में मेरा नाम है।

श्री अध्यक्ष : यह परम्परा यहां पर है कि लिस्ट है उसके अनुसार अध्यक्ष नाम बोलते है और उसी को बोलने दिया जाता है। जिस आर्डर में आते हैं कटमोशन उसी के अनुसार लिस्ट बनाई जाती है और उसी के अनुसार लिया जाता है।

श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): माननीय अध्यक्षजी, मेरे भी कटौती प्रस्ताव चिकित्सा और आयुर्वेद के सम्बन्ध में हैं। अपने क्षेत्र के बारे में, मैं कटौती प्रस्तावों के आधार पर निवेदन करना चाहूंगा।

आयुर्वेद का जहां तक प्रश्न है आयुर्वेद के प्रति जनता का विश्वास नहीं है और इसका सबसे जबरदस्त कारण यह है कि जो औषधालय खुले हुए हैं झालावाड़ जिले के बारे में, मैं निवेदन कर रहा हूं उनकी कोई देखरेख करने वाला तक नहीं है। वहां केवल कुछ टूटी मेज, टूटी कुर्सियां और भूसा दवाई के रूप में पड़ा है जिसको लेना खतरे से खाली नहीं है। यहां पर बारबार लिखने के बाद भी औषधालयों की हालत बड़ी खस्ता हो रही है। वैद्य मिलते हैं तो दवा नहीं मिलती है और दवा मिलती है तो वैद्य नहीं मिलते। जनता में किस प्रकार से इनके प्रति विश्वास पैदा किया जायेगा, यह मुश्किल की बात है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ शहर के अन्दर एक आयुर्वेदिक औषधालय है और वहां पर प्रथम श्रेणी के वैद्य का स्थान है। वहां पर प्रथम श्रेणी का वैद्य पिछले एक साल से नहीं है और है तो उनकी हाजरी एक महीने में मुश्किल से एक दो दिन रहती है।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

अक्सर छुट्टी में रहते हैं। इस औषधालय से जनता को ज्यादा लाभ हो सकता है शहर के बीच में होने के नाते लेकिन वैद्यजी नहीं आते हैं। सहायक वैद्य भी नहीं हैं। वहां एक हकीम साहब हैं जो नाहरू निकालने का काम करते हैं लेकिन नाहरू के वहां मरीज ही नहीं आते हैं। तो यह हालत है।

इसी प्रकार से मंडावर में औषधालय है वहां के वैद्य की भी शिकायत है लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से जहां जहां औषधालय हैं उनकी शिकायतें आपके सामने हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसके बारे में शीघ्र व्यवस्था कीजिए और जिला अधिकारी आयुर्वेद के वहां साल भर से नहीं होने से इन औषधालयों की कोई निगरानी करने वाला नहीं है। वहां की कम्पलेन्ट्स आती हैं तो सुनने वाला तक नहीं हैं। यह हालत वहां की हो रही है।

इसी प्रकार मैं चिकित्सा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। झालावाड़ जिले का जो हास्पीटल है वहां पर अक्सर डाक्टरों में यह शिकायत है कि वहां पर पार्टीबंदी है। रोगी वहां जाता है तो या तो मर जाता है या फिर पैसे से बरबाद हो कर अपने घर जाता है। एक डाक्टर देख लेता है तो दूसरा डाक्टर दवा नहीं देता है और उसका उपचार नहीं हो पाता है। इसलिए लोगों को बड़ी परेशानी अनुभव हो रही है। दूसरी बात यह है कि वहां के जो डाक्टर हैं वहां लेडी डाक्टर की कमी रहती है। दवा के बारे में लोग कहते हैं कि दवा का इन्तजाम नहीं, पट्टी वगैरह सब बाहर से लाने के बावजूद भी वहां पर जनता को विश्वास-पात्र डाक्टर की कमी महसूस हो रही है। इसके बारे में शीघ्र व्यवस्था कीजिए। 25 हजार की आबादी का शहर है और अक्सर लोग झालावाड़ या कोटा जाते हैं। इसी प्रकार से जिला चिकित्सालय में ब्लड देने की व्यवस्था नहीं है और ब्लड लेने के लिए रोगियों को कोटा जाना पड़ता है। सैकड़ों रुपया खर्च होता है और गरीब आदमी तो मारा जाता है। इसी प्रकार असनावर और बकानी प्राईमरी हैल्थ सेन्टर है वहां पर फैमिली प्लानिंग के डाक्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई है और वहां एक एक डाक्टर रहता है। वह भी कभी बाहर चला जाता है तो स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी होती है। तो प्राईमरी हैल्थ सेन्टर में जब दो डाक्टर रहते हैं तो दूसरे डाक्टर की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार प्राईमरी सेन्टर हैं वहां लेडी डाक्टर है ही नहीं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन शिकायतों को दूर करें और अन्त में झालरापाटन में लेडी डाक्टर के लिए आपने जो भेजने का आदेश दिया वह नहीं जाती है— इसकी व्यवस्था फौरन कीजिए। आपके आदेश होते हुए भी नहीं जाना चाहते हैं तो उसके बारे में व्यवस्था कीजिए।

मैं इतना ही निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत।

(अनुपस्थित)

(42)

श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव जन-स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाली मांग के संबंध में है। वैसे आज कल खाद्य के सम्बन्ध में लोग सभी जानते हैं कि अपमिश्रण सब जगह हो रहा है और उसकी रोकथाम के लिये जो मशीनरी प्रोवाइड की गई है उसके अन्दर जहां कहीं भी फूड इन्सपेक्टर को अगर शक हो जाता है कि कोई फूड में अडल्ट्रेशन है उसका सेम्पल लेकर उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अगर वह सेम्पल साधारण किस्म का होता है तो उसको जिले की लेबोरेटरी में भेजा जाता है और अगर बहुत ही डिफिकल्ट आर्टिकल हो तो उसको केन्द्र में मुख्य जन विश्लेषक के वहां पर भेजा जाता है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि पिछले चार वर्षों से यह जो मुख्य जन विश्लेषक हैं वे जो यह एक्ट है उसकी क्वालिफिकेशन्स को पूरा नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में पहले भी कई सम्बन्धित माननीय सदस्यों ने मुख्य सचिव को और सम्बन्धित मंत्रियों को भी लिखा और माननीय श्री मोहनजी छंगाणी जब वे यहां के माननीय सदस्य थे, उस वक्त भी उन्होंने स्वयं ने मुख्य सचिव को लिखा था इस सम्बन्ध में और आज जब वे सम्बन्धित मन्त्री हैं, मैं समझता हूं कि इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे और इस सम्बन्ध में कारगर कदम उठायेंगे।

अभी जो चीफ केमिकल एग्जामिनर श्री ए. भट्टाचार्य हैं वह 10–2–71 से हैं उससे पहले पी. एन. भार्गव थे जो कि ड्यूली क्वालिफाईड थे, लेकिन जब उनका रिटायरमेंट नजदीक आने लगा, जो कि 18–8–69 को होने वाला था, उन्होंने गवर्नमेंट को इस बात से अवगत कराया कि इस लेबोरेटरी की जितनी यूनिट लेबोरेटरीज हैं जिला स्तर पर वहां पर कोई भी योग्य आदमी नहीं जो कि चीफ पब्लिक एनेलिस्ट या चीफ केमिकल एग्जामिनर का काम कर सके। इस पर इनकी करीब छः महीने के लिए आगे और मियाद बढ़ानी पड़ी और इनको रखना पड़ा। इस दरमियान यह अरेंजमेंट किया गया कि श्री भट्टाचार्य को जो कि सबसे सीनियर थे, इनको तीन माह के लिए वहां की ट्रेनिंग करा कर चीफ लेबोरेटरी के अन्दर स्टेट चीफ एनेलीस्ट की जगह उसमें इनको लाकर आगे रखा गया। इस सम्बन्ध में चूंकि इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यता जितनी कि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के नीचे स्टेंडर्ड रूप से आवश्यक थी उसकी वन थर्ड भी नहीं थी। जैसे कि इसके 23 आर्टिकल हैं लेकिन इनकी जानकारी उनमें वन थर्ड की ही है, तो इस प्रकार से इनकी योग्यता पूरी नहीं थी। इसके बारे में सेन्ट्रल फूड कमेटी को लिखा कि क्या ऐसे आदमी को तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद में रखा जा सकता है, उन्होंने कहा कि यह कभी नहीं रखा जा सकता है उसका कोई औचित्य नहीं है। यह बहुत अहम सवाल है अध्यक्ष महोदय। इनकी योग्यता बी. एस सी. थर्ड डिविजन है, जिसको पूरा ज्ञान नहीं है, जो वन थर्ड आर्टिकल्स की जानकारी रखते हैं चीफ एनेलिस्ट या केमिकल एग्जामिनर के पद पर नहीं रह सकते। इसको सर्टिफिकेट देना पड़ता है और उस सर्टिफिकेट की बिना पर अदालत के अन्दर केस तय होते हैं कि किसी सेम्पल में या किसी खाद्य-पदार्थ में अपमिश्रण

Page No.41

(47)

(श्री भोपालसिंह)

है या नहीं. उसके अन्दर और मुलजिमान को दो साल सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना तक किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सैक्रेट्री फूड कमेटी ने और सेंट्रल कमेटी ने लिखा है, उसको ध्यान में रखते हुए पी. एन. भार्गव ने इस बात को आगे सम्बधित महकमे को लिखा और वहां के मन्त्री और सेक्रेट्री एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंन्ट, अपोइन्टमेंट के मन्त्री ने, उपमन्त्री ने, सभी ने रिजेक्ट किया कि इसको नहीं रखना चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके लिए लिखा जाय कि योग्य आदमी की मांग निकाले और योग्य आदमी को लाया जाय। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसके बावजूद भी बैकडोर से भट्टाचार्य को स्टिक कर दिया गया और पिछले चार साल से, जबकि पहले छः महीने के लिए रखा था, प्रोविजनल पे के आधार पर चले आ रहे हैं। इसकी पोस्ट के लिए न पी. एस. सी. को लिखा गया न और कोई कार्यवाही की गई। मेरी समझ में नहीं आता कि हम हल्ला तो बहुत करते हैं कोशिश भी करते है और दावा करते हैं कि अपमिश्रण को मिटा देंगे, वहां पर हमारी हालत यह है कि जो आदमी सर्टिफिकेट देता है उसकी योग्यता टू थर्ड सेम्पल आर्टिकल्स की जांच करने की नहीं है, उसको केवल वन थर्ड आर्टिकल्स का ज्ञान है, वह आदमी उस पद पर रहे तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। इससे सीधे-साधे लोगों के साथ अन्याय हो सकता है और गुनहगार छूट सकते हैं। यह बहुत दयनीय स्थिति है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

बहुत पहले 1969 में हमारे प्रधान मन्त्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिख कर अवगत कराया था कि यह बहुत ही सीरियस टेंडेंसी है, उसकी रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए। लेकिन बड़े खेद की बात है कि उसके बावजूद जो ऑफिसर्स के अपोइन्टमेंट होते हैं और जिसके बारे में सबको अवगत कराया गया लेकिन उसके बावजूद भी हमारे राजस्थान की यह स्थिति है। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकारी नीति साफ है। would not be a party in the conspiracy हम इस साजिस में शामिल नहीं होंगे, जो पब्लिक की हैल्थ को इंजर्ड करने की साजिश है उसमें अपने आपको शामिल नहीं करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आशा करता हूं कि सरकार इस ओर कारगर कदम उठायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं चिकित्सा सम्बन्धी मांग के बारे में सबसे पहले हमारे नए चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वे जिस समय केवल विधायक थे उस समय जो उन्होंने यहां पर सदन में भाषण दिए, मैं समझता हूं कि उनका यह कर्त्तव्य है कि अक्षरश: उसका पालन करके और जो उन्होंने कहा था उसको वह पूरा करके छोड़ेंगे यही मेरा उनसे निवेदन है। उन्होंने जयपुर शहर में 22 नवम्बर को एक भाषण दिया और जिसमें उनका चित्र भी राजस्थान के मुख्य मंत्री के साथ छपा है उसमें उन्होंने यह कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री श्री मोहन छंगाणी ने इस बात पर बल दिया कि किसी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भी गरीब को वही सब चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए जो किसी मंत्री को मिलती हैं ......

श्री अध्यक्ष : अखबार पढ़ने की पद्धति यहां नहीं है ।

श्री मीठालाल : अखबार नहीं पढ़ रहे हैं । जो समाचार छपा है उसका उद्धरण यहां बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप कहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है लेकिन आप अखबार में से नहीं पढ़ कर उसका भावार्थ कह दें । पढ़ने वाली बात नहीं हो सकती ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान में एक गरीब को भी उतनी ही चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए जितनी कि एक मंत्री को मिलती हैं, यह उन्होंने कहा था । मैं समझता हूं कि आज यदि वह जायं सवाई मानसिंह होस्पिटल में तो वहां पर आज हालत यह है कि जनता बिल्कुल पड़ी हुई है, जनता बिल्कुल दुखी है । हालत वहां पर आज यह है कि लोगों को पट्टियां तक नहीं मिलती । यदि किसी का एक्सीडेन्ट हो जायं और वह ओर्थोपीडिक वार्ड में जाय तो उसको पट्टियां तक बाजार से खरीदनी पड़ती है । ए.पी.सी. की गोली तक वहां पर नहीं मिलती और किसी प्रकार की गोली की बात तो छोड़ दें । मैं समझता हूं कि आपको बने हुए काफी समय हो गया, चिकित्सा मंत्री बने हुए, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वहां की दुर्व्यवस्था को आप ठीक करेंगे । आज हालत यह है कि वहां पर लोगों को सस्ती चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती । जैसे एक डाक्टर के पास आज जावे तो वह सात सात दवाइयां लिख देगा और सात दवाइयां खरीदने के लिए शायद चालीस रुपये से कम एक बार में आवश्यकता नहीं होगी दूसरे दिन डाक्टर के पास गए और फिर पर्चा लिखाया तो वह कहेगा कि ये दवाइयां बेकार, दूसरी दवाइयां लेकर आओ । अब तो राज्य कर्मचारी नहीं है या कोई व्यक्ति विधायक नहीं है जिसको मेडिकल सुविधा प्राप्त नहीं है, वह साधारण आदमी, गरीब आदमी, मजदूर तबका उस पर किस प्रकार प्रहार होता होगा आपको ध्यान देना चाहिये ।

दूसरे सवाई मानसिंह अस्पताल की बिल्डिंग, जनाना अस्पताल की बिल्डिंग की व्यवस्था की ओर भी आपको देखना चाहिये । वहां पर बैड्स की कमी है, भोजन किस प्रकार का दिया जाता है, उसका भी आप मुलाहिजा करेंगे तो आपको नफरत होगी । जिन थालियों में मरीजों को भोजन दिया जाता है, उन पर कलई तक नहीं है । जो भोजन दिया जाता है वह भी अच्छे प्रकार का नहीं है । वह भोजन ऐसा है जिसको कि जानवर नहीं खाना पसन्द करते हैं । कभी आप सवाई मानसिंह अस्पताल अकस्मात जाकर इस भोजन को देखिये और उसको प्राप्त करने का कष्ट करिये, वहां की थालियों को देखिये तो मालूम होगा ? वहां पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है दवाइयों की बात तो छोड़ दीजिये । इस प्रकार से हालत यह है कि यदि आपको पंखों के नीचे बिस्तर चाहिये तो उसके लिए रिश्वत देनी होगी तभी जाकर पंखों के नीचे बिस्तर मिलेगा नहीं तो आपको नीचे ही लिटा दिया जायेगा। यह हालत जयपुर के एस. एम. एस. अस्प-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ताल की है। अब आप वहां के काटेज वार्ड को देख लीजिये। इसकी भी ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं है। पीछे की तरफ जानवर रहते हैं। इसके पीछे का एरिया है उसको ठीक प्रकार से डवलप किया जाना चाहिये। वहां पर भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर लान लगाया जा सकता है और मरीजों के लिए, उनकी सम्भाल के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिये। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाना चाहिये। जो उपकरण पड़े हुए हैं वे बरसों से पड़े हुए है। मामूली से सामान के लिए लाखों रुपयों के उपकरण पड़े हुए हैं और उनकी हालत बदतर हो रही है जयपुर में जो जनाना अस्पताल है उसकी भी हालत दयनीय है। वहां पर लान था वह बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। वहां पर घोड़े लोटते हैं। इस प्रकार पूरा का पूरा लान गायब हो गया है। आज एस. एम. एस. अस्पताल को देखें, काटेज वार्ड को देखें, जनाना अस्पताल को देखें क्या हालत है। कोई विदेशी इसको देखने आये तो क्या इम्प्रेशन लेकर जायेगा। एम. एस. एस. अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है और उसकी क्या हालत है। यह आप स्वयं ही देख लीजिये।

शहर में जो डिस्पेन्सरियां हैं उनकी भी यही हालत है। आपने भी कहा है कि भवन अपर्याप्त है। पुरानी बस्ती की जो डिस्पेन्सरी है वहां का भवन अपर्याप्त है। लोग वहां पर खड़े रहते हैं। लोगों के बैठने का कोई स्थान नहीं है। शौच आदि की किसी को शिकायत हो जाये तो वहां स्थान नहीं है, पेशाबघर नहीं है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। नल नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके पास भवन अपर्याप्त है। परन्तु पास ही में पी. डब्ल्यू. डी. की बिल्डिंग पड़ी हुई है उसमें आपकी यह डिस्पेन्सरी चली जाये तो आपका उसमें परिवार नियोजन का दफ्तर भी आ सकता है, दूसरे मेडिकल के महकमे भी आ सकते हैं। मोती कटला में एक बड़ी डिस्पेन्सरी है, उसके पास एक बड़ी कम्पाउन्ड वाल है उस पर आपका कब्जा नहीं होने से लोग अनधिकृत कब्जा किये जा रहे है। उसमें पर्याप्त स्थान है। उसमें कुछ वार्ड बना दें तो एस.एम.एस. का एक बड़ा बोझ हल्का हो सकता है। उससे पुरानी बस्ती के लोगों के लिए भी सुविधा होगी। यहां पर 20–25 से भी अधिक बैड्स के लिए वार्डस् बनाये जा सकते है। यह मोतीकटला डिस्पेंसरी में हो सकता है और इससे एस.एम.एस. का बर्डन आप हल्का कर सकते है जहां पर कि आपने 999 बैड्स बना रखे हैं, उनमें कमी की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार सदन में यह कहा गया था कि जयपुर में एक जिला अस्पताल बनाया जायेगा। यह कोरा आश्वासन ही है या आश्वासन को क्रियान्वित किया जायेगा ? आप आज सायंकाल जवाब दें, जिस समय भाषण दें उस समय निश्चित अवधि बता दें कि एक वर्ष में, दो वर्ष में, तीन वर्ष में या कितनी अवधि में इस जिला अस्पताल को बना देंगे। पिछली बार यह भी कहा गया था कि जयपुर में जनाना अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के पास बनाया जायेगा और इसके लिए किसी सेठ ने 25 लाख रुपयों का दान दिया है ताकि जनाना अस्पताल से सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाते हुए जनानी की जान बचाई जा सके क्योंकि पूरे उपकरण जनाना अस्पताल में उपलब्ध नहीं होते हैं। आपने अस्पताल के

(144)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लिए एक ऐसे बोर्ड भी लगाया था परन्तु वह बोर्ड आंधी से उड़ गया प्रतीत होता है। जो सेठ ऐसे अस्पताल बनाने के लिए 25 लाख दे रहा था उसका क्या हुआ ?

जो बेरोजगार चिकित्सक हैं उनको बेगारी भत्ता देने के लिए भी आपने कहा था। 30-30 वर्ष की डाक्टर की सेवाएं हो गई किन्तु उनको आयोग ने छुट्टी दे दी। वे वहां से सिलेक्ट नहीं हो पाये। आपका इस बारे में जो भाषण था, वह मैंने पढ़ा है, यह मेरे पास है। आपने कहा था कि बेरोजगार डाक्टरों को जिनकी सेवायें पुरानी हैं, 30 वर्ष से पुरानी है उनको निश्चित रूप से नौकरी देंगे। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक आपने कुछ नहीं कहा। आप जरा इसको भी देख लें, असेम्बली में यह आपका भाषण हुआ है। आपने अपने भाषण में प्राईवेट प्रेक्टिस बन्द करने के लिए कहा था, जबकि आप विधायक थे। मंत्री बनने के बाद आपने इस संबंध में क्या किया? आप बहुत ही प्रगतिशील सदस्य माने जाते हैं। इस सदन में आपके मुकाबले कोई भी इतना प्रगतिशील नहीं है। आप नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। आपका जो भाषण है, वह छपा हुआ मेरे पास है। अच्छा तो यह होगा कि आप मंत्री नहीं रहें और फिर विधायक के रूप में आजायं। आशा है आप मेरे इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे। क्योंकि प्रश्न पूछने से आपकी जो प्रसिद्धि समाचार पत्रों, रेडियो पर होती है वह बंद होती जा रही है। इसलिये मेरे सुझाव पर आप गौर फरमावें। डाक्टरों की ग्रेड्स के बारे में भी आपने कुछ नहीं किया। रेडियोग्राफर्स को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनको रोजगार देने के लिए आपने कहा था। ट्रेनिंग में आने से पहले सरकार ने उनसे बांड भरवाया था। कि सरकार उनको नौकरी देंगी। परन्तु उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों को जाना चाहिए, यह आप कहते हैं, अच्छी बात है। रूरल एरिया में जाना अच्छी बात है परन्तु वहां पर जो डिस्पेन्सरीज हैं वहां पर, रूरल एरिया में जो डाक्टर लगे हुए हैं उनको रूरल अलाउन्स मिलता था वह आपने मार्च 1972 से बंद करवा दिया है यह कह कर कि 5000 की जनगणना पर मिलेगा और यह आंकड़े 1971 की जनगणना के आधार पर होंगे। उसके बाद उनको 75 रुपया रूरल एरिया का अलाउन्स दिया जाएगा। क्या 1971 की जनगणना के आंकड़े आपके पास नहीं आये हैं? आ गये हैं तो रूरल एरिया के डाक्टर्स को यह अलाउन्स आपको देना चाहिये वरना क्या सिर्फ आप उनको उपदेश देने वाले हैं। मैं समझता हूं कि यह 75 रुपया माहवार जो अलाउन्स है वह बहुत ही कम है और सरकारी तबके ने भ्रम फैला रखा है। मार्च 72 से अलाउन्स बंद है। वह देने की कृपा करें। इसी प्रकार से रूरल डिस्पेन्सरीज में कम्पाउन्डर, नर्स के क्वाटर्स नहीं है। डाक्टर 24 घंटे वहां रह कर क्या करें। इसके लिए भी आप व्यवस्था करें ताकि डाक्टर को इनकी हेल्प मिल सके और डाक्टर भी जनता की पूरी सेवा कर सके।

जयपुर जिले में मैं समझता हूं कि कई स्थानों पर डिस्पेन्सरीज हैं, चाहे छोटी हो, बड़ी हो वहां पर सितम्बर 73 से वैसलीन का अभाव है। आप बताइये वैसलीन नहीं है, ए. पी. सी. गोली नहीं है। लोगों को

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चकमा देने के लिए डिस्पेन्सरीज में बड़ी-बड़ी शीशियां रख रखी हैं और पानी भरा रखा है और उनको हिला हिला कर मरीजों को दे दिया जाता है, लाल, हरा। इस प्रकार कब तक आप करते रहेंगे ? आप कहते है इस साल बजट में दवाइयों का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। थोड़ा सा बढ़ा दिया है परन्तु उससे मुझे पूरा सन्तोष नहीं है। आपको भी सन्तोष नहीं होना चाहिए। आपके बजट में पैसा बढ़ा जाता है, परन्तु व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो सकती है। जो दवाइयों का प्रावधान है, वे दवाइयां गरीबों को नहीं मिल पाती हैं। जो प्रभावशील लोग हैं, विधायक हैं या बड़े कर्मचारी हैं, उनको ये दवाइयां उपलब्ध की जाती हैं जबकि विधायक और सरकारी कर्मचारी बाजार से भी इन दवाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और सरकार से पैसा ले सकते हैं। ये दवाइयां गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दी जाती हैं, विधायकों को दी जाती हैं, जनता को नहीं मिल पाती हैं। डाक्टर चमचागिरी करके प्रभावशील लोगों को देने के लिए ही इन दवाइयों का उपयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार लाखों रुपयों का जो बजट में प्रावधान आप करते हैं उसका पूरा का पूरा उपयोग प्रभावशील लोगों के लिये होता है। गरीबों के उपयोग में इनका उपयोग नहीं होता है। यह मेरा निवेदन है। पट्टी के बारे में भी मैंने निवेदन किया है। एक तहसील में एक एम. टी. सी. और तीन मेडिकल सब-सेन्टर हैं और उसके लिए बजट में प्रावधान है। 3 हजार का बजट है, 4 डिसपेंसरी है। गांवों में कितना बांटेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने में तो आप पानी का भी इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। पीने का पानी का भी 3 हजार में इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। सवाई मानसिंह हास्पिटल है। उसमें क्या होता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सक हैं, उनमें वेतनमान की कितनी असमानता है। केरल और आंध्र में इस असमानता को दूर कर दिया गया है। आपके समय में भी वेतनमान की असमानता दूर होगी। आयुर्वेद की दवाइयों में और रसायनशालाओं में घोटाले हुये हैं। उनकी जांच तक नहीं हुई है। जयपुर एक महिला आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि आप वादे को पूरा करेंगे। जो हमारे आयुर्वेद के औषधालय हैं, उनमें दवाइयों की कमी है। आपकी डी० पी० सी० की मीटिंग नहीं हो रही है। पदोन्नतियों हो नहीं रही है। यदि वह आन्दोलन करने के लिए नहीं प्रेरित हों तो आप आन्दोलन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आयुर्वेद के कम्पाउन्डरों को जो वेतन है वह आपका जाना हुआ है। गांवों में औषधालयों के लिए कोई स्थान नहीं है। गांवों में आप भेज देंगे। औषधालय तम्बू में चलते हैं। वैद्य जी को रहने को स्थान नहीं है। कहीं पुराने मकान हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं।

(12.22 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सितम्बर, 72 में 30 वैद्यों को सस्पेण्ड किया गया है। वह बैठे हुये हैं। घर पर उनको अलाउन्स मिलता है। एक दिन वह होगा कि वह पूरा वेतन ले लेंगे। और इतने दिनों तक कोई काम भी नहीं करेंगे। इसमें जिनको आप दोषी मानते हैं, उनको आप शो काज नोटिस दीजिये। ऐसे मामलों में शीघ्र

Page No.46

(48)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

कार्यवाही करनी चाहिए। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक परिवार नियोजन के बारे में उसकी प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। अंग्रेजी विभाग में भी लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। हालत खराब है। परिवार नियोजन के कारण आपने लोगों का धन्धा खराब कर दिया है। जो एक दो तीन कर ताली पीटते हैं। गलियों में पूछते फिरते हैं कि किसके लड़का हुआ है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपको उनके प्रति बड़ी हमदर्दी जाग्रत हुई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कभी गोटेवालाजी आपके सामने प्रदर्शन कराऊंगा।

बाम्बेवाला और दूसरे अस्पतालों में जो खर्चा कर रहे हैं, वह अनावश्यक खर्चा है। इसी प्रकार से राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण के लिए एक्ट। अक्टूबर, 1973 को बनाकर लागू कर दिया गया। यह लाइसेंस कौन देगा। यह मैडिकल डायरेक्टर देगा या आयुर्वेद विभाग के डायरेक्टर देंगे। यह आप तय कर दीजिये। लाईसेंसिंग ओथोरिटी कौन है? इसी प्रकार से होमियोपैथी के बारे में निवेदन करूंगा कि होमियोपैथी बोर्ड भंग हो गया। तो बोर्ड कब बनायेंगे। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से समाज शिविर कानून 1961 में बनाया लेकिन वह लागू नहीं हो रहा है। कुछ अन्य विषय है, समाज कल्याण से सम्बन्धित, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। अपना उत्तर देते समय उन पर प्रकाश डालेंगे। निश्चित रूप से जिला अस्पताल जयपुर में बनेगा। जनाना अस्पताल बनेगा। जो डाक्टर प्राईवेट प्रक्टिस करते हैं उनके बारे में और जो आपने कहा है कि हर एक को मन्त्रियों जैसी चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि आपने यह घोषणा कर दी है। मन्त्रियों के समान ही गरीबों को भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मैं तो आपका गुलाम हो जाऊंगा। आपको सिर पर उठाए फिरूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक क्विन्टल वजन है। आप उठा नहीं सकोगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिस समय आप विधायक थे तो लम्बी चौड़ी बात करते थे। जिनको सुन कर ही तृप्ति हो जाए। लेकिन जब जिम्मेदारी आई है तो जिम्मेदारी पूरी करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। बोझ उठाने मे अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो आप हमको बताइये मैं आपकी मदद करूंगा। इसी तरह के समाज कल्याण विभाग के जो पोषाहार केन्द्र हैं, जिन खास लोगों ने चाहे उनको मिल गये। पोषाहार तो गरीब तबकों को मिलना चाहिए। उनको नहीं मिलते हैं। किसी भी स्थान पर चलें लेकन अव्यवस्थित रूप से चलते हैं। वह चलते ही नहीं हैं। यह हालत हैं। कहा गया था कि हरिजनों को मकान बनाकर दिये जायेंगे। यह घोषणा की गई थी। आप किसी भी जगह देख लें। मेरी कान्स्टीटुयेन्सी में चौकड़ी तोपखाना मैं चले जायें। जयपुर की किसी भी कान्स्टीटुयेन्सी में चले जायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं हवा महल से नहीं हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अपने साथियों से कुछ भी करवालें। ताली पिटवा लें। मुझे सब मालूम हैं।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

चौकड़ी रामचन्द्र और गंगापोल से कंवरनगर में नाले में पानी आता है। वहां पर हरिजनों के मकान है। वहीं पर गन्दा नाला है। हरिजनों के लिए कोनसा काम किया जा रहा है। सिर पर मैला उठाने की प्रथा क्या समाप्त हो गई है। मैं चुनौती के रूप में कहना चाहता हूं। आप एक वर्ष का समय ले लें और, राजस्थान की विधानसभा के ठीक नीचे जयपुर की म्युनिसिपलटी है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा को आप जयपुर में ही समाप्त कर दीजिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मैं दो मिनट का समय और लूंगा। वर्ना ठीक नहीं होगा। मैं एक यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए लंगर खोल दिये जाने चाहिये। जिसमें एक रु० में एक दिन का खाना दिया जाये 8 आना सबेरे और 8 आना शाम को। बड़े बड़े लोग इसके लिए चन्दा दें। अनुसूचित जनजाति के बच्चों को भोजन की व्यवस्था होगी तो यह अच्छा होगा। लेकिन आज हालत यह है, भिक्षा वृत्ति उन्मूलन हुवा नहीं, समाज कल्याण विभाग के जो महिला सदन चलते हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, उनकी बुरी हालत है, गांवों के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती नहीं है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो रिजर्वेशन किया है उसकी पूर्ति हो नहीं रही है, हरिजनों की लड़कियों के साथ झालावाड़ में 4 अक्टूबर को बलात्कार हुआ, हरिजन महिलाओं के साथ आये दिन बलात्कार हो रहा है, और इस निर्ममता के साथ बलात्कार हो रहा है कि वह मर तक जाय। लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पेंशन के बारे में। पेंशन के बारे में आपने घोषणा की थी कि पेंशन के नियमों का सरलीकरण हो जायेगा। लेकिन पेंशन के नियमों का सरलीकरण कहां हुआ। आपने कहा था कि पेंशन के नियम बड़े जटिल हैं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय बरकतुल्ला साहब ने कहा था कि पेंशन के नियमों का सरलीकरण शीघ्र ही हो जायगा वर्तमान मुख्य मंत्री ने भी कहा कि पेंशन के नियमों का सरलीकरण शीघ्र ही हो जायगा लेकिन वह हो नहीं रहा हैं। पेंशन के लिए लोग दर दर के चक्कर खाते फिरते हैं, लेकिन फिर भी पेंशन के नियमों में किसी प्रकार का सरलीकरण नहीं हो। आज नियम है कि 60 वर्ष की विडो को पेंशन मिलेगी, लेकिन यदि कोई 35 वर्ष की उम्र में ही विडो हो जाय तो वह कहां से गुजारा करेगी-इसके बारे में विचार करने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा आज कोई अपंग हो जाय, किसी के पांव कट जायं, किसी के हाथ घट जाय, किसी के नेत्रों की रोशनी चली जाय, तो ऐसे लोगों को आप किस प्रकार से सहायता देंगे-इस ओर आपने ध्यान नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत चिकित्सा मंत्री और समाज कल्याण मंत्री का ध्यान इन बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर दिलाऊंगा। मैं और घोटाले जो हो रहे हैं, जोगों में होने वाला घोटाला, परिवार नियोजन में होने वाला घोटाला-इनको ओर ध्यान दिलाकर सदन के समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। मैंने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं, मै समझता हूं कि मैंने किसी की बुराई नहीं की है, किसी की आलोचना नहीं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की है, इसलिए राज्य सरकार मेरे इन ठोस सुझावों पर विचार करेगी और माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे मेरी बातों का।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसी परम्परा का वातावरण कुछ छाया हुआ कि सवर्ण बनाम हरिजन जाति, इसी तरह शहर बनाम ग्रामीण। भार्गव साहब ने शहरों के मामले में और गांवों के मामले में -- दोनों के बारे में निवेदन किया। उनको शहरों के बारे में चिन्ता करनी भी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। वे ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र के कारण ही इस सदन में बैठे हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने ध्यान दिया कि आखिर ग्रामीणों की क्या हालत है। चिकित्सा के मामले को ही लें, और विभागों की बात छोड़ दीजिये, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से, अस्पतालों की दृष्टि से और औषधालयों की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में जनाना अस्पताल नया बन रहा है, एक जिला अस्पताल भी बन रहा है, बाकी के शहरों में भी बन रहे हैं, लेकिन गांव वालों के लिए अस्पतालों की बात तो छोड़ दीजिए, औषधालय भी खोलने का प्रावधान नहीं रखा है? आपने इस बजट में पच्चीस औषधालय खोलने का प्रावधान रखा है, और जिले छब्बीस हैं, 26 जिलों में आप औषधालय खोल रहे हैं 25, एक एक जिले में एक औषधालय खोला तो भी एक बाकी रह जाता है। एक जिला औषधालय से वंचित रह जाता है। अब एक जो खोलेंगे वह भी कहां खोलेंगे। हो सकता है कि किसी कस्बे या शहरी क्षेत्र में खोलने का प्रयास कर रहे हों। उपाध्यक्ष महोदय, कई बड़े बड़े कस्बे और शहरों में सरकारी अस्पताल भी हैं, औषधालय भी हैं और बड़े बड़े तरक्की के औषधालय वगैरह भी हैं, कई कस्बों में पब्लिक हैल्थ सेन्टर हैं, सरकारी हास्पिटल हैं और डिस्पेंसरी है, और औषधालय भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। मेरा निवेदन है कि किसी कस्बे में अगर डिस्पेंसरी खोलें, या आप पब्लिक हैल्थ सेन्टर खोलें, और उस स्थान पर पहले से औषधालय चला आ रहा है तो उस आयुर्वेद औषधालय को हटा कर आप ग्रामीण क्षेत्र में भेज दीजिये। आज सौ सौ गांवों को मिला कर भी उनमें एक औषधालय आप नहीं दे सके, और यहां पर एक एक कस्बे व शहरों में दो तीन तरह की सुविधायें आपने दे रखी हैं। आखिर गांव वालों ने क्या अन्याय किया है कि उनको आप यह सुविधायें नहीं दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि पच्चीस औषधालय खोलने का जो आपने प्रावधान रखा है– इसको आगे बढ़ाया जाय और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुविधायें प्रदान करने का आप कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले डी. डी. टी. का छिड़काव गांवों तक पहुंच गया था। इससे वहां जो मच्छरों के कारण बीमारी फैल जाती थी, वह रुकी थी। लेकिन सरकार अब डी. डी. टी. के छिड़काव की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं कर रही है, जिसके कारण से गत दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में भारी तादाद में लोग बीमार हुए हैं और

(श्री मीठालाल)

एक बुखार की ऐसी बीमारी चली, जिसके बारे में डाक्टरों ने कहा कि हम इस बीमारी को जानते ही नहीं है, वैद्यों ने कहा कि हम भी जानते नहीं हैं। उनसे कोई सलाह मशविरा करने जाता तो कहते, यह बुखार केवल सात आठ दिन तक चढ़ेगा, उसके बाद में बीमार अपने आप ठीक हो जायगा, इसका इलाज करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा निवेदन है कि डी. डी. टी. का छिड़काव गांवों में करते थे, उससे मलेरिया जैसी बीमारी में फर्क पड़ा था, अब भी डी. डी. टी. का छिड़काव करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा।

आपके चलते फिरते जो शल्य चिकित्सा केन्द्र हैं, मेरा निवेदन है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कीजिये। ज्यादा गांवों में चलते फिरते चिकित्सा केन्द्र हों तो इससे ग्रामीणों को भारी लाभ होगा और गांव वालों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। इस ओर आप ज्यादा ध्यान दीजिये। जो ग्रामीण गरीब लोग हैं, वह शहरों में आने के बजाय गांवों में इससे इलाज करा सकते हैं। गांवों तक न पहुंचे और कस्बों तक ही केन्द्र पहुंच जायं तो भी अधिक से अधिक वह उसका फायदा उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कई जगह कस्बों में भी अस्पतालों में दवा नहीं होती है। शहरों में भी वैसे दवा अस्पतालों में कभी नहीं मिलती, कहीं भी व्यवस्था नहीं है। जहां कस्बों में चिकित्सालय हैं, डिस्पेंसरी हैं उनमें दवा का इन्तजाम है या नहीं इस ओर आप ध्यान नहीं देते हैं। उनमें दवा नहीं और डॉक्टर वहां पर एक सलाहकार, हैल्थ सलाहकार की तरह आपने बैठा रखे हैं। जो मरीजों को सलाह मशविरा देकर दवा शहर से लाने के लिए कह देते हैं। डाक्टरों के पास जो सेम्पल दवा के जाते हैं वह एजेन्टों के मार्फत बेच कर एजेन्ट को फायदे के अन्दर भागीदार बना लेते हैं और बेचारे गरीब मरीजों को दवा का लाभ नहीं मिलता।

इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में काफी मामले इस सदन में रखे गये, हैड लोड का मामला है, प्लाट का मामला है, हाऊसिंग सोसाइटी का मामला है, रिजर्वेशन का मामला है। मैं समझता हूं कि आप एक भी मामले में सफल नहीं हैं और लोगों को गुमराह करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने 11 पर्सेंट और 17 पर्सेन्ट रिजर्वेशन रखा, केन्द्रीय सरकार की सभी राज्यों को यह हिदायत है कि जब तक विभागों में इन जातियों का योग्यतम उम्मीदवार नहीं मिले तब तक उस स्थान की खाना पूर्ति नहीं हो, जब तक वह रिक्त रहेगा जब तक कि योग्य उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन होता क्या है कि किसी भी अधिकारी के पास जायं, वह कहेगा, नो स्यूटेबल केन्डीडेट, स्यूटेबल केन्डीडेट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन महीने या पन्द्रह बीस दिन के बाद उस जगह को भर लेते हैं जब कि हिदायत यह है कि उसको खाली रखा जायगा जब तक कि शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राईब्स का उम्मीदवार दूसरा प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जब आप अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वह इस ढंग से स्थान की पूर्ति अवश्यम्भावी रूप से, निश्चित रूप से नहीं करेंगे, और तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जब

(श्री मीठालाल)

इस प्रकार के आदेश केन्द्रीय सरकार के हैं तो उनका पालन करें। आज एक भी विभाग ऐसा नहीं है, जिसके अन्दर कि रिजर्वेशन की पूर्ति हो पायी हो जब कि केन्द्र सरकार के आदेश निकले हुए चार पांच साल हो गये हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी पूर्ति करे और जितना रिजर्वेशन होना चाहिए, उसकी पूर्ति करनी चाहिए।

गृह निर्माण समिति के बारे में कहा कि काफी मकान बन रहे हैं और इसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि इस साल एक लाख का, दो लाख का खर्चा किया है। लेकिन स्थिति यह है कि मकान नहीं बन रहे हैं। आप हरिजन बस्तियों, रेगरों, की बस्तियों में जाकर देखिये, लालसोट क्षेत्र में मण्डावरी कस्बा है, वहां पर इन बस्तियों को बिजली देने का मामला था। इस सम्बन्ध में जो समाज कल्याण विभाग ने कमेटी बैठायी, उसने भी सिफारिश कर दी कि बिजली दी जाय और विद्युत् मंत्री जी ने भी इस सदन में आश्वासन दे दिया कि अब शीघ्र ही बिजली लग रही है लेकिन हरिजन और रेगरों की बस्ती है, ट्रान्सफार्मर और पावर उसी बस्ती में मौजूद होने के बाद भी मकानों और बस्ती के लिए बिजली नहीं दे सके हैं। आप केवल ढिंढोरा पीट कर वाहवाही लेना चाहते हैं हरिजनों की। आपने उनको बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों को सार्वजनिक स्थानों मोटर स्टैण्डों पर दुकान लगाने के लिए प्लाट अलाटमेंट हो, उद्योग-धन्धे का मामला हो इनमें रिजर्वेशन देना चाहिए। मोटर स्टैण्ड के लिए तो निश्चित रूप से यह नीति रखिये कि होटलों वगैरह के लिए जो टेण्डर निकले, या प्लाट नीलाम हों तो उसमें हरिजनों व आदिवासियों को पहले दें। ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से उनको दीजिये। मेरा निवेदन है कि रिजर्वेशन रख कर दुकान और प्लाट हरिजन और अनुसूचित जाति के लोगों को दीजिये।

ठेके के मामले में, वन सेवा सहकारी समितियां हैं, वनों के ठेकों के मामले में आप किसी तरह से रिजर्वेशन रखिये, ताकि आगे उत्थान हो सके अन्यथा इन लोगों का कुछ भी उत्थान नहीं हो सकेगा!... —

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मुझे यही कहना है कि जन-संख्या के अनुपात में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें मिलनी चाहिए। मुख्यत: जो आपका चिकित्सा का मामला है, हम जनसंख्या के अनुपात में गावों में सुविधायें चाहते हैं अन्यथा गांव वालों के साथ यदि इस प्रकार का व्यवहार करते रहें, बहिष्कार करते रहें तो शहरों में तो आए दिन हड़ताल सत्याग्रह जुलूस वगैरह होते ही रहते हैं, तोड़फोड़ होती रहती है लेकिन ग्रामीणों को यदि बिजली, खाद, बीज, चिकित्सा इत्यादि के मामले में तिरस्कृत किया तो जिस दिन ग्रामीण बदलेंगे उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनको दबा सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों की जितनी चिकित्सा के हिसाब से इंतजाम कर सकते हैं उतना करें, मगर ये सुझाव आप मानते हैं तो मद के लिए पैसा दे दीजिए अन्यथा इनको एक फूटी कौड़ी भी न दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (ग्रामेर): उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज की मांग संख्या 26 व 32 के बारे में संक्षेप में कुछ बात कहना चाहती हूं। सबसे पहले तो मैं ग्रस्पतालों की व्यवस्था के बारे में ग्रापके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहती हूं जहां पर उपकरण होते हुए भी, दवाइयां होते हुए भी ग्रौर जिन लोगों के लिए वे दवाइयां सरकार देती हैं, बजट देती है, वह गरीबों को नहीं जाकर उनको तो पर्चियां पकड़ाई जाती हैं कि आप जाकर बाजार से दवाइयां ले आयें। मैं पूछना चाहती हूं कि ग्राखिर वे दवाइयां जाती कहां हैं? बड़े आदमियों को तो जैसे ग्रभी माननीय सदस्यों ने कहा, सब सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं लेकिन गरीबों, जिनके पेट में रोटी भी नहीं है, को अगर दर दर दवाइयों के लिए भटकना पड़े, ग्रौर ग्रस्पताल वाले कुछ भी नहीं कर सकते तो इसका तात्पर्य यह है कि उपकरण जो मंगवाए गए हैं कई डाक्टरों को विदेश भेजकर ग्रौर स्पेशली उसके लिए ट्रेंड करवाए गए हैं, उन उपकरणों का आज क्या उपयोग हो रहा है, मेरी समझ में नहीं ग्राता। मैं तो यही ग्राए दिन सुनती हूं कि ग्राज फलां ग्रादमी मर गया क्योंकि उपकरण चालू नहीं थे। ऐसे उपकरणों की खरीद पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? क्या सरकार नहीं मानती कि यह जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है?

इसी प्रकार जब कोई भी डाक्टर मरीज के लिए दवाइयां लिखता है वह जब स्टोर्स में जाता है, मैं अस्पताल में उपलब्ध होने वाली दवाइयों के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि स्टोर्स में बैठे हुए लोग वहां उसमें कांट छांट करते हैं। तो फिर डाक्टरों की जरूरत ही क्या है। जब डाक्टर जिस मात्रा में दवाई लिखता है, उसको स्टोर्स वाले काट कर देते हैं तो डाक्टर बेचारों की क्यों बेइज्जती कराई जा रही है। फिर तो सारा काम ही स्टोर्स वालों से कराया जाए ताकि वे मनमाने ढंग से दवाइयां देते रहें।

इसी प्रकार मैं समाज कल्याण विभाग की ग्रोर भी मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहती हूं ग्रापके माध्यम से। इस विभाग में चल रहे घोटालों की ग्रगर निष्पक्ष जांच की जाए तो मैं समझती हूं कि शायद लाखों रुपए के घोटाले ग्रापके सामने ग्रायेंगे जिससे सरकार पर ग्रनावश्यक रूप से भार पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जयपुर शहर में ग्रौर दूसरे शहरों में समाज कल्याण विभाग की तरफ से पोषाहार केन्द्र खोले गए हैं, वहां पर ग्राटा, सोयाबीन का तेल ग्रौर गुड़ मिलता है ग्रौर गरीब बच्चों के लिए नाश्ता बनाकर दिया जाता है जिससे कि उनकी शारीरिक स्थिति में परिवर्तन ग्राए। लेकिन ग्राज हो यह रहा है कि मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि वह सारा सामान बाजार में ब्लैक में जाता है ग्रौर उन गरीबों के लिए, जिनके लिए सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए यह काम किया है, उनके हाथ कुछ नहीं ग्राता है। इसके विपरीत जो इन्सपेक्टर्स इन्चार्ज हैं उनकी जानकारी में होते हुए भी यह सब हो रहा है उनकी जेबों में पैसा जिन केन्द्रों से चला जाता है उन केन्द्रों से कोई पूछताछ नहीं होती है। लेकिन जो केन्द्र ईमानदारी से काम करते हैं, जहां से इन्सपेक्टरों को

Page No.52

(52)

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

पैसा नहीं मिलता है, वहां के संचालकों पर पर अनावश्यक रूप से दोषारोपण करके केन्द्र बन्द किया जाता है। उदाहरण के लिए "सी" स्कीम में एक बस्ती है जो चौमूवालों की छतरी कहलाती है, वहां हरिजनों की संख्या बहुत है, वहां पर मैंने प्रयास करके एक पोषाहार केन्द्र खुलवाया जहां 160 बच्चे लाभान्वित होते थे और मैं स्वयं देखभाल करती थी, उसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर किसी चीज को ब्लैक नहीं होती थी और इन्सपेक्टर की जेब गर्म नहीं होती थी। इसलिए उस केन्द्र को बंद हुए आज 8-10 महीने हो गए। मैंने समाज कल्याण निदेशक से कहा और समाज कल्याण मंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यह चल रहा है समाज कल्याण विभाग में घोटाला।

मैं चिकित्सा के सम्बन्ध में एक बात कहना भूल गई। डिटेल्ड बजट के परिशिष्ट 'क' के अन्दर पदों का डेजिग्नेशन लिखा हुआ है। उदयपुर में केमिस्ट की एक पोस्ट बताई गई थी अब दो दिखाई हैं? क्या एक पोस्ट बढ़ी है या यह सूचना गलत है? इसी प्रकार फार्मेसिस्ट्स 16 हैं जबकि इस बजट में 18 बताई हैं। इनमें वास्तविकता क्या है, प्रकाश डालने की मंत्रीजी कृपा करें।

इसी प्रकार चिकित्सा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र चलाए जा रहे हैं, वहां पर कागजों पर स्टॉफ बहुत है कि इतने डॉक्टर्स, इतने कम्पाउन्डर्स, इतनी नर्सेज, इतनी दवाइयां! उदाहरण के लिए मेरे क्षेत्र में पड़ने वाले एक गांव सिरसी में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, वहां पर चल कर देखिए कोई डाक्टर नहीं रहता, कोई स्टाफ का आदमी नहीं रहता और ग्रामीणों को कितनी परेशानी होती है। इस तरह के केसेज भी हो चुके हैं कि जिनको तुरन्त मेडिकल एड की जरूरत पड़ी है वहां उनको मेडिकल एड न मिलने से जयपुर लाने में रास्ते में ही बहुत से लोग खत्म हो गए हैं। तो मेरा निवेदन है कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जन जाति वालों के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं उन आवास योजनाओं में प्रावधान यह है कि इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाता है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप जांच कराकर देखें कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें पूरी खानापूर्ति हो चुकी हैं, कितनों को लोन दिया गया है। जहां सरकार ब्याज भी नहीं ले रही है, उनसे कहा जाता है कि वकील की फीस के 500) रु० आप दे दीजिये। तब आपका काम होगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह अनावश्यक खर्चा गरीबों के उपर क्यों मंढ रहे हैं। यह आप 500 रुपये का वकीलों का खर्चा, अतिरिक्त भार गरीबों पर क्यों डाल रहे हैं इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब आपके मारफत मन्त्री महोदय का ध्यान समाज कल्याण विभाग के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों की तरफ ले जाना चाहूंगी। हमारे राजस्थान में राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके बारे में

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

इतना निवेदन करना चाहती हूं कि वहां बहुत धान्धली है। वहां की धान्धली के बारे में मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उन धान्धलियों की तुरन्त जांच कराई जावे। अगर आप वहां पर जांच करायेंगे तो आपको मिलेगा कि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है तथा वहां के जो कर्मचारी हैं उनमें गुटबन्दी बहुत है। उनमें हर ग्रुप में राजनीति घुसी हुई है। वहां के कर्मचारी दलबन्दी के ऐसे शिकार हो रहे हैं कि उनके बारे में जितना भी सदन में कहूं वह थोड़ा है। आज पूरे राजस्थान में राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कई परियोजनायें चल रही हैं उन परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों में और जो यहां पर हैड आफिस में काम करते हैं उनमें काफी फर्क है। परियोजनाओं के अन्दर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको इसके लिए एक उदाहरण ही नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण दे सकती हूं। पहला उदाहरण तो यह है कि आज जो हैड आफिस जयपुर में काम करते हैं उन्हें तो रानावत पे कमीशन के अनुसार पे स्केल कर दिये हैं, लेकिन जो लोग उन परियोजनाओं में काम करते हैं उनको पे में रानावत पे कमीशन लागू नहीं हुआ है। उन्हें वही तन्ख्वाह मिल रही है। यहां वाले हैड आफिस के कर्मचारियों को पी० एफ० भी मिलता है लेकिन परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इन्होंने यह व्यवस्था भी नहीं की है। और तो और उन लोगों का फिक्सेशन आज तक नहीं हुआ। समझ में नहीं आता है कि हैड आफिस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ इतना फेवर क्यों है और परियोजना में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति क्यों है? आज जनता के पैसे का सही उपयोग नहीं हो रहा है। वहां के लोग अगर रिप्रेजेन्टेशन देते हैं फिक्सेशन वगैरह के तो कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार रिप्रेजेन्टेशन दिये गये पर किसी ने कुछ आज तक नहीं सुना। इसके लिए मैं यह राज्य सरकार से आपके मारफत मांग करती हूं कि इस राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। इसके आटोनॉमस बाडी बनायी जानी चाहिये। ऐसा करने से वहां सुधार हो सकेगा। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें। मुझे मालूम है। श्री विट्ठल भाई।

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य आदि व मांग संख्या 32 समाज कल्याण विभाग पर बहस चल रही है उस पर मैं भी कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये चिकित्सा के विषय में आज जो अस्पतालों में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है जो खराब व्यवहार हो रहा है उसके बारे में मन्त्री जी को शायद गरीबों को क्या परेशानी है नहीं मालूम होगा क्योंकि आज मन्त्री जी बीमार नहीं या बीमार तो दूर अगर उनकी तबियत में थोड़ी सी थकावट भी आजाय तो उनके इलाज के लिये डॉक्टर चाहिये और डॉक्टर लोग उनके घर पर भी

(श्री विट्ठल भाई)

पहुंच जाते हैं। लेकिन गांवों की आज हालत क्या है आज वहां पर आपने नाम मात्र के लिये अस्पताल तो खोल दिये हैं लेकिन वहां डॉक्टर नहीं हैं और अगर डॉक्टर हो भी तो वह गरीबों का इलाज नहीं करते हैं इसलिये आज डॉक्टरों पर जनता का विश्वास हट गया है। क्योंकि जब गांवों की गरीब जनता डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिये जाती है तो डॉक्टर लोग उनसे रिश्वत मांगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज एक आंखों देखी घटना बताना चाहता हूं बांसवाड़ा जिले में आखों देखी घटना है। एक व्यक्ति अस्पताल में भरती होने गया तो बड़ी मुश्किल से उसको भरती किया। पहले तो मना ही कर दिया था, पर बाद में उसने 5-10 रुपये रिश्वत के दिये तो उसे भरती किया। डॉक्टर ने मना किया लेकिन वह क्या कहते हैं कम्पाउन्डर ने बाद में रिश्वत लेकर उसको भरती किया तो यह स्थिति आज चली आ रही है। उनका इलाज तब ही हो सकता है जब पैसा दें। यह क्या तरीका हुआ? जो पैसा देते हैं उसको तो भरती कर लेते हैं पैसा दो तो अच्छा इलाज होगा पैसा नहीं दो तो इलाज नहीं होगा। वह चाहे भले ही कोई हो। गरीब चाहें भले ही अपनी खाटली में पड़ा पड़ा बीमारी से मर जाय डॉक्टर को कोई फिकर नहीं है। जब उसे अस्पताल ले जाते हैं या वह जाता है तो डॉक्टर उसकी सुनता ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब लोग हैं वह डॉक्टर को पैसा देने को कहां से लावे? आज कोई गरीब जायेगा तो डॉक्टर उसे कहेगा कि बैठ जावो और अगर वह ज्यादा गिड़गिड़ायेगा तो वह डॉक्टर अस्पताल में से तो दवाई देगा ही नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि वह दवाई लिख देगा कि बाजार से ले आना। आप बतावें वह बाजार से कैसे लायेगा? उसके पास तो पैसा है नहीं। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह क्या प्रशासन है? यह तो ठीक नहीं है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। आप बजट में जो पैसा लेते है वह गरीबों से ज्यादा लेते हैं टैक्स लगाते हैं उन पर ज्यादा और खर्च उन पर करने को आप तैयार नहीं हैं। आप टैक्स गरीबों से लेकर अमीरों को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं क्योंकि अगर अमीर आदमी इलाज के लिये जाता है तो डॉक्टर जानता है कि यह मुझे पैसा देगा इसलिये कहता है कि आइये सेठ साहब। उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना अन्याय आज हो रहा है गरीब जनता के साथ। आज एक एम० एल० ए० और मिनिस्टर तो दवाई के लिये 1000 पांच सौ रुपये इलाज के ले लेगा लेकिन आपकी राज्य सरकार एक गरीब के लिये पांच रुपये की दवा देने को तैयार नहीं है। आज आपके सरकारी आफिसर तो इलाज नहीं भी करावें तो पांच सौ, हजार रुपये दवाई के नाम पर सरकारी खजाने से उठा लेते हैं पर गरीब को दवा नहीं मिल रही है। वैसे तो छोटी मोटी बीमारी के लिये गरीब भी आपके अस्पताल में जायेगा नहीं लेकिन टी० बी० जैसी और जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसके लिये तो जाना ही पड़ता है पर ऐसी बीमारियों में गरीब आदमी अगर इलाज कराने जायेगा तो ठीक होकर नहीं आयेगा वह तो मर कर ही आयेगा। आज स्थिति ऐसी है कि इन बीमारियों के लिये पहले तो डॉक्टर उसे अस्पताल में भरती ही नहीं करेगा, और

(श्री विट्ठलभाई)

अगर कर लेता है तो वह बिना इलाज हुए वहां मर जाता है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी सरकार का क्या प्रशासन है ? डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलते हैं और दवाई नहीं मिलती है। गरीबों की आपके अस्पताल में कोई देख रेख नहीं हो रही है। रिश्वत देते हैं उसका काम करते हैं। उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है तो क्या मतलब हुआ इसका ? क्या टैक्स अमीर ही देता है वह तो टैक्स की चोरी और करता है गरीबों से आप डण्डा मारकर टैक्स वसूल करते हैं पर आप इन सरकारी डॉक्टरों को गरीबों का इलाज नहीं करने के लिये डण्डा नहीं मारते हैं। आज डाक्टरों के इतने बड़े दिमाग हैं कि गरीब अस्पताल में जावे तो बात नहीं करे। बैठने को नहीं पूछे बीमारी का पूछना तो दूर सेठ को कुर्सी पर बैठाते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण मेरे पीपलखूंट का देना चाहता हूं। वह ऐसी जगह है जहां पर अस्पताल नहीं है, जहां पर आने जाने के साधन भी नहीं हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है तो चार आदमी उसको खाटली पर डालकर लाते हैं, और वह वहां से 25 मील से आता है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई रास्ता ही नहीं अगर वह मर जाये तो उसको वापिस 25 मील चार आदमी ही खाट पर डालकर ले जायेंगे वरना कोई रास्ता ही नहीं जाने का। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, पीपलखूंट पंचायत समिति में एक पी. एच. सी. हैं वहां अस्पताल है उसमें भी कोई गोली तक गरीब आदमी को दवा के नाम पर नहीं मिलती है। जो जाता है उसे यही कह दिया जाता है कि दवाई नहीं है तो फिर आपको वहां पर पी. एच. सी. खोलने से क्या ? फायदा आप वहां पर स्टाफ रखकर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं? आप जनता का पैसा व्यर्थ खर्चा कर रहे हैं। आप दवायें वहां पर भेजते नहीं हैं और अगर भेजते हैं तो वह लोग दवाईयों को बेच खाते होंगे या यह हो सकता है कि आप देते नहीं हों। हमें तो वे यह कहते हैं कि दवाइयां देती नहीं है सरकार को हम कहां से देवें। इन्जेक्शन देते नहीं। बाजार से ले आओ। गवर्नमेन्ट देती नहीं हम क्या करें।

आयुर्वेद डिस्पेन्सरीज का तो हाल ही बुरा है। थर्ड क्लास आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी में दवाइयां दी जाती हैं। 400) का चूरण देते हैं। सड़ा गला। साल भर पूरा हो जाता है तब देते हो। 6 हजार वैद्य और चपरासी की साल भर की तनख्वाह होती है और दवाइयां चार सौ रुपये की। यह किस वजह से आपने बना रखा है ? दवाइयां नहीं और तनख्वाह का इतना खर्चा। लोग जाते हैं तो कहते हैं कि क्या करें दवाई नहीं। आपकी क्या व्यवस्था है यह ? आयुर्वेद विभाग को तो मकान नहीं। कोई देता ही नहीं। झोंपड़ी में ही लगा रखा है। गवर्नमेंट की ओर से कोई इसके लिए बजट नहीं है। पानी आया तो गिर गया। हमारे गांव में वैद्य हैं। कहने लगे कि पानी आगया है और झोंपड़ा गिर गया है। कुछ करो। हमने कहा क्या करें ? गवर्नमेंट से मांग करो। वे कहते हैं, गवर्नमेंट सुनती ही नहीं। आप मकान दे नहीं सकते, दवाई भी उनको दे नहीं सकते। आयुर्वेद में दवाइयां अच्छी होती हैं। मैं बुरी नहीं कहता हूं। आप दवाइयां देते नहीं तो इलाज भी नहीं होता है। इसलिए आयुर्वेद डिस्पेन्सरी में कोई

(श्री विट्ठल भाई)

जाता नहीं। दिन भर बैंच बैठे रहते हैं और गप्पे ठोकते हैं। कोई चला जाता है तो बाजार से मंगवा कर गोलियां रखते हैं। पूरा उसका उपयोग जानते नहीं। बीमारी को पूरा पहिचानते नहीं। गांवड़ों में लोग रहते हैं। बाजार से लाकर इन्जेक्शन लगा दिया। कई लोग तो मर गये। कभी कभी कोई अच्छे भी हो गये। बारह आने का इन्जेक्शन लाते हैं, रुपया डेढ़ रुपया चार्ज करते हैं। मस्ती से मौज उड़ाते हैं। गवर्नमेंट दवाई नहीं देती तो क्या करें। आखिर आपकी देख रेख क्या है? जनता परेशान है, दवाई मिलती नहीं।

आज गांवड़ों में, 25-30 मील पर, पहाड़ी इलाका है हमारा, कोई डिस्पेन्सरी नहीं है और एक ही बड़ा अस्पताल है बांसवाड़ा में। आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। जहां इस प्रकार के इलाके हैं आपको चलते फिरते अस्पताल चालू करना चाहिये। क्या बैठे 2 तनख्वाह लेते हैं, उनको गांवों में जाना चाहिये और दवाइयां देनी चाहिये और पूछना चाहिये। हम लोग रिपोर्ट करते हैं लेकिन दवाई लेकर नहीं जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

20 मिनिट का समय है मेरी पार्टी का। अभी बीस मिनिट नहीं हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अस्पतालों की हालत है उसकी मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं।

अब मैं समाज कल्याण विभाग की ओर जाना चाहूंगा। समाज कल्याण विभाग आदिवासी और हरिजनों के कल्याण के लिये बना है। उनका कल्याण करने के बजाय इस विभाग ने उनका ऐसा कल्याण किया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। करोड़ों रुपये का बजट इस विभाग पर खर्च किया गया है। इस साल भी 3 करोड़ का बजट रखा गया है। गांवों में जाकर देखिये। हरिजनों आदिवासियों की कॉलोनी के नाम से मकानों के लिये पैसा दिया गया। कहीं भी आदिवासियों की कालोनी नहीं होगी। किसी के पास एक भी पक्का मकान नहीं होगा। हरिजनों की भी यही हालत है। जो हरिजन यदि कहीं शहरों के आसपास हैं तो वहां पर किसी के मकान पक्का बन गया हो। यदि आदिवासियों में किसी के भी एक पक्का बना हुआ मकान बता दें समाज कल्याण विभाग की ओर से तो मैं समझ सकता हूं लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक भी मकान पक्का उनके पास नहीं बना है। समाज कल्याण विभाग ने नहीं बनाया है कॉलोनी तो दूर रही। पंचायत समितियों की मार्फत पैसा दिया। हजारों रुपये आदिवासियों के लिए मंजूर हुए। पैसा तो मंजूर कर दिया लेकिन वह बीच ही में खर्च हो गया। हजार रुपये उस व्यक्ति के नाम से लिख दिये और उसको दो सौ चार सौ दे भी दिये बाकी के सब खा गये बांटकर। वे उनको कहते हैं कि यह तो धर्मादे का पैसा है वापिस वसूल नहीं होगा। चले जाओ और यह ले जाओ। कहीं हजार दिये कहीं समाज कल्याण विभाग ने पांच सौ रुपये दिये कुओं के लिये लेकिन आज भी एक कुआं कम्पलीट नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सही

(श्री विट्ठल भाई)

रूप से पैसा हरिजनों और आदिवासियों के हाथ में नहीं गया है। बनिये और ब्राह्मण ठाठ से रहते हैं और वे बच जाते हैं। वे कहते हैं तुम्हारा पैसा तुमको वापिस भरने का नहीं है। यह तो धर्मादे का पैसा है। कोई जरूरी नहीं है कि सारा पैसा तुमको मिल जाना चाहिये। थोड़ा सरपंच मिल जाता है और सरकारी अधिकारी तो है ही। उनको पूरा पैसा मिलता नहीं। जो कुछ उसको मिलता है उससे वह खड्डा खोद देता है और वह सारा का सारा पैसा डूब जाता है। जो वहां जाते हैं वे कहते हैं कि तुम भी खा जाओ और अपन भी खा जाओ इस तरह से कहीं पर भी काम पूरा नहीं हुआ। कुआं नहीं और आदिवासियों के पास वहीं की वहीं झोंपड़ी। कुआं है तो वही का वही। बिजली का तो सवाल ही नहीं है। वह तो शहरों में है। वे तो जिन्दगी भर ही मजदूरी मांगते रहेंगे। बिजली मिल जावेगी, मकान बन जावेंगे तो कांग्रेस को वोट कौन देगा। पंचायत समिति के चुनाव हुए थे पहले कांग्रेस के हमारे इलाके के भाई बन्द कहते थे कि तुम्हारे मकान बना देंगे। कुआं बना देंगे। वोट हमको दो। पहले आये थे। अब तो ठंडे हो गये। बिजली की बात करते हैं। बागीदौरा गढ़ी बांसवाड़ा में है। पीपलखूंट, कुशलगढ़ में बिजली नहीं है। आदिवासी क्षेत्र है। आप यहां से खत्म होओगे जब हम भी यहां से खत्म होंगे वहां बिजली दोगे तब भी सोशलिस्ट पार्टी वाला ही जीतेगा। लेकिन मैंने कई बार यहां विधान सभा में कहा कि आप आदिवासियों के साथ गद्दारी नहीं करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, पक्षपात नहीं करें और उनको बिजली दें, पानी दें, उनके लिए तालाब बनवायें। हम वोटों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम राज्य के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम गरीबी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है जनता हमको वोट देगी तो हम भी विधान सभा में आयेंगे और आपको देगी तो आप आना, लेकिन उनके साथ पक्षपात क्यों? आज हमारे मुख्य मन्त्री यहां नहीं है। आज भी वह भले ही मुख्य मन्त्री बन गए और पहले जब मिनिस्टर थे और नहीं थे वही की वही आदत उनकी आज भी है, वही की वही हालत उनकी आज भी है। उनकी हालत सुधरना मुश्किल है, क्योंकि आज भी उनकी नजर में यह है कि यह समाजवादी है और यह दूसरी पार्टी का है, यह सोशियेलिस्ट है और यह दूसरा। एक तरफ कह रहे हैं कि समाजवाद ला रहे हैं। हम तो सच्चे समाजवादी हैं, आप नकली हैं। आप तो सिर्फ नारे लगाते हो और हम रास्ता बताने वाले हैं कि यह करो। आज गुजरात की क्या हालत है? यह सब आपकी गलत नीतियों के कारण से है। आप यह नहीं सोचें कि लोग सन्तुष्ट हैं और भूखों कोई नहीं मर रहा है। यह नहीं है। वहां की जनता सन्तोष करके बैठी हुई है और देख रही है कि यह सरकार क्या करने वाली है और कभी हो सकता है वह हालत आपकी यहां भी हो सकती है। इसलिए आपको अभी से ही संभल जाना चाहिए और आगे के लिए जो भी पक्षपात खैर पहले किया वह भूल जाना चाहिए लेकिन अब नहीं करना चाहिए। अगर यह किया तो नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है हमारे कांग्रेस के साथी भी यहां बोलते हैं, बजट भाषण पर बोले और आज भी बोले। सब बोल रहे हैं और मजबूरी से

(श्री विट्ठल भाई)

चाहे वह उधर हों क्योंकि उनको रहना तो है ही लेकिन वह भी कहते हैं कि वोट लेकर आए हैं और जब हम हमारे क्षेत्र में जाते हैं जनता पीछे पड़ती है। बात सच है। यह नहीं है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता, लेकिन हमारे यहां पर पक्षपात बहुत होता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके होस्टलों में क्या हो रहा है? वहां भी पक्षपात होता है। अभी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि आदिवासी होस्टल हैं। यह नहीं कहूंगा कि कितने लड़के भरती किये जाते है। एक मेरे गांव में होस्टल है जिसमें केवल 25 लड़के है और जोशी जी के गांव में, खैर, उनका गांव तो दूसरा है लेकिन उनके क्षेत्र में घाटोल के अन्दर भी एक हॉस्टल है जिसमें 80 लड़के हैं। वहां 80 लड़के पूरे भरती नहीं होते हैं क्योंकि आसपास में गांव आ गए। मेरा क्षेत्र पीपलखूंट है उसमें पंचायत समिति में 95 पर्सेंट आदिवासी रहते हैं और 5 पर्सेंट शहरी है लेकिन वहां 25 लड़कों का है। हमने कई बार कहा कि यहां 25 के बजाय 50 कर दो क्योंकि छठी क्लास तक तो प्राईमरी स्कूल में पढ़ लेते हैं और यदि वहां मिडिल स्कूल होती या हायर सेकण्डरी स्कूल होती तो इसके बाद लड़के वहीं पढ़ लेते हैं। लेकिन यह व्यवस्था नहीं है। फिर गरीब लड़के कहां जायें, तो छठी क्लास पास करके लड़के अपने घरों में बैठ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मिडिल तक पढ़े लिखे और फिर अपने घर पर बैठ जायेंगे।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

तो एक तरफ आप आदिवासियों को आगे लाना चाहते हैं तो कम से कम वहां का कोटा है, हम नहीं कहना चाहते कि आप होस्टल ज्यादा खोलें लेकिन जो होस्टल हैं उनमें भी कोटा बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा, और मन्त्री महोदय से कहूंगा कि खाचुर के लिए कम से कम 25 लड़कों का स्थान और बढ़ा देना चाहिए तो ठीक है नहीं तो 25 लड़कों के लिए जो खर्च कर रहे हैं वह बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि यहां पर मतभेद होता है। कुछ लोग भरती हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। हम भी वहां पर मेम्बर हैं तो हमको भी दुःख होता है क्योंकि हम सब को भरती नहीं कर पाते हैं। इसलिए वहां 25 के बजाय 50 कर दो तो ठीक रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी टाइम नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे मालूम है टाइम हो चुका है।

श्री विट्ठल भाई: तो थोड़ा टाइम और दे दो। अभी 20 मिनट नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष: 20 मिनिट से ज्यादा हो गए तभी तो मैं कह रहा हूं।

श्री विट्ठल भाई: एक दो मिनट में समाप्त कर देता हूं। होस्टलों में जो पहनने के लिए कपड़े दिये जाते हैं वह भी बिल्कुल नीचे नम्बर की खादी दी जाती है। जब 40 रुपया साल देते हैं तो खादी नीचे नम्बर की क्यों? और ऑफिसर कौन रहेगा वही बनिया और ब्राह्मण। वह कहेगा कि देखिए आपने अगर कोई शिकायत की तो होस्टल से निकाल देंगे।··· ····

श्री रामकिशन : ब्राह्मण भी पुष्करणा रहेगा।

श्री विट्ठल भाई : आदिवासियों को तो बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि वह योग्य नहीं है।

श्री खेतसिंह : आपकी पार्टी के लीडर भी तो ब्राह्मण हैं।

श्री विट्ठल भाई : बात यह है कि अच्छी खादी आप उनको दें। उनको हम बराबर लाना चाहते हैं तो एक कॉलेज में किसी ऑफिसर का लड़का जाता है या हायर सैकेण्डरी में मिनिस्टर का लड़का पढ़ने जाता है तो टेरीकाट और टेरीलिन के कपड़े पहनकर जाता है और यह चपरासी जैसी खादी पहनकर जाते हैं। फिर कहते हैं कि हम बराबर लायेंगे, समाजवाद लायेंगे। यह गलत बात है। उनके साथ पक्षपात किया जाता है। या तो आप उनको बराबरी पर लाइये नहीं तो यह होस्टल वगैरह तोड़ दीजिए। पढ़ें तो पढ़ें और घूमें तो घूमें। वरना यह करोड़ों रुपयों का खर्च बेकार जाता है, और यह सारा पैसा बड़े लोगों के पास जाता है। आप इन्क्वायरी कीजिए क्योंकि हमको पता है कि कहाँ क्या होता है। इसलिए इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। श्री भगराज चौधरी।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा नम्बर तो बीच में आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आपकी पार्टी को टाइम दे चुका हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरे कट-मोशन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मीठालालजी को टाईम दे चुका हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मुझे भी तो मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री भगराज चौधरी।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आज के वैज्ञानिक और प्रगतिकरण के युग में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि इसका जीवन से सीधा सम्बन्ध है हमारे समाज के अन्दर। यदि समाज में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधायें और सेवायें एडल्ट्रेटेड रहेंगी तो मैं समझता हूं कि समाज का जीवन सुधरने के बजाय ज्यादा खतरे में पड़ने की गुंजाइश रहेगी। आज हम देखते हैं कि सरकार प्रतिवर्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट में अच्छा प्रावधान रखती गयी है मगर फिर भी ठीक उसके विपरीत जो अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वह दिन-ब-दिन घटती जा रही हैं। इसका क्या कारण है? मैं समझता हूं कि इसका संबंध केवल ज्यादा से ज्यादा पैसा चिकित्सा सेवाओं के लिए रखते हैं उससे नहीं है, बल्कि इसका सीधा-साधा संबंध व्यवस्था से है। आज अस्पतालों की व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर लोग झगड़ते रहते हैं और इसका मुख्य कारण मैं समझता हूं कि प्राईवेट प्रेक्टिस करने की जो छूट दे रखी है यही कारण है।

(श्री भगराज चौधरी)

उनमें प्रोफेशनल राइवलरी पैदा हो जाती है और वह ज्यादा समय शफाखानों में न आकर शफाखानों के बाहर बल्कि शफाखानों में जो कार्य करने के आवर्स नियत किये गये हैं उनमें भी नहीं आकर बाहर के जो पेशेन्ट्स होते हैं, आउटडोर के पेशेन्ट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में ज्यादा समय लगाते हैं। और यहां तक भी बात पाई जाती है कि जो दवाइयां शफाखानों के लिए और डिस्पेन्सरीज के लिए सरकार द्वारा नियत की जाती है और अलॉट की जाती है उनको डॉक्टर लोग इनडोर पेशेन्ट्स के काम में न लेकर बाहर के जो पेशेन्ट्स हैं जिनका पारिश्रमिक लेकर या रेम्युनरेशन के तौर पर पैसा लेकर जो इलाज करते हैं आउटडोर पेशेन्ट्स के रूप में उनके काम में लाया जाता है। इसी कारण से मैं समझता हूं कि जो आज का गरीब तबका है उनको दवाइयां मिलना दूभर हो गया है। आप किसी भी शफाखाने में जायं-चाहे एस.एम.एस. हॉस्पीटल में जायं या किसी डिस्पेन्सरी में जायं छोटी से छोटी दवाई के लिए भी प्रेस्क्रिप्शन लिखने के बाद यही कहा जाता है कि बाजार से लाइये हमारे यहां नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार करोड़ों रुपयों की राशि पेशेन्ट्स के लिए इतनी बड़ी मात्रा में क्यों रखती है ? इससे अच्छा यह होता कि सरकार शफाखाने में दवा ही नहीं देवे केवल डॉक्टर की नियुक्ति इसलिए कर दी जावे कि मरीज कन्सलटेशन कर सकें, कन्सलटेशन के रूप में, एडवाइस के रूप में, चिकित्सा का पता लगाने के लिये या बीमारी का पता लगाने के लिये उसको रख दिया जाय। मैं समझता हूं यह नियम बन जाना चाहिये कि प्रत्येक पेशेन्ट दवा बाजार से खरीद कर लायेगा। हो सकता है गरीब को दिक्कत आयेगी, मगर यह आज भी हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी पिछड़े व्यक्ति को, किसी देहाती व्यक्ति को दवाखाने में दवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। ज्यादा जो पाऊडर होता है वह भी उपलब्ध नहीं होता है, बेन्डेज उपलब्ध नहीं होती है, छोटे छोटे इन्जेक्शन उपलब्ध नहीं होते हैं फिर ऐसे शफाखाने रखने का क्या महत्व है।

हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं मेडिकल का बजट बढ़ता जा रहा है। अभी 20 करोड़ का प्रावधान रख छोड़ा है। मानलें प्रति व्यक्ति हिसाब लगाया जाय तो 2½ करोड़ की जनता में प्रति व्यक्ति 8) रु० आता है। इतनी बड़ी राशि रखने के बाद भी आज किसी व्यक्ति को शफाखाने में दवा नहीं मिलती है। मेरा निवेदन है सरकार इस पर विचार करे और विचार करने के बाद जो दवा शफाखाने में दी जाती हैं उसका दुरुपयोग न हो इस बात को भी सख्ती से देखें।

आज डॉक्टरों की हालत खराब होती जा रही है। टेक्निकल एज्यूकेशन बढ़ रही है। दूसरी तरफ जब हम अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हैं और जो इन लोगों को एम्पलायमेंट दिया जाता है वह बेकार हो जाता है। डॉक्टर लोग इधर-उधर की बातें करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। अपने सारे टाइम का उपयोग आउटडोर पेशेन्ट के रूप में करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस कतई बन्द कर देनी चाहिये। आखिर डॉक्टर काफी अच्छी जगह होने के बाद भी गुजारा नहीं करते हैं तो यह काफी दुख का विषय है। आज जयपुर के डॉक्टर कोई 10 हजार रुपया महीना कमाता है, तो कोई डाक्टर 15 हजार रुपया महीना कमाता है। आखिर यह क्या हो रहा

(श्री भगराज चौधरी)

है ? जो डॉक्टर प्राइवेट प्रेक्टिस के रेम्यूनरेशन के रूप में 15-15 हजार रुपया महीना कमाता है वह क्या तो शफाखाने में समय देता होगा और क्या वह स्टूडेन्ट्स को पढ़ाता होगा, और क्या वह वार्ड में समय लेता होगा ? इससे स्पष्ट है कि हमारी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं समझता हूं समय रहते नहीं सोचा तो हमारा राज्य कल्याणकारी न होकर एक ढकोसलामात्र रह जायगा। इस लिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप डॉक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करना चाहते हैं कि नहीं ? और बन्द करना चाहते हैं तो कब तक करना चाहते हैं ? मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में केटेगोरिकल स्टेटमेंट सदन में देना चाहिये। हम अथवा सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर देगी लेकिन जब तक यह बन्द नहीं कर देंगे तब तक सुधार वाली बात नजर नहीं आती है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं मेडिकल रिएम्बर्समेंट के बारे में। मुझे याद है आज से सात साल पहले न तो एड-हॉक बेसिस पर और न मेडिकल आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध थी। आज से सात साल पहले राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के समाज को अलग बना दिया। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता है मगर आपने ढाई लाख सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारियों को जिन्होंने स्वयं अपने फायदे के लिये किसी प्रकार दबाव डालकर इस बात की व्यवस्था करवाली कि उन्हें मेडिकल का अलाऊन्स दिया जाय। जो मेडिकल का खर्चा लगेगा वह सरकार करेगी। आज लाखों रुपये के बिल फर्जी बनावटी और बिना पेशेन्ट हुये डॉक्टर से मिलकर उठा लेते हैं। सरकारी कर्मचारी जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है डॉक्टर से प्रेस्क्रिपशन लिखाकर शापकीपर के पास जाता है और बिना मेडसिन खरीदे हुए दवाई का पर्चा बनवा लेता है। डॉक्टर के पास आकर कमीशन तय कर लेता है, और लिखा लेता है कि ट्रीटमेंट जरूरी था। आखिर सब समाज के लिये तो अलग व्यवस्था और सरकारी कर्मचारी के लिये अलग व्यवस्था ? मुझे माफ कीजिये ढाई करोड़ व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 8) रु. मिलता है तब सरकारी कर्मचारियों को सैकड़ों नहीं हजारों रुपये क्यों मिल जाते हैं। इस तरह की व्यवस्था क्यों कर रखी है ? आखिर यह डिस्क्रिमिनेट्री ट्रीटमेंट है। उनको हाऊस रेन्ट अलाऊन्स देते हैं, अच्छी तनख्वाह देते हैं, और कई तरह का भत्ता देते हैं फिर भी अधिक फायदा लेने की बात उनकी बुझती नहीं है तो मेरा निवेदन है मेडिकल रिएम्बर्समेंट का घोटाला खतम करना चाहिये और सरकार उचित समझें तो जो प्रति व्यक्ति 8) रु. सारे समाज को मिलता है उतना इनको भी मेडिकल सुविधा के रूप में मिलना चाहिये। मेडिकल फेसिलिटी के रूप में दवा का इन्तजाम करना चाहिये। आखिर समाज में जो कुछ लोग सरकारी सेवा में आये हैं वे कुछ कन्डीशन्स पर आये हैं, समाज की सेवा करने के लिये आये हैं और वही तबका खाने के लिये बैठ जायं तो क्या आप इसे उचित समझते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, सारे समाज का ढांचा गड़बड़ा जायगा इसलिये मेरा निवेदन है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जितने डिविजनल हेड क्वाटर्स हैं इस प्रकार

(श्री मगराज चौधरी)

की व्यवस्था को लेकर प्रोफेसन खुल गया है। डाक्टर पेशेन्ट से मिल जाता है, स्टाकिस्ट से मिल जाता है और बड़े जोरों से इस प्रकार का धन्धा चलाते हैं। कुछ इस प्रकार के केसेज एन्टीकरप्शन ने और सी. आई. डी. ने हाथ में ले रखे हैं लेकिन जब बहुत बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी चल रही है तो यह व्यवस्था उनसे सुधरने वाली नहीं है इसलिये यह खत्म करना चाहिये। जो एड-हाक बेसिस पर उसको सामान्य नागरिक के नाते जो व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये वह कर देनी चाहिये जिससे डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हो जायगा।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं बजट में 20 करोड़ का प्रावधान रखा है। इतना होने के बाद सारे ग्रामीण क्षेत्रों में समान वितरण नहीं करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूं जालौर में सात समिति हैं और पी. एच. सी. पांच में हैं दो में नहीं हैं। वे खास तौर से मेरे क्षेत्र जसवन्तपुरा और रानीवाड़ा में नहीं हैं। वहां बी. एस. एफ. का ट्रेनिंग सेन्टर है, पुलिस सेन्टर है, समिति हैड क्वार्टर है, व्यापारिक मण्डी है इसलिये पी. एच. सी. की व्यवस्था नहीं की और पी. एच. सी. को छोड़े मगर डिस्पेन्सरी की व्यवस्था भी नहीं की है। पिछले साल जब मैंने इसकी मांग पर ध्यान आकर्षित किया था तो जवाब मिला था कि हम इन दोनों स्थानों पर डिस्पेन्सरी कायम कर देंगे। पिछले साल 38 स्थानों पर डिस्पेन्सरीज खुली हैं मगर इन दोनों मुख्य स्थानों को छोड़ दिया इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आप इस वर्ष ध्यान देवें। आप 113 उप-केन्द्रों का निर्माण करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं उप-केन्द्र जो होते हैं वह चिकित्सा में कहीं सहायक होते हों, यह मेरी समझ में नहीं आता है। जो नीची श्रेणी का आदमी है वह चला जायगा और उसके लिये कोई खास व्यवस्था नहीं होती है, कम्पाऊन्डर के लिये मैं नहीं कह सकता हूं सब जगह स्प्लिट नहीं करके इम्पोर्टेन्ट प्लेसेज पर पंचायत समिति केन्द्र में या जिला केन्द्र में ये डिस्पेन्सरियां खोलनी चाहिये ताकि लोग बिल्डिंग बनाने की भी व्यवस्था ठीक तरह से कर सकें। अच्छी बिल्डिंग और दूसरी व्यवस्था हो सके। तो जो सुविधा देना चाहते हैं वह मुकम्मिल तौर पर ऐसी होनी चाहिये जिससे कुछ समाधान निकल सके। बाकी छोटे मोटे आदमी भेज दिये कर दिये तो इससे तो समाज पर भार ही पड़ता है। लाभ उससे नहीं मिलता। छोटे छोटे एरिया में छोटी छोटी पोस्टें स्प्लिट मत करिये।

आयुर्वेद विभाग की सेवाओं के बारे में निवेदन करूंगा। धन्यवाद दूंगा मन्त्री महोदय को कि एलोपैथिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ में आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाएं भी काफी बढ़ाई हैं जिससे ग्रामीण अंचलों में भी काफी अच्छा इलाज बीमारों को मिल रहा है और सस्ता भी है वह। मेरी मान्यता है और सदस्यों ने भी यह अनुभव किया होगा कि एलोपैथी के कम्पाउण्डर से भी आयुर्वेद के वैद्य काफी सस्ते मिल जाते हैं। ये सरल और सेवाभावी भी पाये गये हैं। इसलिये आप इस आयुर्वेद की सुविधा को बढाएं। साथ साथ इनके लिये कुछ दवाइयों का प्रबन्ध भी करना चाहिये।

(श्री भगराज चौधरी)

पूरे राजस्थान में लगभग 1800 आयुर्वेद चिकित्सालय खोले गये हैं। ये विभिन्न श्रेणियों के ए. बी. सी. के हैं। ज्यादातर तृतीय श्रेणी के हैं। इनको देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि फिर भी बहुत से ऐसे क्षेत्र रह गये हैं विशेष कर के पश्चिमी राजस्थान के हिस्से जालोर बाड़मेर में जहां आबादी के अनुपात से भी पूरी सुविधाएं नहीं दी गई मेरे क्षेत्र में चार समितियां और एक समिति का कुछ हिस्सा आता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस क्षेत्र में पांच सात जगहें ऐसी हैं जहां आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, बाकी क्षेत्र सूने पड़े हैं। इनमें पांच पांच हजार की आबादी के क्षेत्र तक हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके आबादी के अनुपात को ध्यान में रखते हुए और न्याय की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों में ये सुविधाएं प्रदान करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्री भगराज चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। वैसे मुख्य समस्याएं जो पिछड़ी जाति के लोगों की हैं उनको तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। शैक्षणिक, आर्थिक और चिकित्सा सम्बन्धी।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बहुत लम्बा विषय है। अपने प्रस्तावों पर ही सीमित रहिये।

श्री भगराज चौधरी : इनमें शिक्षा विस्तार के लिये इन लोगों के छात्रों के लिये छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। राजस्थान में कुल मिलाकर आपने 300 छात्रावास खोल रखे हैं। आबादी के लिहाज से अगर इसका बटवारा करें तो 1 लाख की आबादी के पीछे एक छात्रावास का अनुपात आता है। इस अनुपात से भी अगर देखें तब भी जालोर जैसे क्षेत्र में सात छात्रावास होने चाहिये और एक छात्रावास में चालीस छात्र। छात्रावासों में छात्रों की संख्या हम ज्यादा रख सकते हैं जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा। अब मुख्य मन्त्रीजी जहां से आते हैं वहां यह अनुपात 1/25 का है। सभी जगह समान अनुपात से छात्रावास खोले जायं तभी जाकर समान रूप से लाभ इनको मिल सकेगा।

जालोर जिले में केवल तीन हैं। जालोर, भीनमाल और सांचोर। इन तीन में भी 60-70 छात्रों के भरती करने की व्यवस्था है। अब जालोर जैसे भी जिला हैड क्वार्टर है और पिछड़ी जाति की संख्या भी काफी है। अब रानीवाड़ा में भी अच्छी आबादी है, उपयुक्त स्थान है वहां भी छात्रावास नहीं है, न जसवन्तपुरा में है। न दूसरी जगह हैं। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस वर्ष यदि कोई भी नया छात्रावास खोलें तो मेरे क्षेत्र में जसवन्तपुरा और रानीवाड़ा में अवश्य खोलें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्री भगराज चौधरी : दो मिनिट साहब। इस जाति के हितों की देखभाल करने के लिये समाज कल्याण विभाग बना

Page No.64

(64)

(श्री भगराज चौधरी)

हुआ है। पर कुछ काम ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और उनको अलग अलग विभागों को बांट रखा है। जैसे हरिजन बस्तियों में पानी की व्यवस्था करने के लिये बिजली लगाने के लिये पैसा समाज कल्याण विभाग में नीहित किया जाता है पर इसकी व्यवस्था वे उचित ढंग से समय पर नहीं करते। अब कहां कहां लगाना है इसके लिये भी निर्णय वे ही करेंगे। जब उनसे कहा जाता है कि इसका प्रबन्ध आप इस प्लान के अनुसार करो तो वे कहते हैं हम नहीं जानते। सर्वे करने के लिये कहते हैं तो उसमें रोड़े अटकाते हैं। इससे बड़ी अव्यवस्था हो रही है। इसलिये अच्छा यह होगा कि समाज कल्याण विभाग के लिये इन कार्यों के लिये पैसा न रखकर जो भी पैसा आप देना चाहें सीधा सम्बन्धित विभाग को दे दें ताकि वह जो भी सामान लगाना हो पाइप लाइन डालनी हो, सर्वे आदि करना हो तो वह करके उन सुविधाओं को ठीक तरह से दे सके। तो मन्त्री महोदय इस बारे में विचार करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री भगराज चौधरी : आधा मिनिट।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग ने दूसरे कार्यक्रम ले रखे हैं और उनमें एक है अपनी पिछड़ी कौमों के लिए इंटरेस्ट फ्री कर्जा देने की बात हाऊसेज के लिए। उसके लिए सोसायटी के रूप में यह व्यवस्था है। जहां तक सोसायटी बनाने का प्रश्न है, जो बेरोजगार हैं, जिनके अच्छे मकान नहीं हैं ऐसे लोगों को ऐसी सुविधा देने का प्रश्न है उसके बारे में को-आपरेटिव डिपार्टमेंट अपने क्षेत्र के अन्दर घूम करके सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करेगा। उसके बाद जब सोसायटी रजिस्टर हो जाय तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सौ रुपया शेयर पूंजी के रूप में इकट्ठा कर लेता है और समाज कल्याण विभाग को भेज देता है कि सोसायटी बन गई है। जब को-आपरेटिव डिपार्टमेंट से समाज कल्याण विभाग को इत्तला मिल जाती है तब वह अपनी तरफ से प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपया मिला कर जो को-आपरेटिव डिपार्टमेंट से सौ रुपये प्रति व्यक्ति के आए उसमें तीन सौ रुपया मिला कर चार सौ रुपया कर देती है और तब केस रिजर्व बैंक के पास में भेजा जाता है। पर उसमें फिर कई तरह की खामियां निकाल दी जाती हैं, कई तरह के औब्जेक्शन हो जाते हैं। कभी कहते हैं कि इसमें यह खामी है, वह खामी है, इसमें पट्टा साथ में नहीं है, एड्रेस पूरा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इसमें अनावश्यक रूप से देरी होती है जिसका अर्थ यह होता है कि जो हमारे भोले-भाले अशिक्षित, पिछड़ी कौमों के लोग हैं उनको फायदा नहीं मिल पाता है। मेरा निवेदन करना है कि इसके तहत में समाज कल्याण विभाग को कहा जावे कि आप ही सोसायटी का रजिस्ट्रेशन करिए। उसके लिए पॉवर्स स्पेशल तौर पर रखनी चाहिए। इसमें और संशोधन करने में कोई खास टेक्निकल बात नहीं है। होता तो यही है कि कम से कम 15 व्यक्ति होने चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए और फार्म कम्पलीट होना चाहिए, यही तो शर्तें हैं और क्या करना है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री भगराज चौधरी)

कि इसमें ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं है कि जिससे समाज कल्याण विभाग इस बात को खुद नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों में, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, इन सुझावों पर जो मैंने दिए हैं, उन पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में मेरे कटौती के सात प्रस्ताव हैं, मैं इनके बारे में एक साथ निवेदन करता हूं और मेरे मेडिकल सम्बन्धी दो कटौती प्रस्ताव हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में समाज कल्याण विभाग सम्बन्धी आदिवासी और हरिजनों के कल्याण के लिए सरकार की तरफ से लाखों करोडों रुपया खर्च हुआ लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सुव्यवस्था नहीं रही। पिछले सालों में मैंने हर-साल सुझाव दिया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो पैसा खर्च होता है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। उस सम्बन्धी मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। पिछले समय में जो हमारे समाज कल्याण विभाग के जो मन्त्री रहे हैं बहुत ही सुस्त रहे हैं और इस वर्ष हमारे समाज कल्याण मन्त्री जो हैं वह क्रान्तिकारी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ सुधार अवश्य करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले समाज कल्याण विभाग में जो प्रशासन में गड़बड़ियां हो रही हैं वह मैं निवेदन करूंगा। आज भारत सरकार से और राज्य सरकार की तरफ से आदेश हैं कि अनुसूचित जाति के जो पढे लिखे लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का कोटा रखा हुआ है उसमें सबसे पहले तो समाज कल्याण विभाग की इस कोटे का पालन नहीं कर रहा है। और जो सिफारिश करने वाले लोग हैं उन्हीं को रखा जाता है, आज तक किसी आदिवासी या हरिजन को आजादी के 25-27 साल के बाद भी समाज कल्याण विभाग में न तो कोई डायरेक्टर, न असिस्टेंट डायरेक्टर रखा गया है। इसलिए मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज पिछड़े वर्ग के लोगों में से कई पढ़े लिखे लोग हैं उन को ऊपर उठायेंगे और कम से कम सर्विसेज में तो उनको आगे आने देना चाहिए। जैसा कि यहां रिजर्वेशन के कोटे के बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्य ने हर समय आपको सुझाव दिए हैं, जैसे कि यह रोस्टर प्रणाली के लिए सरकार ने आदेश तो कर दिए लेकिन उसको डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग के तहत रखा है। तो यह उनकी शक्ति नहीं है कि वह अन्य विभागों से उस रिजर्वेशन कोटे का पालन करवा सके। इस लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव जो हैं उनके अन्डर में यह काम होना चाहिए। ताकि वह रोस्टर प्रणाली को लागू कर सके और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे सर्विसेज में आ सकें और 28 परसेन्ट का कोटा रखा है उसका सही उपयोग हो सके।

इसी तरह से आज बेरोजगारी हैं। इस के बारे में मैंने पिछले बजट के समय भी निवेदन किया था और कहा था कि मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेज्यूएट तक मैंने आंकड़े बताये थे। लेकिन राजस्थान सरकार की

(श्री नाथूराम)

तरफ से इसका पालन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह बेरोजगारी की जो समस्या है इसकी ओर समाज कल्याण विभाग को ध्यान देना चाहिए। बल्कि मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हर जिले में इस का सर्वे हो जाना चाहिए ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके सही आंकडे आपके सामने हों और उनको रोजगार पर लगाना चाहिए।

इसी तरह से छात्रावासों की जो उपेक्षा की जाती है, छात्रावास चाहे संस्थाओं के हों राज्य की तरफ से हों, छात्रावास के जो नियम हैं वह बहुत पुराने नियम हैं। इस महंगाई के जमाने को देखते हुए जो छात्रावासों को और छात्रवृत्ति या अनुदान दिया जाता है वह बहुत कम मात्रा में दिया जाता है। इस महंगाई के जमाने में, वैसे भ्रष्टाचार तो है ही, इसमें भी वहां फिफ्टी परसेन्ट खाद्य सामग्री का वहां दुरुपयोग होता है और फिफ्टी परसेन्ट भी आज छात्रावासों में रहने वाले छात्र हैं, संस्थाओं में रहने वाले छात्र हों या राजकीय छात्रावासों में रहने वाले आदिवासी और हरिजन छात्रगण हों, उनके लिए इसका सही उपयोग नहीं होता है। वह खाद्य सामग्री का इतना दुरुपयोग होता है कि हर जिले में खाद्य सामग्री का दुरुपयोग होता है। इसके लिए मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन छात्रावासों में जो रहने वाले हैं उनके लिए चाहे पाठ्य-पुस्तकें हों या खाद्य सामग्री हो, वह उनको समय पर मिलनी चाहिए और ठीक मात्रा में मिलनी चाहिए। मैं गत वर्ष के बजट के बजट में छः लाख का प्रावधान था और 5 लाख रुपया व्यय किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से पैसा समय पर मिलता नहीं है। जो हमारे आदिवासी, हरिजन छात्र हैं वे एन. सी. सी. की ट्रेनिंग में जायं या और किसी ट्रेनिंग में जायं तो उनको मार्च के महीने में रकम मिलती है। अभी बांसवाडा और डूंगरपुर में स्कूल खुले हैं और उनको छात्रवृत्ति भारत सरकार से और राज्य सरकार से स्वीकृत होती है लेकिन भारत सरकार से तो रकम समय पर मिल जाती है लेकिन राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्य मन्त्री जी को समाज कल्याण मन्त्रीजी को, शिक्षा मन्त्री जी को कई बार लिखा तब बड़ी मुश्किल से ब[illegible] आदेश हुए हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जो छात्रवृत्ति निर्धन विद्यार्थियों को मन्जूर करते हैं वह उनको समय पर मिलनी चाहिए ताकि वह उनके पढ़ाई के समय काम में आ सके। आज गरीबों के साथ होता यह है कि पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ करके आखिर में घर जाना पड़ता है।

इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र में [illegible] भी कई असुविधाएं हैं जैसे कि बिजली और पानी के लिए समाज कल्याण विभाग को भारत सरकार की तरफ से पैसा मिलता है लेकिन समाज कल्याण विभाग की कोई देख-रेख नहीं है। आज उन पैसों का दुरुपयोग होता है। दो दो साल से आदिवासी और हरिजनों की बस्तियों में नल लगाने के लिए पैसा मंजूर है लेकिन अभी तक दो दो [illegible] हो गए नल नहीं लगे हैं। बांसवाड़ा के

...(क्रम)

...की तरफ से प्रस्ताव पास करके भी ...किन राज्य सरकार की तरफ से उस ...नहीं जाता है।

...ध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री ...से निवेदन करूंगा कि आपके विभाग ...जकल्याण विभाग में जब तक यह ...में सुधार नहीं होगा तब तक लाखों ...दुरुपयोग होता रहेगा। आज आदि- ...और हरिजन लोगों को लोन मिलता है, ...सरकार की ओर से और भारत सर- ...ओर से पैसा बराबर मन्जूर होता है, ...समय पर सुविधा नहीं मिलती हैं।

...तरह से आदिवासी क्षेत्र में डूंगर- ...वाड़ा में लूले लंगड़े और अपंग कई ...उनको राहत पहुंचाने के लिए सरकार ...हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा ...पर फार्म भरे जाते हैं लेकिन वे वैसे ...ते हैं, फाइलों में पड़े रह जाते हैं ...को सहायता नहीं मिलती है और ...सरकार की ओर से उनको सुविधा ...ल रही है। इसलिए उपाध्यक्ष ...मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से ...करूंगा कि यह भी उनको समय ...पर मिलनी चाहिये।

...तरह से हरिजनों के मकानों के ...मारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में माही ...किनारे और अन्य छोटी छोटी नदियों ...जो हरिजन लोग रहते हैं उनके ...गए, उनके लिए सरकार की ओर ...एक हजार रुपये की सब्सीडी मिलती ...समय पर उनको पैसा नहीं मिलता

लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और सारे उदयपुर डिवीजन में हैं जहां आदिवासी और हरिजन रहते हैं उनके लिए सरकार ने तो आदेश कर दिए कि एक एक हजार रुपये का उनको अनुदान मिलेगा लेकिन इस रकम का दुरुपयोग होकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में जो आदिवासी एरिया है उसको फायदा नहीं पहुंचता है। इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस एरिया के लिए प्रावधान रखना चाहिये और वहां नया फार्म मंगवाकर के अब उनको अनुदान दिया जाना चाहिये।

सोसायटी बनाई गई। एक शेयर 110 रुपये का रखा गया। आदिवासियों और हरिजनों के फार्म भरे गये, पैसा जमा कराये गये परन्तु ये सोसायटियां ऐसी बनीं जिनको कि आज तक ऋण और अनुदान नहीं दिया गया है। इसलिए समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो गड़बड़ी घोटाले हैं उनको दूर किया जाना चाहिये और लोगों को समय पर राहत मिलनी चाहिये। इस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में और भी कई तरह की सुविधायें हैं। पंचायत समिति से सिंचाई के लिए सुविधा मिलती है परन्तु उनका दुरुपयोग होता है। जो इन्स्पेक्टर लोग रहते हैं, वे कोई इनकी देखभाल करने वाले नहीं है। इसलिए आपके द्वारा मैं सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिये और उनको आवश्यक राहत समय पर मिलनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव और भी हैं। परन्तु इधर समय का अभाव है। अब मैं मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पिछले सत्र में भी

68

(श्री नाथूराम)

उसका दुरुपयोग होता है। आयुर्वेद विभाग के बारे में कहता हूं। इस विभाग के बजट को मैंने देखा है। इसमें 20 औषधालय खोलने का प्रावधान रखा गया है और वह भी 26 जिलों में। आज राजस्थान के कितने गांव है। इन गांवों में डिस्पेंसरीज तो हैं ही नहीं। मीलों दूर दूर तक आयुर्वेद का औषधालय भी नहीं होगा। एक तरफ बजट में ढाई लाख रुपये का 5 डिप्टी डाइरेक्टर और उसके स्टाफ रखने का भी प्रावधान किया गया है और एक तरफ बीस औषधालय खोलने का प्रावधान है। पांच डिप्टी डाइरेक्टरों के लिए ढाई लाख रुपया रखना सरासर अन्याय है। यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन डिप्टी डाइरेक्टरों को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हर जिले में एक आयुर्वेद का अधिकारी रहता है। उनके द्वारा प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिये। डाइरेक्टर और एडीशनल डाइरेक्टर की फिर क्या ड्यूटी रह जाती है। इसलिए पांच पोस्टों के लिये जो ढाई लाख रुपया रखा गया है उनको हटा कर औषधालय खुलने चाहियें ताकि लोगों को राहत मिल सके।

आज जहां पर दवाखाने हैं वहां पर भी इसी तरह की अव्यवस्था है। पिछले समय में मैंने आरोप लगाया था, तबादलों के बारे में। डाइरेक्टर पर तो नहीं एडीशनल डाइरेक्टर पर आरोप लगाया था। उसके पास कोई पहुंच जाता है, पैसा देता है तो मर्जी के अनुसार डेपूटेशन पर या जैसा चाहे वैसा तबादला हो जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसा क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी अधिक रहते हैं जो गुजरात से मिला हुआ है वहां पर हरियाणा के रहने वाले को मेरे गांव में लगाया जाता है। उसने कोशिश की तबादला कराने के लिए तो गंगानगर की तरफ लगाया गया और वहां वाले ने उसको चार्ज नहीं दिया। पैसा खर्च किया तो उसको दूसरी जगह भेजा गया है। उस गांव में जो हिसार का रहने वाला है, उसको लगाया जाता है, दूसरा जो लगाया गया वह बनारस का रहने वाला था। तो कभी हरियाणा के रहने वाले को लगाया जाता है और कभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले को लगाया जाता है, इस प्रकार के लोगों को हमारे जिले के अन्दर लगाया जाता है जबकि डूंगरपुर-बांसवाड़ा आदिवासी, भील एरिया है और उनके रहन सहन को, उनकी भाषा को ये लोग नहीं समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाता है। यह भ्रष्टाचार आयुर्वेद विभाग में जबर्दस्त है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचार को आयुर्वेद विभाग से मिटाया जाना चाहिये। जब तबादला हो तो ऐसे क्षेत्र में डिवीजन के आदमी को भेजना चाहिये। दूसरे डिवीजन के रहने वाले को भी भेजना चाहिये परन्तु ऐसे व्यक्ति को भेजने से क्या फायदा जो वहां की बोली को नहीं समझ सकता है और फिर वे लोग पैसा खर्च करके अपना तबादला करवाते हैं। इसी तरह से दवाइयों की स्थिति है। आज उनका कोई उपयोग नहीं हैं। अपना निजी धंधा ये लोग करते हैं और एलोपेथी से इलाज करते हैं। डाइरेक्टर साहब से दौरा करने के लिए निवेदन किया था, अभी तक उनका दौरा नहीं हो पाया है। डूंगरपुर-बांसवाड़ा शिड्यूल क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, दो साल में एक बार दौरा करना चाहिये, परन्तु नहीं होता है। दवाइयां नहीं मिलती हैं। इसलिए जो वैद्य लोग हैं वे ऐलोपेथी से इलाज करते हैं।

(श्री नाथूराम)

समय पर दवाइयां नहीं मिलती हैं पुरानी दवाइयां नहीं मिलती हैं इसलिए सही उपयोग नहीं होता है और मजबूर होकर वे लोग ऐलोपेथी के इन्जेक्शन का उपयोग करते हैं। इसलिए आपके द्वारा आयुर्वेद विभाग के मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें इस व्यवस्था में सुधार करना चाहिये और उच्च पदाधिकारियों को हरसाल दौरा करना चाहिये ताकि लोगों को राहत मिल सके।

इसके अलावा और भी निवेदन करना है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां कुछ दवाखानों में धात्री की पोस्टें हैं। इनका समय पर अपाइन्टमेंट नहीं किया जाता है। जो लोग पैसा खर्च कर लेते हैं उनका अपाइन्टमेंट हो जाता है वरना स्थान रिक्त रखा जाता है। इसलिए जो 'सी' श्रेणी के हैं उनको 'बी' श्रेणी में परिवर्तित किया जाना चाहिये। आज तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। आज शहरों में ऐलोपेथी के बड़े बड़े अस्पताल बसे हुए हैं परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है। हजारों महिलाओं की हरसाल बेमौत मृत्यु हो जाती हैं। डिलीवरी की कोई खास सुविधा नहीं है। जहां 'बी' श्रेणी के दवाखाने हैं वहां पर धात्रियां अवश्य रखी जानी चाहिएं ताकि आदिवासी महिलाओं को राहत मिल सके। कई बार तो वे रास्ते में ही मर जाती हैं। नजदीक में कोई बड़ा अस्पताल नहीं होता है धात्री नहीं होती है तो औरतें बेमौत मर जाती हैं। आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम दवाखानें 'सी' श्रेणी के बजाय 'बी' श्रेणी के होने चाहिये और सरकार को इसकी विशेष व्यवस्था करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में जो नाहरू की बीमारी होती है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज तक इस समस्या की ओर मेडिकल डिपार्टमेंट ने पूरा ध्यान नहीं दिया है और पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। शहरों में बड़े बड़े अस्पताल हैं और उनके भवनों का निर्माण भी सरकार की ओर से होता है परन्तु गांवों में भवन बनाकर दिये जाते हैं, गांव वाले मकान तैयार करते हैं परन्तु उनको डिस्पेन्सरी मन्जूर नहीं की जाती है। बजट में डिस्पेन्सरी खोलने का कोई प्रावधान नहीं रखा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो फैमिली प्लानिंग का पैसा है और जो आपने नियोजन केन्द्र खोलने के लिए रखा है उसको हटा कर डिस्पेन्सरी के लिए रखा दें। आप परिवार नियोजन के आंकड़े बढ़ा देते हैं। 72-73 में 5 करोड़, 73-74 में दो करोड़ 62 लाख, और 74-75 में साढ़े तीन करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह फैमिली प्लानिंग के लिए रकम आपको भारत सरकार से मिल जाती है इसलिये राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इस राशि का दुरुपयोग हो रहा है, लाखों रुपयों का दुरुपयोग होता है। इसमें झूठे आंकड़े और संख्या बतायी जाती है। पिछले साल बांसवाड़ा में जो बतायी गयी थी वह गलत थी और इस धनराशि का इस प्रकार दुरुपयोग होता है। जो लेडी डाक्टर और डाक्टर हैं वे अपनी ड्यूटी का अंजाम पूरा नहीं देते हैं, प्राइवेट धंधा करते हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना

(श्री नाथूराम)

चाहता हूं कि जो परिवार नियोजन का पैसा खर्च हो रहा है वह बेकार जा रहा है इसके बजाय यह पैसा डिस्पेन्सरिज पर खर्च किया जाना चाहिये ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

दवाइयों में मिलावट होती है। गत वर्ष भी यहां पर निवेदन किया गया था। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि आज मेडिकल बिलों का लाखों रुपया का झूठा पेमेन्ट होता है। हमारे कई डाक्टर इन बिलों को सर्टिफाइड कर देते हैं। गत वर्ष मेरा प्रश्न था परन्तु सरकार की ओर से जवाब नहीं हो सका। लाखों रुपयों के झूठे बिल बनाकर उनका पेमेंट गवर्नमेंट से उठाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जो प्रावधान है उसमें संशोधन करना पड़े तो करिये लेकिन जहां आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा डिस्पेन्सरीज खोलना चाहिये। मेरे क्षेत्र में दो डिस्पेन्सरिज इस साल खोल दी जावें एक तो बोरी में और दूसरी चांदनवाड़ा में। इस दोनों क्षेत्रों में डिस्पेन्सरीज खोलने की मैं मांग करता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया है और आशा है कि इस पर मंत्री महोदय बराबर ध्यान देंगे। यही मेरा सुझाव है।

एक माननीय सदस्य : गांगर तलाई के लिए भी कह दें।

श्री नाथूराम : यह क्षेत्र भी बागीडोरा के पास है और आदिवासी क्षेत्र हैं। वहां पर भी डिस्पेन्सरीज खोलने के लिए मेरा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री रामकिशन : अब बांसवाड़ा में नाहरू रोग नहीं है। अब इन्दिरा रोग है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके 3 विभागों में समाज कल्याण, आयुर्वेद, और एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में अपने विचार रखूंगा। यह जो समाज कल्याण विभाग हैं, समाज के पीड़ित, शोषित लोगों को सहायता देने के लिए है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसका आमूलचूल परिवर्तन करें। यदि वह आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए अपने को सक्षम नहीं पाते है तो इसका वेलफेयर कर दें। मुझे आश्चर्य होता है कि इस विभाग के धन का कितना दुरुपयोग होता है। इतना दुरुपयोग किसी विभाग का नहीं होता है। मैंने उदयपुर क्षेत्र में भ्रमण किया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति के पास में 17 पोषाहार केन्द्र दिये हुये हैं। उनमें कोई एक दो नाममात्र के जैसे तैसे चलते हैं। मैंने स्वयं उन स्थानों में जाकर मालूम किया। पोषाहार का वहां कोई नाम नहीं। पड़ोसियों से मालूम किया तो एक दो को छोड़ सभी बन्द हैं। आखिर पोषाहार कहां बन्द हैं। सारे केन्द्र बन्द हैं। उदयपुर को दिया जाने वाला 2 लाख रुपया कहां जाता है। गरीबों के नाम पर स्वयं अपने पदों पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के नाम पर नये कम्बल खरीदने के लिए मांग की। एक भी नया कम्बल नहीं खरीदा गया। आप निरीक्षण करावें कि

Page No.71

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

नये कम्बल कहां गये और पुराने कहां हैं। सारा रेकार्ड उनका देखना चाहिए। इस प्रकार से क्या आप समाज कल्याण विभाग का परपज सर्व कर सकते हैं। यह समाज कल्याण विभाग की प्रणाली है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग दलित और पीड़ितों की सहायता नहीं करे। लेकिन आप जाकर देखें तो आप को पता चलेगा कि केन्द्र कहां है? जहां ये रहते नहीं है। हरिजनों की बस्तियों में खोलें। गरीबों की बस्तियों में खोलें, यह वहां नहीं है। कहीं भी यहां वहां केन्द्र खोल लेते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिए। गत वर्ष एक बात कही थी। इस विभाग के अन्दर हमारे मन्त्री महोदय काफी सतर्क हैं। वह व्यवस्था करेंगे। दूसरें माननीय सदस्यों ने कहा था। मैं निवेदन करूंगा कि इस फैमिली प्लानिंग का नाम बदल कर फैमिली रेस्ट्रिक्शन रख दिया जाना चाहिए। नसबन्दी के केस अधिक से अधिक बनाये गये। मैंने गत वर्ष के आंकड़े देखे हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र में 99% ऐसे केस करवाये जिनकी आयु 65 वर्ष से ज्यादा है। उनकी 40 वर्ष की आयु दर्ज की गई है। मैंने मन्त्री महोदय को लिखकर भेजा तो उन्होंने वापिस जवाब दिया स्पेसिफिक उदाहरण नहीं थे। इसलिए जांच नहीं की जा सकी। चिकित्सा के संबंध में मेरा निवेदन है कि साधारण समाज को आर्थिक दृष्टि से चिकित्सा के आधार पर अगर कोई परिवर्तन कर सकते हैं तो वह आयुर्वेद ही है। एलोपैथिक नहीं है। इसके लिए आयुर्वेद का विकास करें। हमारे देश की जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं होता है। हम समाज को सस्ती से सस्ती दवाई से लाभान्वित कर सकते हैं। दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद का विकास नहीं कर पाये है। इसमें सर्जिकल को और जोड़ दीजिये। ऐसी चिकित्सा पद्धति बना दें जिससे कि विदेशों से महंगी औषधियों पर जो व्यय होता है, वह नहीं हो। इससे हम आसानी से ग्रामीणों का इलाज कर सकेंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप इस विभाग का आमूलचूल परिवर्तन करें। जिस प्रकार का ढर्रा चल रहा है, इससे आप विकास नहीं कर सकते हैं। आपके वेतनमान ऐसे नहीं हैं। इसीलिए इण्टेलेक्चुअल ग्रुप नहीं आते हैं। आप सब कुछ करने की बात भी कर लें तो भी आपका डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर सकें। आपकी फार्मेसीज में करप्शन है। एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट को मामले सौंपे गये। एक साल हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार की अनियमितताएं रहीं तो उन्नति नहीं होगी। इसीलिए जब तक राज्य सरकार इस विभाग का आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती तब तक यह विभाग उन्नति नहीं कर सकता है। आपके आदेश से ऑडिट पार्टी भेजी गई थी, क्या राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया। अगर दिया होगा तो वह क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मुझे पता है बहुत बड़ी फार्मेसी है, अजमेर में है, भरतपुर में हैं। आज तक उन पर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है। गवर्नमेंट प्रेस ने लिखा कि टेण्डर हम से मंगवाओ। सस्ते रेट में दे देंगे। आयुर्वेद विभाग मौन, डायरेक्टर शान्त। अध्यात्मवादी। जैसे कि विभाग से कोई मतलब नहीं। वह रद्दी बाजार से 130 रुपये में खरीदी गई। जोकि गवर्नमेंट 80 और 50 रु० में दे रही थी। 130 में

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

बाजार से खरीदी गई। कौन इसका जिम्मेवार होगा ? यह राजकोष का अपव्यय हुआ, इसका कौन जिम्मेवार होगा। ऐसे एक नहीं अनेक मामले मैं बता सकता हूं। एक स्नायु-हर-बटी मंगाई गई। जो वाला होता है उसको स्नायु बोलते हैं संस्कृत में। आयुर्वेद में स्नायु-हर-बटी औषधि का उल्लेख है। यह जो औषधि मंगाई, यह कहां से आई, क्या इसके लिए टेंडर मांगे गये। स्नायु-हर-बटी 25 हजार की मंगाई गई, इसमें कौनसी दवा थी, सिवाय गुड़ के। उस पर मक्खियां भिनभिनाती रहीं और उसका प्रयोग नहीं हुआ। आखिर किसने डिमाण्ड की थीं, क्या उसके लिए टेंडर मांगे गये। इसकी आप जांच कीजिये।

एक और मैं निवेदन करूं कि भरतपुर फार्मेसी के बारे में आडिट पार्टी ने रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है कि कर्पटिका भस्म मंगाई गई, उसमें कोई दवा नहीं मिली थी, वह मंगाई गई तो किस आधार पर मंगाई गई ? किसने डिमाण्ड की थी ? आखिर औषधालय फार्मेसी को लिखते होंगे, जिला अधिकारी को लिखते होंगे कि हमारी यह डिमाण्ड है और इस डिमाण्ड के आधार पर औषधियां भेजी जायं। क्या कभी कोई डिमाण्ड आयी ? कभी कोई भस्म, कभी कोई भस्म मंगा लेते हैं। यह जो कर्पटिका भस्म मंगाई है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और जो उस विभाग में 35 किलो मौजूद है, बोरियों में भरी हुई मौजूद है, इससे दवा बनती है। लेकिन आज तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी फर्म से आठ सौ किलो खरीद कर भरतपुर रवाना कर दी गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आडिट ने इसके लिए डाइरेक्टर को जिम्मेदार बताया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जब आप इस सदन में सदस्य के रूप में विराजमान थे, उस समय यह सारी परिस्थितियां आपके सामने थीं, यह सब आप जानते होंगे। लेकिन आप मौन क्यों हैं ? आप ऐक्शन क्यों नहीं लेते हैं ? आपकी कौनसी विवशता है ? कौनसा भय आपके ऊपर सवार हो गया है ? आप कदम क्यों नहीं उठाते हैं। मेरा कहना है कि आप इन अनियमितताओं को दूर नहीं करेंगे और यह कह कर टालते रहेंगे कि एन्टी करप्शन को दे दिया है तो आने वाले समय में यह अनियमितताएं बढ़ती जायेंगी और उनको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा एक मामला नहीं है, मैंने यहां तक इस विभाग में देखा है कि इस विभाग में किसी भी गरीब आदमी को निकालने का काम बड़ी आसानी से हो जाता है। उसकी सी. आर. खराब कर देते हैं और उसको निकाल दिया जाता है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी पूछ नहीं है, उनको आसानी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जिनके पास पैसा है और जिनकी पूछ है उनकी जन्म तिथियां तक परिवर्तित हो जाती हैं। मैं विशेषरूप से यह कहना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के अधिकारी हैं, मक्खनलाल चतुर्वेदी, उनकी आप डेट आफ बर्थ देखिये, आप उनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट देखिये, उसकी जांच करिये, जब उसमें डेट आफ बर्थ निर्दिष्ट है तो फिर आयु बढ़ाने की कार्यवाही क्यों की गई ? ऐसा एक नहीं, मैं अनेक चीजें आपके सामने रख सकता हूं, मैं आप चाहेंगे तो उनकी फोटो स्टेट कापी दे दूंगा। इस मामले में स्वयं डाइरेक्टर

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

महोदय ने रद्दोबदल करके दस्तखत करके आयु बढा दी है। आप इसकी जांच करिये और इन मामलों को गम्भीरता से लीजिये तब तक इस विभाग में सुधार होगा, नहीं तो यह जो पवित्र विभाग है, जिसके माध्यम से राजस्थान के लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं, उनको वह लाभ तो देना दूर रहा, वह लाभ भी इधर उधर रह जायगा।

अब मैं एलोपैथी के बारे में कहना चाहता हूं। आज जो हमारी एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली है, उसका आम व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। मुझे एक उदाहरण याद है, मैं एक रोगी को लेकर डाक्टर के पास गया। वह गरीब पैसा नहीं दे सकता था। वह गरीब कहां से पैसा लाये, उसको खाने के लिये रोटी भी नहीं मिल पाती है। डाक्टर ने मुझे देख कर उस मरीज को एडमिट कर लिया। लेकिन शाम को दूसरा डाक्टर आया, उस डाक्टर ने उसको निकाल दिया। वह बेचारा घूमता-बैठता, क्योंकि उसमें चलने की क्षमता नहीं थी, उसके पास पैसा नहीं, खाने को रोटी नहीं थी, वह भटकता भटकता, बैठता बैठता, एक मील में करीब बीस स्थान पर वह बैठा, मेरे पास आया और कहा कि दूसरे डाक्टर ने मुझे निकाल दिया। मैंने डाक्टर को फोन किया कि इसे निकाला क्यों? उसने कहा, यह मेरे द्वारा भर्ती नहीं है। मैंने कहा, आपके द्वारा भर्ती किया हुआ नहीं है तो क्या आपको पैसा चाहिए। तो स्थिति यह है कि जो गरीब पैसा नहीं दे पाता है उसका इलाज नहीं होता है। छः जून को आसाम का एक गरीब विद्यार्थी, पुष्पेन्द्र का एक्सीडेन्ट हुआ, वह अस्पताल में पड़ा रहा, दो दिन तक अनअटेन्डेन्ट, किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने उसकी देखभाल नहीं की। मेरा निवेदन है कि जो गरीब हैं, उन गरीबों को चिकित्सा की सुविधा मिले और हमारी व्यवस्था में जो दूषण है, उनको हम दूर करें। हमें व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। डूंगरपुर में एक कान्ड हुआ। एक डाक्टर पोस्ट मार्टम के लिए जाता है और पोस्ट मार्टम करके कह देता है, डूबने से मृत्यु हुई। आप देखिये, जहां डूबा बताया वहां तीन फीट पानी है, क्या तीन फीट पानी के अन्दर मर सकता है, पौने पांच फीट का जवान। लेकिन पुलिस ने रात को ले जाकर पानी में डाल दिया और डाक्टर ने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में लिख दिया कि यह डूब जाने से मर गया। क्या आपने जांच कराई कि तीन फीट पानी में पौने पांच, पांच फीट का बाइस साल का नौजवान मर सकता है। कहते हैं कि तीन फीट पानी में डूब कर मर गया, अरे कहने वालों को डूब कर मर जाना चाहिए। आज पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी बिना पैसे के नहीं देते हैं। क्या आपने जांच की है कि ऐसी घटना भी घट सकती है, एक डाक्टर ने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट दी, उसके बाद में दूसरा मेडिकल बोर्ड बैठाया, उसने दूसरी रिपोर्ट दे दी। ऐसे मामलों में आपने क्या एक्शन लिया। ऐसे एक ही नहीं अनेक केस हैं, जिनमें एक डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दे दी पैसा लेकर, लेकिन जब मेडिकल बोर्ड बैठा तो उसने रिपोर्ट बिल्कुल दूसरी दे दी। मैं समझता हूं कि पोस्ट मार्टम का मामला भी एक पैसा कमाने का मामला बन गया है, कारण को सामने लाने का माध्यम नहीं रह गया है।

(श्री मानुकुमार शास्त्री)

एक बड़ी दुःखद घटना मुझे याद है। माननीय मन्त्रीजी, एक बस में कोई बारूद लेकर, अनआथोराइज्ड बारूद लेकर चला वह फट गया। उस बस में सारे जो यात्री थे, जिनमें पांच सात महिला थीं, झुलस गये। उनको हास्पिटल में भर्ती कर लिया गया, लेकिन औषधियों के लिए और इन्जेक्शन के लिए उनके पास पैसा नहीं था। डाक्टर ने कह दिया, इन्जेक्शन लाओ एन्टी टिटनिस। आप देखिये, उदयपुर के हास्पिटल में एन्टी टिटनिस इंजेक्शन अवेलेबल नहीं होता। मैंने बाजार से चन्दा करके इन्जेक्शन लाकर दिये। मैंने कहा कि इनके अभाव में इनकी मृत्यु न हो जाय, जो भी दवा चाहिए, आप बताइये, मैं चन्दा करके लाकर दूंगा। आप इनकी देखभाल करिये। आज आपके हास्पिटल में दवा नहीं है, पट्टियां नहीं हैं, एस्प्रो की गोलियां नहीं हैं, तो फिर यह हास्पिटल किस कारण से बनाये गए हैं, करोड़ों रुपया गरीबों से लेकर यह हास्पिटल बनाये हैं जो उन्होंने पसीना बहा कर कमाया, लेकिन पसीना बहाने के लिए तो आज गरीब हैं, उससे पैसा आप ले लें लेकिन इनका गरीब ही फायदा नहीं उठा सकें। उनके लिए औषधियां नहीं है, उनके लिए खाना नहीं है, उनके लिए पट्टियां नहीं हैं, फिर है क्या? हास्पिटल की दुर्दशा केवल इतनी ही नहीं है, हास्पिटल के ब्लड बैंक की इतनी दुर्दशा है कि वहां ब्लड, खून भी नहीं मिलता है। वहां तीस से सौ रुपये में एक बोतल खून मिलता है। गरीब आदमी तो बिना खून लिये ही मर जायगा, लेकिन अमीर आदमी जो आयेगा वह सौ रुपये देकर भी खून ले लेगा। इतना ही नहीं है कई बार तो खून देने के बाद भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए राज्य सरकार इसमें सुधार करे और अच्छी व्यवस्था करे ताकि गरीबों को भी चिकित्सा का लाभ मिल सके।

दूसरे कई माननीय सदस्यों ने भी इस का उल्लेख किया है, लोगों को हास्पिटल में दवा कराने का लाभ नहीं मिल रहा है। यह बात सही है कि जो गरीब हैं उनको भर्ती नहीं किया जाता है। आज इस प्रकार की दुर्व्यवस्था हास्पिटल में चल रही है। मैं माननीय मन्त्री से कहूंगा कि आप इन परिस्थितियों के अन्दर सुधार करें। क्योंकि यह दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इतना पैसा देने के बावजूद भी गरीब और साधारण आदमी चिकित्सा का लाभ नहीं उठा सके। और तो क्या एक साधारण सी बात मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा, आज उपकरण हमारे पास हैं, साधन हमारे पास है लेकिन उपकरणों के अभाव में, औषधियों के अभाव में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रि का देहावसान हो गया। स्वयं माननीय मन्त्री ने डाक्टरों की कान्फ्रेंस में रवीन्द्र मंच में यह बात कही है कि उनको समय पर यदि उपचार मिलता तो शायद बचाया जा सकता था। उनका डाक्टरों ने सन्तोषजनक इलाज नहीं किया। बावजूद इसके क्या एक्शन आज तक लिया गया है। वहां पर जो डाक्टर बैठे थे उन्होंने कान्ट्रेडिक्शन नहीं किया, किसी ने कान्ट्रेडिक्ट नहीं किया और गवर्नमेंट स्वयं कहती है, माननीय मन्त्री ने साहसपूर्वक आगे आकर कहा, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और चाहूंगा कि आगे चल कर जो जनता के मन में सन्देह का निर्माण होता है उसको दूर करने के लिए......

व्यवस्था का प्रश्न

जांच अधीन प्रश्न पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय•••

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय मन्त्री हिम्मत के साथ आगे आये। मैं इस के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा••••

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच का इश्यू है कि बरकतुल्ला साहब का देहान्त उपचार समय पर नहीं मिलने से या ठीक उपचार नहीं मिलने से हुआ या नहीं। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मन्त्री जी ने अपनी राय प्रकट की है कि उनको उपचार समय पर नहीं मिला, वह अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस मामले में इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की गई है, उसको प्रिजुडिस करते हैं। यह मैटर इन्क्वायरी के तहत है, इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह बात नहीं कहनी चाहिए। मैं यह भी समझता हूं कि इस प्रकार की चर्चा कर के आप बिना इन्क्वायरी की रिपोर्ट आये जनता के अन्दर एक भ्रांति फैलाने की बात करते हैं कि यहां की हैल्थ सर्विसेज इनएफिसियेन्ट हैं। यह भ्रांति फैलाने की बात है कि जिस राज्य के मुख्य मन्त्री का समय पर उपचार नहीं हो सकता, प्रोपर उपचार नहीं मिल सका तो साधारण व्यक्ति को क्या मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। आई हैव फालोड योवर पाइन्ट।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रान्ति है आपको। मेरा स्टेटमेंट था, वह यह था वहां मिली नहीं थी जीप। उपचार मिलने या उपचार नहीं मिलने के बारे में नहीं कहा था। मैं जीप में लेकर जा रहा था, वह नहीं मिली। इसलिए कहा कि व्यवस्था को सुधारना चाहिए ताकि जल्दी रेस्पान्ड कर सकें। मैंने यह कहा। बरकतुल्ला साहब को दवाई मिली या नहीं, उपचार मिला या नहीं-इसके बारे में नहीं बोला था।

श्री भानुकुमार शास्त्री आपका भाषण अखबार में प्रकाशित हुआ था। आपने क्या कहा, क्या नहीं, लेकिन आपने सन्देह जरूर व्यक्त किया था।

जहां तक इन्क्वायरी कमीशन का सवाल है, इन्क्वायरी कमीशन इन्क्वायरी कमीशन एक्ट में नहीं कर रहा है, यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी है, डामेस्टिक इन्क्वायरी जैसी होती है, वैसी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह पाइंट उठाई है कि क्योंकि यह सवाल जांच समिति के विचाराधीन है इसलिए आपको अधिक विचार व्यक्त करने का अवसर अब नहीं देंगे। चूंकि यह जांच का विषय है, समिति के अधीन जांच हो रही है इसलिए आप कृपया सदन में आगे चर्चा न करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह जांच कमीशन आफ इन्कवायरी एक्ट के अन्तर्गत नहीं चल रही है। मैं चाहता हूं कि हाई-कोर्ट के चीफ जस्टिस को बिठाइए, हम नहीं बोलेंगे, मुझे आपत्ति नहीं हम चुप रहेंगे, जो होगा सामने आ जाएगा। यह तो डामेस्टिक इन्कवायरी है, जांच को प्रिजुडिस करने का सवाल नहीं••••••

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय यह जुडीशियल इन्कवायरी नहीं है। दूसरी बात, मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि उस इन्कवायरी की स्टेज क्या है, चर्चा तो लगातार होती रहेगी। तीसरी बात इन्कवायरी पर असर न पड़े तो फिर श्रीमती बरकत ने उसमें शामिल होने से इन्कार क्यों किया ? ये दो तीन सवाल ऐसे हैं जो आम जनता में उठते रहते हैं, यह उपयुक्त मौका है जिनके लिए मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इन्कवायरी को प्रिजुडिस करने का संबंध उपस्थित नहीं होता क्योंकि यह तो आपकी आंतरिक इन्कवायरी है। सदन का प्रिविलेज है कि उस बात पर अपनी राय प्रकट करे और सदन मांग करे कि ऐसी दुर्भाग्य पूर्ण घटना हो जाए, मुख्यमंत्री का इलाज नहीं हो सके, ऑक्सीजन होते हुए भी न मिल पाये, दवाइयां न मिल पायें तो शंकायें पैदा होती हैं उनका निराकरण करें। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज जनता के बीच शंका है वह यहां कैसे रखी जाएगी ? इसको रखने का अधिकार हमें है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो बीती है उसको यहां पर रखें। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, उनके लिए जनता चाहती है कि इन बातों की कमीशन आफ इन्कवायरी एक्ट के अन्तर्गत जांच हो, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस जांच कर लें ताकि शंकाएं दूर हों। जो बातें हमारे सामने आई हैं, वह रख सकते हैं यहां पर। 9 बजे दिल का दौरा पड़ा। दो तीन दिन पहले कैबीनेट की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे दर्द हो रहा है तो उसका किसी डाक्टर या फिजीशियन द्वारा उपचार नहीं हुआ। अंत समय पर जब भूतपूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई उस समय पर किस डाक्टर का इलाज किया गया, उसका पर्चा कहां है। पर्चा पब्लिश किया जाये। हर बड़े आदमी के इलाज में पर्चा रहता है, बुलेटिन आती है। स्वर्गीय मुख्यमंत्री का तो पर्चा भी नहीं है। आखिरी समय क्या पर्चा था, किसने इलाज किया, क्या दवाइयां दी गई ? बता दीजिए। 9॥ बजे दिल का दौरा पड़ा, 9॥ बजे बैंगलोर लाइटनिंग काल द्वारा संदेश गया, 10। बजे कन्डोलेन्स मेसेज आ गया, 11 बजे घोषणा हुई मृत्यु की। यह हमारा दुर्भाग्य है। यह कैसे हुआ ? मंत्री महोदय जांच करें, अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसको सजा दें। आज जनता कहती है कि मुख्यमंत्री मरे नहीं मारे गए हैं......

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी बात पर, कौन से नियमों के अंतर्गत ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइंट आफ आर्डर है। यह इन्कवायरी अगर कमीशन आफ इन्कवायरी एक्ट के अंदर न भी हो तो भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस इश्यू को पोलिटिकलाइज करके, फैक्ट्स को रखकर और उसका पोलिटिकल एक्सप्लाइटेशन करें तो ठीक नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री की डेथ हो और हाई कोर्ट जज द्वारा जांच की आप मांग करें तो वह बात हो सकती है लेकिन फैक्टस रखकर इस तरह के एलीगेशन्स लगाकर आप बोलें तो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मंत्री महोदय ने यदि ओपिनियन एक्सप्रेस की है, माननीय सदस्य

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ने एक्सप्रेस की है तो वाजिब नहीं है। एक आदमी की डेथ को पोलिटिकल इश्यू बनाकर एक्सप्लाइट करना उचित नहीं है। राजस्थान की जनता···· ·

श्री उपाध्यक्ष : इससे पूर्व जो इन्कवायरी का सबजेक्ट मैटर है जांच समिति के अधीन है,उसके मेरिट्स पर बोलने का माननीय सदस्य को अवसर नहीं दिया है। मैं समझता हूं वह उस पर बोल भी नहीं रहे हैं। कमीशन की वैधता का जहां तक प्रश्न है, वैध है या नहीं माननीय सदस्य को बोलने का कानूनी अधिकार है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसलिए मंत्री महोदय आगे आकर जनता में फैली हुई भ्रांति को दूर करने के लिए·······

श्री मोहनलाल छंगाणी (चिकित्सा मंत्री) : मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। वैध है या नहीं, वह अवश्य बोलें लेकिन कुछ ऐसी फैक्ट्स जो उन्होंने कही जैसे बैंगलोर टेलीफोन करना या साजिश हुई है, ऐसी फैक्ट्स से एटमासफीयर दूषित हो जाता है, उसके पोलिटिकल कान्सीक्वेंसिज निकलते हैं जो राजस्थान के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इनको अलग रखकर जैसे जांच की मांग हुई उसको उठाइये और कम से कम ऐसा वातावरण न बनायें जिससे हमारे राजनैतिक और सामाजिक वातावरण दूषित हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : जो सबजेक्ट मेटर ऑफ इन्कवायरी हो सकती है उस पर आप न बोलें।

मांग संख्या 26 व 32 पर
अग्रेतर विचार

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो तथ्य आज जनता के सामने आए हैं और मैं जिस आधार पर हाईकोर्ट जज की कमीशन आफ इन्कवायरी चाहता हूं उस पर अवश्य कहूंगा और उसके पीछे जो घटनायें घटी हैं, वे आपके सामने रखूंगा तो आप आश्वस्त होंगे कि जांच क्यों मांग रहे हैं जनता क्यों संदेह प्रकट कर रही है। यह बात स्पष्ट नहीं होगी तो फिर हम किस बात को आधार मानकर कहेंगे कि आप इसकी जांच कराइये। मैं ऐसा कोई तथ्य नहीं रखूंगा जो सरकार द्वारा प्रकाशित नहीं हुए हैं। आपने स्वयं आल इंडिया रेडियो पर इन्कवायरी कमीशन की घोषणा की। मेनन को नियुक्त किया, गोकुल प्रसाद को किया। स्वयं बरकत साहब की जो धर्मपत्नि हैं वह सैटिसफाइड नहीं हैं, अगर नहीं है तो डामेस्टिक इन्क्वायरी किस काम की ? बंद करिए। आप ऐसी इन्क्वायरी कराइये जिससे सारे समाज में धारणा पैदा हो सके कि राज्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें नहीं होंगी। जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आज उपकरण होते हुए भी रोगियों को उपकरण न मिलें और उनकी मृत्यु हो जाए दवाइयां होते हुए भी वे न पहुंचे, इसका निराकरण करायें। आप जांच कमीशन विठाइए और राजस्थान की जनता को संतुष्ट करें। सुप्रीम कोर्ट का जज विठायें वह जांच करें।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने 4-5 मांगें रखी हैं आयुर्वेद और परिवार नियोजन के बारे में और समाज कल्याण के बारे में इन सब मांगों को दोहराते हुए राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में निराकरण करने का प्रयत्न करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज सदन में चिकित्सा और समाज कल्याण विभाग की मांगों के संबंध में चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी चिकित्सा और समाज कल्याण विभाग के संबंध में कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। उनकी ओर आपके माध्यम से राज्य सरकार के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उसमें खासतौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र जो कि बीकानेर जिले के अन्तर्गत आता है उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय यह तो मन्त्री महोदय जानते ही हैं कि नोखा तहसील जिला बीकानेर में गरीबों की संख्या अधिक है और मरीजों की जन संख्या अधिक है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीकानेर अस्पताल में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। आज जो गांव से आते हैं मरीज लोगों को दवाई नहीं मिलती है और न ही इन्हें पूरा इलाज अस्पताल में मिलता है। वहां की हालत सन्तोषजनक नहीं है इसलिये वहां की गरीब जनता में बहुत ही रोष है।

(2.30 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

सभापति महोदय आज वहां पर गरीब लोगों के लिये तो कोई इलाज नहीं होता है लेकिन इलाज होता जरूर है वह उनके लिये होता है जो कि पूंजीपति होते हैं, सेठ लोग हैं पैसे वाले हैं। गरीब आदमी कोई वहां का हो या दूसरे गांव से आता है इलाज कराने के लिये तो पहली बात तो यह है कि उसे भर्ती ही नहीं किया जाता है और अगर भरती किया जाता है तो उसका इलाज ठीक तरह से नहीं किया जाता है पहले दिन भरती करते हैं तो दूसरे ही दिन उसे निकाल बाहर करते हैं आज कई लोगों की वहां पर मृत्यु बिना इलाज हो जाती हैं। आज गरीब को नहीं इलाज मिलने के कारण उनको बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय के सामने कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नोखा में एक छोटी सी डिस्पेन्सरी है उसको आज तक बड़ा नहीं किया गया है। गरीबों के लिये वहां पर बेड्स की सुविधायें नहीं हैं। आज वहां उस हास्पीटल में कोई लेडी डाक्टर नहीं है करीब डेढ़ लाख की जनसंख्या वाला नोखा कस्बा है इसके अलावा आस पास की ग्रामीण जनता भी वहीं पर दूसरी जगह अस्पताल नहीं होने से वहां आती है तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार उन ग्रामीण जनता के लिये वहां नोखा कस्बे के लिये एक लेडी डाक्टर की तुरन्त व्यवस्था कराने की कृपा करें। आप ही बताइये जहां जनसंख्या अधिक है और आस पास के लोग भी आते हैं वहां पर हास्पीटल को बड़ा करने की कितनी आवश्यकता जरूरी है। इसलिये उस अस्पताल को बड़ा किया जाये और वहां एक लेडी डाक्टर की नियुक्ति तुरन्त की जाने की व्यवस्था करावें।

सभापति महोदय, एक पांचों गांव है जो कि बीकानेर जिले के अन्तर्गत आता है उस स्थान को लेकर और फलोदी जो कि वहां से करीब 80-85 मील दूर पड़ता है वहां पर एक भी डिस्पेन्सरी नहीं है सिर्फ एक छोटी सी डिस्पेन्सरी पांचों गांव में

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

है अगर कोई इस बीच में बीमार हो जाता है तो वह 80–85 मील चलकर आयेगा तो उसे एक छोटी सी डिसपेन्सरी पांचों गांव में मिलेगी तो इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक छोटी सी डिस्पेन्सरी या सब सेन्टर खोल दिये जाय तो अच्छा है। हालांकि पहले फेमीन के समय में एक दो सब सेन्टर जरूर खुले थे पर बाद में बन्द हो गये हैं। सभापति महोदय उन जगहों पर सब सेन्टर के लिये बिल्डिग्ज भी बना दी गयी थी। पर मकान बनने के बावजूद भी इलाके में अभी तक एक छोटी सी डिस्पेन्सरी नहीं खोली गयी हैं। तो मेरा निवेदन है कि वहां पर तुरन्त सब सेन्टर खोला जाय। तथा वहां पर जल्दी ही डाक्टर और कम्पाउडर भेजे जाय।

इसी तरह बीकानेर जिले में एक हिम्मत गांव है वहां पर भी फेमीन के दिनों में एक छोटी सी डिस्पेन्सरी बनायी गयी थी हालांकि वहां पर भी भवन बना दिया गया है लेकिन आज तक कोई डाक्टर वहां पर नहीं पहुंच सका है। तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी वहां पर डाक्टर का इन्तजाम करे। इसके बारे में कई बार सदन में चर्चा भी की जा चुकी है पर आज तक कोई अस्पताल वहां नहीं खोला गया है सभापति महोदय लोगों ने अस्पताल के लिये 15–20 हजार रुपये लगाकर बिल्डिग तक बना दी हैं। फेमिन के वक्त वहां पर एक टेम्परेरी छोटी सी आयुर्वेद डिस्पेन्सरी चालू की गयी पब्लिक ने 15-20 हजार रुपये लगाया और भवन बना कर भवन को आयुर्वेद विभाग के नाम पर रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। इसी प्रकार कोलायत तहसील में गांव गिराजसर, थावरिया में करीब 15·20 हजार रुपये लगाकर आयुर्वेद अस्पताल के लिये भवन बनाया गया. जनता द्वारा पैसा लगाकर और उस भवन का रजिस्ट्रेशन भी आयुर्वेद विभाग के नाम पर कर दिया गया फेमीन था तो एक टेम्परेरी अस्पताल आयुर्वेद का वहां पर छोटा सा चलता था लेकिन फेमीन खतम होते ही वह बन्द कर दिये गये हैं अत: मैं अब आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर तुरन्त अस्पताल खोलने की कार्यवाही करें ताकि वहां की जनता को राहत मिले।

सभापति महोदय अब मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय का ध्यान समाज कल्याण विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय यह समाज कल्याण विभाग जो है वह राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये बनाया है लेकिन यह समाज कल्याण विभाग पिछड़े वर्ग के लिये कोई काम नहीं कर रहा है। इसकी बहुत दुर्गति हो रही हैं और इसकी दुर्गति होने के कारण जिन लोगों को भला होना चाहिये उनकी दुर्गति भी हो रही है। मैं समाज कल्याण मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ विशेष मुद्दों पर खींचना चाहूंगा। हमारे बीकानेर के अन्दर एक हरिजन छात्रावास है जबकि बीकानेर शहर में दूसरा छात्रावास जगजीवनराम हरिजन छात्रावास है। वहां पर हरिजनों के छात्रों की हालत बहुत ही खराब है। उनको बिछाने के लिये कुछ नहीं है न ही उन्हें खाने की व्यवस्था पूरी हो रही है। जो वहां छात्र रहते हैं उन छात्रों को पहनने के कपड़े नहीं

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

हैं। सभापति महोदय मैं समय समय पर जाकर चेक करता रहता हूं वहां बहुत ही हालत खराब है। इसके बारे में चाहूंगा कि उस छात्रावास की हालत को सुधारा जाय वहां पर जो छात्र हैं उन्हे कपड़े और बिछाने के बिस्तरों की तुरन्त व्यवस्था कराई जाय। आज राज्य सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो राशि प्रदान की जा रही है पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये हरिजनों के लिये उनका सही लाभ हरिजनों को दिलाया जावे। उन्हें खाने को अच्छा खाना और बिछाने को बिस्तर और पहनने के कपड़े ठीक हालत में तुरन्त दिलाने की व्यवस्था की जावे।

सभापति महोदय, हरिजनों के बारे में कुछ मैं और निवेदन करना चाहता हूं। लूणकरनसर जो कि सीमावर्ती इलाके के अन्दर आता है वहां पर हरिजनों के लिये कोई छात्रावास नहीं है माननीय भीमसेनजी ने काफी कोशिश की लेकिन आज तक कोई हरिजनों के लिये छात्रावास नहीं खोला जा सका है उसे तुरन्त खोला जाय। सभापति महोदय आज सभी जगह अत्याचार और अन्याय हो रहा है जो छात्रवृत्ति हरिजनों को दी जाती है पहले के जमाने को देखकर दी जाती है उसे भी बढ़ायी जाय। सभापति महोदय आज मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि जिन गांवों में बिजली है बीकानेर जिले में लेकिन वह बिजली आज तक हरिजनों के मोहल्लों तक नहीं पहुंची है, ऐसे एक नहीं चालीस गांव होंगे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जो तुरन्त पहुंचाई जानी चाहिये। इसी तरह कई मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव है जहां वाटर वर्क्स का काम हुआ है पर नल हरिजनों के मोहल्लों में समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं लगाये हैं इस प्रकार की दुर्व्यवस्था इस समाज कल्याण विभाग ने हरिजनों की कर रखी है। अभी तक पाइप लाइन हरिजनों के मोहल्लों में नहीं पहुंची है जब कि राज्य सरकार ने इस सदन में कहा था कि हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के मोहल्लों में पहले बिजली लगेगी, नल लगेंगे ताकि उनको राहत मिले। पर मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोई कार्यवाही सदन की घोषणा पर नहीं हुई। अगर राज्य सरकार को विश्वास नहीं हो तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांवों में जाकर हरिजनों के मोहल्लों को देख लो। इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां पर तुरन्त पाइप लगाये जायें व बिजली की व्यवस्था की जावे। मैंने और भी कटौती प्रस्ताव रखे लेकिन और भी भाइयों को बोलना है इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मन्त्री महोदय को आपके मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि यह हरिजनों के अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे मिटाने के लिए आप तुरन्त कार्यवाही करावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूसरे कटौती प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय मांग संख्या 26 और 32 को मांगों के संबंध में मैंने भी कुछ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान खास तौर से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों की ओर ले जाना चाहता हूं। सभापति महोदय नाथद्वारा एक धार्मिक स्थान है यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है

(श्री मनोहर कोठारी)

लेकिन वहां पर कोई चिकित्सा केन्द्र नहीं है एवं चिकित्सा की बहुत ही दुर्व्यवस्था है। इस बारे में खासतौर से मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह तो मन्त्री महोदय को बताने की आवश्यकता नहीं है कि नाथद्वारा में प्रतिवर्ष लाखों यात्री भगवान श्री नाथजी के दर्शन करने आते हैं नाथद्वारा की जन संख्या 26 हजार है और जनता को चिकित्सा के लिये बहुत दुख उठाना पड़ता है। वहां पर चिकित्सा का कोई मुकम्मिल इन्तजाम नहीं होने से लोगों को यह कठिनाई उठानी पड़ रही है। वहां पर एक गोरधनजी के नाम का अस्पताल मरदाना है और एक जनाना है। एक आयुर्वेद का औषधालय भी है। लेकिन, सभापति महोदय, आज से 40—50 वर्ष पहले भी ठिकाने के जमाने में वहीं एक डाक्टर मर्दाना अस्पताल में और एक ही डाक्टर जनाना अस्पताल में रहता था। सरकार को बिल्डिंग के लिये कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। वे ही भवन जो ठिकाने के जमाने में थे आज ज्यों के त्यों अव्यवस्थित हैं। जब हम बार बार कहते हैं कि स्थान की उपयोगिता को ध्यान में रख कर, मरीज आते हैं उनको ध्यान में रख कर अस्पताल का विकास कीजिए उसके लिये कोई सुनता नहीं। यात्रियों के द्वारा डोनेशन से कोई चीज बनवाना चाहें, सरकार के पास प्रस्ताव ले जायं तो लम्बे अर्से तक कुम्भकर्णी निद्रा का साम्राज्य छा जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि लोगों से वह चीज भी नहीं बनवा सकते हैं। मुझे याद है कि कोटेज वार्ड बनवाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा था, दान दाता की ओर से प्रार्थना-पत्र भेजा था। उसके ऊपर उटपटांग क्वेरीज की गयीं, नाम किसका रहेगा। उसने कहा कि जो चाहे वह रख लीजिये। फिर कहा कि कौन भर्ती होगा? उसने फिर कहा कि आप चाहे जिसको भर्ती कर लीजिये लम्बे अर्से और इस प्रकार की कई क्वेरीज के बाद जब राज्य सरकार ने उसको स्वीकार किया तो दानदाता बैंक आउट होगया क्योंकि तब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी।

ट्रान्सपोर्ट विभाग में डाइरेक्टर के बाद कमिश्नर की नियुक्ति कर सकते हैं जब कि हम शतप्रतिशत नेशनेलाइजेशन के लिये स्कीम्स बनाते हैं और यह भी घोषणा करते हैं कि 25 परसेन्ट रूट्स का तो नेशनेलाइजेशन हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आज तक डाइरेक्टर ट्रान्सपोर्ट से काम चलता रहा है कमिश्नर की नियुक्ति अलग से करने का क्या औचित्य है। लेकिन आप इस प्रकार नियुक्ति करते हैं और जब हम आम जनता के हित में मांग करते हैं कि वहां पर डाक्टर बढ़ाये जायं तो वर्षों के मांग करने के बावजूद भी नाथद्वारा जैसी जगह के लिये डाक्टर नहीं बढा सकते। एक ही डाक्टर है वहां जो मेडीकल केसेज में व्यस्त रहता है, अदालत में केसेज होते हैं तो वहां भी उनको जाना पड़ता है और कभी छुट्टी भी चला जाय आप ही अन्दाज लगाइये कि किस प्रकार से जनता को कष्ट का अनुभव करना पड़ता होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय वहां के लिये समुचित व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वे चाहें तो जन सहयोग के द्वारा भी इस सम्बन्ध में प्रबन्ध करा सकते हैं परन्तु पचास वर्ष जो

(श्री मनोहर कोठारी)

स्थिति थी यदि आजादी के 25 वर्ष के बाद भी वही स्थिति रहे तो उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। चिकित्सा के लिये दवाइयों का प्रबन्ध नहीं है। वहां पर जितने इन्स्ट्रूमेंट्स थे वे भी हटा लिए गये। इसलिये मंत्री महोदय इस ओर खास तौर से ध्यान दें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह व्यवस्था करना संभव नहीं है तो उनके सामने मैं यह प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि जिला चिकित्सालय का जो मुख्यालय उदयपुर में स्थित है, जहां कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि उदयपुर में मेडिकल हास्पिटल है, वहां पर मेडीकल कॉलेज है, इस जिला मुख्यालय के कार्यालय को नाथद्वारा से रखा जा सकता है। इससे कम से कम कुछ अधिक डॉक्टरों की तो सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें राज्य सरकार की संशय जैसी कोई स्थिति नहीं रहने वाली है क्योंकि जिला मुख्यालय यदि नाथद्वारा कर दिया जाय तो खर्च की कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी और जो व्यवस्था इस समय है वही काफी होगी।

सभापति महोदय, ग्राम गुड़ा मेरे क्षेत्र में ऐसा इलाका है जो पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ बनास नदी के कारण काफी समय तक कटा रहता है। जहां पर यातायात की सुविधायें भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है, गरीबों की आबादी जहां पर ज्यादा है, आदिवासी काश्तकार ज्यादा रहते हैं, उस इलाके में चिकित्सा सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले राज्य सरकार ने यह निश्चय किया था कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खमनोर में है इसलिये फैमिली प्लानिंग सेन्टर को ग्राम गुड़ा में स्थापित किया जाय। उसके लिये प्रस्ताव पेश किया। योजना बनाई गयी लेकिन सरकार ने कहा कि ग्राम गुढा में यह सुविधा नहीं दी जा सकती क्योंकि यह प्रिन्सिपल है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के साथ फैमिली प्लानिंग सेन्टर भी रहे वहां राज्य सरकार ने आवश्यकता को महसूस भी किया लेकिन वहां पर कोई भी सेन्टर कायम नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि वह बड़ा इलाका है और काफी लोग वहां रहते हैं उनको सुविधा देने के लिये कोई न कोई चिकित्सा की व्यवस्था उनके लिये करने की आवश्यकता है और वह भी एलोपेथिक चिकित्सा व्यवस्था करे तो काफी लोगों को लाभ हो सकेगा और उन लोगों को रोगों से मुक्ति मिल सकेगी।

सभापति महोदय, अब मैं मांग संख्या 32 समाज कल्याण के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह समाज कल्याण विभाग निम्नस्तर के खास कर गरीब लोग आदिवासी और पिछड़े लोगों के कल्याण के लिये बनाया गया, इसमें इन लोगों के कल्याण के लिये बात की गई है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इस विभाग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। उसके लिए कोई चिन्तित भी नहीं है।

नाथद्वारा में एक हरिजन छात्रावास अनुदान पर चलाया जाता है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री मनोहर कोठारी)

करना चाहता हूं कि उनके व्यवस्थापक जयपुर में रहे और छात्रावास नाथद्वारा में चले उसकी क्या दुर्गति होगी यह आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं। ऐसा समय भी आया है, सभापति महोदय जब छात्रों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा और एक दिन भूखे मरने के बाद मेरे पास आये। मुझ से कहा हमारी यह स्थिति है, व्यवस्थापक जी यहां रहते नहीं, इसलिए आप ही हमारे लिये खाने का प्रबन्ध कीजिये। मैंने बड़ी कठिनाई से जनता और मन्दिर के सहयोग से उनके लिये खाने का प्रबन्ध कराया। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और ऐसे अनुदान देने के कारण जो छात्रावास चलाये जाते हैं यदि उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है तो उन छात्रावासों को अपने अधिकार में लें और स्वयं विभाग अपने हाथ में लेकर समुचित व्यवस्था करें यह अत्यन्त ही आवश्यक है।

एक बात, सभापति महोदय, मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति में भी बागरियों की जाति सबसे दबी हुई जाति है। जो केवल मांग कर झूंठे अन्न पर गुजारा करते हैं और ये लोग खानाबदोश होकर जगह जगह घूमते फिरते हैं। कहीं कोई भोज हो खाने के लिये पहुंच जाते हैं। उस कौम को बसाने के लिये हमारा समाज कल्याण विभाग आज तक कुछ भी नहीं कर पाया है। उसके आंकड़े हमें अभी तक भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं गया है। मेरी तहसील के सालोर गांव में ऐसे बागरियों के सात परिवार हैं। छोटे-छोटे घरोंदों में वे सात परिवार स्कूल के पास रह रहे हैं। स्कूल के पास होने से उनकी झोपड़ियों को वहां से हटाने की बात चल रही है क्योंकि वे बिलकुल स्कूल के पास मैदान के बीच में आजाते हैं और उनको नये मकान बनवा कर देने पर ही वे हटाये जा सकते हैं। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों के लिये, सात परिवार के लोगों के लिये मकान बनवाने का प्रबन्ध करवा दें, उनको मकान बनवा दीजिये जिससे वे अच्छी जिन्दगी बसर कर सकें और यदि स्कूल के मैदान से हटाये जायं तो दरबदर की ठोंकरें न खाते फिरे। थोड़े से पैसे का प्रश्न है। मकान बनवा कर देने की बात आपके विभाग से हो जाय और वे भी कुछ श्रम दान करेंगे ही इसमें अधिक पैसे की जरूरत भी नहीं रहेगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन परिवारों के लिए मकान की व्यवस्था करा देंगे।

आयुर्वेद और एलोपैथिक विभागों के बारे में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही। यह बात सही है कि दोनों ही चिकित्सा पद्धति अलग अलग हैं परन्तु जब मैं यह देखता हूं कि आयुर्वेद के वैद्य लोग भी एलोपैथिक दवाइयां काम में लेते हैं, इन्जेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं तो आयुर्वेद को कहां पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह से इस आयुर्वेद विभाग की क्या हालत करना चाहते हैं आप ? मेरे यहां जैसी हालत है उस पर से यह भी कह दूं कि मेरे क्षेत्र से तो इन आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियों को आप पूरी की पूरी ही हटा लीजिये तो अनुचित नहीं होगा। आखिर सरकार का पैसा तो बचेगा। वैद्य उपस्थित रहते नहीं। उनको उपस्थित रखने के लिये कोई प्रयत्न विभाग करता नहीं, उल्टे जो सूचना देता है उसको

(79)

(श्री मनोहर कोठारी)

उत्तर मिलता है कि वे बराबर वहां रहते हैं। कोशीवाड़ा में एक वैद्य हैं, घर में बैठे रहते हैं। कम्पाउण्डर हैं। क्लास फोर सरवेन्ट वहां रहता है। लोग परेशान होते हैं। बिना दवाई लिये लौटना पड़ता है। मैटरनिटी का अगर कभी केस उसके पास आ जाता है तो पचास रुपया हर केस में ले लिया जाता है और दस रुपया ऊपर से और झटक लेती है यह कह कर कि उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। अगर गरम पानी से नहाना पड़े तो पांच ही लेगी।

यही हालत खमणोर की है। वहां वैद्य रहता नहीं। सबेरे पहली गाड़ी से आता है हाजरी मारता है और लौटती गाड़ी से वापिस लौट जाता है। इसके लिये मैंने विभाग को लिखित में निवेदन किया। डाइरेक्टर साहब से जब पूछा गया तो वे कहने लगे कि जिला वैद्य कहते हैं कि वहां का वैद्य वहां बराबर रहता है। अब यह कौनसी बात हुई ? मैं कहता हूं नहीं रहते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी व्यक्ति को वहां भेज कर जानकारी क्यों नहीं करा लेते हैं। वहां के लोगों से आप जानकारी लीजिये कि वे रहते हैं या नहीं। अगर ये लोग वहां नहीं रहना चाहते तो वहां ऐसे वैद्यों को भेजिये जो रहना चाहते हों। आखिर कुछ व्यवस्था करिये। कुछ देखभाल तो रखिये।

मैं तो यह और कहना चाहता हूं कि यह आयुर्वेद और एलोपेथ विभाग में एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा समाप्त कर दीजिये। लाखों रुपया आप इस तरह से बचा सकेंगे। आखिर ये डबल 2 विभाग करते क्या हैं ? दोनों की डिस्पेन्सरियां भी एक जगह रख दीजिये। जिसे आयुर्वेद की चिकित्सा करानी हो वह उसकी करा ले और एलोपेथी की करानी हो तो वह भी वहीं उपलब्ध हो जाय। लाखों रुपयों का यह खर्चा आप बचा लीजिये। इस की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अलग अलग रक्खें इनको।

अन्त में यह निवेदन करते हुए कि आप नाथद्वारा के अस्पताल के सम्बन्ध में सोचे। वहां के प्रबन्ध को सुधारिये। आखिर वह भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। तीर्थ यात्री आते हैं और लौटते हैं तब आप के बारे में कोई अच्छे विचार लेकर नहीं जाते। इतने बड़े तीर्थ स्थान में इतने अधिक आवागमन में एक्सीडेन्ट भी होते रहते है, बीमार भी होते हैं पर वहां की अव्यवस्था लापरवाही और खामियों को देखकर लोग बड़े दर्द भरे वातावरण को अपने मन में लेकर जाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि चाहे आप जिला मुख्यालय को वहां स्थानान्तरित करके या और अधिक उपयुक्त डाक्टरों की व्यवस्था करके इसे व्यवस्थित करने की कृपा करें। इतना कहकर अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपुतली) : मैं पहले कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप आपस में तय कर लीजिये। मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा : बात कर ली है।

सभापति महोदय, काफी समय से आयुर्वेद विभाग ऐलोपेथिक विभाग और

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

समाज कल्याण विभाग पर सदन में चर्चा चल रही है। कइयों ने इन विभागों की खामियों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है। हो सकता है मन्त्री महोदय उनसे काफी नजदीक रहे हों। पर मैं कहता हूं जब वे मन्त्री नहीं थे और विधायक ही थे तब स्वयं भी इन विभागों के बड़े आलोचक रहे हैं। आज जब विभाग उनके हाथ में आये हैं तो मुझे आशा है कि निश्चय ही वे इन खामियों को कड़ाई से दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

राजस्थान भर में जितने अस्पताल खुले हुए हैं उनमें सब में घोर अव्यवस्था व्याप्त है। इसमें दो राय नहीं है। इतना ही नहीं समय पर डाक्टर उपलब्ध नहीं होते, समय पर अस्पताल में नहीं रहते। दवाइयां तो इन अस्पतालों में मिलना मृग मरीचिका बन कर रह गई है। गन्दगी इतनी है कि जिसका इलाज असम्भव सा लगता है। यहां का सबसे बडा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल ही ले लें। जब यहां यह सारी बुराइयां हैं तो फिर बाकी के अस्पतालों की बात करना ही व्यर्थ है। आज यहां भी मामूली से मामूली दवा बाजार से लानी पड़ती है। अच्छे डाक्टरों तक मरीज का पहुंचना सपने की बात है।

मेरे यहां अस्पताल में तो हालत यहां तक बदतर स्तर तक पहुंच गई है कि नुस्खा लिखने के लिए कागज तक बाहर से लाना पड़ता है मरीज को स्वयं को। आज सारे अस्पतालों की हालत यह है कि एक तरह के दुकानदार वहां बैठे हैं। बाकी सब चीजें बाजार से लानी पड़ती हैं। वहां उनके साथ कोई सामान नहीं रहता। इन्जेक्शन, पट्टी, गोली आदि सभी बाहर से लाने पड़ते हैं। दिखाने के लिये लाल रंग की कुछ बोतलें पड़ी रहती हैं जो कहने को पेट दर्द का मिक्स्चर बताते हैं।

मेरे यहां के अस्पताल का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुखाड़ियाजी ने किया था। 100 बैड वहां रखने की बात थी। पर सुखाड़ियाजी तो चले गये गवर्नर बन कर। 15 लाख की उस बिल्डिंग में मुश्किल से 50 बैड चालू किये गये। इसके बाद आये वर्तमान मुख्यमन्त्री चिकित्सा व स्वास्थ्य मन्त्री बन कर। उनसे हमने कहा कि आप 100 बैड की परमिसन दिला दीजिये। वे वहां निरीक्षण करने आये। इसके बाद वे बन गये मुख्य मन्त्री। अब आप मन्त्री बने हैं। अपनी तरक्की अगर आप चाहते हैं तो वहां पचास बैड के बजाय सौ बैड कर दीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : श्री रामजी गोटेवाला को कहिये।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : वे इधर आवे और आप उधर जावे तब है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे तो माफ करें। कहीं मुझे अस्पताल में बैड मत दिलवा देना।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : मेरा निवेदन करना यही है कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए। पिछले दिनों वहां डाक्टर पहुंचे। पर बैड 50 ही हैं। मन्त्री महोदय दिल्ली पधारे तब भी उनका ध्यान आकर्षित किया गया था इसके लिये। आप पांचवीं योजना में वृद्धि करने जा रहे हैं इन-

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

की। वहां इतना तो करिये कि दवाइयां वगैरह आसानी से मिल सकें। डाक्टर आसानी से उपलब्ध हो सकें।

स्टॉफ का व्यवहार बड़ा रूखा होता है। जयपुर जैसे अस्पताल में जो सीधा आपकी नाक के नीचे है बीमारों को परेशान किया जाता है। उनको दवाइयां नहीं मिलती, उचित इलाज नहीं मिलता, बेड की जरूरत हो तो बैड ही नहीं मिलता, रिश्वतें दो हरेक को, डाक्टर को पैसा दो तो आपको चिकित्सा सुविधा ठीक तरह से मिल सकती है वरना साधारण व्यक्ति के लिये तो सम्भव नहीं है कि इस अस्पताल में भी अपना उचित इलाज करा सके।

प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द करने के बारे में बातें कही गई। इसे तो आप स्वयं बन्द करने की बात करते हैं। फिर आप क्या सोच रहे हैं? कोई मुहूर्त देख रहे हैं? कब तक कर देंगे यह समय आप बता नहीं पा रहे हैं। मुगालता डाक्टरों को देते जा रहे हैं, उनमें भय पैदा करके सनसनी पैदा करके आप उनसे क्या चाहते हैं। स्वयं मन्त्री महोदय सब बातों में दिलचस्पी रखते हैं। जिस तरह आकस्मिक निरीक्षण करके हर गलती को समझने और निकालने का प्रयास कर रहे हैं उससे विभाग में सरसराहट फैली है। आप सख्ती से इस विभाग की गड़बड़ियों को ठीक करें। नहीं तो ये सारे विभाग तो जनता की पाकेट पर डाका डालने वाले हैं। क्या आपका एलोपेथी विभाग क्या आयुर्वेद और क्या समाज कल्याण विभाग इनको आप छापामार विभाग भी कहे तो अनुचित नहीं होगा।

मैं चाहता हूं कि इन विभागों की सफाई की जाय। अन्यथा जो स्थिति आज है वह तो सभी को ले डूबेगी।

मनोहरजी कोठारी आयुर्वेद विभाग के बारे में ठीक कहते हैं। वैद्य उपस्थित रहते ही नहीं। केवल बिल बनाने के लिये और तनखा लेने के लिये वे आते हैं। बाकी अपने निजी कामों में लगे रहते हैं या घर पड़े रहते हैं। यह हालत है। अब निरीक्षक महोदय भी कब वहां निरीक्षण करते हैं क्या करते हैं, इसका भी पता नहीं। कागजों में जरूर निरीक्षण दिखा देते हैं। पर वे भी गांवों तक नहीं पहुंचते। मैं अपने यहां की बात कहता हूं। जनता से सम्पर्क स्थापित किया हो, ऐसी व्यवस्था मन्त्री महोदय कब तक चलायेंगे? गांवों की व्यवस्था पर सरकार को ध्यान नहीं है वे व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सिवाय इसके कि हम सब लोग उनके चक्कर लगाते रहें। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा आप कड़ाई से अधिकारियों को आदेश दें तब ही स्थिति में सुधार आयेगा, अन्यथा नहीं।

इसी प्रकार आयुर्वेद विभाग है। रसायन शालाओं में जो गड़बड़ियां थीं, वह आपके ध्यान में लाई गई। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। ऐसी चर्चा इस देश में हुई कि राजस्थान का आयुर्वेद विभाग माला-माल हो गया है, इतने पैसे कमाये जा रहे हैं कि किसी विभाग ने नहीं कमाये। पिछले दिनों डिप्टी डाइरेक्टर जो रिटायर होने वाले थे कई वैद्यों का अनाप-शनाप ट्रान्सफर कर दिया। बाड़मेर के लोगों को जयपुर, जयपुर के लोगों को बाड़मेर, जैसलमेर। दूर दूर स्थानों पर ट्रान्सफर कर दिये गये।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

लोगों ने शिकायतें की तो लम्बे चौड़े पैसे खा खा कर ट्रान्सफर केंसिल कर दिये। मैं समझता हूं ये सारी बातें सरकार के नोटिस में आई हैं और इसलिये सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिये।

इसके अलावा इस विभाग में प्रमोशन के कोई रूल्स नहीं हैं। ग्रेड्स के बारे में कोई रूल्स नहीं है। मन चाहे जिसको डाइरेक्टर बना दिया, मन चाहे जिसको डिप्टी डाइरेक्टर बना दिया। कोई नियम नहीं है। एक सी योग्यता रखने वाले को किसी को वैद्य बना दिया तो किसी को डाइरेक्टर बना दिया। सीनियरटि में कोई आदमी कहां स्टेण्ड करता है, उसका कुछ ख्याल नहीं है। जिसने अप्रोच की, जिसने पैसे खिलाये, उसको चाहे जो कुछ मनमाने तरीके से बना दिया। जिसने अप्रोच की उसको मनमानी ग्रेड मिल जाय और जो अप्रोच में रह गया उसको वहां से भी हटा कर दूर जगह ट्रान्सफर कर दिया। आपका आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट भी अजमेर में है और वहां तक पहुंचना मुश्किल है। विभाग के डाइरेक्टर नेताओं से ज्यादा वायदे कर लेते हैं इसलिए मैं कहूंगा इस व्यवस्था में तब्दीली लावें।

इसी प्रकार समाज कल्याण की बात कहना चाहूंगा। नाम बड़ा अच्छा है कि समाज का कल्याण करता है लेकिन यह समाज का कल्याण न कर अपना स्वयं का कल्याण करता है। संचालकगण सारी चीजों को घर पर ले जाते हैं। इसी प्रकार जो सुपरिन्टेन्डेन्ट, होस्टल्स है उनको तनख्वाह कम देते होंगे लेकिन हालत यह है कि होस्टल से हर बार नाश्ता मिल जाता है, साबुन लाना नहीं पड़ता है, तेल लाना नहीं पड़ता है। गरीब समाज के लिये खरीदी हुई सारी चीजों का प्रयोग वहां के अधिकारीगण करते हैं। इन सारी स्थितियों से आप परिचित हैं।

होस्टलों में एडमिशन की काफी दिक्कत है, गरीब छात्रों को एडमिशन मिलता नहीं तो होस्टल्स आपको और बढ़ाने होंगे। पिछड़े हुए लोगों को, गरीब लोगों को यह सुविधा मिलनी चाहिये। गांवों की तरफ आज बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांवों में और म्यूनिसिपल एरिया में आखिर यह भेदभाव कब तक चलेगा? शहरों में भी करना चाहते हैं तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर डिविजनल हैड क्वार्टर्स पर ही क्यों करना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स तक भी करें, पंचायत हैड क्वार्टर्स तक भी करें। यह मैं समझता हूं आपकी अव्यवस्था है। गांवों तक योजनायें करनी चाहिये ताकि लोगों को मालूम हो कि आपकी योजनायें सही हैं। गांवों के लोगों को भी आपकी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिये। जबसे आपने फाइनेन्स हाऊसिंग कोपरेटिव सोसायटी बनाई है दुनियां भर के घोटाले उसके अन्दर हो गये। इसके जो रूल्स हैं, उनका सरलीकरण होना चाहिये। ये सब आपके पहले लीगल एडवाइस, रजिस्ट्रेशन दीजिये और फिर उसके बाद इन्सपेक्टर मौका देखेगा ये सारी स्थितियां ऐसी हैं कि गरीब आदमी का पार होना मुश्किल है। जगह जगह आज भटकना पड़ता है। एक हरिजन से यह उम्मीद करें कि 30 बार वह समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगाये तब जाकर

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

उसका काम बने। घोषणा करते हैं और आपकी यह घोषणा अखबारों में आ गई हरिजनों ने सोचा और कल्पना की और कोआपरेटिव सोसायटी बना ली। मैं कहना चाहता हूं कितनी आपकी कोआपरेटिव सोसायटीज हैं और कितनों को अब तक पैसा मिला है। मैंने अनुभव किया है और कई लोगों को यह कहते सुना है बुरे फंस गये। वे यह चाहते हैं किसी तरह उनके पैसे उनको वापिस मिल जायं। सरकार न दे तो न सही लेकिन उनके खुद के पैसे तो दे ...

श्रीमती निर्मला कुमारी : यह तो घोषणा हुई है, किसी को नहीं मिली ...

एक माननीय सदस्य : बकवास है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या करें वे लोग बड़े परेशान हैं। यह मशीनरी इतनी तेज है कि मन्त्री महोदय तो इस पर काबू पा नहीं सकते हैं बल्कि वे लोग मन्त्री महोदय पर काबू पा लेते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय अभी समाप्त करता हूं। इसलिये सभापति महोदय जो स्थिति आज है हम चाहते हैं उसमें तब्दीली करिये। आपकी सोची हुई बात वहीं रह जाती है। आप जो चाहते हैं उसकी ओर तेजी से और सख्ती से कदम उठाइये तब ही स्थिति सुधर सकती है वरना कई मन्त्री इस विभाग में आये और चले गये। लेकिन अब मुझे विश्वास है, आप परिवर्तन लायेंगे जिससे जनता को राहत मिल सकेगी। ये सब विभाग जनता की सेवा करने वाले विभाग हैं।

इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा परिवार नियोजन के बारे में। इतने ओपरेशन करने हैं वरना तुम्हारी तनख्वाह, टी० ए०, डी० ए० रोक दी जायेगी। अब वह तो बेचारे पकड़ पकड़ कर ही लायेंगे और करेंगे भी क्या चाहे उन्हें बुढ्ढे मिल जाय और चाहे बच्चा मिल जाय क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि उनको टी० ए०, डी० ए० नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। 75 वर्ष के बुढ्ढे को भी पकड़ लेंगे और 80 वर्ष के बुढ्ढे को भी पकड़ लेंगे और इसी तरह 15 साल के बच्चे को भी पकड़ लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वास्तविक रूप में परिवार नियोजन हो तो आप उस प्रकार की भावना उनमें पैदा कीजिये और केवल यह कहना कि इतने आपरेशन करेंगे तब ही तनख्वाह मिलेगी और टी० ए०, डी० ए० मिलेगा, यह सरासर अन्याय है। आज जितने आपरेशन हुये हैं उसमें 80 वर्ष के बुढ्ढे ज्यादा मिलेंगे और 90 परसेन्ट फर्जी आपरेशन हुये हैं। मेरे पड़ौस में हरियाणा का बोर्डर लगता है वहां से 80 वर्ष का एक बुढ्ढा पकड़कर आपरेशन कर दिया। यह तो आपके परिवार नियोजन की स्थिति है।

अब, सभापति महोदय, जयपुर में पोषाहार केन्द्र है। डाईरेक्टर साहब ने लिखा है श्रीमती शान्ति देवी और राजेश ने जो हस्बेन्ड वाइफ हैं, उनको जो पोषाहार केन्द्र में सामान मिला सारा बाजार में ब्लैक कर दिया जिसकी जांच कराई गई और उनको दोषी पाया गया और सभापति महोदय आश्चर्य यह है कि मन्त्री महोदय बदल गये। श्रीमती शान्ती देवी और राकेश

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

की शिकायत है पोषाहार केन्द्र का सामान ब्लैक में बेचते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं यह जो स्थितियां चल रही हैं जो लोग पल रहे हैं, अधिकारियों को पोषाहार कर रहे हैं और यह तो शहरों में हो रहा है और जरा किसी को पकड़ा उसकी इन्क्वायरी के लिए एक अधिकारी जायेगा, दूसरा सिफारिश करेगा और मामला रफादफा। तो जिसके खिलाफ केस पाया जाये, कोई दोषी पाया जाये और उसी को फिर पोषाहार केन्द्र दे रहे हैं। जयपुर की इतनी आबादी में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं श्रीमान राकेश माथुर और उनकी पत्नी यह केन्द्र उन्हीं दोनों के पास रहना चाहिये चाहे उनके खिलाफ कितनी ही शिकायतें हों। यह चीज चल वाली नहीं है।

इस प्रकार सीकर में लक्ष्मणगढ़ का होस्टल चलता है। वहां पर सामान नहीं मिलता और उसकी बारबार शिकायतें होती हैं आप उसकी कोई जांच करवाइये और जो स्थितियां चल रही हैं उनमें सुधार लाइये। मैं अधिक नहीं कहता हुआ क्योंकि सभापति महोदय बराबर इशारा कर रहे हैं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि तीनों विभागों का जनता से सीधा सम्बन्ध है और जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक यही व्यवस्था चलती रहेगी। आप स्वयं परेशान हैं। तो मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आपके सामने स्थिति है और जो बातें आपके ध्यान में लाई हुई हैं उनका इम्पलीमेन्टेशन कर दिया जायेगा तो सुधार हो सकता है।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण के ऊपर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और इन पर मैं क्रमशः विचार व्यक्त करूंगी। किसी भी राज्य के लिए जनस्वास्थ्य एक बहुत बड़ी धरोहर है। प्रत्येक राज्य का पहला कर्त्तव्य है कि वह इस धरोहर की रक्षा करे। राजस्थान में भी चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई हैं। हम केवल निराशाजनक आंकड़े ही प्रस्तुत नहीं कर सकते। 1951 की यदि हम गणना देखें तो इसमें बताया गया है कि औसत आयु 31 वर्ष थी जब कि आज 50 वर्ष की औसत आयु हो गयी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में जो भी कार्यक्रम चलते हैं उनको मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो निरोधात्मक अर्थात रोगों की रोकथाम के लिये और दूसरे उपचारात्मक। इन दोनों ही पक्षों का चित्रण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी।

निरोधात्मक दृष्टि से अब तक राजस्थान में क्या किया गया है। यद्यपि पहले की बजाय काफी प्रगति हुई है परन्तु जरा सी हम अपनी निगाहें गांवों की तरफ भी दौड़ाएं। निरोधात्मक कार्य ग्रामों में बिल्कुल नहीं किया गया है। केवल चेचक के टीके वगैरह देने से या डी० डी० टी० छिड़कने से निरोधात्मक उपाय नहीं हो जाते हैं। कई ऐसे रोग भी हैं जो मानव के जीवन को नष्ट कर देते हैं जैसे पोलियो है या अन्य बीमारियां हैं जैसे कि ट्रिपल वैक्सीन उनके लिए लगाना चाहिये और पोलियो वैक्सीन

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

भी उन स्थानों पर लगाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि हमें निरोधात्मक उपाय केवल नगरों के लिए ही नहीं बल्कि गांवों के लिए भी अपनाने होंगे। ऐसी भ्रमणशील चिकित्सा इकाइयां हमें कार्यान्वित करनी होंगी जो कि इस प्रकार के साधन ग्रामीण बच्चों को भी उपलब्ध करा सकें, उनको भी वैक्सीन दिला सकें। यद्यपि मैं मानती हूं कि इस प्रकार की वैक्सीन ज्यादा समय तक नहीं रख सकते, उनको रिजर्व रखना पड़ता है तो इसके लिए कोई न कोई उपाय होना चाहिए तभी जाकर वह इसका इस्तेमाल कर सकेंगे।

सभापति महोदय, निरोधात्मक उपाय जनता को समझाना भी बहुत आवश्यक है कि स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण क्या है। परन्तु हम देखते हैं कि किसी प्रकार का प्रदर्शन करने के लिए या समझाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहती हूं। आज हम विकास खण्डों में कृषि विकास अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। सहकारिता के लिए हम एक कोआपरेटिव एक्सटेन्शन आफिसर की नियुक्ति करते हैं तो क्या इन विकास खण्डों में हम एक हैल्थ एक्सटेन्शन आफिसर की नियुक्ति नहीं कर सकते।? तो मेरा सुझाव है कि इस प्रकार से यदि हैल्थ एक्सटेन्शन आफिसर को नियुक्त किया जायेगा तो वह समय समय जनता को बताता रहेगा कि स्वास्थ्यवर्द्धक वातावरण क्या है और उसके लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि निरोधात्मक उपायों में, फूड अडल्ट्रेशन का काम भी बहुत जोरों से होता है। इसलिए हमें इस ओर भी ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा।

अब मैं दूसरे उपचारात्मक उपायों की तरफ आती हूं। यदि हम देखना चाहें तो इसमें भी हमारे ग्रामीण और नगरीय जीवन में बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। सभापति महोदय, नगरों में भी सभी प्रकार की चिकित्साओं की सुविधायें दिखाई देंगी परन्तु गांवों में कहीं कहीं जाकर प्राइमरी चिकित्सा केन्द्र दिखाई देगा और दूर दूर एक उप-केन्द्र दिखाई देगा। माननीय सभापति महोदय, हमें खासतौर से ध्यान उस जन-संख्या की ओर भी केन्द्रित करना है जो कि बहुत संख्या में हैं। तो मेरा इस क्षेत्र में यह सुझाव है कि कम से कम एक जिला खण्ड स्तर पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को 30 बैडेड डिस्पेन्सरी में परिवर्तित कर देना चाहिये जहां की ग्रामीण व्यक्तियों को उपचार मिल सके। सभापति महोदय उप-केन्द्रों पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज हमारे इतने युवा डाक्टर बेकार हैं क्या हम थोड़ा सा बजट में खर्च बढ़ा कर इन उप-केन्द्रों पर डाक्टरों की नियुक्ति नहीं कर सकते? इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है। फिलहाल यह नहीं किया जा सके, आर्थिक स्थिति के कारण मजबूरी है तो कम से कम यह तो किया जा सकता है कि उप-खण्डों पर डाक्टर निरन्तर भ्रमण करें और वहां जाकर अपनी सर्विस दें। परन्तु यह देखने में आता है कि सामान्यतः वहां डाक्टर नहीं जाते हैं। मैं उदाहरण प्रस्तुत करूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सावा गांव में केन्द्र है। वहां के डाक्टर केन्द्र पर नहीं जाते हैं। पूछने पर पता लगा कि उनके पास सवारी नहीं है।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

उनकी गाड़ी खराब पड़ी है। तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि वह डाक्टर जो कि गांव में जाकर जनता की सेवा करना चाहता है क्या उसके लिए साधन नहीं जुटा सकते ? इस तरह से वह बसों में बैठ कर पहाड़ी स्थानों पर निरन्तर जायेगा तो क्या स्वयं बीमार नहीं हो जायेगा ? जब स्वयं बीमार हो जायेगा तो बीमारों का क्या इलाज करेगा ? तो डाक्टरों की इस प्रकार की सुविधायें जरूर मिलनी चाहिए ताकि वह निश्चित समय पर जा सकें।

सभापति महोदय, आज हम नगरों के चिकित्सालयों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें तो पता लगेगा कि चिकित्सालय सेवा के केन्द्र न रह कर प्रतिस्पर्द्धा के केन्द्र बन गये हैं। इसका कारण प्राइवेट प्रेक्टिस है। इस प्राइवेट प्रेक्टिस की वजह से वह अपना ध्यान जनता की ओर नहीं दे पाते हैं। यह प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द होनी ही चाहिए। आज जब हम कहते हैं कि एक अध्यापक स्कूल में या कालेज में पढ़ाने के बाद ट्यूशन नहीं कर सकता इसी प्रकार से हम कहते हैं कि न्यायपालिका के न्यायाधीश कानूनी मामले में सलाह नहीं दे सकते। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अस्पताल में बैठे हुए डाक्टर किसी प्रकार की प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकते ? तो इस ओर ध्यान देना होगा और इस प्रकार की उपेक्षा करते रहेंगे तो जनता के साथ अन्याय करते रहेंगे और आइन्दा आने वाले युवक हैं और डाक्टर हैं उनके ऊपर भी कुठाराघात करते रहेंगे।

स्त्री रोगों के बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्त्रियों की बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। आप जनसंख्या से हिसाब लगा लें स्त्रियों की संख्या आधी है चित्तौड़गढ़ में लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। जिला मुख्यालय के ऊपर मेटरनिटी की सुविधायें मिलनी चाहिए। मैने कई बार इस बारे में निवेदन किया कि कम से कम वहां पर गायनाकालोजी में एम० एस० एक डाक्टर की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिए परन्तु उस ओर अभी कोई सुनाई नहीं की गयी। वहां फैमिली प्लानिंग से स्टाईपण्ड लिए हुए नई नई छात्राएं आती हैं जो नवयुवतियों और माताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हैं। सभापति महोदय, इतनी बड़ी जन संख्या के भाग के साथ उपेक्षा क्यों की जाती है, क्या कारण है कि इसकी ओर ध्यान नहीं देते।

सभापति महोदय, परिवार नियोजन के बारे में, मैं संक्षेप में कुछ विचार व्यक्त कर देना चाहूंगी। यद्यपि हमने काफी अधिक धनराशि व्यय की है और यह सराहनीय कार्य है कि हमने परिवार नियोजन का इण्ट्रीग्रेशन कर दिया गया है, परन्तु जो कुछ राशि हम व्यय कर रहे हैं उनका सही मायने में उपयोग नहीं हो रहा है। आज भी हम देखें कि जन संख्या की बढ़ने की रफ्तार वही है। अगर जन संख्या की बढ़ने की यही रफ्तार रही तो इसी शताब्दी के अन्त तक हमारी जन संख्या सौ करोड़ हो जाएगी। अब आप अन्दाजा लगाइये उस भयावह स्थिति का जो इसके कारण पैदा होगी। आज जिस तरह से महंगाई बढ रही है और चीजों का अभाव है उस स्थिति में क्या होगा ? तो परिवार नियोजन के लिये केवल पैसा बांट देने से या जबरदस्ती जैसा माननीय सदस्यों ने बताया स्टरलाईजेशन-

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

करने से कोई फायदा नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है और मनोवैज्ञानिक आधार पर ही हमें जनता को और जन संख्या को इस ओर प्रोत्साहित करना होगा। उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के हमें इन्सेन्टिव देना होगा। माननीय सभापति महोदय, उसके लिए मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूं और आज फिर निवेदन कर देना चाहती हूं कि उनके लिए विशेष प्रकार की सुविधा होनी चाहिये। जो व्यक्ति परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाते हैं उन्हें एक प्रकार से, जब जमीन अलाटमेंट होती है तो उसमें उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सर्विसेज में एडवान्स इन्क्रीमेंट मिलना चाहिये। इसके अलावा एक सुझाव मैं और पुनः दे देना चाहती हूं कि जैसे कि इंग्लैंड में नेशनल हैल्थ स्कीम है, जो व्यक्ति परिवार नियोजन को अपनाता है उसके लिए पार्टली हैल्थ स्कीम क्यों नहीं लागू करते? नेशनल हैल्थ स्कीम का अर्थ है कि उनकी बीमारी के बारे में सरकार जिम्मेदार हो, सरकार की जिम्मेदारी हो कि जो व्यक्ति परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाये उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की हो, तभी यह कार्यक्रम सफल बन सकता है।

समाज कल्याण के ऊपर 5 करोड़ 59 लाख का प्रावधान किया गया है लेकिन मैं समझती हूं कि जन संख्या के अनुपात में यह राशि वास्तव में बहुत कम है। वह जनसंख्या जो कि बीस प्रतिशत है, उस जनसंख्या के लिए इतनी राशि पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। समाज कल्याण के कार्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तो पिछड़े वर्ग के कल्याण कार्य और दूसरा सामान्य कल्याण कार्य। अब हम देखें कि पिछड़े हुए वर्ग के लिए हमने समाज कल्याण का कार्य क्या किया है। माननीय सभापति महोदय, आज हम देखें कि जिन विद्यार्थियों को हम छात्रावासों में रखते हैं उनकी क्या स्थिति है? मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि आज 133 सरकार की तरफ से छात्रावास चलते हैं और 131 जो हैं वह उन व्यक्तियों के द्वारा चलाए जाते है जिनको गवर्नमेन्ट नाइन्टी परसेन्ट ग्रांट इन एड देती है। जब नाइन्टी परसेन्ट एड दे रहे हैं तब फिर उन को गवर्नमेन्ट अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती है। जो प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा छात्रावास चलाए जा रहे हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। मैंने स्वयं ने इस प्रकार का निरीक्षण किया है और देखा है कि चाहे उनकी खाने की व्यवस्था हो, पहनने की व्यवस्था हो या और कोई व्यवस्था हो, वह ठीक प्रकार से नहीं है। यहां तक कि एडमिशन जो दिया जाता है उसमें भी पक्षपात किया जाता है और विशेष वर्ग के लोग ही इसका लाभ लेते हैं।

सभापति महोदय, आज जो छात्रावासों की दशा है, उसके लिए मैं तो एक ही बात कहती हूं कि हम अलग २ छात्रावास क्यों कायम करें। आज 26 वर्ष हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किए हुए हो गए हैं, आज भी हम जातिवाद की बू क्यों भर रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि जो सामान्य छात्रावास होते हैं उन्हीं छात्रावासों में इन बच्चों को भी रखा जाना चाहिए और उनका खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। हम बराबर इस प्रकार से जातिवाद के बारे में भाषण

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

देते रहे, जातिवाद के बारे में बोलते रहें लेकिन कार्य इस प्रकार से करते रहें तो समाजवाद कहां से आएगा। यह जातिवाद निरन्तर बढ़ता जाएगा और हम कभी भी इस जातिवाद को समाप्त नहीं कर पायेंगे। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो छात्रावास हैं उनके नाम ही बदल देना चाहिए जैसे कि आदिवासी छात्रावास, मीणा छात्रालय।

सभापति महोदय, मैं उन अनुसूचित जाति और जन जाति के बारे में यह कह देना चाहती हूं कि आज अनुसूचित जाति और जन जाति के बारे में तो हम बात करते हैं लेकिन जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, जिनकी संख्या भी, बहुत बड़ी है, उनके बच्चों को न तो शिक्षा की सुविधा रहती है और न अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है। जिनको हम नोमेडिक ट्राईब कहते हैं जिनमें ये जातियां हैं-गाडोलिया लुहार, बजारे, सहारिया, कथोडरा ये आदिवासी घुमक्कड़ लोग हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि गाडोलिया लुहारों का कार्यक्रम स्व० माणिकलाल जी वर्मा ने बड़े जोर शोर से शुरू किया था। चित्तौड़गढ़ में गाडोलिया लुहारों का एक छात्रावास भी है। यह छात्रावास जहां मेरा निवास स्थान है उसके पास में ही है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूं कि वहां पर गाडोलिया लुहारों का एक भी बच्चा नहीं है। यह मैं दावे के साथ कहती हूं कि वहां उनका एक भी बच्चा नहीं है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : छात्रावास तो चलता है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : ऐसा छात्रावास चलने से क्या फायदा जिसका नाम तो गाडोलिया लुहार छात्रावास है लेकिन उनका एक भी छात्र उसमें नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें इस नोमेडिक ट्राइब की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले इस जाति को क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, अंग्रेजों के टाईम में इनको क्रिमिनल ट्राइब कहते थे और आज इनको एक्स क्रिमिनल ट्राइब कह रहे हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। उनके विकास के लिए भी हमें कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, पांच मिनिट का समय और लूंगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मैं निवेदन करूंगा कि आपके दो कटमोशन थे फिर भी मैंने 15 मिनिट का आपको समय देने की कोशिश की है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : पांच मिनिट और।

श्री सभापति : मैं आपकी मदद चाहता हूं...... -

श्री श्रीराम गोटेवाला : महिलाओं में एक ही बोल रही हैं, फिफ्टी परसेन्ट का सवाल है।

श्रीमती निर्मला कुमारी : सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहती थी कि आज उदयपुर में हमने ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट कायम किया हुआ है जहां पर अनुसूचित जाति और जन जाति के बारे में

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

अनुसंधान किया जाएगा। परन्तु क्योंकि मैं इस विषय की प्राध्यापिका रह चुकी हूं, मैं जानती हूं कि इस ट्राइबल इंस्टीट्यूट का कोई भी काम नहीं है, केवल कागजी दफ्तर मात्र है। अनुसूचित जाति के बच्चों के जीवन के बारे में किसी प्रकार का अनुसंधान नहीं है। होना तो यह चाहिए कि आज जो बच्चे जिस वातावरण से आते हैं उनके लिए वहां पर शैक्षणिक परम्पराएँ नहीं रही हैं। वे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में अनुसंधान करके उनको अधिकारियों द्वारा मदद मिलनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि समाज कल्याण विभाग को इस प्रकार के बच्चों को अपने भावी जीवन को बनाने के लिए सुझाव देने के लिए योजना बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि स्नातकों और स्नातकोत्तरों को छात्र-वृत्तियां तो दी हैं परन्तु पूर्ण रूप से सही मायने में यह नहीं मिल पाई है। आज हमने कई व्यक्तियों को नौकरियां देने के लिये रिजर्वेशन कर दिया जिसके बारे में काफी माननीय सदस्यों ने जोरदार शब्दों में कहा है और मैं भी यह अनुभव करती हूं कि उन व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल पाती। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे विद्यार्थी है जो यह समझते हैं कि चूंकि मैं एम.एल.ए. हो गई हूं इसलिए उनको नौकरी दिला सकती हूं, वे मेरे पास आते हैं और मुझे सोचने को बाध्य करते हैं कि आखिर क्या कमी है, क्यों नहीं नौकरी इनको मिल पाती है। या तो जो यहां शिक्षा दी जाती है वह पूर्णतया निरर्थक है, या यह हो सकता है कि जो सरकार की स्थिति है, जो क्रियान्वयन है, जो थ्योरी और प्रेक्टिकल में समन्वय होना चाहिए वह नहीं है, इसकी वजह से नौकरी नहीं मिल पाती है। आज हम देखते हैं कि मैला ढोने की प्रथा वैसी की वैसी बनी हुई है। छुआछूत वैसा ही बना हुआ है। कहां पर हमने कार्य पूरा कर लिया, इस ओर हमें अपनी निगाह दौड़ानी है। राजस्थान के मानचित्र को अपने सामने रखना है।

सभापति महोदय, आज हमने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की बात कही। इसके साथ ही साथ हमने और भी कई इस प्रकार के कार्य किए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भूमि आवंटन की बात भी कही है। परन्तु भूमि आवंटन वास्तव में नहीं हुआ। भूमि आवंटन कुछ व्यक्तियों को हुआ, यह कहा जा सकता है लेकिन उसमें भी उनको पट्टे नहीं दिए गए हैं। जो अन्य प्रकार के लोग हैं, अशिक्षित हैं वे किन्हीं कारणों से उन पर काबिज नहीं हो पा रहे हैं। आज निर्धनता की वजह से कुपोषण से बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। आपके द्वारा पोषाहार केन्द्र चलाये जाते हैं। पोषाहार केन्द्रों की संख्या 2100 है लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी पोषाहार केन्द्र नहीं हैं। आखिर ये पोषाहार केन्द्र किस मापदण्ड के आधार पर कायम किए जाते हैं। एक पोषाहार केन्द्र उदयपुर में मालदास स्ट्रीट में चल रहा है। जैसा इसका नाम है मालदास, उसी तरह से यहां पर मालदार लोग रहते हैं वहां पर तो पोषाहार केन्द्र है लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है, जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग रहते हैं उन लोगों को पोषाहार केन्द्र की

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

सुविधा नहीं मिल पाई हैं और पोषाहार केन्द्र में कितने घोटाले हैं वह तो आप काफी सुन चुके हैं। अब मैं यह बताना चाहती हूं कि आदिवासियों के अतिरिक्त समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या कार्य किया गया है। सामान्य व्यक्तियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो वह सामान्य व्यक्ति और दूसरा वह जो किसी कारण से बाधित हो, हैन्डीकेप्ट हो सामान्य व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था पेन्शन की प्रथा चालू की गई है। हमने कई बार चिल्ला-चिल्ला कर कहा है कि इसके लिए जो पेन्शन के नियम बनाये गये हैं वे सरल होने चाहिये। वृद्धावस्था एक ऐसा संध्याकाल है जो सभी के जीवन काल में आता है। वह कष्ट-दायक होता है और खासतौर से जिसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं होता है, उस बेसहारे को, उस वृद्ध व्यक्ति को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको मारा मारा दफ्तरों में जाना पड़ता है और फिर भी पेन्शन नहीं मिल पाती है। इस सम्बन्ध में समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि इसके प्रावधान को सरल बनाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और लूंगी। हैन्डीकेप्ड के बारे में कहना चाहूंगी। ये तीन तरह के व्यक्ति होते हैं। एक शारीरिक रूप से, दूसरे मानसिक रूप से और तीसरे सामाजिक रूप से। शारीरिक रूप से जो हैन्डीकेप्ड व्यक्ति होते हैं उनमें अन्धे, लूले, गूंगे, बहरे व्यक्ति आते है। हमारी ओर से इस दिशा में बहुत कम काम किया गया है। पहले दैवी प्रकोप समझ कर ऐसे व्यक्तियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस दिशा में जो कुछ भी कार्य किया गया है, वह नगण्य है। आज हमें उन नगरों में, जहां पर कि समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है। वहां पर अनुसन्धान क्यों नहीं करते ? कितने हैन्डीकेप्ड व्यक्ति इस अवस्था के हैं ? इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट मेरे एक साथी श्री मो. ी. जोशी ने भीलवाड़ा में किया था। उन्हे किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जहां जहां यह समाज शास्त्र पढ़ाया जाता है, वहां अनुसंधान करने के लिए कुछ राशि समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जानी चाहिये। मानसिक रूप से जो बाधित व्यक्ति है उनके बारे में भी कुछ नहीं किया गया है। बिहार में, आसाम में कुछ कार्य किया गया है परन्तु हमारे यहां पर कुछ नहीं किया गया है। सामाजिक रूप से बाधित वे व्यक्ति होते हैं जो निराश्रित हों। बच्चा, वह कुसुम है, जिन्हे परिस्थितियों वश सड़क पर कुचलने के लिए छोड़ दिया जाता है। सभापति महोदय, इस कुसुम को उठा कर के हमारे प्रान्त की समृद्धि के चित्र पर उस कुसुम को सजाना है। हमें परन्तु इस ओर हमारे प्रान्त में ध्यान नहीं दिया गया है। कई प्रकार के अनाथालय चलते हैं उनमें इन बच्चों का शोषण किया जाता है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इस प्रकार के अनाथालयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और राज्य सरकार की ओर से इस

91

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

प्रकार के अनाथालय चलाया जाना चाहिये। सामाजिक रूप से बाधित में ...

श्री सभापति : मैं निवेदन करूंगा कि जितना समय आपने मांगा उतना दिया है फिर भी आप भाषण समाप्त नहीं कर रही हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी : एक मिनिट

श्री सभापति : यह एक मिनिट कब पूरा होगा ?

श्रीमती निर्मला कुमारी : जो अनाथ बच्चे हैं, उनके विकास का, पालन-पोषण की ओर उचित व्यवस्था की जाये, तब जाकर के समाज कल्याण का कार्य प्रारंभ हो सकेगा। हम सोचें कि समाज कल्याण विभाग काम कर रहा है, यह जो कागजों पर दिखाया जा रहा है, वह काम नहीं है। यह वास्तविक रूप से काम करना नहीं होगा। वास्तविक रूप से वही काम होगा जब वास्तव में इनको सहायता देंगे इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सिर्फ दो मिनिट बोलूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ये तो आपके साथी हैं। आपके और मेरे सम्बन्ध दोस्ताना के रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो आपका शागिर्द हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, ये जो दो महकमात हैं जिनके बारे में मेरे जो दो कटमोशन हैं, वे इसमें दर्ज नहीं हो पाये हैं। एक तो चिकित्सा के सम्बन्ध में और एक सोशल वेलफेयर विभाग के सम्बन्ध में। ये दो कटमोशन दिए थे। ये दोनों महकमे इस किस्म के हैं जिनका बहुत गहरा ताल्लुक जनता से, पिछड़े हुए वर्ग से, ऐसे लोगों से जिनको कि कुछ राहत मिलना चाहिये और इसलिए इन महकमों की अहमियत हैं, इनकी जो इम्पारटेंन्स है, वह बहुत ज्यादा अधिक है। मैं ज्यादा विस्तार से न जाकर संक्षेप में ही कहूंगा। मेरा अर्ज करना यह है कि जहां तक चिकित्सा का सवाल है, कई मर्तबा कुछ मामलात यहां पर रखे हैं। गवर्नर साहब के एड्रेस के ऊपर जब वाद विवाद चल रहा था उस वक्त कुछ सुझाव मैंने दिए थे। आज भी संक्षेप में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यहां का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है अस्पतालों का वह असल में दयनीय हैं, खराब है। इसीलिए आज यहां पर जिस तरह से काम चल रहा है, उसका नक्शा यह है कि हरेक यूनिट में, हरेक डाक्टर जोकि एक परटीकूलर सेक्शन से ताल्लुक रखता है उसको दूसरे डाक्टर से किसी किस्म की नफरत होती है। मैंने पहले भी इस ओर तवोज्जह दिलायी थी। वाटर टाइट कम्पार्टमेंट की तरह हमारे अस्पतालों का स्टाफ बंटा हुआ है। एक दूसरे से सहानुभूति होने के बजाय द्वेष उनमें है। वे चाहते हैं कि फलां डाक्टर फलां यूनिट का केस अगर खराब हो जाये तो उनको मौका मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था कि यह जो मनोवृत्ति है वह इसलिए प्रोत्साहन पा रही है क्योंकि यहां के डाक्टरों में भाईचारा

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मेलजोल, अहतियात जैसी बातों का उनका दिमाग में कोई ख्याल नहीं है और न इस बात का ख्याल है कि लोगों को राहत मिले। ऐसी चीजें अस्पतालों में नहीं दीखतीं हैं। यह ठीक है, जहां तक अपने अपने यूनिट का काम है, उस यूनिट के काम में कोई दूसरा डाक्टर दखल न करे। इसके साथ साथ मेरा एक यह नम्रतापूर्वक निवेदन है कि मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिए कि यह जो स्थिति आज चल रही है, उस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है। इसके बारे में संक्षेप में गुजारिश करूंगा। आप यूनिट कायम कीजिये लेकिन हर यूनिट को स्पेशीलाइजेशन की बेसिस पर कायम कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमारे यहां पर एक डाक्टर है, वह किडनी का एक्सपर्ट है। आप उस किडनी के मरीज को वहां न भेजकर दूसरे एक्सपर्ट की यूनिट में भेज दें। जितनी रिलीफ मिलनी चाहिए वह उसको नहीं मिलेगी। जो यूनिट कायम कर रखी हैं वह चाहे मेडिकल यूनिट हो, चाहे सर्जिकल यूनिट हो, उसका डिवीजन सर्जन के क्षेत्र में हो, जितने मरीज उस परटीकूलर बेड में हो, किसी किस्म के मरीज हो, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि एक मरीज को एक मर्ज न होकर दो-तीन मर्ज हों। उसके लिए मेरा सुझाव है कि आप सभी सर्जन का, एक बोर्ड बनाइये, एक मेडिसीन के डाक्टर्स का बोर्ड बनाइये। यह लाजमी होना चाहिए कि किसी भी कम्पलीकेटेड केस में सब सर्जन मिलकर तय करें कि इसका क्या इलाज हो सकता है। यदि उस मरीज को दो तीन मर्ज हों तो किस तरह से उसको क्योर किया जाये। यह प्रथा कायम करेंगे तो जो द्वेष है और नफरत है वह दूर होगी। आज इसकी वजह से शफाखाने तसबखाने बने हुए हैं। वह नहीं होगा। खुद मंत्री महोदय प्रीसाइड करें इस बोर्ड को। इस किस्म को तस्दीक दें कि हर कम्पलीकेटेड केस जो शफाखाने में है, चाहे वह सर्जिकल केस हो, तो सभी सर्जन मिलकर तय करें, यदि मेडिकल केस है तो सभी मेडिकल के डाक्टर तय करें कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। एक बात याद आती है, एक वैद्य जी थे राज वैद्य बृजकिशोर। डाक्टर लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अपने आप ही एक बोर्ड बनाया कि कैसे इनका इलाज किया जाये। सब डाक्टर लोग बैठते थे। यह अलग बात है उनकी जिन्दगी खतम हो गई। डाक्टरों ने मोहब्बत के साथ इस कार्य को चलाया। तो मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस तरह का मेडिकल बोर्ड दोनों शाखाओं का निर्माण किया जाये ताकि डाक्टरों में आपस में जो द्वेष है वह बदला जा सके।

दूसरी शिकायत यह है कि यहां पर प्रशासन में जो ढीला इन्तजाम है उससे बड़ी परेशानी होती है। कई बार कह चुका हूं कि दवाइयां उपलब्ध नहीं होती है। जो डाक्टरों से प्राइवेट इलाज करवाते हैं उनको 25 किस्म के टैस्ट मुफ्त हो जाते हैं। और जो गरीब आदमी होते हैं, वह दस दस दिन तक वार्ड में पड़े रहते हैं। उनका टेस्ट नहीं होता है। आज मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। गरीब आदमी को जो राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। मोस्ट प्रोबेब्ली 1952 में कार्डियोलोजी डिपार्टमेंट में कार्डियोग्राम के लिए जो रकम दी गई, उसमें 50 हजार की

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

रकम तो ऐसे ही खर्च कर दी गई। 80-90 लाख की रकम एयर को ठण्डा करने के लिए उपयोग में ली गई। उन मशीनों का क्या हुआ। मैंने मन्त्री महोदय को खत भी भेजा था। इस किस्म की अनियमितताएं होती हैं। किस मसरफ के लिए रकम दी गई और किस मसरफ में काम आयी है। जहां मरीज जमीन पर पड़े रहते हैं, वहां एयर कूलर लगाये हैं कमरे को ठण्डा करने के लिए। एक मर्तबा, न्यूरोलोजी का कुछ सामान जर्मनी से आया। दो अधिकारियों के बीच में, प्रिंसिपल और सुपरिन्टेंडेन्ट के बीच में यह विवाद चलता रहा, एक कह रहा था कि तुमने आर्डर दिया और दूसरा कह रहा था कि तुमने आर्डर दिया। हमने नहीं दिया। आखिर वह सामान वापिस चला गया। आज भी वह महरुम है। और आपको जान कर ताज्जुब होगा कि वह सामान वापिस मंगाया जा रहा है। अब वह बढ़ी हुई दरों पर आयेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है। मैं समझता हूं कि प्रिंसिपल साहब अपनी जिम्मेदारी इनकम्पीटेण्ट लोगों पर छोड़ देते हैं, वह एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ठीक नहीं है दूसरे, एक कमेटी बनाई गई थी। उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन बाद में पता चला कि कान्स्टीट्युशन के हिसाब से चन्दा जमा कराया जाना चाहिए था। कोई मदाखलत नहीं कर सकते हैं। अगर कभी मीटिंग बुलाई तो उनको वक्त नहीं मिला। फिर यह भी है कि प्रिंसिपल की पोस्ट लगातार होल्ड करते हैं। फिर भी वह उसके लायक नहीं हैं। ऐसी सूरत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाये। उनमें क्या काबिलियत है। खाली फेफड़ा निकाल देना, जोड़ देना यह कोई काबिलियत है? यह कोई काबिलियत नहीं है। प्रिंसिपल के नाते, प्रिंसिपल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। उस पर विशेष दायित्व होता है। उनको तालमेल करके करना पड़ता है। यह जब ढीले ढाले हैं तो उनको वापिस करना चाहिए। ऐसी हालत पैदा करनी चाहिए जिससे सुचारु रूप से काम चल सके। इसके अलावा मुझे एक चीज इसके बारे में भी कहनी है, यह जो रिएम्बरेंसमेंट का तरीका है, इसके बारे में पहले भी कह चुका हूं। 3 सैक्शन्स हैं, जो इससे फायदा उठाती है। पहले तो डाक्टर लोग हैं। दूसरे जो दवाई बेचने वाले हैं और तीसरे मुलाजमान हैं। यह तीनों सैक्शन्स हैं जो बहुत ही भ्रष्ट तरीके से रिएम्बरेंस हासिल करते हैं। पैसा वसूल करते हैं। 6-6 महीने बीमार रहते हैं। ऐसे लोग जो मुस्तिकिल बीमार रहते हैं तो फिर उनको सेवा से मुक्त कर दिया जावे। उनको मुक्त कर दिया जाये ताकि वह किसी दूसरी जगह जाकर अपना इलाज कराये। मेरा मतलब उनको हैल्थ सेण्टर में भेज दें। मैंने एक अल्टरनेटिव प्रपोजल रखा है। वह यह है कि आप मेहरबानी करके जो 500-700 रुपये तनख्वाह पाने वाले हैं। उनके लिए एक फिक्स अमाउन्ट मेडिकल रिएम्बरेसमेंट के आधार पर दे दें। अगर कोई संगीन मर्ज हो तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि बोर्ड बैठाया जाये। उसको ज्यादा रकम दे दी जाय। जो गरीब लोग मेडिकल होस्पीटल में दाखिल होते हैं, उनका क्या होता है। अधिकारी कतई ख्याल नहीं रखते हैं। मेरा आज फिर संजीदगी से निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इस सिस्टम को खत्म कर दें। अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे लोग कितनी रकम हासिल करते हैं। जिनका ताल्लुक डाक्टरों से होता है, बड़े लोगों से

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

होता है, वह बहुत फायदा उठाते हैं। इस चीज की तरफ फौरन कदम उठाना चाहिए। इस मर्तबा मन्त्री महोदय ने जो कदम उठाये हैं, जो कैमिस्ट नकली दवाई बनाते हैं, मैं यह तो नहीं चाहता हूं कि जो बेगुनाह लोग हैं, उनको हैरान किया जाये। मगर मैं यह चाहूंगा कि यह बात खत्म होनी चाहिए। वह एक एक कानून के बारे में नजर रखते हैं। वह यह नजर रखते हैं कि नया कानून बनेगा तो रिश्वत लेने के क्या क्या तरीके बनायेंगे इसके खिलाफ गवर्नमेंट को सख्ती से कदम उठाना चाहिए। वह इन्सानों की जिन्दगी से खिलवाड़ करते हैं। मैं ऐसे वाकयात लाया हूं। ऐसा मैंने पहले भी रखा है। अब मैं पुलिस में मामले देने को तैयार हूं। लेकिन वहां उनके ताल्लुकात ऊपर तक होते हैं। मैं समझूं कि जो प्रोत्साहन देते हैं, वह भी उन्हीं जरायम के मुन्तकिल हैं। लेकिन उनके कुछ अधिकार हैं। उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कि लोगों को प्रोत्साहन मिले इसके अलावा मैं थोड़ा सा यह भी अर्ज करूंगा कि यह जो होस्पीटल है, यहाँ ओवर स्टाफ है।

श्री केदारनाथ : श्री खेतसिंह जी पधार गये हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यहां के होस्पीटल में ओवर स्टाफ है। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया एक्ट के तहत, अण्डर सेक्शन 33 आफ दी मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया एक्ट कुछ मियाद बने हैं, सौ स्टूडेन्ट पर कितना स्टाफ होना चाहिए-यह मयाद कायम किये गये हैं। 1965 में जो कानून था, वह 1970 के अन्दर रिपील कर दिया गया। 1970 में मेडिकल कौंसिल के डाईरेक्टर ने सचिव को लेटर भेजा कि 1970 में जो कानून बनाया गया है, उसके मातहत जो मयाद कायम किये गये हैं उनका अमल करना चाहिए। उसमें दो कैटेगरी रखी गई हैं, एक प्रोफेसर, एक रीडर। लेकिन आपने चार केटेगरी रख रखी है। उन्होंने कहा कि अगर तीन यूनिट भी हो तो एक प्रोफेसर और बाकी के सब रीडर किये जा सकते हैं। और रीडर की तादाद भी इतनी नहीं होनी चाहिए, वह कम होनी चाहिए। आपके यहां बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े रीडर इतनी तादाद में भरे हुए हैं कि उनसे एक कालेज चलाया जा सकता है, एक नया हास्पीटल चलाया जा सकता है। यह बदकिस्मती है कि इतने प्रोफेसर और रीडर जमा कर दिये गये हैं। यह बड़े काम्पीटेंट लोग हैं, उनकी काम्पीटेंस पर नाएतबार नहीं है। लेकिन ओवर स्टाफ होने के बारे में गुजरिश है कि मैंने केलकुलेशन किया था, जल्दी जल्दी में किया था, उनमें हेरफेर हो सकती है, मेरा कहना यह है कि मेडिकल कालेज के अन्दर प्रोफेसर के उपर 1 लाख 45 हजार खर्च होता है, जबकि अगर मयाद के मुताबिक, मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया एक्ट की दफा 33 के मुताबिक जो मयाद कायम किये हैं, 100 स्टूडेंट पर इतने प्रोफेसर, इतने रीडर होने चाहिये, उसके उपर स्टिक किया जाय, तो मैं समझता हूं कि एक लाख रुपये की बचत होगी और इस एक लाख की बचत का सही उपयोग हो सकेगा। मैं नहीं समझता कि क्या वजह है कि इतने लोगों को जमा किया गया है। एक बजाहिर वजह मालूम होती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, दिली रिश्ता है, दिली रिश्ता वह

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

नहीं, जो शायराना होता है, जो दिल की कमजोरी है, उस दिल की कमजोरी को रोकने और दिल को ताकत देने की शक्ति इन डाक्टरों में मौजूद है और इस केबिनेट में इस किस्म के लोग हैं जिनके दिल को यह डाक्टर कंट्रोल करते हैं, लोगों के दिल को, लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं और हमारे अधिकारियों और मिनिस्टरों को इस बात से परेशानी हो जाती है कि इन प्रोफेसर को बदल दिया गया तो हमलोग शायद दो रोज भी जिन्दा नहीं रहेंगे क्योंकि वह कुछ न कुछ ब्लड प्रेसर आदि की नाप तोल करते रहते हैं और मिनिस्टर साहब को इस मामले को लेकर बेएतमादी पैदा हो जाती है ....

श्री खेतसिंह : अगली मर्तबा आपको पकड़ लेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दूसरी तरफ यह भी कि डाक्टर को ख्वामख्वाह मौका मिलता है शोषण करने का। मेरा सुझाव है, आप सरक्यूलर देखिये, लैटर देखिये, एक्ट देखिये, जिसके मातहत की सरक्यूलर जारी किया गया है और ओवर स्टाफ जो हास्पिटल में हैं उस स्टाफ को महरबानी करके कट कीजिये ...

श्री केदारनाथ : अब तो केबिनेट में ऐसा आदमी नहीं है जिसको ब्लड प्रेसर हो या हार्ट ट्रबल हो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सब हैं।

श्री खेतसिंह : आपको पकड़ लेंगे अगली मर्तबा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं बहुत इलाज करता नहीं हूं बीमारी का !

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मुझे थोड़ा सा अर्ज करने का मौका और मिल जाय।

समाज कल्याण के बारे में मैं चन्द सुझाव रखना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है, प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स एक्ट के मातहत प्रोबेशन हाउस बने हैं, इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के होस्टल बने हैं, उनके मकानात हैं। उनके बारे में मेरी मान्यता है कि जरूरियात के मुताबिक काफी नहीं है और उन पर विचार होना चाहिए। दूसरी चीज है, वह यह है कि बच्चों के खाने की हद मुकर्रर की गई हैं, वह आठ दस साल पहले मुकर्रर की गई हैं, वह आती हैं दस पैसे का नाश्ता और पन्द्रह पैसे की तरकारी दी जाय। इसके बजाय यह मयाद होती कि इतने वजन की तरकारी और इतना नाश्ता, इतना आटा दिया जाय तो बच्चे भूखे तो नहीं मरते। यह शिकायत आती है कि दस पैसे का बच्चों को नाश्ता दिया जाता है, वह दस पैसे का नाश्ता क्या होता है। उस वक्त अगर क्वान्टिटी मिकदार मुकर्रर कर दी जाती है तो यह स्थिति नहीं आती। इस तरह आप तवज्जह फर्मायें अगर बच्चों को दस पैसे का नाश्ता देंगे और पन्द्रह पैसे की तरकारी देंगे तो क्या बच्चे तरक्की करेंगे।

दूसरे सुझाव के बारे में निवेदन करना है वह यह है कि यहां बेगर रास्ते में घूमा करते हैं, यहां छोटा सा आपने हाउस बना रखा है बेगरों के लिए जबकि यहां हजारों की तादाद में बेगर घूमते हैं। मैं तो शर्म

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

को वजह से डूब जाता हूं। यह मैं जब देखता हूं कि मन्दिर के सामने खड़ा होकर बनिया दाने फकीरों मे बांटता है, उसकी ओर सौ पच्चास बच्चे लपकते हैं, उनके हाथों पर चार चार दाने वह रख देता है। उस पर मुझे गुस्सा आता है कि वह बच्चों का शोषण करता है, और उन पर भी गुस्सा आता है, जो खड़े हुए देखते रहते हैं। हम समझते हैं कि पूजा है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब अमेरिका के लोग उनका फोटो लेते हैं। पहले जो अमेरिका का दूध बांटा करते हैं, मैंने प्रोटेस्ट किया था, यह क्या जलालत की बात नहीं हो सकती। हम देखते थे, हमारे बच्चे दौड़ते थे, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे गुस्सा आता था उस बनिये पर, और चाहता था कि मन्दिर की सीढियों से उतार कर इसे धक्का दे दिया जाय जो बच्चों का शोषण करता है। मैंने सुझाव रखा था, बेगर्स के लिए बड़े बड़े हाउस बनायें, तो वह युजफुल अंग हो सकते हैं। ऐसा तजुर्बा भी किया गया है, अजमेर में किया गया है, अजमेर के बेगर हैं उनकी सोसायटी चल रही हैं, उनका काम चल रहा है और खूब काम वह लोग कर रहे हैं। हमारे यह होनहार बच्चे इस फिजां में पलेंगे तो क्या हाल होगा? हमारे मुल्क का भविष्य उनके हाथों में है। आप हमारे भविष्य को तारीक रखना चाहते हैं, तो यह जुदा बात है। मेरी गुजारिश है कि मेरे सुझाव पर आप तुरन्त तवज्जह फर्मायें और जो बेगर होम हैं इनमें इन्क्रीज करें। इसके अलावा जो केन्द्र हैं, उनकी शिकायतें आई हैं। हो सकता है वह सही हो। उनकी तरफ भी प्रशासक महोदय को, मंत्री महोदय को तवज्जह करनी चाहिए जिससे इस पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। अगर एम. एल. ए. किसी चीज को कन्ट्रोल करते हैं, तो यह फर्ज है कि उनके कन्ट्रोल में यह चीज रखी जाय। और जो इन्सपेक्टर रिश्वत खोरी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जायं। आज मैं किसी को दोषी या निर्दोषी डिक्लेअर करने के लिए तैयार नहीं हूं, न मैं डेप्थ, गहराई के अन्दर गया हूं। मेरा सुझाव है कि इस तरफ तवज्जह फर्मायें और जो इसमें गड़बड़ी चल रही है, इस महकमे के अन्दर, उनकी तरफ आप तवज्जह करें।

आपके यहां के समाज कल्याण के कुछ काम ऐसे हैं, जैसे आप पैसा देते हैं समाज कल्याण वाले कमेटियों को, वह पैसा देते हैं आज जो सिर पर मैला ले जाने की प्रथा है, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन जो कमेटियां हैं, वह भुखमरी है। वहां पैसा जाता है और वह पैसा दूसरे कामों में खर्च कर दिया जाता है। यह प्रथा चली आ रही हैं जो हमारे लिए और मुल्क के लिए शर्मनाक हैं। उसका अन्त नहीं होता है। आज मिसाल के तौर पर दो तीन शहरों का नाम लेते हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण का रुपया म्युनिसिपेलिटी को दिया जाता है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका उपयोग इस तरह हो सकता है कि मुल्क इस काम को अपने हाथ में लें और हाई लेबल पर, वार लेवल पर, लड़ाई के लेवल पर, जंग के लेवल पर इस मसले को हल करें। इस चीज को इस मन्जर को आप देख सकते हैं। वसे आप क्यों देखेंगे, आप सिविल लाइन में रहने वाले हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले हैं।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

हम शहर की गन्दी बस्तियों में रहते हैं। हमें मालूम हैं, कितना तकलीफ देह यह है। मैं मन्त्री महोदय को और मंत्रिमण्डल में बैठे हुए हैं, उनसे अपील करूं, खुदारा आप इस प्रथा को खत्म करिये, यह आपके लिए ही नहीं, पूरे मुल्क के लिए शर्म का बायस हैं। यह दिक्कत की बात नहीं है, अलबत्ता आप मजबूती के साथ कदम बढ़ाने के लिए तयार हों। यह बहुत बड़ा काम नहीं हैं। इसलिए गुजारिश हैं, आप भी जनाब इस पर गौर फर्मायें और जल्दी से जल्दी इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश करें।

इसके बाद मैं बहुत आभारी हूं, सभापति महोदय, मुझे इजाजत दे दी। मैं अकेला बोलने वाला हूं। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। लेकिन मैं मिनिस्टरों से बात करके उनका हल करा सकता हूं। इस लिए मेरी गुजारिश है, जो कमेटी बनी है, उनको आप विशेष अधिकार दीजिये। आपके हॉस्पिटल में जो दवाखाना चल रहा है, उस दवाखाने ने बड़ा रिलीफ अबकी मर्तबा दिया है, वहां नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर दवा दी जाती है। इसी तरह के, इसी किस्म के दवाखाने हैं वह हर हास्पिटल में स्थापित होने चाहिए चाहे उसी सोसाइटी के द्वारा हों या सरकार के द्वारा हों-इसमें कुछ नहीं कहना हैं। उस सोसाइटी में जो जगह की कमी है, उसकी तरफ बराये करम तवज्जह फर्मायेंगे और सहूलियत पहुंचायेंगे। जो लोग बिला किसी मुआवजे के, बिला किसी आपसे सताइस तारीफ किये हुए काम चला रहे हैं, नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर, ताराचंद गंगवाल, जिसकी जिन्दगी के चालीस साल इस हाल में गुजरे हैं, वह शख्स राजस्थान के अन्दर बेनजीर इन्सान है, जिसने बड़ी मुश्किल से और बड़े इरादे से इसे चलाया है। अगर आपकी ख्वाहिश है कि नो प्राफिट नो लास बेसिस पर दवा मिले तो वह जगह चाहता है। मंत्री महोदय ने वायदा फर्माया है कि वह जगह देंगे। वह तशरीफ फर्मा नहीं है, मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि मेरा पैगाम उनके पास पहुंचा दीजियेगा ताकि जल्दी से जल्दी काम सुचारू रूप से चलाया जा सके।

बस मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीराम गोटेवाला

श्री मूलचन्द सामरिया : ये लोग तो एक ही कमरे में रहते हैं, खुद डाइरेक्टर भी कह सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार) : सभापति महोदय, चिकित्सा और समाज कल्याण के संबंध में मैंने 4 कटौती प्रस्ताव दिये हैं। जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबंध में उपयोगी सुझाव दिए हैं और ये सारी बातें जो उन्होंने कही हैं उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय वर्तमान चिकित्सा मंत्री जब इस सदन में विधायक की हैसियत से बैठा करते थे, इन सारी की सारी बातों को उन्होंने भी कहा है। इसलिए उन "चाहिए" को मैं रिपीट नहीं करता। जिस "चाहिए" का बार बार वह उल्लेख करते थे उस "चाहिए" के बारे में उनसे अनुरोध करूंगा कि उस "चाहिए"

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

को एग्जीक्यूट करने की स्थिति में हैं, चाहे कितने खतरों का सामना उन्हें करना पड़े उनको कदम उठाने चाहिए। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री बनते ही सबसे पहले यहां का चिट सिस्टम खत्म किया हालांकि यह उसकी शुरूआत है। अब भी जिन डाक्टर्स की आउटडोर में ड्यूटी रहती है और जिस समय पर उनकी ड्यूटी होती है जैसे 8 से 12 तक, उसमें अभी भी, कई बार देखा है, बड़े डाक्टर अवेलेबुल नहीं होते हैं। इन बड़े डाक्टरों को इस बात के लिए बाध्य करना चाहिए कि वे उस समय उपस्थित हों ताकि आम आदमी, जो आशा करता है कि उसे अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी, वह उसको मिल सके।

दूसरा मुझे दवाइयों के बारे में निवेदन करना है। आज राजस्थान में जो सबसे बड़ा अस्पताल है एस. एम. एस. अस्पताल या जनाना अस्पताल या टी. बी. सैनेटोरियम या छोटी-मोटी डिस्पेंसरीज हैं, उन सबकी स्थिति यह है कि वहां पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, बेन्डेज तक नहीं मिलती और गरीब आदमी जिसको राहत देने की बात करते हैं और माननीय सदस्यों ने चिकित्सा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने मंत्री बनते ही कहा था कि एक आम आदमी की सुविधा में और मंत्री की सुविधा में कम से कम इस चिकित्सा के क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं आने दूंगा। लेकिन स्थिति अभी भी उसके विपरीत है। साधारण व्यक्ति पर लगभग 5 पैसा प्रति व्यक्ति दवाइयों का खर्चा राजस्थान में पड़ता है। आज 5 पैसे में इन्सान कुछ भी नहीं ले सकता। हम चाहें तो बड़े लोगों की सुविधाओं में कटौती करें लेकिन जिस कल्याणकारी राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि आम आदमी को जितनी सुविधाओं की आवश्यकता है वह दे सकें।

(4. 2. म. प.)

(सभापति, श्री भानुकुमार शास्त्री पीठासीन)

दूसरी बात, हम 80 हजार रुपए खर्च करके एक डाक्टर तैयार करते हैं। जब वह डाक्टरी पास करके बाजार में बेरोजगारी की स्थिति में सड़क पर घूमता रहता है तब उसमें भयंकर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। प्लान में डिफेक्ट्स हैं। हम राज्य के नागरिक का 80 हजार रूपए लगाकर उस आदमी को रोजगार का साधन मुहैया नहीं करा पाते तो उस नौजवान में फ्रस्ट्रेशन होता है। जिन डाक्टरों की हम पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं एम. बी. बी. एस. या एम. डी. होकर निकलते हैं उनको किसी भी प्रकार से हम रोजगार देने की व्यवस्था करें। इस समय सात हजार रुपए ऋण की सुविधा उनको दी जाती है। आज जबकि भयंकर महंगाई है, उस स्थिति में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह अपनी प्राइवेट क्लीनिक इस पैसे से चला सकता है। जब स्वास्थ्य मंत्री विधायक थे तो वह बताया करते थे कि चीन ने इस प्रकार का कोर्स प्रारम्भ किया है कि अगर उसको यहां पर लागू करें तो केवल 10 हजार रुपए खर्चा करके हम डाक्टर बना सकते हैं, आज केवल बड़े आदमी का लड़का ही डाक्टर बन सकता है। गरीब आदमियों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

के लिए वह स्थिति नहीं है। तो चिकित्सा मंत्री इस बात को सोचे और ऐसी व्यवस्था करें जिससे बहुत कम खर्चे व लम्बे कोर्स से बचा जाए। जिस प्रकार वह चीन का उदाहरण स्वयं दिया करते थे, उस प्रकार की व्यवस्था करें।

मेडीकल बिल्स के बारे में बहुत कहा गया। थोड़ी चेकिंग हुई है, थोड़ा असर पड़ा है, फिर भी मैं जरूर निवेदन करूंगा कि अब तक आप इस प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सभी कहते हैं कि पहले वाले मोहनलाल छंगाणी जो विधान सभा सदस्य थे वह मंत्री बनते ही बदल गए। अब स्थितियाँ दूसरी हैं। पहले तो स्वयं उनके द्वारा ये प्रश्न उठाए जाते थे। मैं मानता हूं कि उनके सामने भी दिक्कतें हैं, आर्थिक कठिनाइयां हैं लेकिन ···

श्री वृद्धिचन्द्र जैन . अब जिम्मेवारी आ गई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अपने को खाली महसूस कर रहे हैं ··

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपका साथी बनना चाहता हूं ताकि खालीपन महसूस न करूं। मुख्य सचेतक कह रहे हैं कि सुरेन्द्रजी से निवेदन करूं कि जिस सीढ़ी पर वह चढ़ना चाहते हैं उस पर मैं कंधा देने को तैयार हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने अंगूठा तो नहीं बताया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने अंगूठा नहीं कहा। छंगाणीजी चुटकले के रूप में कहा करते थे कि एक बार रूस का डेलीगेशन हिंदुस्तान में आया। वह डेलीगेशन सारे हिन्दुस्तान में 15-20 दिन घूमा। जब वापिस जाने लगा तो पत्रकारों ने पूछा कि इस देश में क्या देखा ? किस चीज से प्रभावित हुए ? उन्होंने कहा हम भगवान को नहीं मानते लेकिन अब हमारी आस्था भगवान में हो गई है। लोगों ने पूछा क्या बात हुई तो बोले हमको पता नहीं यहां पर कैसे सारी व्यवस्था चल रही है, किसके भरोसे चल रही है। सारी व्यवस्था को चलाने के लिए जो स्थितियां चाहिए जो तड़प चाहिए जो परेशानी चाहिए, वह नहीं है। मुझे खेद है कि मेरे दल के लोग जो सरकार में हैं और हम भी सरकार के पार्ट एण्ड पार्सल हैं हममें जो तड़प होनी चाहिए, वह नहीं पाते हैं, केवल मात्र भगवान के भरोसे चलकर, केवल यह बात कह कर कि हमारे सामने यह संकट है, हम बच नहीं सकते। संकट तो हमेशा रहेगा। संकटों से लड़ने वाला हमेशा जीवित रहता है, संकटों के आगे सर झुकाने वाला आदमी खतम हो जाता है। जिस संदर्भ में मैंने यह बात कही वह केवल समाज कल्याण विभाग की है। सन् 1969 में जयपुर में 22 लाख रुपये गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर हमने भन्गी मुक्ति आन्दोलन के लिये दिये थे। आज हम भाषण तो लम्बे चोड़े उसके पीछे दे देते हैं पर इन भाषणों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या हम आज जयपुर में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर सके हैं। आज लाखों रुपये खर्च करके भी आपने वह प्रथा बन्द नहीं की इसके बारे में मैंने सदन में एक प्रश्न भी पूछा था

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हम इसे समाप्त नहीं कर सके। सभापति महोदय, यह उस वक्त तक समाप्त नहीं हो सकेगा जब तक कि हम दृढ़ संकल्प नहीं ले लें। आज हमारे भारतवर्ष को आजाद हुए 26 वर्ष हो गये हैं पर हम अभी हमारे समाज की इस बुराई को कि एक इन्सान का मैला दूसरा इन्सान अपने सिर पर ढोये समाप्त नहीं कर सके हैं। आज लाखों रुपये हमने इस पर वेस्ट किये हैं। कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिये यह। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि यह समाज की बुराई हमेशा के लिये समाप्त हो।

सभापति महोदय, हमने करीब 9 लाख रुपये पिछड़े वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिये जयपुर में सेंक्शन किये थे पर अभी तक हम उन्हें भी मकान बनवा कर नहीं दिला सके। इसमें कई प्रशासनिक दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। सभापति महोदय सन् 69 में मकान बना कर देने थे आज सन् 74 आ गया है। कहां सन् 69 और कहां सन् 74 हम उसके लिये व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। इस बात के लिये हमें गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमने यह वायदे किये थे कि हम हरिजनों के मोहल्लों में और समाज कल्याण के पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में बिजली देंगे और उनके लिये पीने की समस्या के हल के लिये वहां पर नल लगवायेंगे पर अभी तक वह व्यवस्था भी नहीं हो पायी है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने जो घोषणायें की हैं उन्हें पूरी नहीं कर पा रही है। आज आपने 25 लाख रुपये इन बस्तियों के लोगों को पीने के पानी की समस्या के हल और बिजली की व्यवस्था के लिये प्रावधान किया था क्या आपने अपना टारगेट पूरा कर लिया? नहीं किया तो उस टारगेट को एक्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह हमारी सरकार पर है हमारे ऊपर है? क्या कारण है कि हम उन 25 लाख रु० इनमें नहीं खपा सके हैं। इसका कुछ भी कारण हो पर हमें इसके लिये कदम उठाना पड़ेगा। सभापति महोदय, यहां पर सदन में कई बार पोषाहार केन्द्रों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन किया गया है और जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त मैंने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लिया तब भी इसका उल्लेख मैंने किया था। आज जब सभी कह रहे हैं कि इनमें भ्रष्टाचार है यह है यह है तो फिर क्या आपने इसके लिये कदम उठाये हैं? और जब आप को पता है कि यह गरीबों के लिये पोषाहार केन्द्र खोले गये हैं और उनमें भ्रष्टाचार का मालूम होने के बाद भी आप उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो मन में दुख होता है। इसके लिये पहले माननीय मन्त्री जो ने एक प्रश्न भी किया था सदन में जब यह विधायक थे और ओंकारलाल जी उस वक्त समाज कल्याण विभाग के मन्त्री थे उन्होंने कहा था फाइनेन्सिंग हाउसिंग सोसाइटी में इन पिछड़े वर्ग के लोगों से फीस माफ करने के बारे में लेकिन मुझे खेद है कि इस बजट में मुझे वकीलों की फीस नहीं लगे उसकी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है। आपने बजट में 5 करोड़ और कुछ लाख

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

रुपये का प्रावधान किया है लेकिन उसमें आपने यह कहा कि इन लोगों को समाज के पिछड़े वर्ग को जो रकम बिना ऋण के दी जाती थी वह अब समाप्त कर दी गयी। वह सुविधाएं आपने वापिस ले लीं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या आपने अपने टारजेट पूरे कर लिये हैं इसलिये आपने यह सुविधायें हटा ली हैं लेकिन माफ करेंगे मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे टारजेट थे वह पूरे नहीं हुए उसमें जो चाहे उसमें प्रशासनिक दिक्कतें हैं या और कोई लेकिन अपने लक्ष्य पूरे तो नहीं हुए। हां यह बात जरूर है कि कुछ चन्द लोगों के मकान तो जरूर बन गये हैं। तो मैं मन्त्री महोदय को अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन चीजों के लिये हमने वायदे किये हैं, जिनके लिये हम कमीटेड हैं उन्हें तो कम से कम जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय। आपने चुनाव के वक्त वायदे किये कि हरिजनों को मकान बनाकर देंगे पर आप आज व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बड़े खेद का विषय है। इसमें जो भी प्रशासनिक दिक्कतें हैं उसके लिये बेचारे शिड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को तो परेशान नहीं करना चाहिये। आज आप उनको ऋण पूरा नहीं देते हैं और दो किश्त होते ही पहली किश्त वालों के लिये मांग शुरू कर देते हैं। यह क्या बात है उसका मकान तो अधूरा पड़ा है और आप उससे किश्त वसूल करने पहुंच जाते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है कि जिस बात के लिये हम वायदा करते हैं कमिटमेंट करते हैं वह पूरी नहीं करते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर तुरन्त कार्यवाही करावें।

सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग को सबसे महत्वपूर्ण महकमा मान कर चलता हूं क्योंकि समाज कल्याण के सभी काम इसी के द्वारा किये जाते हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे जयपुर में चांदपोल के बाहर करीब दस हजार भिखारी लोग रहते हैं यह भिक्षावृत्ति करते हैं। आज हमने भिक्षावृत्ति को बन्द कर रखा है फिर भी इनके बारे में हमने कुछ भी नहीं किया है। सभापति महोदय यह दस हजार व्यक्ति बेरोजगार हैं और मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूरे हिन्दुस्तान में चान्दपोलियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। अभी हमारे सदन में जैसा कि माननीय श्री मोहम्मद गफ्फार अली ने कहा था कि अजमेर में भी यह समस्या बहुत भारी है। सभापति महोदय मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस दुर्व्यवस्था को दूर किया जाय। यह हमारे लिये बहुत ही शर्मनाक बात है कि लोग भीख मांगते हैं और हम उन्हें कोई रहने को मकान नहीं बनवा कर दे सकते, उन्हें कोई काम धन्धा नहीं दिला सकते हैं। फिर हमारी क्या कल्याणकारी सरकार हैं।

श्री मीठालाल : आप भी उन्हीं में से हैं क्या ?

श्री श्री राम गोटेवाला : मीठालाल जी ज्यादा मत बोलो मैं तो उन्हीं में से हूं ही आप भी उन्हीं में से हैं क्योंकि आपकी भी दुकान चान्दपोल में है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां पिछड़े वर्ग के लोगों के क्षेत्र में न तो कोई रहने को मकान है न वहां पर सड़कें हैं न बिजली और पानी की व्यवस्था ही है। सभापति महोदय आज

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

विदेशों से लोग यहां आकर हवामहल के सामने हवा महल की फोटो लेते हैं पर उस हवा महल के नीचे ही काफी तादाद में भिखारी भी बैठे रहते हैं कई लोग कोढ़ियों में से भी होते हैं। कई भिखमंगे उन के सामने भीख मांगते दिखाई देते हैं यह कितनी दयनीय स्थिति है। सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है कम से कम इसको यहां तो बन्द करावें। आज अपने दिल्ली में भिक्षा वृति पर रोक लगादी है उसी प्रकार क्या आप यहां पर रोक नहीं लगा सकते हैं? मैं समाज कल्याण विभाग के मन्त्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, आज हमको भारत सरकार से इसके लिये ग्रान्ट्स मिलती है राज्य सरकार भी कुछ धनराशि इसके लिये रखती है उन्हें चाहिये राज्य उन लोगों के लिये जो कि झोंपड़ी में रहते हैं उनके लिए सड़कें बनाये, उनके मकान बनायें जब धन आपने सेंक्शन किया है तो फिर आप उन प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से चाहे आपने कोई कारण रहा इनको पूरा नहीं किया है उसे दूर करें। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से मिला उन्होंने अधिकारियों को भी बुलाया पर इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। काम के नाम पर जीरो है आज भी वही स्थिति है। जब आपने उन के लिये कमिटमेंट किये हैं तो फिर क्या कारण है आप पूरा नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं कुछ समाज कल्याण विभाग के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बहुत हालत खराब है आज वहां के जो कर्मचारी हैं उनका फिक्सेशन ही नहीं हुआ है कई लोग उसमें ऐसे हैं जो कि पुराने एडजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाय। मैं समाज कल्याण मन्त्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि लाखों रुपये की गड़बड़ी आज समाज कल्याण विभाग में हो रही है उसकी जांच करायी जाय।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ एलोपेथी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो सदन में काफी चर्चा एलोपेथी के बारे में इस सदन में हो चुकी है। सभापति महोदय मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जयपुर में हरिजनों की बस्ती में कोई अस्पताल नहीं है उसके लिये अस्पताल की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। सभापति महोदय आज जयपुर में करीब 5 हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रेक्टिशनर हैं जो कि एलोपेथी की प्रेक्टिस करते हैं। आज भारत सरकार ने अपने जो प्राइवेट प्रेक्टिश्नर्स हैं उनको काफी सुविधायें दी हैं मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को भी सुविधायें दें।

(4-17 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन सभापति पदासीन)

जिस प्रकार सरकार ने उनके लिये नियम बनाये हैं उसी प्रकार आप भी नियम हमारे राजस्थान में बनावें ताकि उनको राहत मिले। इसके अलावा मैं कुछ होम्योपैथी के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सभापति महोदय मैं दो मिनट और लूंगा। आज हमारे यहां होम्योपैथी का एडवाईजरी बोर्ड पूरा नहीं है। उनके सदस्यों के पद खाली हैं पर कोई नियुक्ति राज्य सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह उन पदों को भरे और अगर आप नहीं भरना चाहते हैं तो तो मना करें और कहें कि हमारे क्षमता के बाहर है नियुक्ति करना। साफ 2 तो कहें। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तो भरो। आप कम से कम उनके लिये प्रिन्सीपल की भरती तो करो। सभापति महोदय यह होम्योपेथी की जो प्रणाली है उसमें मैं बहुत ही प्रभावित हूं क्योंकि मैं खुद उस दवा को लेता हूं। यह एक सस्ती और गरीबों के लिए खासतौर से फायदेमन्द है। आज इसके लिये 25 लाख रुपये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के काल में व्यय करने का प्रावधान था पर वह आपने पूरा नहीं किया। मेरे तजुर्बे से यह कह सकता हूं कि गरीबों की इस चिकित्सा पद्धति को बढावा दिया जाना चाहिये। इस के लिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि होम्योपैथी बोर्ड में एडवाईजरी बोर्ड के मेम्बर हैं उनकी नियुक्ति की जाय उसके साथ ही यह भी मांग करता हूं कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय और इसके लिये नियमानुसार चुनाव कराये जायं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस ओर गम्भीरता से सोचें। आयुर्वेद के बारे में भी मुझे थोड़ा सा निवेदन करना है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि जब वे विधायक थे तो यह कहा करते थे कि इससे कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी आयुर्वेद के अन्दर होता है, उसको वे सदन के अन्दर कई बार कह चुके हैं, मेरे से अधिक। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आयुर्वेद पर ध्यान लगाइये आज जिस गुटबन्दी में राजस्थान का आयुर्वेद विभाग फंसा हुआ है उसको उससे उभारिये। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति में, मैं यही कह कर चल सकता हूं, एक सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है। एलोपेथी सर्जरी में जरूर आगे है। सर्जरी के अलावा आयुर्वेद अच्छी चिकित्सा पद्धति है। परन्तु इसमें होता क्या रहा है ? इस बारे में काफी शिकायतें हैं। मिलावट होती है। च्यवनप्राश में आंवला नहीं और इस प्रकार कई गड़बड़ की चीजें हैं जो कि इसमें चलती हैं।

एक माननीय सदस्य : आपने काम में लिया है च्यवनप्राश ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : च्यवनप्राश क्या मुझे और दूसरी बूटियां काम में लेनी पड़ेंगी।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो कमियां हैं, जिनको मैं सदन में नहीं प्रस्तुत कर सकता हूं उनको दूर करवाने की कृपा करें।

श्री भीखाभाई : ओन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन सर। माननीय सदस्य इस मंत्रालय की आलोचना कर रहे हैं या विकास की बात कर रहे हैं ?

श्री सभापति : मंत्रीजी को याद दिला रहे हैं जो उनके साथ साथ और बातें किया करते थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आयुर्वेद के लिए निवेदन कर रहा था कि आयुर्वेद के

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

विकास के लिए बंटकर व्यवस्था करना चाहिए । 25 आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोलने की बात कही जाती है । साधनों की भी बात कही जाती है । साधन जुटाने की बात पर राजस्थान में इसकी कोई कमी नहीं है । इतनी बिल्डिंग्स वगैरा पर खर्चा करते हैं, जयपुर में भी बनवाने की बात कर सकते हैं पिछले तीन साल से मामला पड़ा हुआ था, सोर्सेज नहीं दे पा रहे हैं उसका भी काम चालू होवे । जन सहयोग के लिए वे सारी सुविधाएं जुटाने का प्रयत्न करें जिनको आवश्यकता है ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय चिकित्सा और समाज कल्याण मंत्रीजी इनको देख और मेडीकल कालेजेज से जो लड़के निकलते हैं उनमें असन्तोष रहता है उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और आम आदमी को किस प्रकार से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं और गरीब मोहल्लों में पानी और बिजली पहुंचाने का फैसला राजस्थान सरकार ने लिया है उसको किस प्रकार से क्रियान्वित करा सकते हैं । हजारों गरीब लोगों को मकान बनाने के काम में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए माननीय मंत्रीजी प्रयत्न करें । राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवायें इनको दिलवाने की घोषणा माननीय मंत्री महोदय ने यहां की थी उनको किसी प्रकार से ऋण आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि यह गरीब तबका आगे बढ़ सके ।

केवल एक बात और कह कर मेरी बात समाप्त करूंगा । राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को जमीन देते हैं लेकिन जमीन के साथ डेवलपमेंट के साधन देने चाहिए वे नहीं दे पाये हैं । इसलिए समाज कल्याण मंत्रीजी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हरिजनों, गरीबों को जो जमीन मिलती है या तो उनको ऐसी जमीन दी जाती है जिन पर बहुत झगड़े रहते हैं और उन झगड़ों के अलावा भी उनको कहीं जमीन मिल भी जाती है तो उनको डेवलप करने के साधन नहीं दिये जाते हैं ।

श्री मूलचन्द सामरिया : बहुत सारी कहां दे दी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके तो फिगर हैं ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जितनी भी जमीनें दें उनको डेवलप करने के लिए उसके साथ साथ साधन भी समाज कल्याण विभाग दें तो निश्चित रूप से वे जमीनें बिकेंगी नहीं । वरना फर्जी बेचने आदि के काम होते हैं वे उनको बेच देंगे । यदि गरीब आदमी का उत्थान करना है, इनको ऊंचा उठाने की बात करनी है तो ऋण की सुविधाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया यही कह कर तो किया था कि आम आदमी को सुविधा दिलाना चाहते हैं, उपलब्ध करायें और यदि उनको साधन नहीं दिये गये तो साधनों के अभाव में यह हमारी कल्पना मात्र रह जावेगी और जमीन के द्वारा जो धान पैदा कर सकते हैं वह पैदा नहीं कर सकेंगे और परेशान होकर सारी स्थिति में एक विचित्र गड़बड़ पैदा हो जावेगी । यही अनुरोध करते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : यूनानी के लिए कुछ नहीं कहा आपने ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप भी तो बोलेंगे ।

श्री सभापति : श्री नानालाल ।

श्री नानालाल (राजसमंद) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस डिमान्ड पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए धन्यवाद । मैं अपने विचार प्रकट करूंगा । चिकित्सा ऐसी चीज है कि जो हर आदमी की जरूरत की चीज है । आज राजस्थान में जो व्यवस्था है वह बिल्कुल ही इससे भिन्न है । जो चिकित्सा सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए वह केवल शहरों में ही उपलब्ध है । बड़े बड़े अस्पताल खोले जाते हैं वे शहरों में ही खोले जाते हैं । गांव वाले सैकड़ों मील चल कर शहरों में चिकित्सा के लिए आते हैं । उनकी शहरों में क्या दशा होती है यह आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं । अस्पताल में पहुंचने पर उनको भरती होने के लिए फीस देनी पड़ती है ।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप का ध्यान उस ओर जाता है कि क्यों नहीं गांवों में चिकित्सा की उचित व्यवस्था हो । शहरों में व्यवस्था है चिकित्सा की वह रहने दीजिये लेकिन गांवों में भी तो चिकित्सा की सुविधा दीजिये । वहां पर भी तो व्यवस्था करिये ।

मैं अपने क्षेत्र की भी बात आपको बता दूं । पूरी तहसील रेलमगरा में एक स्वास्थ्य केन्द्र है रेलमगरा हैडक्वार्टर है । मैं स्वास्थ्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पूरी तहसील में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है क्या उनको शहरों और गांवों में भेद नजर नहीं आता है ? क्या गांवों की जनता को चिकित्सा की जरूरत नहीं है ? आपको इस पर विचार करना होगा ।

राजसमंद सब डिविजन के बारे में आपको निवेदन करूं कि वहां डिस्पेन्सरी है । वहां पर एक्सरे को मशीन के लिए जनता की ओर से चन्दे आदि की भी सारी व्यवस्था कर दी गई । लेकिन एक्सरे मशीन न होने से जनता को उदयपुर जाना पड़ता है । कई बार निवेदन किया गया परन्तु इस ओर ध्यान ही नहीं दिया गया । स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचना देने पर भी ध्यान नहीं देते हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस ओर ध्यान दें कि जनता खुद पैसा लगाती है, आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं आती है तो फिर आपको व्यवस्था करने में क्या एतराज है ? ये बातें गांव वालों के दिलों में इसलिए आती हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होती है और न ही सही व्यवस्था चिकित्सा की उनके लिए हो पाती है । इसलिए जो शहरों में व्यवस्था होती है वैसी ही गांव वालों को वे साधन उपलब्ध करा रहे हैं फिर सुविधा देने में क्या दिक्कत है ।

आयुर्वेद की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आयुर्वेद चिकित्सा राजस्थान में अच्छी एवं सस्ती चिकित्सा है । और यह आम आदमी को उपलब्ध हो सकती है । किन्तु राज्य सरकार इस पर कम ध्यान दे रही है । गांव में आयुर्वेद औषधालय बी क्लास के हैं जबकि शहरों में ए क्लास । यह उल्टा हिसाब है । शहरों में जहां बड़े बड़े एलोपेथ के अस्पताल हैं,

(श्री नानालाल)

बड़ी बड़ी डिस्पेन्सरियां है परिवार नियोजन के दफ्तर हैं फिर वहां आयुर्वेद अस्पताल की जरूरत ही क्या है। उनको क्यों नहीं गांवों में और छोटे कस्बों में भेज दिया जाता है। यह शहर वालों को ही मिलें और गांव वाले वंचित रहे क्या ऐसा कोई आदेश भगवान ने आपको दिया है ?

गांव वाले आज अपने पास से चन्दा करके पैसा लगाकर भवन आपको देने के लिए तैयार हैं। फिर क्यों नहीं उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है।

समाज कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है शोषित और दलित लोगों के लिए। पर आज इसके अधिकारियों में अधिकांश सवर्ण लोग भरे पड़े हैं। इन लोगों को हटाकर इनके स्थान पर जब तक दलित वर्ग के ही लोगों को नहीं रखा जावेगा तब तक यह विभाग दलित वर्ग का हित साधन नहीं कर सकता। ये 80 परसेन्ट जितने भी अधिकारी एस० ई० और एस० डी० के होंगे वे सब जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इस विभाग की योजनाएं कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकतीं।

(गणपूरक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

आप इन अधिकारियों को आमूल चूल बदल दीजिये। दलित वर्ग को काफी राहत मिलेगी। इन अधिकारियों की बदौलत यहां जो दलित वर्ग के लोगों की रिपोर्ट पर बहस होने वाली थी वह भी केन्सिल हो गई। वे हमारी प्रगति नहीं देखना चाहते। सरकार पैसा अलाट करती है पर इन अधिकारियों की अकर्मण्यता से वह पैसा लैप्स हो जाता है। यह है आपके इस विभाग के अधिकारियों के कारनामे।

समाज कल्याण विभाग तो आज यह करता है कि राजसमंद नगरपालिका को एक स्कूटर अलाट कर दिया जबर्दस्ती कि 15 हजार में यह स्कूटर खरीद लो भंगी कष्ट निवारण स्कीम में। आज उसका कोई उपयोग नहीं है। सेक्रेटरी बैठा बैठा घूमता है उसमें। मन्त्रि महोदय इसकी जांच करावें। क्यों यह पैसा बरबाद किया जाता है इस तरह से।

रोस्टर प्रणाली राज्य सरकार ने लागू की है 72 से। 28 परसेन्ट का हमारा कोटा मैं सोचता हूं पूरा होगा अब और एस० डी० और एस० ई० की जगहें भी इनसे भरी जावेंगी।

इस गुलाबी नगरी के लिये भी अर्ज करना चाहता हूं। इस नगरी की सजावट के लिये सभी उत्साही हैं। करोड़ों रुपया इसके लिये इस पर खर्च किया जा रहा है। परन्तु यहां भी पिछड़ी जातियों को जिस तरह से गन्दी और बदबूभरी जगहों में रखा जाता है वह इस नगरी में कोढ की तरह है। इस कोढ़ की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जाता। किसी का भी नहीं जाता। यहां एक रेगर बस्ती है। चार दीवारी के अन्दर है। आप उसे जाकर देखें। क्या हालत है। नरक अगर कहीं है तो आप उसे वहां देखेंगे। मैं इसकी ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब यहां यह हालत है तो बाहर का तो भगवान् ही मालिक है।

(श्री नानालाल)

अगर आप वास्तव में दलित वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इसके लिये ईमानदारी से प्रयत्न करना होगा। इन अकर्मण्य अधिकारियों के भरोसे बैठने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चलकर अपनी आंखों उसे नहीं देख सकते हैं तो एक लोकल कमेटी नियुक्त करिये। वह इसको देखेगी। पर लगता है आप इस पर ध्यान देना नहीं चाहते। ऊपर ऊपर की बातें करके कागजी कार्यवाही करना चाहते हैं और वाहवाही लूटना चाहते हैं वास्तव में उनका हित आप कोई करना नहीं चाहते।

हाउसिंग की समस्या हैं इनके लिये। आप इसके लिये बोर्ड बनाइये। गरीब लोगों को मकान बनाने के लिये बिना ब्याज पैसा दीजिये। जब इसकी चर्चा चली कि मकान दिये जावेंगे तो लोगों के दिलों में खुशियां हुई। सौ सौ रुपया उधार लेकर सोसायटियां बनाते हैं और इसके बाद पचासों बार पैसे के लिये चक्कर लगाते हैं पर वह पैसा नहीं मिलता। कहा जाता है कि पांच पांच सौ रुपया किश्तों के और जमा कराओ। एक एक सदस्य किसी तरह से और देता है। पर तब भी किश्त समय पर नहीं मिल पाती है। यह है आपकी कार्य प्रणाली। अगर यह इतनी कठिन है तो इस प्रणाली को आप सरल क्यों नहीं करते? इसमें संशोधन क्यों नहीं करते? सरपंच या एम. एल. ए. से सरटीफाइड करा सकते हैं। पर नहीं! नीयत ठीक नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि दस बीस बार चक्कर खावेंगे फिर अपने आप चुप हो कर बैठे रहेंगे। यह आपकी व्यवस्था है। ऐसा क्यों करते हैं आप? पैसा बेकार जाता है। इसकी व्यवस्था के लिये इतना खर्च करके आपने विभाग खोल रखा है इससे फिर लाभ क्या हुआ?

इन हरिजन बस्तियों के लिये नल बिजली के साधन देने के लिये 25 लाख का प्रावधान रखा था। आप बता सकते हैं कितने नगरों में कितने मोहल्लों में कहां कहां नल बिजली लगी हैं। आखिर यह पैसा कहां गया?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट।

जमीन अलाटमेंट के बारे में काफी बार रेवेन्यू मिनिस्टर ने अहसान बताया है कि हरिजन और गरीब लोगों को काफी बड़ी बड़ी जमीनें अलाट कर दी हैं लेकिन उनको आज तक कब्जा नहीं मिला। जो जमीनें अलाट की जाती है, उसमें बड़े आदमियों का कब्जा हो जाता है। राज्य सरकार के पास इस प्रकार के केसेज हैं किन्तु इस पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कितनी जमीनें अलाट हुई और उनको कब्जा नहीं दिया गया। यह आपके डिपार्टमेंट का फर्ज है कि वे ध्यान दें। सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): माननीय सभापति महोदय मैं आज सर्व प्रथम मेडीकल डिपार्टमेंट की मांगों के बारे में निवेदन करूंगा। समय शायद आप कम देंगे इसलिये मैं संक्षिप्त मे निवेदन करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो जयपुर से पधारे है, जयपुर के अस्पताल में इस तरह मरीजों

(श्री मूलचन्द सामरिया)

की संख्या है स्टेट लेवल हास्पिटल होते हुये भी, जगह जगह डिस्पेन्सरीज होते हुये भी लोगों को बैड्स के अभाव में नीचे ही रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनकी व्यवस्था हो सके और दूसरी तरफ बहुत काबिल डाक्टर, एक्स-पीरियन्स डाक्टर स्टॉफ के रूप में यहां काम कर रहे हैं। एक तरफ इतने ज्यादा मरीजों का दबाव होना और दूसरी तरफ गांवों में डाक्टरों व औषधियों का न होना यही इस समस्या का मूल कारण है। चाहे आप हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आवश्यकतानुसार हास्पिटल का निर्माण करें अथवा जिनमें कम बैड्स हैं, उनको आवश्यकतानुसार बढ़ायें ताकि जयपुर के लोगों को और आस पास के लोगों को जो इनजस्टिस होता है असुविधायें होती हैं वह खतम हो जायगी और जो पैसे वाले लोग हैं वे भी बाहर से आकर अपना इलाज यहां करवा सकते हैं, उनको भी मौका मिल जायगा। बड़ी तादाद में गरीब हरिजन और किसान कहलाने वाले जो लोग हैं, उनको जो इलाज का अभाव होता है वह दूर किया जा सके। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि दौसा में, जयपुर में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनायें। दौसा की चार तहसीलों से दौसा कस्बा बाई रोड्स और बाई रेल सब जगह से जुड़ा हुआ है। अगर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का निर्माण दौसा में करते हैं और माननीय मंत्री महोदय घोषणा करते हैं तो मैं समझता हूं उन गरीब किसानों को, गरीब मजदूरों के साथ न्याय करेंगे, जो उस क्षेत्र में रहते हैं और 4-5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। दूसरी बात जब तक यह व्यवस्था न करें तो मौजूदा बैड्स की संख्या बढ़ाकर 100 करें जिससे मरीजों को इलाज का मौका मिल सके।

सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बात बताना चाहता हूं और यह फैक्ट है, मैं किसी कर्मचारी पर कोई आंच आये इसलिये निवेदन नहीं कर रहा हूं और ऐसा चाहता ही हूं मगर मरीजों के टाइम बार्ड इन्जेक्शन लगाया गया और उससे दो मृत्यु हुई हैं। यह डाक्टर की लापरवाही से हुई है। अगर आप भविष्य में भी यह कर दें कि यह रिपीट नहीं हो क्योंकि यह मनुष्य की जिन्दगी और मौत से ताल्लुक रखती है। ऐसी व्यवस्था हो सके कि एक्सपायरी डेटेड इन्जेक्शन, टाइम बार्ड इन्जेक्शन न लगायें तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि दौसा हास्पिटल में जितने मरीज आते हैं उनके रेशो में दवाईयां नगण्य हैं और नाम-मात्र की दवा भी नहीं दी जाती है और इस अभाव में बहुत से गरीब आदमी तो अपना इलाज करवाने से ही महरूम रहते हैं, और मौत के मुंह में चले जाते हैं।

दौसा हास्पिटल के लिये म्यूनिसिपेलिटी ने एक स्क्रीनिंग मशीन के लिये पैसे दिये हैं और पांच लाख लोगों के काम में आने वाली मशीन है। वृद्धी, विधवा कमजोर औरतें जो एक मील से चल कर नहीं आ सकती है और जिसके पास एक पैसा नहीं है अगर उसके फैक्चर हो जाये तो मंत्री महोदय जो समाजवाद का नारा देते हैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि उस औरत के लिये एक्सरे की आवश्यकताओं की पूर्ति दौसा नहीं होगी तो क्या सरकार ने उसकी भी कोई गारन्टी ले रखी है। जो लोग सम्पन्न हैं, उनकी पूरी पूरी गारन्टी सरकार ने ले रखी है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष पदासीन)

(4.45 म.प.)

किन्तु गरीबों की सरकार के पास इलाज की व X-Ray की दौसा में कोई गारन्टी नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि दौसा में एक्स-रे की मशीन इसी सत्र में अविलम्ब चालू करवा दें ताकि जो गरीब लोग परेशान होते हैं उनको राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार समाजवाद का झूठा दम्भ भरती है। समाजवाद असली कसौटी पर उतरे। अमीर लोग तो लन्दन और न्यूयार्क जाकर भी इलाज करवा सकते हैं लेकिन गरीब की चर्चा कर रहा हूं और आज इसके लिये चर्चा का मुझे मौका है। आप इस गरीब के लिये कुछ कर सकते हैं तो करें नहीं तो आप अपनी मजबूरी बता दीजिये। यह दम्भ भरने वाली सरकार है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकने की स्थिति में है तो स्तीफा दे दीजिये जिससे आपकी सच्चाई का मालूम हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा तहसील सिकराय और जमवारामगढ़ के लोगों की राजनैतिक कमजोरियों की कमी से चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है। इसका एक मात्र कारण यही रहा है। बजट के सामान्य वाद-विवाद में भी मैंने निवेदन किया था हमारे यहां के सत्ता धारी नेता एम.पी.,एम. एल. ए. सभी चमचागिरी करके व्यक्तिगत काम निकालते हैं और जनता के हित में कुछ नहीं करवा सकते हैं। इसलिये मेरे क्षेत्र में दौसा के अलावा कहीं अस्पताल नहीं है आप इसकी पूर्ति हेतु सिकराय या जमवारामगढ़ की दौसा क्षेत्रीय पंचायतों में अस्पताल खोल सकते हैं। जमवारागढ़ में 19 पंचायतें हैं, 19 पंचायतें दौसा चुनाव क्षेत्र का भाग हैं। कुण्डल, भली आदि कई स्थान ऐसे हैं जिसमें सरकार को हास्पिटल या आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये बाध्य होना पड़ेगा, अगर एक इन्सानियत से सोचने का आपका तरीका है तो और मैं सोचता हूं जिस समय उत्तर दिया जाय या तो अपनी असमर्थता प्रकट करें या जो समाजवाद के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का सवाल है, उसमें चिकित्सा भी एक है और मैं समझता हूं इन्सान को सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होता है उसको पूर्ण करने से मुकर जाय। मैं समझता हूं आप न्यूनतम प्रोग्राम को पूरा करने में अवश्य विश्वास रखते होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, दौसा में मातृ शिशु केन्द्र है जो चार लाख लोगों को लाभान्वित करता है उसमें 6 बैड्स हैं अगर कोई सातवीं माता आये तो उसे अपनी चारपाई लानी पड़ती है अथवा जमीन पर सोना पड़ता है, तम्बु में चारपाई डालकर सोना पड़ता है इसलिये मैं निवेदन करूंगा सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। एक गर्भवती महिला जिसके बच्चा होने वाला है 6 बैड से 7 वां बैड है नहीं और अगर उसको जयपुर हास्पिटल के लिये रेफर कर दिया जाय तो रास्ते में कहीं भी दुर्घटना हो जाय तो क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार की है? सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगी? तो उपाध्यक्ष महोदय मैं दावे के साथ कहता हूं दौसा

(श्री मूलचन्द सामरिया)

में बैड्स की कमी की वजह से, आक्सीजन की कमी की वजह से कई मौते हुई हैं क्योंकि लोकल डाक्टरों ने जयपुर हास्पिटल के लिये रेफर किया या और रास्ते में अथवा जयपुर के हास्पिटल में जाकर उन माताओं और बहनों ने अपना दम तोड़ दिया, जिसका कलंक सरकार पर है, यह सरकार उस कलंक की भागी है। अगर दो ढ़ाई हजार रुपये का एक रेफ्रीजरेटर आता है, जिसका खून और दवा को वातानुकूलित होती है को रखने के काम में आते हैं, आक्सीजन सिलेण्डर है वहां रखना जरूरी है व एक D.&E. सैट का भी वहां होना आवश्यक है अतः मैं समझता हूं. वास्तव में जिन्दगी और मौत की लड़ाई होती है उसमें कुछ सरकार सहायता कर सकती है, यह मैं मानूं। इसके साथ मैं आयुर्वेद विभाग के बारे में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह पद्धति सस्ती तो है और इससे हम गांवों में फायदा पहुंचायें तो देहात के लोगों को भी इसमें कवर किया जा सकता है और हम जितना शहरों में रुपया खर्च करते हैं यदि उस अनुपात में से आधा भी रुपया दें तो शायद इस पद्धति के द्वारा हम गांवों को भी कवर कर सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो प्राचीनतम भारतीय पद्धति है इस ओर सरकार उदासीन है व जिसमें मुझे आज ऐसा लगता है कि वैद्य और उप-वैद्य की नियुक्ति के बारे में कोई नियम नहीं हैं। मनमाने तरीके से किसी को भी अपाइन्ट किया जा सकता है। ट्रान्सफर्स के कोई नियम नहीं हैं, सीनियरिटी लिस्ट नहीं है और मेरे नोटिस में आया है कि उप-संचालक महोदय का पद किसी जूनियर को देने की बात है। कोई भट्ट साहब है जिनके फर्जी सर्टिफिकेट का मामला एन्टीकरप्शन में चल रहा है और जब मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहा है सरकारी मनमानी से आप उसके इन्चार्ज हैं। इसी तरह से जो मुकद्दमें भ्रष्टाचार विभाग में पकड़े जाते हैं, वैद्य और उप-वैद्य के खिलाफ पकड़े जाते हैं तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। किसी को भी सस्पेण्ड कर देते हैं और किसी को भी बहाल कर देते हैं। इन सब बातों के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मनमाने तरीके से करते हैं तो यह पद्धति का दोष नहीं है बल्कि आपकी कार्यप्रणाली का दोष है जिसकी वजह से ऐसा होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में मैं संक्षिप्त में कहूंगा। सर्वप्रथम तो बताऊंगा कि सरकारी सेवाओं में रिप्रेजेन्टेशन का क्या नमूना है। पहले आप राजस्थान के मंत्री मण्डल को ही ले लें। यदि इनका परसेन्टेज निकाला जाय तो $3\frac{1}{3}$ परसेन्टेज तो अनुसूचित जन जाति का आता है और $6\frac{2}{3}$ अनुसूचित जाति का आता है। वह भी खादी जैसा अनइम्पारटेन्ट विभाग दे दिया है। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के दो आधे आधे मिनिस्टर हैं इनका प्रेक्टिकली देखें तो निल रिप्रेजेन्टेशन सरकार में है। केबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है। मैं विरोधी पार्टी का हूं इसलिए इतना ही कहता हूं कि यह तो चमचागिरी करने वाले को देखना चाहिए और वह खुद ही सोच ले कि यह रिप्रेजेन्टेशन है या चमचागिरी करके अपने दिन काट रहे हैं। इसी तरह से मैंने क्वेश्चन किया था कि पुलिस विभाग में रसोइये कितने हरिजन हैं तो मुझे जवाब मिला—'निल'। जितने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

रसोइये हैं उनमें से एक भी हरिजन रसोइया नहीं है। इसी तरह से होस्टल जो चलते हैं समाज कल्याण विभाग के उनमें भी रसोइये निल हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीयत भी यदि है कि इनका (हरिजनों का) छूआ हुआ न खाया जाये।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है खुद मंत्री महोदय ने मान लिया है कि काबिल लोग नहीं हैं। इतने काबिल भी नहीं है कि क्लास फोर्थ में भी उनकी पूर्ति की जा सके। दूसरी तरफ से यह कह रहे हैं कि हमने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। काबिल लोगों के होते हुए उनका अपाइन्टमेंट नहीं होता है। फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड और फोर्थ क्लास सर्विसेज के लिए काबिल लोग हैं उनका अपाइन्टमेंट करें अन्यथा इसका मतलब यह है कि आप स्वयं अयोग्य हैं जो आप उनको योग्य नहीं बना सके।

भिक्षावृत्ति के बारे में जो पूर्व वक्ता ने कहा मैं उसे इत्तफाक करता हूं। भिक्षावृत्ति को समाप्त किया जाये। भिक्षा वही मांगता हैं जो कि गरीब होता है और जिसके पास रोजगार नहीं होता। तो आप रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा मुहय्या करायें तो मैं समझता हूं कि जो अपंग और विकलांग लोग हैं यदि उसके पास कोई रोजगार हो तो वह भिक्षा मांगना पसन्द नहीं करें। भिक्षा मांगने वालों को ऐसा धन्धा दिया जाये जिससे कि हमारे ऊपर जो यह कलंक है इससे हम बच सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, भंगी कष्ट मुक्ति निवारण के बारे में कल चर्चा हुई थी। सरकार ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं सिर के उपर से मैला ढोने की प्रथा को बन्द किया जाये। तो फिर मेहरबानी करके अनटचेबिलिटि कानून को जो आपने लागू किया है उसको विथ्ड्रा कर लें। बराबर का व्यवहार किया जाये, यह असम्भव है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अमुक समय में हम इस प्रथा को समाप्त कर देंगे ऐसी सरकार घोषणा करे अन्यथा अनटचेबिलिटि कानून को जो लागू किया है उसको विथ्ड्रा करलें। यह इम्प्रेक्टीकेबल कानून है।

पोस्ट ग्रेजुएट्स के स्टाइपेण्ड के बारे में शिकायतें आई। इसमें ऐसा है कि मैंने सुना है कि पहले डाइरेक्टर साहब स्वीकार कर दिया करते थे लेकिन अब नहीं करते और मिनिस्टर साहब के नोटिस में आना जरूरी है। इसलिए मंत्री महोदय ऐसी एप्लीकेशन को आप निपटा दें और आपके पास काम का ओवरलोड है तो इसमें कोई बहुत बड़ी राजनीति की बात नहीं है आप डाइरेक्टर साहब को ही यह काम वापिस सौंप दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो तीन मिनट में ही समाप्त करता हूं। इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप यह भी बतायें कि जो हाऊसिंग सोसाइटीज हैं उसमें कितने लोगों के रुपये जमा हुए हैं और कितने दिनों से वह पड़े हुए हैं। उनका क्या हाल हुआ और कितना रुपया किस सोसाइटी से दिया ?

वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में कहा था कि हम इसका सरलीकरण करेंगे लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय यह मांगें पारित हों तब तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री मूलचन्द सामरिया: उपाध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति की राशि बांधी गयी थी शायद वह पहले के समय की थी। उसके बाद में बहुत कीमतें बढ़ गई हैं और खर्चा भी बढ़ गया है। इसलिए छात्रवृत्ति की राशि भी उस प्रपोरशन में बढ़ाई जाये। लास्ट ईयर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था। मैंने निवेदन किया था कि छूआछूत का मुख्य कारण जाति के अलावा आर्थिक भी है। इसलिए उद्योग धंधों में हरिजनों को मौका दिया जाये क्योंकि इस चीज का ताल्लुक खाने से नहीं है। तो मैंने निवेदन किया था कि ऐसे उद्योग हों कि जहां इनको मौका दिया जाये। कोटा, परमिट, लाइसेंस आप अपने लोगों को देते हैं उसमें से कुछ परसेन्टेज इनको दें और मुझे एश्योरेन्स दिया गया था कि इस बारे में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है तो मैं कहूंगा कि आपने क्या नतीजा निकाला ?

विमुक्त और घुमक्कड़ जातियों के बारे में मैं समझता हूं कि यह मात्र घोषणायें हैं। वे जो गाडोलिया लुहार घूमते हैं, न वे कहीं पर बैठ सकते हैं, न उनके बच्चे कहीं पर शिक्षा ले सकते हैं और न ही कोई अन्य सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह समस्या बहुत जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है जिस तरीके से काम किया जा रहा है।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे से पूर्व वक्ता ने फरमाया था कि हरिजन महिला के बारे में झालावाड़ में जो अपनी बेइज्जती की वजह से मर गई, यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिस जाति की आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसको समाज के अन्दर लोग हीन मान कर जिस कौम और समाज को अलग कर रखा है, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण हीन समझ रखा है उन पर कोई भी उनकी बहन बेटियों पर हमला कर सकते हैं। इसलिए भविष्य में इन गरीब लोगों के साथ ज्यादती न हो इस दृष्टि से इतना सख्त कदम उठाना चाहिए कि किसी को ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं हो। मैं समझता हूं कि उन लोगों को ऐसी नसीहत दें कि आयन्दा ऐसी हरकत न हो।

नल बिजली के बारे में निवेदन कर दूं कि हरिजन और अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों में बिजली प्रथम नम्बर पर लगायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि प्रथम नम्बर तो क्या यदि सरकार अन्तिम नम्बर भी दे दे तो बहुत है। जिस गांव में बिजली पहुंच जाय और सारे मोहल्लों में बिजली पहुंचने के बाद आखिरी मोहल्ले जहां पर कि हरिजन रहते हैं वहां पर अंतिम में भी बिजली लगा दें, इस तरह की व्यवस्था कर दें तो मैं समझता हूं कि सरकार कुछ कर रही है। अन्यथा यह धोखा है। यह समाज कल्याण नहीं, सरकार कल्याण है। इस विभाग के द्वारा इन भूखे लोगों को गरीब लोगों को, जो किसी तरह

(श्री मूलचन्द सामरिया)

से उत्तेजित होकर खड़े न हो जाय इसलिए भिखारियों की तरह से अनुदान, छात्रवृत्ति देकर उनका मुंह बन्द कर देते हैं जिससे कि वह सही स्थिति को समझकर आन्दोलन करने पर उतारू न हो जायं जिससे कि यह सरकार बचेगी नहीं। इसलिए यह समाज कल्याण नहीं सरकार कल्याण विभाग है जो न उनको (Scheduled Caste & Scheduled Tribes को) जिन्दा रहने देता है और न उनको मरने देता है और न उनकी समस्या का हल करना चाहता है और न उनको खुद करने देता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि ये कदम केवल धोखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे कितनी ही मेरी बदनामी सरकार करे राजस्थान के समाज कल्याण विभाग को अविलम्ब खत्म कर दिया जावे जिससे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के अन्दर जो हीनता की भावना पैदा कर रखी है कि हमें सरकार से पैसा मिलता है उससे जिन्दा रहते हैं, यह हीन भावना खत्म होकर वे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने तरीके से सोचें और कुछ काम कर सकें। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इन लोगों को हीनता की भावना से बचाने के लिए इस डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि एक न एक दिन इस सरकार का शीघ्र पतन हो जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

कमजोर लोगों पर जो यह धोखे की टट्टी लगा रखी है इसको खत्म करें जिससे कि आपकी सरकार खत्म हो जाएगी।

श्री जयकिशनलाल (फागी): उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुदान की मांगों के संबंध में जोकि स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के बारे में है, उसके संबंध में मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके विषय को लेकर मैं आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं।

सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग को यदि हम लें तो इस विशाल राजस्थान के अन्दर जो कि गांवों का देश है, केवल यह सुविधाएं हमारे शहरों तक ही सीमित है। वे छोटे 2 गांव जिनके अन्दर साधारण और गरीब जनता रहती है उनके स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। मैंने कल भी बजट भाषण की बहस के दौरान यह निवेदन किया था कि ग्रामीण जनता को यदि स्वास्थ्य लाभ दे दिया जाय तो यह मानकर चलिए कि वह अच्छी तरह से हमारे इस प्रान्त के लिए और हमारे देश के लिए अच्छी कमाई कर सकती है। लेकिन आप यदि गांवों में जाकर देखें तो उन गरीब जनता के लोगों को कभी कभी तो समय पर आनन्दकर और एनासिन की गोली भी नहीं मिलती, दूसरी गोलियों की बात तो जाने दें। हमारे प्रान्त की और देश की ऐसी स्थिति है। उन गरीबों और मजदूरों के बलबूते पर जो हमें अनाज और सब प्रकार की चीजें मिल रही है, यदि उनको स्वस्थ नहीं रख सकते तो फिर किस प्रकार से हम इस देश का उत्थान कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष निवेदन कर दूं कि जैसे आज बड़े 2 शहरों के अन्दर जो होस्पिटल खुले हुए हैं, अच्छे 2 योग्य डाक्टर्स नियुक्त वहीं पर कर दिए गए हैं। यदि गांवों के अन्दर कोई

(श्री जयकिशनलाल)

डाक्टर भेजे हैं तो वे अनभिज्ञ, गांवों के अन्दर कोई नर्सेज भेजी तो अनभिज्ञ। गांवों के अन्दर लेडी डाक्टर के जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करता हूं कि चाकसू तहसील में कोटखावदा में कोई लेडी डाक्टर नहीं है। आप स्पष्ट जानते हैं कि शहरी स्त्रियां तो पुरुष डाक्टरों से इलाज कराने में हिचकिचाती नहीं है, लेकिन ग्रामीण महिलाए जो हैं वह पुरुष डाक्टरों से इलाज करवाने में हिचकिचाती हैं, क्योंकि हमारी भारतीय परम्परा चली आई है कि स्त्री जाति की डाक्टर को ही स्त्री अपनी सारी बीमारी को आसानी से बता सकती है लेकिन पुरुष डाक्टर को नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जो योजनाएं हैं उनके अन्दर, ग्रामीण स्थानों के अन्दर लेडी डाक्टर की नियुक्ति कर दी जाय ताकि वहां जो महिलाएं विभिन्न प्रकार की भयंकर बीमारियों से रोग ग्रस्त हो जाती हैं उनको आराम मिल सके।

साथ ही साथ आज हमारे हैल्थ विभाग के अन्दर इस प्रकार की कुछ अनियमिततायें बनी हुई हैं जिसके कारणवश ठीक ढंग से उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। माननीय मंत्री महोदय जब विधायक थे इस डिपार्टमेंट के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न रख करते थे और उनके साथ हम भी रहते थे लेकिन अब वे हमको भूल चुके हैं। पता नहीं कौनसा उनको डर आ गया है। जब कभी उनको कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर दीजिये तो कहते हैं कि भाई सोचेंगे। कब सोचेंगे, जब विधायक बन जायेंगे तब सोचेंगे या मिनिस्टर हैं तब ही सोच लेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यदि व्यवस्था करके हमारे सामने आयें तो जो सारी की सारी खराबियां हैं इस विभाग के अन्दर हम आसानी से उनको मिटा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि या तो कुछ उनके ऊपर ऊपर का दबाव आ जाता हो या फिर आपस की कसमकस रहती हो जिससे कार्य को करने की कोशिश करते हुए भी कर नहीं पाते हों। मैं तो यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमें आपस में सहयोग करके, आपसी सद्भावना को बनाए रखकर एक साथ बैठकर व्यवस्था करें। किसी प्रकार के कर्मचारी हों, आफिसर हों, नेता हों, डाक्टर हों, किसी प्रकार के व्यक्ति हों, उनका और हमारा एक प्रकार से दामन और चोली का सम्बन्ध रहता है। कभी कभी किसी वजह से मनमुटाव हो जाता है तो भी एक दूसरे को सहन कर लेना चाहिए और सहन करके जो गरीब जनता हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। आपसी वैमनस्य, आपसी खींचातान रखते हुए अगर हम साथ बैठ कर लड़ते रहेंगे तो साधारण जनता का क्या हाल होगा यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि इस प्रकार की खींचातान को छोड़ कर हमें ग्रामीण स्थिति को देखते हुए इन सारे के सारे विभागों में जिस प्रकार की कमजोरियां हमारे सामने हैं उनको दूर करने के लिए प्रयत्न करें तो पूर्ण रूप से इन विभागों में अच्छी तरह से सुधार हो सकता है।

दूसरा मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसे फागी तहसील के अन्दर चाकसू है, कोटखावदा है वहां असली दवाइयां नहीं मिलती है और दवाइयां

(श्री जयकिशनलाल)

मिलती भी हैं तो कभी भी पड़ी हुई और गली हुई। जब कई दफा अपने क्षेत्र में जाता हूं और डाक्टरों से मिलता हूं, डाक्टरों से सम्पर्क होता है तो मैं कहता हूं कि फलां दवाइयां मरीजों को देना चाहिए, लेकिन वे कहते हैं कि दवाइयां ही नहीं हैं। सरकार के पास बजट ही नहीं है इसलिए इस प्रकार की दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के स्थानों पर सबसे पहले दवाइयों की व्यवस्था यदि आप कर दें तो इन मरीजों को समय पर जो चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए वह आसानी से मिल सकती है।

साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मेरे क्षेत्र में जो पी. एच. सी. हैं उसके अन्दर यदि बेड्स की व्यवस्था को जाकर देखें तो न उन पर चद्दरे हैं, न किसी प्रकार के गद्दे हैं और जो बेड्स हैं वे भी जीर्णशीर्ण अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं। वहां पर अगर कोई मरीज बीमार होकर जाता है भर्ती होने के लिए तो उसको अपनी तरफ से बिस्तर लेकर जाना पड़ता है। इसके अलावा भी इतनी छोटी छोटी सी तकलीफें हैं कि उनसे परेशान होकर वह वापस चला जाता है। तो मंत्री महोदय आपसे और आपके विभाग के जो डाइरेक्टर महोदय हैं, उन सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उनकी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाओं को यदि रखें तो आसानी से गरीब जनता का भला हो सकता है।

साथ ही साथ आयुर्वेद विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र चाकसू और फागी तहसील में जनता के लोगों के द्वारा आपस में चंदा एकत्रित करके भवन बना रखे हैं। मैंने गत बजट सेशन के अन्दर और उससे पहले भी राज्य सरकार से निवेदन किया था कि वहां पर एक वैद्य या कम से कम एक कम्पाउडर को नियुक्त कर दें या एक उपवैद्य को नियुक्त कर दें तो वहां की साधारण जनता को लाभ हो सकता है। मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक गांव पंचायत के हेडक्वार्टर के ऊपर एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला जाए ताकि वहां की ग्रामीण जनता की भलाई हो सके और ये दवाइयां बड़ी सस्ती मिलती हैं। ग्रामीण जनता का इन दवाइयों पर पूरा विश्वास है और वास्तव में देखा जाय तो समय लगता है लेकिन बीमारी जड़ से चली जाती हैं। ऐसा मेरे स्वयं का अनुभव है। इसलिए आप से निवेदन कर दूं कि वास्तव में यह स्थिति पैदा कर दी जाय तो साधारण जनता का भला हो सकता है।

दूसरा निवेदन होम्योपेथी के बारे में हैं। आजकल इसमें भी कुछ प्रगति है। इसमें भी आयुर्वेद की तरह इलाज धीरे धीरे होता हैं और सरकार इसको मान्यता भी दे चुकी है लेकिन इसकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पा रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की होम्योपेथी की व्यवस्था हो। इसका भी गांव गांव के अन्दर प्रचारकों के द्वारा प्रचार करवाया जाए तो साधारण जनता के लिए आसानी हो सकती है। ऐलोपेथी की दवाई कड़वी होती है, आयुर्वेद की दवाइयों में परहेज रखना पड़ता है और होम्योपेथी की गोलियां मीठी होती हैं और उसको छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से ले सकते हैं। इसलिए यह लाभदायक है।

(श्री जयकिशन लाल)

गरीब जनता में इसके प्रचार से उनको सुविधा हो सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था आप कर दें तो हमारे क्षेत्र की जनता का भला हो सकता है।

अब मैं आपसे समाज कल्याण विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक तरफ हम जनता के नुमाइन्दे हैं, और सरकार के भी और यहां आकर के कानून बनाते हैं और कानून की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। समाज कल्याण विभाग के अन्दर किस प्रकार का भ्रष्टाचार और मनमानी है, वहां के अधिकारी इस चीज को जानते हैं और वे अपने हृदय के ऊपर आत्मा की सच्ची आवाज को पहचानें, अनुभव करें तो स्वयं इस बात को मानेंगे कि इस विभाग के अंदर किस प्रकार की मनमानी और कितनी अव्यवस्था पनपी हुई है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था यदि इस विभाग के अन्दर है तो क्यों न इसका सुधार किया जाये। आखिर कारण क्या है कि हम बार बार समाज कल्याण विभाग के बारे में यहां पर बोलते हैं। कई कमेटियों में भी इस पर विचार करते है और वे विचार उन टेबुलों तक ही रह जाते हैं। उनको कार्यरूप में परिणित नहीं किया जाता है। सरकार से निवेदन करूंगा कि समाज कल्याण विभाग को ठीक ढंग से चलाने के लिए विधायकों और कुछ दूसरे व्यक्तियों को जो योग्य और ईमानदार हों, बेईमानों को दूर रख दिया जाये, ऐसे व्यक्तियों की वह एक कमेटी नियुक्त करे और उस समिति को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाये और वह समिति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर इसकी सारी योजनाओं का अध्ययन करे, और उनमें किसी प्रकार की कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कराने की कोशिश करे। समिति के सदस्य राज्य सरकार के, विभाग के अधिकारियों से मिल कर इस कमी को किस प्रकार दूर करें, ऐसी योजना बनावें तो धीरे धीरे इस विभाग से आसानी से जनता का भला हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपसे निवेदन कर दूं कि हम ऐसी सुरक्षित सीटों से आये हुए हैं, उन जातियों में जन्म लिया है जिनकी अच्छाई और बुराई को जानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनकी वास्तविकता को आपके समक्ष रखा जावे, उसके लिए हमको बोलने का पूरा मौका दें। महलों और अट्टालिकाओं में रहने वाले व्यक्ति इनकी वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। हमारी जातियों के अन्दर, साधारण गरीब जनता के अन्दर कितनी टीस और दर्द है, शायद वह आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा समय दें तो उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्य भाषण के बजाय कटौती प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री जयकिशनलाल : एक तरफ उपाध्यक्ष महोदय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना बन रही है। समस्त कक्षाओं के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को छात्रवृतियां समय पर नहीं मिलती हैं। कभी अभिभावक स्कूलों में जाकर पूछते हैं तो उनको कहा जाता है इनकी मन्जूरी नहीं आई है। स्पष्ट ही कह देना चाहता हूं कि इनकी छात्रवृतियां ऊपर ऊपर ही हजम हो जाती हैं। गांव के साधारण व्यक्ति विभागों के बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंचने में

(श्री जयकिशनलाल)

असमर्थ रहते हैं और इसलिए उनके बच्चों को पूरी छात्रवृतियां नहीं मिल पाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे, और सरकार इस ओर ध्यान दे कि गरीब विद्यार्थियों के पास तक यह छात्रवृति पहुँचे क्योंकि उनके पास पहिनने को कपड़ा और खाने को अन्न नहीं है। अगर उनको छात्रवृत्ति मिल जाती है तो वे अपने अध्ययन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही साथ यह निवेदन और कर दूं कि समाज कल्याण विभाग के अन्दर ऐसे नियम हैं कि स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र अपनी शिक्षा सम्पूर्ण करने के पश्चात् यदि उनको राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती है तो स्नातक को 100/-रुपया माहवार छात्रवृत्ति दी जाती है और स्नातकोत्तर को, जो एम. ए. पास है उसको 200/-रुपया माहवार दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि 150/-या 250/-रुपये की जो छात्रवृत्ति जिन विद्यार्थियों को दी गयी है उनको राज्य सरकार ने खरीद कर रख लिया है। स्टाइपेन्ड इसलिए दी जाती है कि वे अपने जीवन का ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें और नौकरी नहीं मिले तब तक जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते रहें। आपको अच्छी तरह से मालूम है, और मालूम न होवे तो मालूम कर लेवें, ऐसे विद्यार्थियों से 8/8 घंटे तक हर आफिस में काम लिया जाता है। वह व्यक्ति हमारी सरकार द्वारा 150/-और 250/-रुपये में खरीद लिया गया है। यह कहाँ का समाजवाद है और यह कैसा समाज का कल्याण है। इस प्रकार शिक्षित वर्ग को खरीद कर गुलामी अवस्था में 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है। गैर हाजिर हो जाते हैं तो उन पर इस प्रकार दबाव दिया जाता है कि तुम्हारी छात्रवृत्ति बंद करदी जायेगी। परेशान होकर वे उस आफिस में 8 घंटे बैठते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार उनको इस गलत धारणा में फंसा रखा है। दो साल बाद यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जायेगी और उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे उनका उद्धार होगा। इसलिए निवेदन है कि इस प्रकार की योजनाएं या तो खतम कर दें, यह कौनसी योजना है जिसमें 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है और उनको नौकरी पाने के लिए खुला छोड़ दिया जाये और यदि 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है तो उनको पूरी तनख्वाह दें तब तो उनका भला हो सकता है।

एक और निवेदन कर देना चाहता हूं। बजट भाषण में पहले भी मैंने रोस्टर प्रणाली के बारे में निवेदन किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर घोषणा की थी और इसके बारे में एक प्रकार का रजिस्टर भी रखा है। हालांकि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटियां बनी हुई हैं। कमेटी डूंगरपुर और सवाई माधोपुर का भ्रमण करने के लिए गयी तो वहां अधिकारियों से इसके बारे में पूछा।

एक माननीय सदस्य : कमेटी के बारे में मत बताओ।

श्री जयकिशनलाल : वह कहते हैं कि रजिस्टर नहीं है लेकिन कहते हैं कि रोस्टर प्रणाली हमने लागू कर दी है। आज समाज कल्याण विभाग तुच्छ रूप में सामने खड़ा है। मैं शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के मेम्बरों को कहना चाहता हूं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे

(श्री जय किशनलाल)

सामने भ्रम है। जब तक यह भ्रम नहीं तोड़ोगे, तब तक गुमराह किये जाओगे। मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि अगर सही रूप में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को सुविधा दी जाये तो पूर्ण रूप से उद्धार हो सकता है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : अभी और भी बोलने वाले हैं।

श्री जयकिशनलाल : मैं 5 मिनट और बोलूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, 5 मिनट और बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : कन्क्लूड कर दो।

श्री जयकिशनलाल : जगह जगह पोषाहार सामग्री के केन्द्र चलाये गये हैं। वहां जो खाद्य सामग्री दी जाती है, उसको कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। पता नहीं कहां से सड़ीगली चीजें लाकर दी जाती हैं। मैं तो समाज कल्याण मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री जी को ले जाकर बता सकता हूं। साधारण प्रकार के व्यक्ति किस प्रकार से खा सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि खुले रूप में भ्रष्टाचार होता है। अपने ही सम्बन्धियों को, सगे सम्बन्धियों को पोषाहार केन्द्र दे दिया जाता हैं। इसी लिए वह मनमानी करते हैं। साधारण जनता तक चीजें नहीं पहुंचती हैं। ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है। इन आवश्यक चीजों की व्यवस्था करें तो अच्छा हो। अब मैं नारी सदन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : हां, हां, इस बारे में अवश्य कहिये।

श्री जयकिशनलाल : इस बारे में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई नारी सदन और विधवा आश्रम खोल रखे हैं। वहां के डायरेक्टर साहब से पूछें कि वहां क्या होता है। यह मन्त्री महोदय, स्वयं जान सकते हैं। वहां किस प्रकार की व्यवस्था है। आये दिन किस प्रकार की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। पढ़ाई-लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। हजारों और लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। मगर व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था में संशोधन किया जाये और वहां की व्यवस्था को ठीक किया जाये। वे विधवायें जिनके ऊपर का आसरा भगवान ने मिटा दिया है। उनके जो बच्चे हैं, उनका पालना भी आसानी से हो सकता है। दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की इस समाज कल्याण द्वारा व्यवस्था रखी गई है। स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर एक वर्गीकरण किया गया था। उसके अनुसार 4 वर्गीकरण किये गये थे। पहले वर्ग में 3,584 जिसमें अनुसूचित जाति के 202 अनुसूचित जन जाति के 86 लोग नियुक्त हुये। वर्ग नं० 2 में 32,286 व्यक्तियों को जिनमें अनुसूचित जाति के 1703 अनु० जनजाति के 1884, वर्ग नं० 3 में कुल संख्या 10021 अनु० जाति के 1391 अनु० जनजाति के 388, वर्ग 4 में 12375, अनु० जनजाति के

(श्री जयकिशनलाल)

3045 अनु० जनजाति के 1450 । अगर हम उनका प्रतिशत निकालें तो वर्ग नं० 1 का 5.63% अनु० जाति और 2.31% अनु० जनजाति का है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : इस समय प्रशासन की मांगों के बारे में है । उसी पर कह सकते हैं

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री जयकिशनलाल : वर्ग नं० 2 का 5.3% और 3.44%

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : यह आप सामान्य प्रशासन की मांगों के समय कह सकते हैं। You should obey the orders of the chair.

(अनवरत समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री जयकिशनलाल : एक मिनट में में समाप्त करता हूं ।

मेरा निवेदन है कि वर्ग 3 में 13.88% और 3.88% है । वर्ग नं० 4 में 24.6% और 11.7% है । इस प्रकार से रोज हम देखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की किसी प्रकार की उन्नति नहीं है । इसी प्रकार से पुलिस विभाग में भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मैं आप को पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि आज सामान्य प्रशासन की मांग नहीं है । आपका जो रेलेवेण्ट कटौती प्रस्ताव है, उस पर बोलें । आपको कई बार निवेदन कर दिया है । आसन के आदेश को आप मान नहीं रहे हैं । माननीय सदस्यों के समय का ध्यान रखें । यह आप जो बोल रहे हैं, यह आजकी मांगों के बारे में रिलेवेन्ट नहीं है ।

श्री जयकिशनलाल : उपाध्यक्ष महोदय जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में रिजर्वेशन रखा है । उनके बारे में अलग अलग बता रहा था । प्रश्न यह कि समाज कल्याण विभाग क्या है । क्या यह इन जातियों का उत्थान कर रहा है या पतन की तरफ ले जा रहा है । फिर इन जातियों का उद्धार कैसे हो सकता है । इसलिए यह प्रतिशत का आधार बता रहा था । वास्तव में इन जातियों की तरफ देखें तो किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंच रहा है । यह सारा का सारा इसीलिए रखा है कि इन जातियों का उत्थान किस प्रकार से किया जा सकता है । साथ ही परिवार नियोजन के बारे में निवेदन कर दूं (समय-समाप्ति सूचक घण्टी) एक मिनिट (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) परिवार नियोजन की व्यवस्था है उपाध्यक्ष महोदय (समय समाप्ति सूचक घंटी) वह बड़ी भयंकर है । इस खर्च को बजट में सरकार और किसी योजना में लगाये (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) तो उसका मुख्य रूप से उद्धार हो सकता है अन्यथा नहीं ।

श्री मीठालाल : बहुत बढ़िया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री केदारनाथ : मंत्री जी ।

श्री मीठालाल : अन्तिम वक्ता होंगे प्रतापसिंहजी । इनके कट मोशन हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जो अनुदान की मांगें रखी हैं, उन पर मैंने कुछ कट मोशन रखे हैं। उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

पिछले पच्चीस वर्ष में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी तरक्की हुई है। जहां तक सवाल है चिकित्सालयों का और पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स का, जो अवस्था 1951 में थी, अब 1974 तक ····

श्री केदारनाथ : आप सीनियर मेम्बर हैं, प्रश्न पूछ लें, 1, 2, 3, 4।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बहुत प्रगति की है। इसके बावजूद शहरों में जितनी चिकित्सा की व्यवस्था की है, ग्रामीण क्षेत्रों में उस अनुपात में बहुत कम कर पाये है। इस सम्बन्ध में मैंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और इस ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इस सदन में डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में बहुत चिन्ता है और माननीय मंत्री जी को भी इस बारे में चिन्ता है। अब यह खास तौर पर राज्य सरकार के सामने गम्भीर समस्या है, इसका समाधान करने की आवश्यकता है, परन्तु समाधान किस तरह से किया जाय—यह समस्या है क्योंकि अभी जूनियर डाक्टरों की हड़ताल सारे देश में और दूसरे प्रान्तों के अन्दर समस्या बनी हुई है और जो व्यवस्था थी, वह बिगड़ती हुई चली जा रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी डर रहे होंगे कि यह समस्या कहीं यहाँ उपस्थित न हो जाय। यह होते हुए भी जो सीनियर टीचिंग स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसके बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जो ग्रामीण-क्षेत्र में और दूर दूर डाक्टर बैठे है, उनके बारे में राज्य सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज की महंगाई के हिसाब से, और दूसरे प्रान्तों की स्थिति को देखते हुए, दूसरे देशों की स्थिति को देखते हुए, और जो पढ़ाई पर खर्च डाक्टर बनने पर हुआ है, और जो आज हालत है उसको देखते हुए उनको वेतन कम मिलता है, इसलिए क्षति-पूर्ति के रूप में जो व्यवस्था आज चल रही है, माननीय मंत्री कुछ समय तक उसको दर गुजर भी कर सकते हैं। परन्तु जो ज्यादातर माननीय सदस्यों की चिन्ता है, जो बहुत बड़े बड़े आफिसर हैं, जिनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, जिनका प्रशासन के अन्दर हाथ है, उनसे इसकी शुरूआत करने की आवश्यकता है, ताकि दूसरे रूप में इसका अच्छा इम्पेक्ट पड़ सके। इस बारे में मंत्री जी को सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा मैंने एक दूसरा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, गांवों के अन्दर जो मेडिकल फेसेलिटी है उसको इन्क्रीज करने के बारे में। माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह तो किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हास्पिटल हैं, और दूर दूर हास्पिटल है, उनमें कम से कम जो मौजूदा फेसेलिटी हैं उनको बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। पिछले साल भी किया था, गांवों में जहां पी. एच. सी. और सब सेन्टर हैं, उनको भी कुछ परसन्टेज के हिसाब से दिया था। पी. एच. सी. के अन्दर जो पेशेन्ट आते हैं, उनकी संख्या इन्क्रीज हुई है, इसलिए उसका बजट प्रावधान कम था। मैं चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्र में पेशेन्ट के एडमिशन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के आधार पर, प्रेशर के आधार पर बजट एलोकेशन किया जाय मेडिकल विभाग पहले जो उसके जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनसे आंकड़े मंगा कर, वहां पर जो संख्या ज्यादा है उसके अनुसार बजट एलोकेशन करें, तो वहां के लोगों को जो मौजूदा फैसेलिटी मिलती हैं, उससे ज्यादा जनता को देने के लिए विचार करना उपयुक्त रहेगा।

उपाध्यक्ष जी, सांचौर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जिले में यह एक ऐसा स्वास्थ्य केन्द्र है जहां इन्डोर पेशेन्ट की संख्या बड़ी है। इसके अलावा गुजरात का इलाका नजदीक लगता है, और डिफेन्स रोड भी वहां लगती है। सांचौर का यह पी.एच.सी. ऐसा है जिसकी नई बिल्डिंग बनाई है और पुरानी स्टेट टाइम की बिल्डिंग भी मौजूद है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 30 बेड ग्रामीण क्षेत्र अस्पताल बनाने का आश्वासन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया था। अब भी मैंने एक प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में मुझे सूचना दी गई है कि यह मामला विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि इस इलाके के लिए मंत्री जी घोषणा करें, तो बहुत बड़ा, जो एक लाख 75 हजार की जन संख्या वाली पंचायत समिति है, उसके ऊपर अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप बजट में प्रावधान ज्यादा करने की कोशिश करें। आज जो हालत है, ओपन मैदान के अन्दर पेशेन्ट्स को भर्ती करना पड़ता है, इसकी जगह पचास पेशेन्ट, आप जाकर देखें, भर्ती रखने पड़ते हैं। कागजों में कुछ भी हो लेकिन वास्तव में यह करना पड़ता है। वहां पर जो मलेरिया के केसेज हैं और दूसरे केसेज हैं, तो उनके लिए एकमात्र वहीं सुविधा है। शहरों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जायं, तो उसके लिए व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कम से कम डाक्टर की भी ऐसी व्यवस्था करें ताकि वहां लोगों को मेडिकल फैसेलिटी मिल सके और वहां के पेशेन्ट का शहरों में प्रेसर न पड़े। छोटे मोटे आपरेशन वगैरह करने के लिए भी पी. एच. सी. में एक सर्जन, एम. एस. या एम. डी. लगायें ताकि वहां इलाज हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पी. एच. सी. चीतलवाड़ा ऐसा है, जहां कई वर्षों से, पन्द्रह साल से डाक्टर की दिक्कत आ रही है। मैं यह उदाहरण दूं कि एस.सी. माथुर आये थे; तब जो वहां इन्स्ट्रुमेंट थे उनको काम में लाने की आवश्यकता पड़ी और काम में आये। लेकिन उसके बाद रस्ट लगे हुए इन्स्ट्रुमेंट पड़े हैं, क्योंकि कोई डाक्टर सर्जन का काम जानता नहीं है आपरेशन करना इसलिए मेडिकल विभाग को सोचना चाहिए। चीतलवाड़ा में जो डिस्पेंसरी खोली गयी है और जहां सब सुविधायें उपलब्ध कर दी हैं, तो डाक्टर, लेडी डाक्टर सर्जन हो, उनका पोस्टिंग वहां करना चाहिए, ताकि वहां के लोगों को इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध हो सके। इसलिए इस ओर मैंने राज्य सरकार का ध्यान कट मोशन के द्वारा आकर्षित किया है।

वास्तव में रूरल क्षेत्र में पी. एच. सी. है, वहां दो डाक्टर थे, एक फेमिली प्लानिंग का, एक मेडिकल का। अब उसमें यह किया है कि दोनों डाक्टरों की जिम्मेदारी बराबर होगी, इससे वह झगड़ा आपसी समाप्त हो गया है। इसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

देना चाहूंगा कि इतने अर्से तक जो झगड़ा चला आ रहा था, इसमें नये डाक्टर को तो फेमिली प्लानिंग में लगा देते थे और पुराना डाक्टर फेमिली प्लानिंग में नहीं रहना चाहता था। अब यह झगड़ा खत्म हो गया है। परन्तु इस बारे में मंत्रीजी को सोचने की आवश्यकता है कि पोस्टिंग के नियम बनाये जायं, क्योंकि कई जगह एक डाक्टर कई वर्षों तक रहता है, कुछ परेशानी के साथ में इधर-उधर फिरते रहते थे। मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी के ऊपर ट्रान्सफर का प्रेसर न पड़े और विभाग आकवर्ड पोजीशन में न पड़े इस लिए इसके नियम निर्धारित कर देने चाहिए कि इतनी स्टेंडिंग की प्रेक्टिस के लोग ऐसे स्थान में रहने चाहिए ताकि वहां लोगों को सुविधा मिल सके। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के मरीज को शहर में एडमिशन दिलाने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल होती है, वहां नीचे सोकर भी इलाज करायें तो भी उनका इलाज होना मुश्किल है। साथ ही शहरों में प्रेसर बढ़ जाता है। इसलिए जो मेडिकल फेसेलिटी का विकास राजस्थान में किया गया है, समुचित रूप से वह ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा सकें, ऐसी जो पी.एच.सी. हैं, उनको बिलकुल इक्विप करके दवाई भी उपलब्ध कराये और जो सब सेन्टर हैं, जहां डाक्टरों की पहले कमी थी, क्योंकि अब हमारे यहां डाक्टरों की बेकारी का प्रश्न भी आ गया है, जब डाक्टरों की स्ट्राइक भी चली थी, तो उस समय राज्य सरकार के सामने यह विचाराधीन मामला था कि सब सेन्टर्स पर भी डाक्टर लगाये जायं, तो सब सेन्टर पर डाक्टर लगाये जायं तो ज्यादा डाक्टरों को नियुक्ति दे सकेंगे इस बारे में राज्य सरकार विचार करे और केन्द्रीय सरकार से पैसा मिल सके तो उसको लेने के लिए सोचने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा सेवा हो सके।

उपाध्यक्ष जी इसके अलावा जो सर्जिकल केम्पस है, इनकी भारी उपयोगिता है, सबसे ज्यादा गांव वालों को क्योंकि टीम आफ एक्सपर्ट्स सर्जिकल केम्प जहां लगाती है, वह हमारे यहां पर दो बार लगाये हैं उनका बहुत लोगों को फायदा मिला है। मेरा निवेदन है कि एक्सपर्ट की टीम पूरे राजस्थान के अन्दर हो तो सस्ते रूप में अच्छा डाइगनोसिस होकर अच्छा इलाज हो सकता हैं, और इमीजियेटली हो सकता है। इसके अलावा जो लोग स्टेंडिंग के पेसेन्ट हैं, उनको एडवाइज करके दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इस रूप में मेडिकल डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेस काफी अच्छी है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा हमारे नेपड क्षेत्र में चीतलवाना में डिस्पेन्सरी है, वहां तीन-चार महीने तक डाक्टर की जगह खाली है। पहले भी खाली रहती थी, दस साल से दुर्भाग्य से क्योंकि डाक्टर लोग वहां रहना नहीं चाहते थे कारण रूरल क्षेत्र में एमेनिटी भी नहीं थी। मैं चाहूंगा क्योंकि इस क्षेत्र में मलेरिया का बहुत प्रकोप है, लूनी की बाढ़ से मलेरिया केसेज और बढ़े हैं, और मेरे ख्याल में सांचोर में सबसे पहले यहां माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री जयनारायण जी व्यास ने मलेरिया की यूनिट खोली थी। अब उसके अन्दर वर्षा कम हुई उसमें काफी मलेरिया इरेडीकेशन हो गया था परंतु अब की बार ज्यादा वर्षा होने से मलेरिया ने भयंकर रूप धारण किया हुआ है इसलिए वहां चीतलवाना में आप डाक्टर शीघ्र भेजें और स्टाफ की

Page No.128

(123)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कमी को पूरा करें। सब सेन्टर्स पर मलेरिया विभाग ने अच्छा काम किया है, उसकी तो मैं सराहना करना चाहूंगा, अब उनकी दवाइयां खतम हो गई हैं, वहां गोलियां बड़ी मात्रा में भेजें ताकि रबी की फसल को नुकसान न हो। लोग बीमार ज्यादा हैं इस समय, बीमारी ज्यादा फैली हुई है।

एडलट्रेशन की समस्या भयंकर रूप में उत्पन्न हुई है। मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विभाग की ओर से हाल ही में काफी छापे पड़ने लगे हैं और जो व्यापारी इन्सान के स्वास्थ्य को गिराकर, उसकी जान लेकर पैसा कमाना चाहते हैं उनके विरुद्ध जो एक्शन लिया है उसकी तो मैं सराहना करता हूं और आग्रह करता हूं कि इसी रूप में इस कार्यक्रम को जारी रखा जाए और जो दोषी हैं उन लोगों को पूरी तरह से दंडित किया जाए। फूड इन्सपेक्टर्स जो पहले कमाई करने में लगे हुए थे उनको फंसाना चाहिए ताकि जो प्रोग्राम चालू किया है उसमें लोगों का विश्वास प्राप्त हो।

जालौर जिले में 100 बैडेड जिला अस्पताल का सवाल है। हर जिले के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की थी परन्तु दुर्भाग्य है कि जालौर के लिए घोषणा नहीं हुई है। कुछ दोष तो हमारा भी है, हमारा पोर्शन जो चंदा देने का था वह एकत्रित नहीं कर पाए, अब $1\frac{1}{2}$ लाख रुपया जमा करा दिए है और फौरन $1\frac{1}{2}$ लाख अपना मंजूर करके जिला मुख्यालय पर वैल इक्विप्ड अस्पताल की जो योजना राज्य सरकार ने मंजूर की है उसकी सुविधा वहां के लोगों को मिल सके, शीघ्रता से इसको क्रियान्वित करें ताकि हमारे जिले को उसका फायदा मिल सके।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स पर कम से कम लेडी डाक्टर की पोस्टिंग करने की बात थी क्योंकि इसके साथ साथ परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें गतिरोध पैदा हो रहा था, लेडी डाक्टर के न होने से वह कार्यालय खतम न हो जाए। यह प्रोग्राम महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जनसंख्या बढ़ने की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक यह कार्यक्रम ठीक नहीं बैठा है, स्टाफ की कमी है, गाड़ियों की कमी है, आदमी आपरेशन करवाना मंजूर करे तो गाड़ी नहीं मिले, डाक्टर देरी से आवे, तब तक वह नट ही जाए। इस कार्यक्रम को आंदोलन के रूप में तीव्रता से चलाने की आवश्यकता है ताकि हमारे सामने जो गम्भीर संकट उत्पन्न हुआ है, वह इस कार्यक्रम द्वारा हम मिटा सकें। अगर जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ती है तो सारे विकास के कामों पर पानी फिर जाता है। तो लेडी डाक्टर की पोस्टिंग करनी चाहिए, स्टाफ की भी कमी है। जालोर जिले में हैल्थ असिस्टेंट्स 18 चल रहे थे उनका भी 28 फरवरी तक बजट प्रावधान था इसलिए उनको भी हटा दिया गया है, पहले ही वहां स्टाफ कम था। इस बारे में आप एक्जीमिन करके देखें, बजट प्रोविजन कन्टीन्यू करें ताकि आगे कार्यक्रम में गतिरोध न हो और 18 हैल्थ सहायकों को दुबारा कार्य पर लगावें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको प्रस्तुत करता हूं और समाज कल्याण विभाग के जो तीन कटौती प्रस्ताव हैं उनको समयाभाव के कारण

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

केवल प्रस्तुत करता हूं, मुझे उनके जवाब मिल जायं तो मुझे उससे भी संतोष हो जाएगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री महोदय ने दोनों विभागों को स्ट्रीमलाइन करने में काफी कदम उठाए हैं जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और दो चार बातें कहूंगा। एक तो कुदाल समिति आपने नियुक्त की थी स्वर्गीय मुख्य मन्त्री की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए। उसका टर्म तो खत्म हो गया, क्या उसको एक्सटेंड कर रहे है, क्या पुराने टर्म्स आफ रेफरेंस के अनुसार उसने अन्तरिम रिपोर्ट दे दी ?

दूसरी बात, चौथी योजना समाप्त हो गई और पहली अप्रेल से पांचवीं योजना शुरू होगी। इसमें डाक्टर्स का कितना बैकलोग है ? वे अभी तक रोजगार नहीं पा सके ? भविष्य में कितनी नई वैकन्सीज क्रिएट करने जा रहे हैं ?

तीसरी बात पिछले वर्ष लोक सेवा आयोग से 80 डाक्टर्स को सलेक्शन में रिजेक्ट किया, वे हाई कोर्ट में गए। मेरा निवेदन है कि अगर वे अपने केसेज को वापिस ले लें तो आप उनके केसेज को रिवाइज करेंगे ? एक दो अटेम्पट उनको और दिलाये ताकि पी० एस० सी० में अपीयर हों और इन्टरव्यू दे पायें।

चौथी बात, अब दो महीने बाद एडमीशन्स मेडीकल कालेजेज में शुरू हो जायेंगे। उनमें कितनी सीट्स रखेंगे : 500, 600 या 450 ? आखिर आने वाली पांचवीं योजना में आपकी क्या प्लानिंग है ? आप कितने डाक्टर्स को एबसार्ब कर पायेंगे ? कितनी इनटेक कैपेसिटी है ?

पांचवीं बात, जूनियर डाक्टर्स की हड़ताल सारे हिंदुस्तान में चल रही है, आपके मेडिएशन से यहां जिन जूनियर डाक्टर्स ने हिस्सा लिया था, उन्होंने वापिस ले ली। क्या आपने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि जब केन्द्रीय सरकार अपने डाक्टरों की मांगें कन्सीडर करेगी तो हम भी आपको उनके पार पर, उनकी तनख्वाहें और सर्विस कन्डीशन्स देंगे ? उसमें कितना फाइनेन्शल इम्पेक्ट पड़ेगा ?

छठी बात, प्राइवेट प्रेक्टिस समस्या को मिटाने का सिद्धांत आप मानते हैं तो आपका फेज्ड प्रोग्राम क्या है ? क्या एक दो साल में समाप्त करने जा रहे हैं।

दूसरी बात, चौथी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति के बाद हम मानते हैं कि 20 साल के अन्दर आपने मेडीकल फैसेलिटीज का विस्तार किया मगर उससे इम्बैलेंस भी क्रीएट हो गया, इस इम्बैलेंस को कैसे मिनीमाइज करने जा रहे हैं रीजनल या जिला बेसिस पर ? भविष्य में आप जैसा आदमी क्या चाहता है, क्या नया पर्सपेक्टिव पेश करना चाहता है ? मुझे आशा है कि अपने उत्तर में आप इन बातों का जवाब देंगे।

समाज कल्याण विभाग के बारे में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने रोस्टर सिस्टम की घोषणा की थी। उसे सिद्धांत मानकर आप इसको स्वीकार करें। दूसरी बात, जो आप ओल्ड एज 30) रु० पेन्शन दे रहे हैं आज के प्राइस स्पायरल में वह बहुत कम

(श्री केदारनाथ)

है इसलिए मेहरबानी करके उसमें कुछ बढ़ोतरी करने की घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य पर कई तरह के विचार इस सदन के माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किए हैं। इसमें कई तरह के अभाव, कमियां और अनियमिततायें हैं, उस बारे में बताया गया है।

कई माननीय सदस्य : आप तो मंत्री की तरह जवाब दे रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी : मुझे बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका रुतबा बढ़ा रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी : Thank you for the compliments. मैं शहरी क्षेत्र से आता हूं इसलिए मुझे गांवों में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, इसका ठीक तरह से तो ज्ञान नहीं है परन्तु शहरों के बारे में, मैं थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं। खासतौर से बीकानेर को देखकर और भी एक दो जगह चिकित्सा व्यवस्था को देखकर, मैं इन अनियमितताओं, कमियों और अभावों सब के बावजूद भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान स्टेट हमारे भारत के कई स्टेट्स से चिकित्सा व्यवस्था में आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बीकानेर अस्पताल में जो 1200 बेडेड अस्पताल है, शायद राजस्थान में किसी भी अस्पताल से कम नहीं है और बीकानेर मेडिकल कालेज किसी मेडिकल कालेज से कम नहीं है।

यह जो 1200 बेड्स हैं उनके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार ने बेड्स नहीं बढाये हैं यह तो हमारे वहां की जनता ने अपने पैसों से बढ़ाया है। सरकार का पैसा इसमें नहीं लगा यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं। वैसे तो गंगासिंहजी के जमाने में जितने बेड्स हमारे बीकानेर के होस्पीटल में थे उससे तो आज करीब 10 गुना ही नहीं अपितु करीब 20 गुना बेड्स बढ़ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बीकानेर में सेठों ने, हमारे वहां जो होस्पीटल के अधिकारी थे उन्होंने और दूसरे हम लोगों ने मिलकर इस होस्पीटल को सजाया है, बनाया है। इसमें जनता का काफी योगदान रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर के होस्पीटल में एक कोबाल्ट यूनिट है जो कि हमारे वहां के लोगों ने काफी कोशिश करके लगवाया है। ऐसे यूनिट पूरे राजस्थान में सिर्फ दो जगह पर ही हैं। एक तो जयपुर में है दूसरा हमारे बीकानेर में है। हमने, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही कोशिश करके लगवाया है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, कि राजस्थान में जो जयपुर में कोबाल्ट यूनिट लगा हुआ है वह भी बीकानेर के लोगों के द्वारा, कोशिश से लगा है, उससे भी सुपीरियर यूनिट हमारे बीकानेर वाला है।

एक माननीय सदस्य : समय बहुत कम है।

श्री गोपाल जोशी : मैं बिलकुल ठीक चल रहा हूं।

श्री मीठालाल : मैं तो आपको बताना चाहता हूं।

श्री गोपाल जोशी : तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन कर रहा था कि इतनी कोशिश करके हमने हमारे बीकानेर का जो होस्पीटल है उसको सजाया है और बनाया था पर उसी कोबाल्ट यूनिट का सोर्स (Source) समाप्त हो रहा है, इसे तो सरकार को लगाना चाहिए। बीकानेर के अधिकारियों डाक्टरों व जनता ने इतना करने के बाद सरकार को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। हमारे होस्पीटल की जितनी क्षमता अधिक है उतना ही हमारे यहां पर स्टाफ की कमी है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे बीकानेर होस्पीटल के लिये स्टाफ पूरा प्रोवाईड करने की व्यवस्था करावें। आपसे निवेदन करूंगा कि आप आपका स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार स्टाफ न भी दे सके तो कम से कम मिनिमम जरूरत के मुताबिक अवश्य दें। आपके राजस्थान में कई जगह पर दवाईयों का कमी महसूस कर सकते हैं लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर होस्पीटल के अन्दर इन्डोर मरीजों को किसी प्रकार की दवाइयों की कमी महसूस नहीं हो सकती है। आपको वहां पर ए. पी. सी. से लेकर कार्टीसोन (Cortisone) तक मिलेगा। वहां पर दवाई की कमी नहीं है।

श्री केदारनाथ : कमी आई थी एक बार पटिट्यों की।

श्री गोपाल जोशी : वह कोई बात नहीं कभी कमी एक दो बार आ गयी होगी तो कोई बात नहीं हमने उसे पूरी करा दी। लेकिन फिर भी इतने बड़े अस्पताल में कुछ तो कमी रह सकती है उसके लिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन कमियों को दूर किया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप ईमानदारी से कह रहे हैं।

श्री गोपाल जोशी : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह इमानदारी से कह रहा हूं कि इन सभी के बावजूद हमारे वहां पर कमी है। उन्हें आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आखिर हमने इतना इस होस्पीटल को बढ़ाया है सजाया है तो कुछ तो योगदान राज्य सरकार की तरफ से भी होना चाहिये। इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर हमारे यहां पर कुछ डाक्टरों का रवैया ठीक नहीं है। उसकी वजह से काफी लोगों को नुकसान भी हुआ लोग परेशान हुए हैं। कुछ लोग मर भी गये हैं। इसके लिये मैंने पहले जो मंत्री थे मेडीकल विभाग के उनको भी शिकायत की, पत्र लिखे और अभी श्री मोहनलाल छंगाणी जो वर्तमान मंत्री हैं उन्हें भी लिखकर दिया है पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया।

एक माननीय सदस्य : आने वाले मंत्री को भी लिख दें।

श्री गोपाल जोशी : आज मालूम हुआ है कि उसके लिये सचिव महोदय पुनः इनक्वायरी करा रहे हैं। इसमें काफी विलम्ब हो गया है, यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि जो अवान्छनीय डाक्टर्स होते हैं जिनके खिलाफ शिकायतें होती है उनको निकाल

Page No.132

(127)

(श्री गोपाल जोशी)

कर बाहर कर देना चाहिये अथवा उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये। उनके खिलाफ साबित होने पर निश्चित एक्शन लेना चाहिये। इसके अलावा मैं, आपकी मारफत यह और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां बीकानेर होस्पीटल में सेन्ट्रली कन्ट्रोल्ड एयर कन्डीशन प्लान्ट लगा हुआ है। पर उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि आज उसकी स्थिति यह है कि वह कई अरसे से खराब पड़ा है। एक बार दस हजार रुपये लगा कर ठीक करवाया तो कुछ दिन चला फिर खराब हो गया और बाद में और दस हजार रुपए लगाये तो फिर 15 दिन बाद खराब हो गया। पर जिस प्लान्ट पर हमने लाखों रुपये लगाकर बनाया उसकी हालत ठीक नहीं है बार बार खराब हो जाता है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसे ठीक कराने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। क्योंकि जिस कारण हमने इस प्लान्ट को लगाया है उस का फायदा मरीजों को तो होना चाहिये। आज मरीजों को उसका कोई फायदा उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन्हें तकलीफ हो रही है इस बारे में, मैंने मन्त्री महोदय को भी निवेदन किया था पर अभी तक कुछ जवाब नहीं आया है। मैंने सदन में प्रश्न भी उठाया पर कोई हल नहीं निकला इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय मैंने इस सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव भी दिया था। उपाध्यक्ष महोदय मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी में बीकानेर शहर में भी एक टी. बी. क्लिनिक है उस क्लीनिक को वहां से हटा कर दूसरी जगह शहर के बाहर बनाया जाय इसके लिये हमने मेडिकल सेक्रेट्री साहब से भी बातचीत की थी कि पहले जो ए.डी.एच.एस. का ऑफिस था उसमें यह टी. बी. क्लिनिक आ सकता है और अभी जहां पर टी. बी. क्लिनिक है वहां एक डिस्पेन्सरी खुलवाने की कृपा करें। मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था। उसको हम अगर आप दूसरी जगह ले जाते है तो हम उसके लिये चन्दा देने को तैयार हैं वहां जनता चन्दा करके उसकी जगह दूसरा होस्पीटल बनवा देगी। इसके लिये सरकार को इम्पीटस देना चाहिये।

श्री केदारनाथ : छोटू मोटू के नाम से चन्दा दिलवा दें और उसके नाम से होस्पीटल खोल दे।

श्री गोपाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अब कुछ आपकी मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज रीएम्बर्समेंट के नाम पर डाक्टर लोग लाखों रुपया कमा रहे है। उनके लिए जांच होनी चाहिए कई डाक्टर एक महीने में हजारों और लाखों रुपयों का रिएम्बर्समेंट करते है, उनकी जांच होनी चाहिए। उसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसमें आपको चाहिए कि आप रीएम्बर्स नहीं करके आप उन दवाइयों को होस्पीटल स्टोर्स से ही दिलवा दें। या जो लोग रिएम्बर्समेंट करते हैं उन्हें हर महीने अपनी रिपोर्ट मेडीकल निदेशक को देनी चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह बिलकुल बेकार साबित होगी। मेडीकल स्टोर्स में दवाईयां भी नहीं मिलेगी। जनता परेशान होगी।

श्री गोपाल जोशी : यह जो रीएम्बर्समेंट लाखों रुपया का हो रहा है और इसमें जो गड़बड़ी होती है उसके लिये इन्क्वायरी की जानी चाहिये। सरकारी मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां देना ही उचित है। इसके लिये हमें ऐसा करना चाहिये कि जिस तरह से कोई कम्पनी अपना मार्का लगाती है उसी तरह से सरकारी मेडीकल स्टोर्स से अगर कोई दवाई मिलती है तो उसपर मार्क होना चाहिये कि 'राजस्थान सरकार' हर गोली सरकारी निशान का स्टाम्प होना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह तो चलने वाला नहीं। बाजारों में दवाइयां बिकेंगी।

श्री गोपाल जोशी : यह तो मेरा सुझाव है अगर अच्छा है तो काम में लिया जावे पर ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात के लिये वर्तमान मेडीकल मिनिस्टर साहब को बधाई दूंगा वह यह है कि उन्होंने अभी प्रीवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत और जिन व्यापारियों ने मिलावट की है उनके ऊपर छापे मारे और उनके खिलाफ अभियान छेड़ा है इससे काफी असर पड़ेगा। जनता में इस बात से खुशी है। इसके अलावा मै यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो 'आज हमारे यहां पर डाक्टर्स प्राईवेट प्रेक्टिस करते हैं इसको तो बन्द किया जाना चाहिये इसके लिये आप चाहें तो उनको नोन प्रेक्टिसिंग एलाउन्स भी दें और अगर नहीं दें तो कोई बात नहीं क्योंकि वह तो आलरेडी वैल पेड हैं। उन्हें आप अगर नहीं दें कोई अलाउन्स तो कोई बात नहीं। यह भी उसी प्रकार बन्द किया जाना चाहिये जिस प्रकार कि मन्त्री महोदय ने चिट सिस्टम डाक्टरों का खतम किया है।

वह अब मैं कुछ आपके सामने वैद्यों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आज आपने बीकानेर में वैद्य लोगों को रीएम्बर्समेंट की पावर्स दे रखी है जैसे वह एक साल में करीब एक हजार रुपया तक रीएम्बर्स कर सकता है और रोगी जो आते हैं उनके यहां पर करीब दस हजार या बीस हजार तो उस हिसाब से आपको चाहिये कि आप उन्हें या तो रीएम्बर्समेंट ज्यादा करने की पावर्स दें। अन्यथा बीस हजार मरीज आते हैं तो एक मरीज के एक आना या दस पैसे की दवाई उसके हिस्से में आती है तो मेरा निवेदन है कि उनके रीएम्बर्समेंट के अधिकार बढ़ाये जायें या दवाइयों की मात्रा बढ़ाई जाय। एक और अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि बीकानेर के मेडीकल कालेज में हमने पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज खोलने की व्यवस्था कराई थी, हमने सरकार से कोशिश करके हमारी प्रार्थना पर रेडियोलोजी, एनेथेसिया, पेड्रयोटेटिक आर्थोपिडियस वगैरह की क्लासेज खोली हैं पर अब तक उनके लिये विद्यार्थी जो डेपूटेशन पर गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिये था वह जो कि जुलाई में होना चाहिये था, वह गवर्नमेंट की तरफ से डेपूटेशन् लेट हुआ। जुलाई में पोस्ट ग्रेजुएशन खोला। फरवरी और मार्च में डेपूटेशन हुआ कई बार स्वास्थ्य मन्त्री जी से मिले। स्वास्थ्य सचिवजी से मिले। यही कहा गया कि अभी हम सोच रहे हैं। लोगों ने एप्लीकेशन्स भी दीं। लेकिन कहा यह गया कि एप्लीकेशन्स क्यों नहीं आयी। इन्ही की केवल क्यों आयी न जाने उनका किस प्रकार का एक्जामिन करने का तरीका है वह मैं नहीं समझ सका, मुझे करेक्ट करेंगे। डेपुटेशन भी वहां पर उस डाक्टर का हुआ जिसने एप्लाई किया

(श्री गोपाल जोशी)

उससे ज्यूनियर है। इस ओर आप ध्यान दीजियेगा।

स्वास्थ्य मन्त्री जी को यह भी मालूम होगा कि जयपुर होस्पिटलमें आर्टीफिशियल किडनी प्लेसिंग प्लान्ट खरीदा गया। वह आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। वह कई वर्ष पहिले खरीदी गयी। लेकिन आज तक मैंने यह नहीं सुना कि उसके जरिये से किसी भी मरीज का इलाज किया गया हो। या तो इसकी पेटी को चूहे खा गये या दीमक चाट गयी। उस आर्टिफिशियल किडनी प्लेसिंग प्लान्ट को चलाने के लिये ट्रेनिंग के लिये विदेशों में डाक्टरों को सरकारी खर्च पर भेजा गया लेकिन उनका भी कोई लाभ नहीं मिल सका। हमारा पैसा लग जाय, सामान हमारे पास मौजूद हो, क्वा लिफाइड हमारे पास उसके लिये डाक्टर्स मौजूद हैं और फिर भी हम उससे लाभ न उठा सकें यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन पूछना चाहूंगा कि अजमेर मेडीकल कालेज में फार्मोलोजिस्ट की पोस्ट दी हैं पहिले ग्रेड नम्बर 16 पर भी अब 19 पर कर दिया। 16 पर थी वह 250 से शुरू होती है और 19 पर है वह 375 से शुरू होती है। वास्तव में 16 हैं या 19 हैं इसको चेक किया जाय। उदयपुर में फार्मिस्ट की एक पोस्ट थी अब दो कर दी हैं। क्या यह सही है। मैं इसका क्लेरिफिकेशन माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा।

बीकानेर में आयुर्वेद की ए क्लास डिस्पेन्सरी हैं। उसको ऐसी अनुपयुक्त जगह पर बनाया गया है कि उससे उचित लाभ नहीं मिल पाता है। वहां पर इनडोर पेशेन्टस की भी व्यवस्था वह ऊपर है। आप यह देखिये कि वहां लेट्रिन वगैराकी व्यवस्था नीचे हैं। कोई डिसेन्टरी का बीमार,क्रोनिक पेशेन्ट टी० बी० का मरीज नीचे ऊपर चढ़ कर किस प्रकार से ठीक हो सकेगा यह आप ही समझ सकते हैं। उसके लिये नीचे ऊपर की कसरत कितनी महंगी पड़ जायगी। इस औषधालय में सारा का सारा मेन्युपुलेशन होता है। फाल्स इनडोर मरीजों की एन्ट्रीज होती हैं और फाल्स ही एडमिशन्स बताये जाते हैं। सारी अव्यवस्था हैं। वहां धात्री भी हैं परन्तु उसका उपयोग भी नहीं होता जहां दूसरे आयुर्वेद औषधालय को आठ हजार डेढ़ हजार की दवाइयां देते हैं लेकिन इसको 20 हजार की दवाइयां मिलती हैं। भयंकरतम अव्यवस्था है।

श्री मूलचन्द सामरिया : धांधली कहो।

श्री गोपाल जोशी : आपके शब्दों में और मेरे शब्दों में फर्क है। आपका दृष्टिकोण अलग है और मेरा दृष्टिकोण अलग है। आपके दृष्टिकोण में और मेरे दृष्टिकोण में यह फर्क है जो मिल्टन के एक कोटेशन से आपको बताना चाहूंगा। एक बार सेटन और भगवान में झगड़ा हो गया। सेटन हार गया। फिर उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके कहा "Fallen Cherub to beweak is miserable."

हारे हुए साथियों कमजोरी दिखाना बहुत बुरी बात है।

"Doing or suffering, But of this be sure, To do good is not our task.

(श्री गोपाल जोशी)

But to do evil is our sole delight."

हम चाहें किसी भी हालत में क्यों न हों, चाहे भयंकर विपत्तियों में हों परन्तु यह निश्चित है कि अच्छाई करना हमारा कार्य नहीं हैं लेकिन बुराई करना हमारी एक मात्र खुशी है।

"As the contrary to his will to whom do we resist."

क्योंकि यह उसकी इच्छा के विपरीत है जिसका हम विरोध करते हैं। इसलिए आप तो सेटन की तरह हम में अच्छाई देख ही नहीं सकते।

बीकानेर के वास्ते निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मुख्यालय है। राजस्थान केनाल बीकानेर के पास से गुजर रही है और उसका इम्पेक्ट थोड़े ही अर्से में पड़ने वाला है। हजारों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं। राजस्थान केनाल और उसके डेबलपमेन्ट को देखते हुए वहां की चिकित्सा व्यवस्था के सम्बन्ध में दृष्टिपात करना होगा। और चिकित्सा व्यवस्था का विस्तार करना होगा इस सम्बन्ध में जब आप बीकानेर पधारे थे तो Dr. K. D. Gupta ने विस्तार से बतलाया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भीमसिंहजी नहीं बोल रहे हैं इसलिये मैं बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा है इसलिये यह अर्ज किया है आपको।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नियम नहीं है।

श्री गोपाल जोशी : लूणकरणसर में एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत मोबाइल युनिट के लिये निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : उनका कट मोशन आप उन्हीं के लिये छोड़ दीजिये।

श्री गोपाल जोशी : समाज कल्याण विभाग के सिलसिले में एक बात कह कर मैं अपना कथन समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय,

(शोरगुल)

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : पुष्करणों के लिये भी समाज कल्याण की बात कही गयी है।

श्री गोपाल जोशी : किसी ने कहा कि पुष्करणा कास्ट नहीं ट्राइब है। एक साथ खाते हैं एक साथ सामूहिक विवाह होते हैं, और एक साथ निपटने जाते हैं।

(व्यवधान)

सब काम एक साथ करते हैं।

(व्यवधान)

हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट की बस्तियों में पानी की टूंटियों के लिये भी समाज कल्याण के और वाटर वर्क्स के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि दो हजार की बस्ती पर एक नल हो। दो हजार की बस्ती वाले निवासी एक टूंटी पर किस प्रकार से, पानी प्राप्त कर सकते हैं और वह भी बीकानेर जैसी जगह में जहां पर 600 फीट पर जाकर पानी

(श्री गोपाल जोशी)

मिलता है यह आपके ही सोचने की बात है। इसलिये दो हजार की जन संख्या में एक टूंटी की बात को बदलना होगा।

एक माननीय सदस्य : 1 हजार कर दीजिये।

श्री गोपाल जोशी : एक हजार पर भी एक टूंटी पर से पानी सारा मोहल्ला भर सकता है। कोई न कोई संतोषजनक उनके लिये व्यवस्था करनी होगी यही निवेदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मीठा लाल : आपको (श्री प्रताप सिंह) दो मिनिट बोलने दिया जाय।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल और हैल्थ की मांगें स्वास्थ्य मन्त्री ने प्रस्तुत कीं। सात परसेन्ट इसका खर्चा फेमिली प्लानिंग पर किया जाता है। विगत योजनाओं में भी इस पर काफी पैसा खर्च किया गया। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं किया गया इसलिये इसका जो परिणाम हमें मिलना चाहिये था वह नजर नहीं आया। इसका एक कारण यह हो सकता है कि इसका प्लानिंग एडहाक बेसिस पर किया गया। वास्तविकताओं को मद्दे नजर भी नहीं रखा गया। वास्तविकता की बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो एलिजिबल कपल्स हैं उनके वास्तविक एक भी फिगर हम नहीं दे सकते। एलिजिबल कपल्स इस समय कितने हैं और भविष्य में योजनाकाल में कितने और होने की सम्भावना है इसका सर्वे हमने नहीं कराया और इसलिये इनके एग्जेक्ट फिगर्स भी हमारे पास नहीं हैं। जब तक यह जानकारी न हो तब तक इस दिशा में अन्धेरे में कुछ टटोलने के समान था और इसका यही परिणाम आना ही था।

फिर जो टारगेट थोड़े बहुत हमने स्थिर किये वे भी हम अचीव नहीं कर पाये। इसका कारण यह है कि हमें जिनसे वास्तव में सम्पर्क करना चाहिये था उनसे हम सम्पर्क नहीं कर पाये। अब जो कुछ भी हमने इस दिशा में प्राप्त किया वह भी मैं समझता हूं कि जिन आवश्यक कपल्स से हमें सम्पर्क करना था उनसे भी नहीं कर पाये।

इस सब का परिणाम यह हुआ कि हम जनसंख्या की वृद्धि को रोकना चाहते थे और उनकी जन्म दर को हम घटाना चाहते थे नहीं घटा पाये। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वे यह प्रयास करें कि इलेजिबल कपल्स कितने हैं और भविष्य में किस रफ्तार से ये बढते हैं इसका सर्वे पूरी तरह से कराकर सही आंकड़े हासिल करें और फिर इस काम को हाथ में लिया जाय और उसी के अनुसार कार्यक्रम हाथ में लिया जाय। इस तरह से अगर किया जावेगा तो काफी सफलता इसमें हमें प्राप्त हो सकेगी।

परिवार नियोजन के बारे में इतना ही निवेदन करते हुए अब मैं अपने क्षेत्र किशनगढ़ के अस्पताल के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा। अब मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो जो खामियां अस्पतालों में बताई हैं वे सभी यहां भी हैं, जैसे दवाइयों का अभाव, डाक्टरों का समय में अस्पताल में उपलब्ध

(श्री प्रतापसिंह)

न होना, सफाई का अभाव, बिजली पानी की टूटी-फूटी व्यवस्था, स्टाफ का बीमारों के साथ रूखाई का बरताव, भ्रष्टाचार आदि । परन्तु वहां मुख्य आवश्यकता के बारे में मैं उल्लेख करूंगा। किशनगढ़ नगर औद्योगिक नगर है । लगभग 15 हजार मजदूर वहां फैक्टरियों आदि में काम करते है । अकसर उन के एक्सीडेन्ट होते रहते हैं जो उनके वर्क के नेचर को देखते हुए स्वाभाविक हैं । इसको देखते हुए वहां अस्पताल में अच्छे योग्य सर्जनों की नियुक्ति की जानी अत्यावश्यक है । ऑर्थोपेडिक सर्जनों का होना भी अनिवार्य है । इसके लिये बजट में प्रावधान भी किया गया है तो इसको प्राथमिकता देते हुए इसकी व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है।

साथ ही एक्सीडेन्ट के समय अस्पताल पहुंचने का साधन आसान नहीं है। इसके लिए एम्बुलेन्स की व्यवस्था भी वहां होना आवश्यक है।

इसके अलावा वहां शय्याओं की संख्या भी वहां की जनसंख्या को देखते हुए बढ़ाना चाहिये । जनसंख्या के अनुपात में शय्याओं का प्रबन्ध भी वहां किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी, बजट प्रस्तुत किया गया था उस अवसर पर भी और कट मोशन द्वारा तथा व्यक्तिगत सम्पर्क करके भी मैंने तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीजी से यह निवेदन किया था और आश्वासन भी मिला था। अब अगली पांचवीं योजना में जब वृद्धि की जाय तो इसके लिए फण्ड्स का एलोकेशन इस अस्पताल की शय्याओं को बढ़ाने के लिए भी किया जाय। इतना ही मेरा निवेदन है ।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसके अतिरिक्त आयुर्वेद के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मैं थोड़े में ही समाप्त करता हूं। यह एक सस्ता और ग्रामीणजनों को अनुकूल इलाज है । उनका इसके प्रति विश्वास भी है। वहां की आवश्यकता को देखते हुए 12.65 प्रति व्यक्ति जो राशि का आवंटन किया गया है वह नगण्य है। इसके लिये विशेष प्रावधान किया जाना चाहिये । औषधियों को पहुंचाने का भी समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये। प्रतिवेदन में लिखा गया है कि औषधियां पहुंचा दी जाती है। पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा होता नहीं है। व्यक्तिगत वैद्यों के साथ भेजी जाती हैं ये । यह अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी इसके लिए आदमी भेजने पड़ते हैं। सब मिलाकर इसका समुचित और व्यवस्थित प्रबन्ध किया जाना चाहिये ।

इस वर्ष पचास औषधालय नये खोलने का जो प्रावधान किया गया है यह स्वागत योग्य है। इसके लिये आप क्या प्रक्रिया अपनावेंगे ? आलरेडी जहां भवन इसके लिये उपलब्ध है और वहां के लोगों ने यह आश्वासन भी सरकार को दे रखा है कि अगर वे औषधालय उनके यहां खोलेंगे तो औषधियों का खर्चा भी जनता वहन कर लेगी। तो इस तरह जहां प्रबन्ध हो वहां अगर खोलने में आप प्राथमिकता दें तो इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । इस संबंध में भी आप अपनी नीति की घोषणा करें।

(श्री प्रतापसिंह)

समाज कल्याण के विभाग के बारे में इतना ही निवेदन करूंगा कि किशनगढ़ में एक छात्रावास चला आ रहा है। इसमें आपकी कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पिछली बार भी मिडिल आफ दी सेशन में इसे बन्द कर देना पड़ा था अव्यवस्था और फण्ड्स के अभाव में। फिर एक बात और है इसकी प्रबन्ध समिति में विधायक और प्रधान को भी सदस्य के रूप में रखा गया है पर इनको पता ही नहीं लगता कि कब इसकी मीटिंग होती है और किस तरह से इसके क्या नियम उपनियम आदि है और क्या उसकी कार्य प्रणाली है। तो इस बारे में सुधार किया जाना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

शिक्षा के सम्बन्ध में भी केवल यही निवेदन करूंगा। शिक्षा से मतलब इन छात्रावासों में जो शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है उससे है। शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति जो आप इनको देते हैं वह समय पर नहीं मिलने से प्रवेश में कठिनाइयां होती हैं। पुस्तकें भी आप फ्री देते है पर वह भी समय पर सहायता उपलब्ध नहीं होती। इस बारे में भी आप व्यवस्था करें। बाकी और बातों के लिये काफी कहा जा चुका है। धन्यवाद।

श्री करणसिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांगों के सम्बन्ध में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं चिकित्सा प्रणाली में सुधार लाने हेतु। चिकित्सा मन्त्रीजी सदन में उपस्थित नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : चले गये यहां से आपके डर के मारे।

श्री करणसिंह : फिर भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जितने सुझाव इस विभाग के बारे में यहां दिये गये हैं उनमें से एक प्रतिशत भी अगर पूरी तरह से ध्यान दिया जाय तो चिकित्सा प्रणाली में काफी सुधार आ सकता है।

जहां तक मांगों के स्वीकार किये जाने का प्रश्न है उनमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। वह तो हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई कहकर स्वीकार कर ही ली जावेगी। पर जो सुझाव रखे गये हैं उनको और वे अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो बहुत सुधार इसकी व्यवस्था में हो सकता है। इसकी व्यवस्था को लेकर जनता में, विधायकों में, स्वयं डाक्टर डाक्टर में घोर असन्तोष व्याप्त है।

ऐसा न हो कि चिकित्सा मन्त्री कोई आश्वासन दें और उसकी भी वही हालत हो जैसी पूर्व चिकित्सा मन्त्री के आश्वासनों की हुई। पहले वाले चिकित्सा मन्त्रीजी जो आज मुख्य मन्त्री हैं ने मुझे भी सदन में आश्वासन दिया था कि मेरे यहां भरतपुर जिले में एक लेडी डाक्टर की पोस्ट है उस पर जल्दी ही लेडी डाक्टर की नियुक्ति कर दी जावेगी. पर एक साल गुजर गया वहां पर लेडी डाक्टर अभी तक तो नहीं पहुंची। कई डिलीवरी केसेज में महिलाओं की मृत्यु तक हो गई तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा जो सुझाव दिये गये हैं उनमें कुछ ध्यान रखें।

सिर्फ दूसरा निवेदन यह करूंगा हमारे देश में मेरी जानकारी के अनुसार चिकित्सा प्रणाली 6 प्रकार की है—एलोपेथी, होमियोपेथी, आयुर्वेदिक, इन पर सदन में

(श्री करणसिंह)

काफी चर्चा हुई एक प्रणाली यूनानी है और एक नेचुरोपेथी है और छठी, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रणाली है वह इतनी भयंकर है, जिसके भयंकर परिणाम निकलते हैं उसको बन्द कर देना चाहिये और वह है झाड़ा फूंकी और उसके अनुसार मरीज बे मौत मरते हैं। उसके लिए सब तरह के कानून बनाये जाने चाहिये जिससे वह चिकित्सा प्रणाली खत्म हो। मेरा निवेदन है झाड़ा फूंकी, ताबीज टोने की प्रणाली इस देश में है यह काफी भयंकर रूप धारण किये हुये है। बाकी प्रणालियों के बारे में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। अब मैं ज्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा। यूनानी के लिए किसी ने जोर नहीं दिया जबकि एलोपेथी से आये हुए बड़े तजुर्बेकार डाक्टर विधायक और मन्त्री गण यूनानी हकीमों के पास पहुंचते हैं। अब एक रोज श्री गोटेवाला जी भी मुझे एक हकीम के पास मिल गये। अब पता नहीं इनके कौनसा मर्ज था....

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमने आपके तजुर्बे का लाभ उठाया है।

श्री करणसिंह : एक जो मन्त्री बन गये हैं, आपकी सेवा में मौजूद हैं। लुकमान जैसे हकीम यूनानी पैथी में पैदा हुए हैं लेकिन आज हमारे देश में इस यूनानीपैथी को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। कितने यूनानी हकीम हैं और कितनी मदद इसको दी जाती है ? तो मेरा निवेदन है वे लोग जो एलोपेथी से तंग आकर बड़े बड़े हकीमों के पास पहुंच जाते हैं तो इस पर भी विचार करना चाहिये।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि हर एक पंचायत समिति में एक पी.एच.सी. सात सब-सेन्टर, तीन मेडिकल और चार फेमिली सेन्टर्स हैं परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर क्या होता है कि बहुत से सेन्टर्स पर तो डाक्टर हैं मरीज नहीं पहुंचते हैं और जहां मरीज होते है वहां डाक्टर की सुविधा नहीं हैं। उन सब-सेन्टर्स पर जाने के लिये डाक्टर को वैसे आदेश हैं कि हर सब-सेन्टर पर सप्ताह में चार दिन पहुंचे तो मेरा निवेदन है कि डाक्टर का प्रोग्राम पहले से प्रकाशित कर दिया जाय कि अमुक जगह अमुक डाक्टर उपलब्ध होगा जिससे ग्रामीण लोग लाभ उठा सकें।

इसी प्रकार जो सैनीटरी इन्सपेक्टर्स हैं, वे किसी काम में नहीं आते हैं। समझ में नहीं आता है किस बात की तनख्वाह लेते हैं। न कभी कुये में दवा डालने के काम में आते हैं, न कोई इनके द्वारा कोई ग्रामीणों को सफाई की बात बताई जाती है। देहात की जलवायु अच्छी होने के कारण बीमारी कम होती है लेकिन जितनी सुविधा शहरों को दी जा रही है उससे देहाती क्षेत्रों में कम है। देहाती क्षेत्र हमारे देश के बहुत बड़े भाग में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहली बार बोल रहे हैं इसलिये मुबारकबाद।

एक माननीय सदस्य : बहुत बहुत मुबारक।

श्री मोहनलाल छंगाणी (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन बहुत इन्टरेस्टेड है मेडीकल और सोशियल वेलफेयर में करीब 244 कटौती प्रस्ताव आये हैं....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : (साथ साथ बोलने से अश्रव्य····) तिविया की एड बन्द हो गई है, वह पूरी कर देंगे। उसकी दिशा में कोई कदम आपने उठाया है, इसकी तरफ भी लाइट डाल दें····

श्री मोहनलाल छंगाणी : नाना रूप हैं। उस धन का बंटवारा कैसे किया जाय एल्योपैथी, होमियोपैथी, नेचुरोपैथी—हर पद्धति अच्छी है। सवाल तो वित्तीय संकट में कितना बढ़ा सकते हैं, वह है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे देखा जाय तो मेडीकल एण्ड हैल्थ का विस्तार इन 20 वर्षों में बहुत हुआ है – राजस्थान में। मैं बताऊं कि 18 करोड़ का करीब 1973-74 का प्रोग्राम है और वही 18 टाइम बढ़ा है 1951 से। यह सही है कि जिस तरह से इस बजट का डवलपमेंट होना चाहिये वह नहीं हो पाया है। आज माननीय सदस्यों ने कई सवाल उठाये। खास तौर से रूरल और अरबन ऐरिया के। यह सही है इम्बेलेन्स क्रियेट हो गया है। सबसे बड़ी बात है हैल्थ के प्रोग्राम का राजस्थान में इस तरह से विस्तार हुआ है कि उसको किस तरह मैनेज किया जाय। यह खुशी की बात है हैल्थ का विस्तार हुआ। मैनेजमेंट की बात है, जिस सर्विसेज का विस्तार होगा और जितना विस्तार होगा उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं खामी रहेगी। खास-तौर से अरबन और रूरल एरिया के बारे में कहना चाहूंगा।

अब मैं जोधपुर की बात बताता हूं, जोधपुर में 1378 बैड्स हैं उसमें 1200 के करीब अरबन एरिया में हैं जो बहुत बड़ी पापूलेशन को सर्व करते हैं। यही मामला जयपुर का है, शहरी विस्तार के लिये दबाव देते हैं। मैं यह नहीं कहता शहर में नहीं होना चाहिये पर यह अरबन और रूरल में जाकर सरकार को करेक्ट करना पड़ता है ताकि हमारी मेडीकल केयर छोटे से छोटे आदमी को मिल सके। माननीय सदस्यों की अपेक्षायें हैं और मैं भी सोचता हूं किन्तु जहां कमी का सवाल आता है वहां विकास चाहिये, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय आप अचरज करेंगे प्लानिंग कमीशन ने हैल्थ का लो प्रायरिटी सेक्टर कर दिया है और वैसा का वैसा सोशियल वेलफेयर का कर दिया है। आज जो उद्देश्य है वह कोर्स सेक्टर का डवलपमेंट किया जाय। उसमें पावर आयेगा, फर्टीलाइजर आयेगा प्राईमरी एज्यूकेशन है वह आयेगी। आज हैल्थ को लो प्रायरिटी सेक्टर में कनवर्ट कर दिया गया है इसलिये मान कर चलिये यह जो पहला सवाल है वह कन्सोलिडेट करने का सवाल है। डिस्पेन्सरीज खुल गई दवा नहीं मिलती है परन्तु आपको मानना पड़ेगा दवा की व्यवस्था बहुत की है इन तीन महिनों में, कुछ बजट प्रोविजन भी किया है और अगले साल दवाओं की व्यवस्था काफी सुचारु रूप से हो जायगी, यह मेरी धारणा है।

अभी हमने एक मीटिंग की थी उसमें सुपरिन्टेन्डेन्ट और कई स्तर के लोगों को बुलाया था। उसमें दवाओं के बारे में निर्णय लिया है जो इस बजट के बाद लागू होगी। दवाओं की निश्चित रूप से तकलीफ रही है। कुछ तो भाव बढ़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा आज अल्कोहल और स्प्रिट की इतनी कमी है, मैं खुद कोशिश करता हूं किसी तरह मिल जाय हर हास्पिटल में कमी है लेकिन मैं सदन को

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

विश्वास दिलाना चाहता हूं राज्य सरकार पूरी तरह आश्वस्त है। तकलीफ जरूर है फिर भी प्रयास हो रहे हैं किसी तरह कुछ कर पायेंगे और शीघ्र ही अल्कोहल और स्प्रिट की सुचारु रूप से व्यवस्था हो सकेगी इसके लिये सशक्त कदम उठायेंगे। यह मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फार्मो-कोपिया के बारे में निवेदन करूंगा। हमने खास-तौर से इसके लिए बुनियादी निर्णय लिये हैं। एक तो यह कि आज हमारे नीचे फार्मोकोपिया नहीं था। हम कौनसी दवाइयां खरीदे यह निर्णय नहीं किया गया था और दवाइयां बहुत बड़ी मात्रा में हास्पीटल और डिसपेन्सरीज में खरीदी जायें। वह रेट कान्ट्रेक्ट के हिसाब से फार्मोकोपिया की दवाइयां खरीदी जायेंगी। उसके लिए हमने फार्मूला बनाया कि सब-सेन्टर में 20 परसेन्ट आफ दी बजट ड्रेसिंग मेटेरियल पर होगा और 80 परसेन्ट आफ दी बजट कामन ड्रग्स पर खर्च होगा वह चाहे मलेरिया के लिए हो, चाहे और बीमारी के लिए हो, चाहे बी-काम्पलेक्स ग्रुप के लिए हो। इस तरह की जो दवाइयां ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलती हैं वही दवाइयां डिस्पेन्सरी और सब-सेन्टर में मिलेंगी। जो कीमती दवाइयां है वह अपने पैसे से खरीदें। रूरल डिस्पेन्सरी के लिए फार्मूला बनाया। वह इस प्रकार है कि ड्रेसिंग के लिए 12 परसेन्ट, कामन ड्रग्स के लिए 80 परसेन्ट, स्पेशल ड्रग्स के लिए 7 परसेन्ट और इमरजेन्सी किट इक्विपमेंट जैसे बिच्छू काट गया उसके लिए 1 परसेन्ट। इस तरह से पी.एच.सी. के लिए किया है। इसी तरह से अरबन सेल्टर्स के लिए थोड़ा थोड़ा वैरीदेशन जरूर किया है। अरबन डिस्पेन्सरी के लिए ड्रेसिंग मेटेरियल के अन्दर 15 परसेन्ट रहेगा, कामन ड्रग्स के लिए 80 परसेन्ट रहेगा, स्पेशल मेडीशन्स के लिए 4 परसेन्ट। इमरजेन्सी के लिए 1 परसेंट हास्पीटल जो बड़े हैं उनमें ड्रेसिंग के लिए 15 परसेन्ट, कामन ड्रग्स के लिए 75 परसेन्ट, स्पेशल ड्रग्स 8 परसेन्ट और इमरजेन्सी सर्विस के लिए 2 परसेन्ट रहेगा। इस तरह से जो ड्रग हास्पीटल, डिस्पेन्सरी और सब-सेन्टर्स को देने की व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन अप्रेल के महीने से शुरू हो जायेगा। इसके साथ ही साथ जो ड्रग पालिसी है उसमें भी हमें बुनियादी परिवर्तन करने हैं। जो ड्रग और डाइट में पैसा मिला है कुछ तो भाव भी बहुत बढ़ गये है। मैं लेटेस्ट भावों की स्टडी तो नहीं दे सकता लेकिन हमारा जब फाइनेन्स कमिशन आया था तो उसके सामने हमने बातें रखीं थीं। डाइट के बारे में मालूम है कि गेहूं के भाव बढ़ गये हैं, तेलों के भाव क्या बढ़ गये है। दवाइयों के भाव 35 परसेन्ट से 40 परसेन्ट बढ़ गये हैं। उस समय हमने बहुत बड़े आंकड़े बनाये थे और उस आधार पर फाइनेन्स कमिशन को एप्रोच किया था कि जो दवाई और डाइट का बजट है इसके अन्दर बढ़ोतरी नहीं की गयी तो मेडीकयोर पूरी की पूरी फेल होगी। हमारी बात को फाइनेन्स कमिशन ने माना और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने माना और हमारी दवाइयों और ड्रग की बढ़ोतरी हुई है। यह सही बात है कि सब तरह से मिल जाये। हमारे उद्देश्य यही हैं कि जितनी लीकेज है उसको खतम किया जाये और जितनी दवाई के पैसे हैं वह

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

बराबर मिलते रहें, यह उद्देश्य है और हमें पूरा विश्वास है कि इस उद्देश्य को अगले वर्ष में हम पूरा कर पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अगला वर्ष सही माने में कन्सोलीडेशन का वर्ष है क्योंकि जितना फैलाव किया है उसमें मैनेजमेन्ट जितना एफीशियन्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे पास अच्छे डाक्टर हैं। राजस्थान का डाक्टरों के मामले में टैलेन्ट अच्छा है चाहे आर्थोपेडिक में लें, चाहे दवाई में लें, चाहे किसी भी फेकल्टी में ले। राजस्थान ने आज नाम कमाया है देश में। उन परसोनल्स से हमारी सरकार की फिलासफी को जोड़कर और जनता के काम में ला पायें तो बहुत बड़ा एचीवमेंट होगा इसलिए हम चाहते हैं कि यह जो वर्ष है 1974-75 का यह कन्सोलीडेशन का वर्ष है। जहां जहां हमारी कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करें पी.एच.सी. की कमियों को दूर करें।

वैसे पंचवर्षीय योजना में जैसा बजट में हमने अनाउन्स किया है कि काफी विस्तृत प्रोग्राम इस बार भी है। हम डेजर्ट और ट्राइबल एरिया के लिए स्पेशल प्रोग्राम रख रहे हैं और 4 पी.एच.सी. के ऊपर एक रेफरल हास्पीटल होगा, जिसमें 30 बेड्स रखने का प्रोग्राम होगा और इसके बाद रेफरल हास्पीटल, सब डिविजनल लेवल पर अच्छी व्यवस्था कर पाये तो यह भी प्रोग्राम है। कालेजियेट एजूकेशन में फेकल्टी डवलप करेंगे बहुत बड़ी बड़ी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को डिटेल देना चाहूंगा कि एक तो कार-डियोलाजी, न्यूरोलाजी, यूरोलाजी, रेस्पायरेटरी डिसीसेज, यूटियोलाजी. सिस्टोलाजी एलर्जी की फेकलटी का विस्तार हर जगह बराबर किया जायेगा और कालेजियेट एजुकेशन में जितना हो सकेगा विस्तार के साथ अभी माननीय सदस्यों ने उठाया था कि हमारा स्टाफ बहुत ज्यादा है। खासतौर से माननीय गफ्फार अली साहब ने कहा था कि जयपुर के कालेज में स्टाफ ज्यादा है। जयपुर के कालेज के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो स्टाफिंग पैटर्न है यह 1965 के फार्मूले पर है जो कि इंडियन मेडिकल कौंसिल का है। अब 1971 और 1973 के अन्दर जो पेटर्न आया है वह तो एप्लीकेबल भी नहीं हो पायेगा क्योंकि हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है। तो उस आधार पर स्टॉफ आदि का चयन नहीं कर पायेंगे। 1973 का इन्डियन मेडिकल कौंसिल का पैटर्न कब लागू होगा यह मैं नहीं कह सकता और न इस बारे में आश्वासन ही दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे अब जो दवाइयां हैं उनकी बढ़ोतरी होगी उसमें मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगा। क्लास वन एण्ड क्लास टू हास्पीटल में मेडीशन्स के लिए 700 रुपये पर बैड, डाइट के लिए 406 रुपये 25 पैसे पर बैड और 5 परसेन्ट उसमें और बढ़ा दिया जायेगा। क्लास 3 के लिए 420 रुपये पर बैड मेडीशन के लिए और 281.25 डाइट के लिए। क्लास 5 में 350 रुपये तो मेडीशन के लिए और डाइट के लिए 250 रुपये। क्लास 4 के लिए 156.25 डाइट के लिए हैं। दूसरी दवाइयां वगैरह हैं 2100 से लेकर 11200 तक ओ० पी० डी० के अन्दर किस तरह से

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हों। पी.एच.सी. के लिए 3500 से 7000 और 50 रुपये पर बेड। सब-सेन्टर के लिए 600 रुपया। रूरल एरिया में डेन्टल क्लिनिक खोली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 1973-74 में अकाल के कारण मेडिकल डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी और उस अकाल की सेवा में मेडिकल डिपार्टमेंट सारा का सारा लग गया था और परिणाम यह हुआ उपाध्यक्ष महोदय कि आज नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़े पैमाने पर कोई बीमारी फैली हो या उसे हमने मीट नहीं किया हो या कोई डेथ हुई हो। मैं कहना चाहूंगा कि मेडिकल और हैल्थ डिपार्टमेंट ने काम को बड़ी मुस्तैदी से किया और सदन मेरे साथ इस राय में शरीक होगा कि इस कार्य में कम से कम मेडिकल डिपार्टमेंट पीछे नहीं रहा।

ड्रग कन्ट्रोल के बारे में यहां बहुत बातें होती थीं। स्पुरियस ड्रग हैं लेकिन उसके लिए कोई संगठन नहीं था। निश्चित तौर पर हमारा एक्ट था लेकिन संगठन नहीं होने से उस बारे में जो बेसिक कदम उठाने चाहिए वह नहीं उठा पाये। हमने ड्रग इन्सपेक्टर अपाइन्ट किये और अब भी और स्ट्रेन्थन करना चाहेंगे जिससे घटिया दवाइयां जिसकी मात्रा दिनोंदिन बढ़ रही है उसको हम चेक कर पायेंगे।

री-इम्बर्समेंट का इतना फैलाव हो चुका है कि वह राजस्थान के बजट को खा रहा है। उसको भी हम कम कर पाये हैं। इस उद्देश्य को लेकर उपाध्यक्ष महोदय मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि महीने दो महीने के अन्दर री-इम्बर्समेंट के जो बिल होते थे उसमें कम से कम 60 से 70 पर्सेन्ट का निश्चित तौर से फाल आया है। सवाल यह उठता है कि रिइम्बर्समेंट की यह जो गिरावट है इसको आगे किस तरह से कायम रख सकेंगे और लगातार कायम रख पायेंगे तो यह बड़ा अचिवमेंट होगा। इसके लिए कमेटी मुकर्रर की गई है, इसके स्पेशल सेक्रेट्री अपोइन्टमेंट चेयरमेन हैं। उसमें हमने गवर्नमेंट सर्वेंट को रखा है, उनके रिप्रजण्टेटिव हैं, कुलदीपजी हैं, विशनसिंहजी हैं, दीपचन्दजी टाक हैं, इन सब को रखा है और सभी सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं उनको लेकर हम यह निर्णय करना चाहते हैं कि जो यह रिइम्बर्समेंट का भूत है इसको किस तरह से भगायें। यह बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई सजेशन देता है कि दवाइयां दे दो, पैसे दे दो। सवाल यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट को इलाज की सुविधा देना चाहते हैं जब भी वह हास्पिटल में भर्ती हो तो उसको बढ़िया से बढ़िया कीमती दवाइयां मिलें, अच्छा से अच्छा उसका इलाज करवायें लेकिन जो बाहर से दवाइयां खरीदते हैं और पोजिटिव फार्मोकोपिया के मुताबिक कीमतें दवायें हर वक्त मिल जाय...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसमें क्या आप केटेगराईजेशन भी करना चाहते हैं कि बड़ी तनख्वाह वालों का कोई रीइम्बर्समेंट नहीं होना चाहिए। इसका कोई केटेगराइजेशन करेंगे या नहीं ?

श्री मोहन लाल छंगाणी : ऐसा है, यह सवाल भी एक उसमें शामिल है। जो भी हमारे राज्य कर्मचारी......

श्री केदारनाथ : एम. एल. ए. भी मेम्बर है क्या ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : नहीं है । हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं वे भी यह चाहते हैं कि किसी तरह से इसका हल ढूंढा जाय क्योंकि उनकी भी बदनामी होती है। यह अच्छी बात है। यह नहीं हो सकता कि घर बैठे बैठे ही दो हजार का बिल, पन्द्रह सौ रुपये का बिल लेते रहें, कोई चैक नहीं। हमने जो ऑडिट डिपार्टमेंट है जो इसकी अच्छी तरह से चेकिंग कर सके, पहलकदमी की है। मेरी निश्चित राय है कि हम कुछ भी बड़ा अचिवमेंट भले ही नहीं कर पाये फिर भी यह सही कदम है, मजबूत कदम है और इसके परिणाम तीन चार महीने में सामने आने लगेंगे।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, फूड अडल्ट्रेशन जो था वह बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान में होना शुरू हो गया था। घी के अन्दर 59 परसेन्ट जब सेम्पल सर्वे हुआ तो मालूम हुआ कि घी में 59 परसेन्ट अडल्ट्रेशन था। इसी तरह से मोन्डीमेंटस, मसाले, सीरियल, हमने फूड आइटम को पकड़ा जिनमें एक था आटा, दूसरा एडिबल आयल और तीसरा मसाले, इनको खासतौर से लिया। यह भी चुना कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जहां से ये चीजें बनती हैं उन पर हमला किया। बड़े बड़े व्यापारी जो परचूनों के नाम पर यहां पर बैठे हैं और उनकी वजह से यह जो अडल्ट्रेशन का भूत है इस भूत को किस तरह से भगाया जाय ताकि जनता जो इस भूत से दुःखी है उसके दुख को कम कर सकें। जो खराब चीजों का बड़ा पैसा देना पड़ता है, हमारी मदद से वह कम हो। हम इस ओर पन्द्रह बीस दिन पहले ही कदम उठाना चाहते थे लेकिन बीच में होली आ गई थी और हमने सोचा कि माननीय सदस्य भी गाली देंगे अगर हड़ताल होगई, इसलिए थोड़ा पोस्टपोन्ड किया और 11 तारीख से यह अभियान शुरू किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्यों का इसमें पूरा सहयोग मिलेगा और हमको पूरी सफलता मिलेगी हमारे इस मुहीम में......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : गिरधारी लाल जी भी इसकी तारीफ करेंगे क्योंकि व्यापारियों का इन पर असर है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो बात स्वागत योग्य होगी तो उसका स्वागत करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें माननीय गिरधारीलाल जी का बेस छोटे व्यापारी हैं उनको छोड़ रखा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा इस प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं है। जो आपका अच्छा काम होगा, अच्छा काम करेंगे तो उसमें जरूर साथ दिया जाएगा। और बुरा काम करेंगे तो आलोचना की जाएगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, जब अडल्ट्रेशन ड्राईव शुरू किया गया तो हमारे सामने काफी कठिनाइयां आईं। हड़तालें हुईं और जनता से भी जितना सहयोग मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। जनता की ओर से मौके पर विटनेस नहीं मिलती। बुनियादी तौर पर जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी इस अडल्ट्रेशन के रुझान को समाप्त नहीं कर

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

पायेंगे। जनता के सहयोग की भावना हमारे साथ रहती है, विटनेस के रूप में आगे आयें और इस तरह से एक मोरल कोड बनना चाहिए ताकि जो अडल्ट्रेशन करता है उसका सामाजिक बहिष्कार हो। इस ओर मैं विरोधी पक्ष के भाईयों का सहयोग चाहूंगा इस मर्ज को खत्म करने में कि वे मेरी पूरी मदद करें, राजस्थान की जनता मदद करें। जो भी अडल्ट्रेशन करते हैं उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाय ताकि भविष्य में रिपीट नहीं कर पाये।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसमें तो विपक्ष का सहयोग चाहते हैं लेकिन चांदपोल में जो 67 लाख के दूसरे नम्बर के कागज पकड़े गए उसको कांग्रेसी बचा दें, उनका सहयोग नहीं चाहेंगे बल्कि उनका पक्ष लेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : किसी कांग्रेसी ने नहीं बचाया।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेसियों ने बचाया है।

श्री खेतसिंह : खादी तो आप भी पहनते हैं फिर क्या पता लगे कि किसने बचाया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह कांग्रेस सरकार को ही धन्यवाद दें कि 25 साल में मूलचन्दजी सामरिया यहां एम. एल. ए. बन कर आ गए और यहां बैठ कर गालियां दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप भी धन्यवाद दें कि यहां मिनिस्टर बन गए और मोटे हो गए, इसके लिए आप भी हरिजनों को धन्यवाद दो कि यहां आकर बैठ गए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, फूड अडल्ट्रेशन के बारे में जैसा माननीय सदस्य दौसा से आने वाले ने कहा है, जब कभी कोई उनके पास सूचना हो, कोई अनियमितता हो, घोटाला हो, आप मेरे पास लाइये, मैं आपकी पूरी इमदाद करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि डाक्टरों का अनएम्पलायमेंट चरम सीमा पर पहुंच गया है क्योंकि जितने हर साल डाक्टर बनते हैं, हर साल डाक्टरों के एम्पलायमेंट की पोटेंशियल हमारे पास कम है और स्थिति यह आ गई है कि इन डाक्टरों को किस तरह से बसाया जाय। यह कहा जाता है कि इन पर अस्सी हजार या एक लाख रुपया खर्च कर दिया, यह बात सही है। हमने नागालैंड से लिया है जो उनको पांच सीटें दी है। पर जब हम सीटें कम करना चाहते हैं तो जो माननीय सदस्य इसके बारे में बोलते हैं एम्पलायमेंट के लिए, वे ही सीटें बढ़ाने को कहते हैं। वे ही जब सीटें कम की जाती हैं तो आन्दोलन करने की धमकी देते हैं। सवाल यह है कि समस्या का हाल क्या हो? हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनके अन्दर हर साल मेडिकोज को एब्जोर्ब कर पायें, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि यह सम्भव नहीं है। आज हम 73-74 के अन्दर करीब 85 डाक्टरों को लगा पायेंगे। पांचवीं योजना में हमारा हजार बारह सौ डाक्टरों का प्रावधान है पर इससे ज्यादा हम हरसाल पांच सौ डाक्टरों की एम्पलायमेंट कैपेसिटि डवलप कर सकें तभी जाकर यह स्थिति सुधर सकती है। यह कैपेसिटी मेरे खयाल से राजस्थान की वत्तीय

141

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

स्थिति को देखते हुए तो कुछ वर्षों में दस-पन्द्रह साल में भी इस ढंग की कैपीसिटि डवलप कर देंगे, मुझे सम्भव नहीं लगता। सारे के सारे डाक्टर एम्पलाई हो जावें यह सम्भव नहीं है। हमने दूसरी योजना डाक्टरों के लिये प्रारम्भ की है, साढे सात हजार रुपये की वित्तीय सहायता देने की। मैं चाहूंगा और मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह डाक्टरों को इसके लिए तैयार करें और अगर किसी को यह वित्तीय सहायता नहीं मिली हो तो मेरे पास लायें। आप मुझे एक भी केस बतायें जिसमें अप्लाई किया हो और उसमें डिले हुई हो, पैसा नहीं मिला हो, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी पैसा दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इसमें मेरा सहयोग करें ताकि डाक्टरों का रिहेबिलिटेशन राजस्थान में हो पाए। मुद्दे की बात यह है कि हम छ: सौ डाक्टरों को हर साल एम्पलायमेंट नहीं दे पायेंगे और वित्तीय स्थिति जैसी है उसमें यह हमारे काबू के बाहर की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री केदारनाथ : बेकलाग कितना है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सवाल आपने मुझसे पूछा था और मैं उत्तर ले आया हूं। एक तो आपका सवाल यह था कि जो अपोइन्टमेंट हुए हैं उसमें डाक्टरों का पोस्टिंग नहीं हुआ है। एक तो 142 जो पी.एस.सी. से सलेक्ट कर लिए हैं इट मीन्स दे हैव बीन अपोइन्टेड, पर उनका पोस्टिंग नहीं हुआ है। यह तो आप मान कर चलिए कि जिनका अपोइन्टमेंट हो चुका है, आर्डर्स इश्यु हो चुके हैं उनका पोस्टिंग होना है। उन सारे के सारों को एब्जार्ब कर लिया जाएगा। निश्चित तौर से एब्जार्ब कर लिया जाएगा। हम आगे जाकर बैठेंगे थोड़े दिन के बाद में और देखेंगे कि कहां-कहां पोस्टिंग की जाय, कहां-कहां सब सेंटर्स में लगा सकते हैं, लगायेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी आर. पी. एस. सी. की लिस्ट में हैं, चाहे रिजर्व लिस्ट में हो या फर्स्ट लिस्ट में हों, दोनों लिस्टों को पूरा का पूरा एब्जार्ब कर दिया जाएगा। लेकिन इसके आगे अभी हमारे सामने दूसरा रास्ता नहीं है कि उनको एब्जार्ब कर सकें, हरसाल डाक्टर बन कर हमारे सामने आ जावें और बेकार घूमते रहें जब कि उन पर अस्सी हजार से एक लाख रुपया तक खर्च किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में हम यह चाहते हैं कि उनको वित्तीय सहयोग दें और गांव-गांव में वे बस जायं और वहां अपनी प्रेक्टिस चलायें। इसके बाद सरकार ज्यादा भार वहन करने को तैयार नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और जिनको लोक सेवा आयोग ने रिजेक्ट कर दिया है, जो फेल हो गए हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो फेल हो गए वे फेल हो गए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उनके बारे में कोई चारा नहीं!

श्री मोहनलाल छंगाणी : कोई चारा नहीं। उनकी नौकरी के बारे में विचार करूंगा लेकिन इस बारे में निश्चित आश्वासन नहीं दे सकता हूं।

142

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि यह साल में हमारा काफी बजट कंसोलिडेशन पर है। 55 पर्सेंट कंसोलिडेशन पर रहेगा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो भी हमारे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए है उन्हें पूरा करना है। और जो बाकी 45 पर्सेंट है वह एक्सपांशन और प्रिवेंशन के लिये है जिसमें हमको खास तौर से डेजर्ट एरिया, ट्राइबल एरिया और पोपुलेशन की डेन्सिटी को ध्यान में रखना है। जहां जहां हमारे मेडिकल के प्लान हैं उनको पूरा किया जाएगा, उसके लिए वित्त की काफी व्यवस्था पर्याप्त है और कमी नहीं रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने कई अस्पतालों का अपग्रेडेशन करना तय कर लिया है। इसमें पहला तो सिरोही का अस्पताल है। 50 बेड एडीशनल और मन्जूर कर दिये हैं, अब वहां पर 100 बेड्स की केपेसिटी हो जाएगी। झुंझुनूं में भी 50 बेड एडीशनल मन्जूर किए हैं, इससे इस अस्पताल की केपेसिटी 100 शैय्या की हो जाएगी। सवाई माधोपुर में भी 50 बेड की एडीशनल केपेसिटी और बढ़ा दी है। इससे उसकी पूरी क्षमता 100 बेड की हो गयी है। बाड़मेर में 75 बेड 72-73 में किए गए थे और 25 एडीशनल बेड और मन्जूर कर दिए हैं इस प्रकार वहां पर भी 100 बेड की केपेसिटी हो गयी है। श्री गंगानगर में ओ. पी. डी. आपरेशन की फेसेलिटी देना तय कर लिया है। भरतपुर में अभी अभी 50 बेड और मन्जूर किए हैं। कोटा के ओल्ड जनाना अस्पताल को नयी बिल्डिंग में इस साल ले आया जाएगा। एडीशनल स्टाफ भी रेशनाइलेशन पेटर्न के हिसाब से हो जाएगा। इन को मद्दे नजर रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह से धौलपुर का अनाउन्स कर चुके हैं और उसको इस साल इम्पलीमेंट करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर को भूल रहे हैं।......

श्री मोहनलाल छंगाणी : इस पर भी आ रहा हूं। रूरल एरिया को इम्पारटेन्स दे रहा हूं। दौसा के बारे में भी कहूंगा। दौसा के बारे में माननीय सदस्य जो कह रहे थे, वस्तु स्थिति उससे भिन्न है। उपाध्यक्ष महोदय, एम. एन. पी. है उसके अन्तर्गत 100 सब-सेन्टर और 15 पी. एच. सी. हैं, इसके लिए एडीशनल अकोमोडेशन की व्यवस्था कर दी गयी हैं। जालौर, शाहपुरा का जो वर्क है उसको भी 74-75 में पूरा कर देंगे। 232 पी. एच. सी. को एडीशनल ड्रग्स की सप्लाई कर देंगे। 13 अस्पतालों में हम इस साल रेडियोग्राफर, एक्स-रे मशीन को आपरेट करने की व्यवस्था कर देंगे।

इसके अलावा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाये थे, हम राजस्थान केनाल एरिया के अन्दर करीब 1 लाख 40 हजार का प्राविजन कर रहे हैं। स्टाफ क्वार्टर्स के लिए 60 हजार और मोबाइल डिस्पेन्सरी के लिए भी धनराशि मन्जूर कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा तीन प्रोग्राम और चलते हैं। आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि स्माल पाक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम में हमने

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उपलब्धि हासिल की है और यह प्रोग्राम राजस्थान में यू. पी. से कोलोब्रेट करते हुए कर रहे हैं। सारे विश्व में भी यही एप्लाय किया जा रहा है। हिन्दुस्तान भर में इसी आधार पर सारा का सारा स्माल पाक्स का प्रोग्राम लिया जा रहा है। हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान में इसको इरेडिकेट कर दिया गया है और आज हमारे यहां पर स्माल पाक्स एक तरह से नहीं है।

इसी तरह से नेशनल फेमिली प्लानिंग के बारे में भी बात कहना चाहूंगा। वैसे फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम का यह जो माडल बन कर आया है वह सेन्ट्रल का आया हुआ है और जैसा भी माडल है उसको उसी आधार पर हमें इम्पलोमेंट करना पड़ता है। निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इसमें कई दिक्कतें है। पिछले दो साल से यहां पर अकाल पड़ा, बाढ़ें आ गई, कभी एम्पलाइज की स्ट्राइक हो गयी उसके बावजूद भी जिस तरह से माडल बना हुआ है उसके आधार पर इफेक्टिव इम्पलीमेंट करने का सतत् प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक इसके बारे में ज्यादा नहीं कर पाये हैं ताकि फेमिली प्लानिंग वायेबल होकर बर्थ रेट कम हो करके राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था में इमदाद कर सके। सजग कदम किस तरह से उठावें, यह हमारे विचाराधीन है। किस तरह से इन चीजों को किया जाये, इस बारे में सदन के सदस्य अपने सुझाव देना चाहें तो अवश्य भेजें, हम उनके सुझावों को सुनेंगे और अगर उनके वायेबल सुझाव होंगे तो अप्लाय करने की कोशिश करेंगे। यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है इसलिए हम ज्यादा परिवर्तन तो नहीं कर पायेंगे।

श्री केदारनाथ : इस बारे में आप श्री बी. एन. जोशी से सुझाव ले सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : श्री रामानन्द जी भी इस बारे में सुझाव दे सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : और सदस्यों से भी सुझाव ले लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रोफेसर केदार इस बारे में हमारे लिए आदर्श हैं। अगर उनके हिसाब से राजस्थान चले तो फेमिली प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : फिर तो किसी भी प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी।

श्री केदारनाथ : बोनस देना चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : बोनस के आप भागीदार हो जायेंगे। हमारी पंचवर्षीय योजना में निश्चित तौर से बर्थ रेट कम हो जाए इस तरह से हम एक सशक्त प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। और भी देशों का अनुभव हम ले रहे है। चीन की भी किताबें इस सम्बन्ध में मैंने पढ़ी हैं, वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए। दूसरी जगहों का भी जो देश हमारे जैसी स्थिति में है, बैकवर्ड कन्डीशन में है उनके अन्दर इस दिशा में कैसे काम किया गया है, राजस्थान के अन्दर भी इस तरह का संगठन क्रियेट हो जाये, जो मोटिवेटेड आदर्श की तरह रह सके, उसको हम कर पावें, थोड़े से थोड़े समय में, तो हम इसके लिए लगातार कोशिश करेंगे। माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे भी अपने कोई सुझाव देंगे तो हम विचार करेंगे। अगर उनके सुझाव वाजिब होंगे तो उनको मानने में हमें कोई ऐतराज नहीं होगा।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

इसी तरह से हमारे यहां पर मलेरिया के बारे में एक सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम है। इस विषय पर काफी प्रगति हो चुकी है। जोधपुर के अन्दर मलेरिया कन्ट्रोल एक्सपेरीमेन्ट डब्ल्यू० एच० ओ० की सहायता से चल रहा है। इसके जरिये छिड़काव करते हैं और इस तरह से एरिया कन्ट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार एक्सपेरीमेंट को फैलायेंगे और मलेरिया को कन्ट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा आज डी. डी. टी. मास्किटों के लिए एक कामन चीज हो गयी है, वह उसको खा जाता है और उस पर असर नहीं होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या जोधपुर में मच्छर ज्यादा हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर इन जगहों पर इसके सैन्टर हैं। इसके बाद जब हमारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, सक्सेस मिल जाती है तो इनका फैलाव करते हैं और जगह भी करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया है, यहां पर शहरों के लिए भी खास तौर से जयपुर शहर के लिए जिसके लिए कि माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव साहब आतुर हैं, हम निश्चित तौर से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनायेंगे जिसके लिए कि इस वर्ष प्रावधान रखा गया है और इसी साल से नये जनाना अस्पताल की शुरुआत हो जायगी और मेरा ख्याल है कि इसके लिए हम सतत् प्रयत्नशील हैं और हो सका तो महीने/पन्द्रह दिन में इनका काम भी शुरू करवा देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दुर्लभजी के अस्पताल को टेकओवर कर लिया जाना चाहिए।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसको टेक ओवर तो आप राजा हो जाएंगे तभी कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में यहां पर माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं। मैंने थोड़े दिनों पहिले ही एक प्रश्न के दौरान में इस बारे में चर्चा की थी और उससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं। इतना ही आश्वासन देता हूं कि इस बारे में सतत् प्रयत्नशील हैं और माननीय सदस्य चाहते हैं कि क्या निर्णय लिया जाये, हो सका तो गवर्नमेन्ट इसी सत्र में कुछ न कुछ निर्णय ले लेगी और इसी सत्र के अन्दर हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में विचार करना जरूरी है, यह एक बहुत बड़ा संगठन है एबरेप्टली इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसके सारे के सारे संगठन की पहले तैयारी करनी होगी, हजारों का स्टाफ है। इसके आब्जेक्ट को पहले मोटिवेट करना पड़ेगा। यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इसी सत्र के अन्दर कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा।

ट्रांसफर के बारे में भी हमारी पालिसी बन चुकी है। नोट सबमिट कर दिया गया है। इसको इम्पलीमेन्ट करना चाहूंगा। परन्तु इसमें कई दिक्कतें हैं और जो संभवत: माननीय सदस्य ही पैदा करेंगे। फिर भी ट्रांसफर पोलिसी रेशनलाइज की जा रही है जिसके अन्दर सारे के सारे अस्पताल,

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उनको डिवाइड किया गया है, सापट, मोडरेट, म्युनिसिपल टाउन और उसके बाद डाक्टर का केटेगेराइजेशन किया गया है। जहां जहां हो सका है क्राइटेरिया ले-डाउन किया गया है इसके आधार पर काफी समानता हो जाएगी। एक डाक्टर कहां कहां कितने साल रहा और उसका म्युनिसिपल टाउन और रूरल एरिया का कितने साल का एक्सपीरियन्स है, उसको भी मद्देनजर रक्खा जाएगा। यह पालिसी जल्द से जल्द अमल में आएगी और उसके बाद आपको दबाव ही देना पड़ेगा कि इस पालिसी को इम्पलीमेन्ट किया जाए।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : अच्छा है, हम लोगों को अनाज मिल जायेगा।

श्री फूलचन्द जैन : अवश्य कीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरा पूर्ण विश्वास है कि इससे ज्यादा रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो उपस्थित हैं, उनके कट मोशन्स के आधार पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ : उनके जवाब भेज दिये जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अभी तो ढाई घन्टे बोलेंगे। थक गये हो तो कह दो।

श्री केदारनाथ : आप को तो भोजन मिल जायेगा। मुझे सोचना होगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैने जयपुर के बारे में कह दिया है। तोपखाना देश में होस्पीटल बनाइये। आप इसके लिए चन्दा कीजिये वैसे जो भी प्रपोजल आते है। कितने भी प्रपोजल आप ला सकते हैं, आप लाइये। सारे आफिसर्स को बैठाकर, उसके बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं।

श्री केदारनाथ : कुदाल कमेटी के बारे में भी बता दें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 31 मार्च तक का उसका समय और एक्सटैण्ड कर दिया है।

श्री केदारनाथ : उसकी टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : समय एक्सटेन्ड किया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस कमेटी में कोई तन्त तो निकलने वाला नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह आपकी धारणा हो सकती है। क्योंकि निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में बरकत साहब का इलाज कराया जाना चाहिए था, वह किया गया। कुदाल कमेटी का समय एक्सटैण्ड कर दिया है। उसे कुछ और गवाही लेनी होगी। उसके बाद वह रिपोर्ट दे देगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिसको कोई गवाही लेने का अधिकार नहीं है। वह एक डोमेस्टिक कमेटी है। इसके अलावा और क्या है ?

श्री केदारनाथ : यह तो कमेटी को ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुदाल जो कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। अच्छा तो यह होता कि कोई हाई कोर्ट का जज होता।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वैसे मुझे सूचना मिली है कि श्री अटल बिहारी बाजपेई 1942 के अन्दोलन में शामिल थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अटल बिहारी जी बाजपेई आन्दोलन में शामिल थे तो भी आपको हाई कोर्ट के जज से इन्क्वायरी कराने में क्या दिक्कत थी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : वैसे उनकी दवाई के बारे में जांच चल रही है। वह सब विजीलेंस कमीशन के अधीन है। जब भी विजीलेंस कमीशन और ए. सी. डी. फसला कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

आयुर्वेद विकास के लिए हम कोशिश करेंगे। काफी डिस्पेंसरीज हैं, जिनमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार किया जायेगा। सर्विस रूल्स के बारे में भी विचार किया जायेगा। हम जो भी कर पायेंगे, इस साल कर पायेंगे। आगे आयुर्वेद के बारे में जो धन हमें मिलना चाहिए, उसी प्रकार काम को कर सकेंगे। हम बहुत बड़े डेवलपमेंट का काम नहीं ले पायेंगे। अभी तो आयुर्वेद विभाग, नेचरोपैथी, होम्योपेथी हैं इनका कंसोलीडेटेड बजट होगा। जितनी डिस्पेंसरीज हैं, बजट में उतनी ही खोलेंगे। जहां तक अनियमितताओं के बारे में है, उनको लिखित रूप में आन्सर दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की यहां पर काफी चर्चा हुई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैं ने एक्स-रे मशीन के बारे में कहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि एक्स-रे मशीन के लिए हमने पैसे भी भेज दिये हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : धन्यवाद।

श्री हाजी जान मोहम्मद : यूनानी के बारे में भी फरमा दीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : होम्योपेथी के बारे में क्या है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : कोई प्राविजन नहीं है। चुनाव करके नया बोर्ड गठन करने का निर्णय ले लिया है। जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिये जायेंगे और नया बोर्ड बना दिया जायेगा। जल्दी से जल्दी आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : सदन के माध्यम से कुछ पूछना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में माननीय सदस्यों का काफी अच्छा रुख रहा है। क्योंकि समाज कल्याण का एक ही उद्देश्य रहा है।

श्री हाजी जान मोहम्मद : यूनानी दवाखाने के बारे में भी फरमा दीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: तिब्बिया कालेज और यूनानी के बारे में क्या कहना है, वह भी फरमा दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दे दें आश्वासन आपको, करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : देखिये उसके बारे में जो सूचना है, उस हिसाब से तिब्बिया कालेज का स्टेण्डर्डाइजेशन करने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिये लगे हुए हैं और थोड़े दिनों के बाद शुरू कर दिया जायगा।

श्री राम गोटेवाला : ग्राण्ट इन एड के बारे में क्या कहते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : चालू रखेंगे तिब्बिया कालेज बन्द नहीं करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में, मुझे खुशी हुई, सम्माननीय सदस्यों का रुख काफी उत्साहवर्द्धक था, इसलिए कि समाज कल्याण-विभाग के बिना भी वह प्रगति कर सकते हैं । यह सबसे बड़ी बात है, और समाज कल्याण विभाग इसलिए कान्सटीट्यूट किया गया था कि जो लोग इस तरह के पिछड़े हुए वर्ग के हैं, उनमें आत्म विश्वास आये, उनको किसी मदद की जरूरत नहीं हो । हम अपने आप मदद करेंगे । यह सराहनीय बात थी......

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: यह बचत का अच्छा पहलू निकाल लिया ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैंने एक बार जगजीवनरामजी से कहा था । हमारे सोचने की बात है कि हजारों सालों से पीड़ित उस मानवता के अंग की किस तरह से प्रगति करें । तो मैंने एक उदाहरण दिया था, सबसे पहले जो इस बारे में उदाहरण प्रस्तुत किया गया था, वह एकलव्य ने किया था । एकलव्य ने द्विजों की सारी तिकड़म सीख ली थी, द्रोणाचार्य की मूर्ति की पूजा करके, और बड़ा धनुर्धारी बन गया था, इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया कि अर्जुन भी डर गया, सारे पाण्डव डर गये और सारे के सारे डर गये । उसने तिकड़म के बल पर सारी टेक्निक को एक्वायर कर लिया था द्विजों की । द्रोणाचार्य ने यह सोचा कि इसको खत्म किस तरह से किया जाय, तो राइट हैंड का उसका अंगूठा काट लिया । उसके बाद सारा का सारा पिछड़ा वर्ग लेफ्ट हो गया । समाजवाद के जरिये, उपाध्यक्ष, इस पिछड़े वर्ग का उत्थान हो सकेगा । इसके अलावा कोई जरिया नहीं कि इनमें आत्म विश्वास आये मुझे खुशी है.......

श्री केदारनाथ : क्या हिस्टोरिकल एप्रोच दी है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे खुशी है कि थोड़े से सालों में.....

श्री श्रीराम गोटेवाला : एकलव्य और द्रोणाचार्य ठीक रहे है ।

श्री मूलचन्द सामरिया: आपने फर्माया कि समाजवाद के द्वारा ही उत्थान हो सकेगा । क्या खाली समाजवाद शब्द से हो जायगा, एक्शन में क्या किया है । समाजवाद कब आयेगा, किस दृष्टि से सम्बद्ध करने की बात है और उसके लिए क्या प्रोग्राम है यह आप फर्मायें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि आज सदन में बैठकर समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद के लिए कदम उठाते हैं । आज, उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति मे आत्म विश्वास पैदा हो रहा है । इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग में जो कमियां हैं, वह भी दूर होंगी, नहीं तो हम नहीं कर सकेंगे तो आपके अन्दर जो आत्म विश्वास हो गया है, वह ही इस समाज कल्याण की कमियों को दूर करेगा, यही आपको विस्थापित करेगा, यही समाज का आदरणीय अंग आपको बनायेगा और आत्म विश्वास के द्वारा ही जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

को उन्नत करने की कांग्रेस की आइडोलोजी है, वह दिन बहुत दूर नहीं है ....

श्री केदारनाथ : केबिनेट के मेम्बर नहीं हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : कांग्रेस इनका सबसे बड़ा शोषण करने वाली संस्था है। आप भाषण देते हैं, लेकिन हमने जो प्रश्न उठाये हैं उनका जवाब नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के बारे में निश्चित-तौर पर जो पैसा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। 28 पर्सेंट की आबादी है. और इस डिमान्ड पर सबसे ज्यादा कटौती प्रस्ताव आये हैं, वह बिजली और पानी के लिए हैं। बिजली और पानी के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हम केवल रिकमन्डेट्री आथोरिटी है। आज बिजली का पैसा है वह आर. एस. ई. बी. को डाइरेक्ट दिया जाता है, पी. एच. ई. डी. का पैसा डाइरेक्ट दिया जाता है। नल के लिए जो आपकी अर्जियां हमारे पास आती हैं उनको हम पोस्ट आफिस की तरह फोरवर्ड कर देते हैं ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : रिकमन्डेशन समय पर नहीं करते हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह स्थिति अच्छी है या बुरी ? आपकी राय में अगर बुरी है तो क्या विचार कर रहे हैं सुधार करने के लिए ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पोस्टमैन मत बनो, आपके लिए अच्छा नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं चाहूंगा, नियमित रूप से चिट्ठियां भेज दें, उनको सही रूप से फोरवर्ड करके, रिकमन्डेशन करके शीघ्र ही भेज दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जितना रुपया रखा गया, उसका उपयोग हुआ या नहीं ? यह समाज कल्याण विभाग का दायित्व है। मैंने प्रश्न किया था कि 25 लाख का बजट इसके लिए रखा है, उसका कितना उपयोग हुआ या नहीं हुआ और नहीं हुआ तो क्यों ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप स्कीम बनाकर भेजते नहीं है। स्कीम बनाने के लिए आप आफिसर्स को नहीं बैठा सकते हैं, टेक्निकल आफिसर्स का कापरेशन नहीं ले सकते हैं। कार्डिनेशन करवा कर स्कीम बना कर रिकमन्ड करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आर. एस. ई. बी. को डाइरेक्टर एप्रोच होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : करते हैं, होता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया कि सोशल वेलफेयर में न जाकर नल बिजली महकमे में जाते हैं, और वहां से ग्रान्ट ले आते हैं। आप चाहें तो मैं इसकी डिटेल बता दूं.....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपके यहां से रिकमन्डेशन नहीं होती है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : रिकमन्डेशन लेकर जाते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह मेरी ड्यूटी है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव के नाते।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह सेक्टेरियन और रीजनल बात है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : भंगी मुक्ति के बारे में किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, यहां जयपुर के लिए खासतौर से मैं सूचना देना चाहूंगा कि 6 लाख 20 हजार 9 लाख में से दिया है, इसमें से 2 लाख 80 हजार बचा हुआ है। इसके लिए कमेटी बनी हुई है, और चीफ मिनिस्टर जैसा निर्णय करेंगे, उसके हिसाब से उपयोग होगा।

दूसरा सवाल उठाया कि आश्वासन दिया कि वकीलों की फीस सोशल वेलफेयर देगा। उसके लिए 15 हजार रुपये दे दिया है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को•••••

श्री मूलचन्द सामरिया : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा ••

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मूलचन्द सामरिया : समाज कल्याण मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि यह सिर पर भंगी मैला ढोते हैं, इसको कितने दिनों में पूर्णतया राजस्थान में बन्द कर देंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसलिए आपका यह फेल्योर है। सिर पर मैला ढोते हैं यह हर समाज को तकलीफ पहुंचाने वाला है। इसको खत्म करने की सरकार की जिम्मेदारी है•••

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपकी तरह से झूठे आश्वासन देने में मैं विश्वास नहीं रखता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : प्रेक्टिकल कुछ नहीं करते हैं, समाजवाद की दुहाई देने के सिवाय !

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री जी को सुनिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : किशनपोल से आने वाले सदस्य ने चार्ज लगाया कि मकान नहीं बनाये हैं ••

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह चार्ज नहीं लगाया। आपको सुनने में गलतफहमी रही है। मैंने कहा, जितना लक्ष्य था, जितना होना चाहिए था सहयोग, वह प्राप्त नहीं हुआ है। यह बात गलत है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 88 मकान जयपुर में बनाये हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : डेढ़ लाख यू० आई० टी० ने लिये थे, मकान बनाने के लिए•••

श्री मोहनलाल छंगाणी : 5,134 मकान बनाने थे, बने हैं उसमें 66 हजार वहां पर हाउसिंग बोर्ड ने खर्च किये हैं। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य फैक्ट्स के बारे में अभी आश्वस्त नहीं हैं। यदि होते तो चार्ज नहीं लगता।

एक माननीय सदस्य : मेथ्स में कमजोर हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह बात दूसरी है कि इसमें जितनी प्रगति होनी चाहिए, जो इम्पैक्ट होना चाहिए हर लेवल पर ...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 66 हजार दिये हैं डेढ़ लाख रुपये में से ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गांटेवाला आपसे सुबह से मिले नहीं हैं-ऐसा लगता है। मिल लेते तो यह चार्ज न लगाते । आप से रोज मिलते हैं तो यहां नाटक क्यों करते हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जो होस्टल आज हैं, उनमें रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति का प्रश्न उठाया था । हमने 40 से 55, 55 से 60 किया था, 1971 में रिवीजन किया था । अब फिर इस पर विचार करेंगे और वित्तीय स्थिति अच्छी रही तो इसके ऊपर कदम उठायेंगे । इसके बारे में अभी मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं कि बढ़ा दिया जायगा । इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि व्यवस्था कैसे बदली जाय ताकि होस्टल में जो विद्यार्थी रहते हैं, उनके खाने-कपड़े के बारे में अनियमितता नहीं हो और समय पर उनको पैसा, कपड़ा और रोटी मिल जाय। इसमें कैसे परिवर्तन करा जाय, यह विचार कर रहे हैं लेकिन मैं इस मामले में निश्चित विचार का हूं कि इसमें जरूर परिवर्तन किया जाय ताकि जो विद्यार्थी हैं वह अच्छी तरह से वहां रहें । मैं मानकर चलता हूं कि जो प्रायोरिटी सोशल वेलफेअर को होने के कारण हमारे पास इतने वित्तीय साधन नहीं है कि सारी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हर संस्था को पैसा दे पायें । ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन जो भी दे पायें, वह अच्छी तरह से दे सकें, उसमें लीकेज नहीं हो और जो लीकेज हो रहा है वह किस तरह से खत्म हो, इस बारे में सतत प्रयत्नशील रहेंगे ।

सबसे बड़ी बात, जैसा पहले कहा था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए, जैसा माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल जी ने लंगर खोलने की बात कही थी। लंगर की स्थिति से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बाहर निकल चुके है । वह आज अपने हक के लिए लड़ते हैं । यह मानकर चलिये । उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के माननीय सदस्यों के विचार में उनके लिए भले ही माननीय सदस्य अपने मुंह से लंगर खाने की बात कहें लेकिन इन लोगों ने संघर्ष करके बराबर का हिस्सा लिया है, हक लिया है ...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह शंकराचार्य के चेले हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह रूस के, चीन के चेले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : समाज कल्याण विभाग मेरे पास दो तीन महीने से आया है, मैं समय दे रहा हूं और इसलिए दे रहा हूं कि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज कुछ लायी जायं । समाज कल्याण में बहुत सी योजनायें ले ली हैं, यह छोटी छोटी योजनायें है जिनका इम्पेक्ट नहीं होता है, और यों की यों बेकार जाती है । इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कंसोलिडेट किया जाय, पर्पजफुल किया जाय, उनका इम्पेक्ट बड़े से बड़े तबके

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

पर पड़े समाज कल्याण विभाग ने कुछ न कुछ किया है, हाउसिंग के मामले में, होस्टलों के मामले में, छात्रवृत्ति के मामले में, या फिर चाहे न्यूट्रीशन प्रोग्राम के बारे में इनका जब तक इम्पेक्ट नहीं पड़ पायेगा तब तक यह पता नहीं चलेगा कि समाज-कल्याण विभाग उनके लिए कुछ कर रहा है या नहीं। न्यूट्रीशन प्रोग्राम पहले बहुत बढ़ रहा था, इस बार उसमें कमी हो गई है। अब चाइल्ड डवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूट्रीशन प्रोग्राम हमारे पास रहेगा, उसमें भी करीब करीब तय कर लिया है। अभी तक जो शिकायतें आती हैं, जो भी आटा मिलता है, चाहे सोया फ्लोर हो, चाहे तेल हो, उसमें काफी इधर-उधर लीकेज होता है। अभी तय किया है कि इन सारी की सारी चीजों को चाहे बिस्कुट के रूप में चाहे हलवे के रूप में बनाकर वितरित किया जाय उस बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि जो आटा और तेल मिलता है वह केयर से मिलता है। दिल्ली से भी परमिशन मिलती है, उसको लेते लेते 4 महीने गुजर जाते हैं। सेंक्शन आ चुकी है। फाइनेंस में जाएगा। वैसे हम प्रयत्नशील हैं कि इस प्रोग्राम को नया रूप दिया जाय। हम बच्चों को डाइवर्ट करके किसी सिस्टम के द्वारा बिस्कुट, हलवा दे सकें ताकि उसका यूजेज ज्यादा न रहें। इस चेंज के बाद तेल और आटे की जो चोरियां होती हैं वे कम हो जायंगी और जितनी कम हो जाए वह अचीवमेंट रहेगा, और न्यूट्रीशन प्रोग्राम खासतौर से ट्राइबल एरियाज, सिटीज के स्लम्प एरियाज में मजबूती के साथ लागू किया जायगा और उसमें जो विधायक हैं कमेटियों में, कहां कहां न्यूट्रीशन प्रोग्राम खोला जाए, उसमें उनकी राय व सहयोग लिया जाएगा। और नई पंचवर्षीय योजना में हमारे पास न्यूट्रीशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और खासतौर से जिस पर्पज के लिए समाज कल्याण विभाग बना है उस पर्पज को कहीं न कहीं पूरा करें, यही मेरी मान्यता है। इसके साथ......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पेन्शन के नियमों का सरलीकरण कब पूरा करेंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसको तय कर लिया है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। मैं मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि अभी कुछ मुद्दे उठाए गए कि किस तरह से न्यूट्रीशन प्रोग्राम फेल हो रहा है उसका सामान ब्लैक में बिक रहा है, इन्सपेक्टरों की जेबें भरी जा रही हैं, उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय क्या कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जितना मैं जान पाया हूं माननीय सदस्या ने सवाल उठाया था एक सेन्टर के लिए, उसमें केयर का अमेरिकन रिप्रेजन्टेटिव जो यहां रहता है, उन्होंने एक इन्सपेक्टर को भेजा था, उसने कहा है कि 4½ बजे जो बच्चों को न्यूट्रीशन मिलना चाहिए वह वहां नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद उन्होंने ही ऑर्डर किया कि सेंटर क्लोज किया जाए। जिस तरह से इस सेन्टर को क्लोज किया ऐसे दूसरे सेंटर्स में भी अनियमिततायें मिलीं तो क्लोज करेंगे। मगर सेन्टर वापस उसी तरह से चालू करना है और फूड प्रोग्राम रखा गया

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

तो रिकन्सीडर करेंगे। मगर जो बंद हुआ है, वह बंद हो गया है और वह केयर के इन्चार्ज द्वारा बंद हुआ है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : इस बात को मैं चैलेंज करती हूं कि केयर के माध्यम से यह सेन्टर बंद हुआ है जिसका मैंने उल्लेख किया है। यह सारी धांधली विभाग के इन्सपेक्टर की वजह से हुई है, क्योंकि उनकी जेबों में पैसा नहीं जाता था, वह उस कारण से बंद हुआ है, मंत्री महोदय जांच करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जांच करने का सवाल नहीं है मेरे पास खत है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर केयर का खत पढ़कर सुनाता हूं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं इस सदन की सदस्या हूं····

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सदस्या····

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय सदस्या हूं और जो सेन्टर मेरे सुपरवीजन में चल रहा था उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि उसमें एक पैसे का भी घोटाला कभी नहीं हुआ तो केयर के माध्यम से उस सेन्टर को बंद करना और गरीब बच्चों का पेट फोड़ना, क्या उचित है ? यह सिर्फ केयर का बहाना बनाया गया है, वास्तव में विभाग वालों ने मंत्री महोदय को मिस्गाइड किया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वैसे वह वापस खोलने के बारे में कहेंगी तो मैं कंसीडर करूंगा लेकिन वह सेंटर केयर के कारण बंद हुआ है। वैसे शकुन्तलाजी जब भी कहें न्यूट्रीशन प्रोग्राम एक्सपैंड करने की जो स्कीम है उसके अन्तर्गत वह कहेंगी कि सेंटर खोलने की व्यवस्था हो और वह निर्धारित क्राइटेरिया आएगा तो जरूर कन्सीडर करेंगे।

इसके अलावा पेन्शन रूल्स कुछ चेंज किए हैं। एक तो पहले 65 व 60 साल की उम्र थी उसको घटा दिया है, यह पहला चेंज है। दूसरा 58 से 55 कर दिया है। इसमें सैंक्शनिंग ऑथोरिटी कलेक्टर था अब एस० डी० ओ० को ऑथोरिटी दी गई है। वह उसी समय ग्रांट कर देगा, क्योंकि नहीं करे तो कलेक्टर के पास अपील में जा सकता है। उसको अपील सुनने का अधिकार दिया है। समय 15 दिन का फिक्स्ड किया है। 15 दिन के अन्दर एस० डी० ओ० को निपटाना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आयु सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत होती है क्यों नहीं मेडिकल जुरिस्ट का सर्टिफिकेट लें ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उम्र के बारे में हम कैसे निर्णय करेंगे ? कुछ न कुछ क्राइटेरिया होगा। कौनसा साऊंड क्राइटेरिया होगा ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेडीकल जुरिस्ट का मानें या वोटर्स लिस्ट ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : वोटर्स लिस्ट में तो 65 के बजाए 35 साल उम्र लिख दी जाती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेडिकल जुरिस्ट ?

153

श्री अजीतसिंह (टौंक) : टौंक में पेन्शन्स नहीं मिल रही हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं आपको लिखकर भेज रहा हूं । आपने जनाना अस्पताल का जो कहा है वह लेबर रूम न बनने से ट्रांस्फर नहीं हुआ ।

श्री अजीतसिंह : वह तो बहाना है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इन्ट्रेस्ट फ्री लोन 4,000)···

श्री मोहनलाल छंगाणी : वह स्कीम चेंज कर रहे हैं । बाकी जो कटौती प्रस्ताव हैं जिन जिन माननीय सदस्यों ने भेजे है, उन्हें उत्तर दिया जाएगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी मांगों को मंजूर कर लिया जाए·····

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैंने एक पाइंट उठाया था ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको आश्वासन दे दिया गया है ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : दूसरा पाइन्ट था ।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिए कहा है ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 26 के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,39,15,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 26 स्वीकार की गई ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,04,83,000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 32 स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 18 मार्च 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7-30 बजे सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1974 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिए स्थगित हुई) ।

154

शुद्धि-पत्र

शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 1974

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
3 से 14	शीर्ष	तारांकित प्रश्नोतर 16-मार्च 1974 - तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन प्रस्तावों पर 16 मार्च, 1974-अध्यक्षीय व्यवस्था
5	ऊपर से 1	बिट्ठल भाई	विट्ठल भाई
23	नीचे से 11	वार्ड चर्चा	वार्ड पर चर्चा
26	ऊपर से 11	झालवाड़	झालावाड़
28	ऊपर से 10	होभ्योपथी	होम्योपैथी
38	ऊपर से 9	को	की
95	ऊपर से 8	हुआ कि	हुआ है कि
265	शीर्ष	562	265